खण्ड-406, अंक-6
सोमवार, 21 वैशाख, शक संवत् 1914
(11 मई, 1992 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(ग्यारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1992)

खण्ड 406 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1992

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क–ख
नियम 311 की सूचनाओं को नियम 56 में परिवर्तित किये जाने कीं सूचना	1–2
प्रश्नोत्तर	2–91
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	91–92
कैम्पवेल रोड नियर एक्जान मांण्टेसरी स्कूल, लखनऊ क्षेत्र का विद्युतीकरण कराये जाने के सबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	92
जामनी खाल, बगुड़वालघार लक्ष्मोली मोटर मार्ग टिहरी गढ़वाल के अधूरे निर्माण को पूरा कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	93
जनपद बलिया के ब्लाक चिलकहर के कतिपय गांवों में गंभीर पेयजल संकट उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	93
आगरा महानगर के कतिपय क्षेत्रों में मलेरिया, चेचक, खसरा, हैजा आदि बीमारियों के भयंकर प्रकोप के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	93–94
गढ़वाल जनपद के कालागढ़ वन खण्ड के कतिपय क्षेत्रों में सूखे लाखों पेड़ों के दोहन हेतु शासन से मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	94
प्रदेश के लोक सेवा आयोग से चयनित ए० सी० एफ० वन प्रभाग के अनुसूचित जाति के कर्मियों को प्रोन्नति दिये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	94
देवरिया जनपद के सलेमपुर तहसील में छोटी नदी गण्डक पर कई स्थानों पर बने अधूरे बन्धे को पूर्ण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	94–95
प्रदेश में जिला परिषदों द्वारा आरोपित सम्पत्ति विभवकर में ग्राम सभाओं को अंशदान के रूप में देने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	95
जनपद बांदा के कतिपय ग्रामों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	95
जनपद बाराबंकी में प्राइवेट मैनेजमेंट द्वारा जूनियर हाई स्कूलों को (वर्ष 90-91 व 91-92) क्षतिपूर्ति की धनराशि दिलाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	95–96
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	96
वित्तीय वर्ष 1991-92 में प्रदेश में दवायें क्रय न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में औचित्य का प्रश्न	96–100
श्री डी० पी० यादव, सदस्य, विधान सभा की सुरक्षा के संबंध में शासन द्वारा सदन में दिये गये आश्वासन का अनुपालन न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	101–102
ओबरा जांच आयोग की रिपोर्ट (पटल पर रखी गई) ...	102

विषय			पृष्ठ संख्या
दि प्रादेशिक इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ यू० पी०, लि० की वार्षिक रिपोर्ट 1989-90 (पटल पर रखी गई)	...		102
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 (पटल पर रखा गया)	...	...	103
उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1992 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	...	...	103
उत्तर प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का प्रथम प्रतिवेदन .....(पटल पर रखा गया)	...	...	103
विशेषाधिकार हनन की सूचनाओं के संबंध में जानकारी	...		103
नियम 311 की सूचनाओं को नियम 56 में परिवर्तन	...		103–132
वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक के अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–1 आबकारी विभाग, अनुदान संख्या-43 परिवहन विभाग,अनुदान संख्या-53 राष्ट्रीय एकीकरण विभाग————(जारी)	...		132–141
विनियोग विधेयक, सायं 5 बजे लिये जाने का प्रस्ताव ——(स्वीकृत)	...		141
वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय- व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–1 आबकारी विभाग, अनुदान संख्या–43 परिवहन विभाग, अनुदान संख्या 53 राष्ट्रीय एकीकरण विभाग———(जारी)	...		142–143
दिनांक 11 मई, 1992 की कार्यसूची के नत्थी (क) के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 पर हुए वाद- विवाद के संबंधं में श्री अध्यक्ष का निर्णय--	...		143–144
वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय- व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा एव मतदान–अनुदान संख्या–1 आबकारी विभाग, अनुदान संख्या-43 परिवहन विभाग, अनुदान संख्या 53 राष्ट्रीय एकीकरण विभाग———(स्वीकृत)	...		144–161
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1992... (जारी)	...		
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1992 के संबंध में अननुमोदन प्रस्ताव रखे जाने की मांग———(अस्वीकृत)	...	...	161–164
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1992 (पारित)	...		165–179
बजट साहित्य समय से उपलब्ध कराये जाने हेतु श्री अध्यक्ष का निर्देश तथा संपूर्ण बजट पारित होने पर नेता सदन द्वारा धन्यवाद	...		179
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	...	...	180
जनपद फैजाबाद के जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत धनराशि में कटौती किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत ग्राम्य विकास राज्य मंत्री का वक्तव्य	...	...	180
जनपद देवरिया की सलेमपुर तहसील में प्रस्तावित मुन्सफी न्यायालय की स्थापना के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत न्याय मंत्री का केवल वक्तव्य	...		180–181

विषय			पृष्ठ संख्या
जनपद इलाहाबाद के कतिपय मोहल्लों एवं ग्रामों की कृषि योग्य एवं आवासीय भूमि इलाहाबाद के विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित किये जाने के उपरान्त वाजिब मुआवजा न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	...	...	181–182
उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतीय संवर्ग की वर्तमान व्यवस्था निष्प्रभावी हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत पर्वतीय विकास राज्य मंत्री का वक्तव्य	...	...	182–183
जनपद उन्नाव के पुरवा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत अवर अभियन्ता (अनुरक्षण) द्वारा बिना स्वीकृत विद्युत कनेक्शन दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत निर्धारित वक्तव्य का स्थगन	...	...	183
जनपद मऊ के नत्थूपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों में हुए अग्नि काण्ड से पीड़ित व्यक्तियों को राहत न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य		...	183–184
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव	(स्वीकृत)		184
नत्थियां.....	...	...	185–187

प्रमाण प्रति

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 11 मई, 1992

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे–

अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अमर नाथ यादव, श्री	वाराणसी
अरिदमन सिंह, श्री	आगरा
अशोक कुमार, श्री	लखनऊ
अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इस्लाम साबिर, श्री	बरेली
उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर
ओम प्रकाश, श्री	गोरखपुर
कंवर पाल मास्टर, श्री	सहारनपुर
कासिम हसन सैय्यद, श्री	फतेहपुर
किशन लाल दिलेर, श्री	अलीगढ़
कृष्ण स्वरूप वैश्य, श्री	बदायूं
केदार सिंह फोनिया, श्री	चमोली
कैलाश नाथ सिंह यादव, श्री	वाराणसी
गामाराम शास्त्री, श्री	गाजीपुर
गिरधारी, श्री	गाजीपुर
गोमती प्रसाद, श्री	लखनऊ
घनश्याम शुक्ल, श्री	गोण्डा
घुरहू, श्री	बलिया
जगदम्बा सिंह, श्री	बस्ती
दुलारे लाल, श्री	मिर्जापुर
धनीराम वर्मा, श्री	इटावा
धर्मपाल यादव उर्फ डी० पी० यादव	बुलन्दशहर
नरेश अग्रवाल, श्री	हरदोई
नारायण दत्त तिवारी, श्री	नैनीताल
पतिराज, श्री	आजमगढ़
परमानन्द दण्डी स्वामी, श्री	रामपुर
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
पृथ्वी सिंह, श्री	हरिद्वार
प्यारे लाल संखवार, श्री	कानपुर देहात
बाबूराम यादव, श्री	मैनपुरी
बालचन्द मिश्र, श्री	कानपुर नगर
बालेश्वर त्यागी, श्री	गाजियाबाद
बृजेन्द्र पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री	बाराबंकी
भोला सिंह, श्री	इलाहाबाद
मदन भैया, श्री	मेरठ
मन्नू लाल कुरील, श्री	बांदा
मयंकर सिंह, श्री	बहराइच
मस्तराम, श्री	उन्नाव
महावीर सिंह, श्री	बिजनौर
मारकण्डेय, श्री	बलिया
मारकण्डेय चन्द श्री	गोरखपुर
मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
रघुराज, श्री	जौनपुर
रणजीत सिंह जूदेव, श्री	झांसी
रमाकांत यादव, श्री	आजमगढ़
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
रामऔतार शाक्य, श्री	मैनपुरी
रामकुमार शुक्ल, श्री	लखनऊ

राम खिलाड़ी, श्री	बदायूं	शिवपूजन राम, श्री	वाराणसी
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई	शिव बहादुर सक्सेना, श्री	रामपुर
राम सरन वर्मा, श्री	पीलीभीत	शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
राम सरन सिंह, श्री	अलीगढ़	समीउल्ला, श्री	गोण्डा
लालजी वर्मा, श्री	फैजाबाद	सुखवीर सिंह गहलौत, श्री	गाजियाबाद
विजयपाल सिंह, श्री	आगरा	सूरजसिंह शाक्य, श्री	एटा
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र	हरक सिंह रावत, श्री	गढ़वाल
विजेन्द्र सिंह, श्री	मथुरा	हरदेव सिंह, श्री	बाराबंकी
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर	हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
वेद प्रकाश, श्री	बस्ती	हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर		

विधान सभा

सोमवार, दिनांक 11 मई, 1992

विधान सभा की बैठक सभामण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजकर 5 मिनट पर अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

गणपूर्ति के अभाव में सदन की कार्यवाही 5 मिनट विलम्ब से आरम्भ हुई ।

नियम-311 की सूचनाओं को नियम 56 में परिवर्तित किये जाने की सूचना

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में किसानों से जबरन वसूली की जा रही है और उन्हें जेलों में भेजा जा रहा है । आपसे अनुरोध है कि कृपया इस जन समस्या पर ध्यान दें ।

(श्री प्रमोद तिवारी, श्री राम गोविन्द चौधरी एवं श्री विजय सिंह राणा के एक साथ बोलने से व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, समाजवादी जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं को जबरन बन्द कर दिया गया है । मान्यवर, जन समस्याओं के निवारण हेतु प्रदर्शन का आयोजन हुआ था वहां पर । मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन क्यों यह सरकार करना चाहती है ?

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मेरी बात को सुन लीजिए । इटावा में जन समस्याओं को लेकर एक वृहद् रैली का आयोजन हुआ है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जो आपने सूचना दी है वह उपर्युक्त समय पर ली जायेगी । यदि किसी नियम के अन्तर्गत आपने सूचना दी है तो उसको उपयुक्त समय पर लिया जायेगा ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैंने नियम 311 में दिया है ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने उसे 56 में परिवर्तित कर दिया है । प्रक्रिया के अनुसार जो समय है उसी समय उसको लिया जायेगा ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मेरी बात को सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

नियम 311 की सभी सूचनाओं को मैंने 56 में परिवर्तित कर दिया है और उसी प्रक्रिया के अनुसार उसका निस्तारण होगा ।

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी, करोड़ों किसानों को इस सरकार के चंगुल से मुक्त करायें, वह जेलों में बन्द हैं । बकाये के नाम पर किसानों को इस तरह से बंन्द किया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें, 2-3 माननीय सदस्य बोलेंगे तो सुनाई नहीं पड़ेगा ।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, लाटरी से निकलने वाली बात है उसको अलग से सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

इसकी शलाका निकल आई है, उसी समय देख लेंगे ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जनपद इटावा में भूमि विकास बैंक के डायरेक्टर के आरक्षित सीट पर निर्वाचन हेतु दिया गया जाली प्रमाण-पत्र

**1-श्री रवीन्द्र शुक्ला तथा श्री अशोक दुबे–

क्या सहकारिता मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद इटावा में भूमि विकास बैंक के डायरेक्टर के निर्वाचन में निर्बल वर्ग का जाली प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के कारण नामांकन निरस्त किये जाने के मामले प्रकाश में आये हैं ? यदि हां, तो उनका विवरण क्या है और क्या उनके लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार ऐसे मामलों के निराकरण के उपायों पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री (श्री सुधीर कुमार बालियान)–

जी हां ।

निबन्धक, सहकारी समितियां, उ० प्र० द्वारा उ० प्र० राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक लि० लखनऊ की प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों के निर्वाचन हेतु 20-2-92 तिथि निर्धारित की गयी थी । निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 14-2-92 को 11 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों हेतु नाम निर्देशन पत्रों की प्रस्तुति की जानी थी । निर्वाचन क्षेत्र इलाहाबाद निर्बल वर्ग के लिये आरक्षित था । जनपद इटावा से श्री शिव पाल सिंह द्वारा नामांकन पत्र के साथ निर्बल वर्ग संबंधी प्रमाण-पत्र न देकर जाति प्रमाण-पत्र दिया गया । प्रस्तुत जाति प्रमाण-पत्र के अन्त में कुल/भूमि (जोत) संबंधी प्रमाण-पत्र फर्जी पाया गया । जिसके कारण निर्वाचन अधिकारी ने श्री सिंह के नामांकन पत्र को

अस्वीकार कर दिया तथा इस संबंध में उन्होने जिला अधिकारी इटावा से आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रवीन्द्र शुक्ला–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो प्रमाण-पत्र श्री शिवपाल सिंह द्वारा दिया गया उस प्रमाण पत्र में जो भूमि और जोत संबंधी विवरण दिया गया वह फर्जी पाया गया और उसमें अपर जिलाधिकारी के हस्ताक्षर फर्जी किये गये । मान्यवर, यह निश्चित रूप से दंड संहिता की धारा 420 का अपराध बनता है और एक गंभीर अपराध, एक तो यह फर्जी जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा दिया गया जाति प्रमाण-पत्र में ही जोत संबंधी विवरण को अंकित किया गया और दूसरे अपर जिलाधिकारी के हस्ताक्षर फर्जी किये गये और मोहर फर्जी लगायी गयी यह एक गंभीर अपराध है और दण्ड संहिता की धारा 420 के अन्तर्गत आता है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आज तक इस अपराध के संज्ञान में आने के बाद कोई प्राथमिकी दर्ज की गयी यदि नहीं की गयी तो उसके लिये कौन दोषी है ? क्या उसके विरुद्ध कार्यवाही होगी या नहीं ? दूसरा प्रश्न यह है कि अभी आपराधिक कार्यवाही नहीं दर्ज की गयी तो क्या प्राथमिकी दर्ज कराकर दंडनीय कार्यवाही की जायेगी ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने प्रश्न किया, सभी इस प्रकरण में निश्चित रूप से प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी है मैं आश्वस्त कराना चाहता हूं । माननीय सदस्य को और माननीय सदन को कि जहां प्राथमिकी दर्ज कराने मे विलम्ब हुआ है उन अधिकारियों के विरुद्ध निश्चित रूप से कठोर कार्यवाही की जायेगी और जैसा कि अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अन्तर्गत आता है, तो निश्चित रूप से दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जायेगी ।

श्री रवीन्द्र शुक्ला–

मैंने कहा है कि प्राथमिकी दर्ज की जायगी या नहीं ?

श्री रामदेव आचार्य–

कब तक कार्यवाही सुनिश्चित कर दी जायेगी ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

एक महीने के अन्दर निश्चित रूप से कार्यवाही सुनिश्चित कर दी जायेगी ।

श्री प्रमोद तिवारी–

सवाल की तत्परता दिखाती है कि सवाल राजनीतिक उत्पीड़न के लिये लाया गया है । माननीय सहकारिता मंत्री जी किस आधार पर यह कह रहे हैं कि फर्जी प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर या मुहर, जिसने पर्चा दाखिल किया था, उसने लगाया था । श्री शिवपाल सिंह जी को किस आधार पर कहा जा रहा है कि फर्जी प्रमाण-पत्र दाखिल किया है ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

इसके स्पष्ट प्रमाण हैं । जो नामांकन दाखिल होता है तो निश्चित रूप से उसे प्रत्याशी दाखिल करता है । यह फर्जी पत्र निश्चित रूप से प्रत्याशी द्वारा जमा किया गया था । इसमें कोई कारण नहीं है कि फर्जी प्रमाण-पत्र किसके द्वारा दिया गया है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

निर्बल वर्ग के वह नहीं है इसको कहने का आधार क्या है ? सत्ता पक्ष के एक सदस्य से पुछवा लिया, मंत्री जी ने जवाब दे दिया । राजनीतिक उत्पीड़न के लिये लाया गया है ।

श्री सुधीर कुमार बालियान–

प्रश्न फर्जी प्रमाण-पत्र के विषय में है, उसी सन्दर्भ में मैंने उत्तर दिया है कि फर्जी प्रमाण-पत्र जिसने जमा किया है, उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मैंने पूछा था कि निर्बल वर्ग के नहीं हैं, इसका आधार क्या है ?

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री–(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

जो लिखित उत्तर है, देख लें । इसमें है कि "प्रस्तुत जाति प्रमाण-पत्र के अन्त में कुल भूमि (जोत) संबंधी प्रमाण-पत्र फर्जी पाया गया जिसके कारण निर्वाचन अधिकारी ने श्री सिंह के नामांकन पत्र को अस्वीकार कर दिया तथा इस संबंध में उन्होंने जिला अधिकारी, इटावा से आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया है" यह तो हमारे यहां होता रहता है, निर्वाचन अधिकारी का विवेक है, उसको हम तो चैलेंज नहीं कर सकते हैं । उसने अपने विवेक से फैसला किया, उसको जिलाधिकारी के पास भेज दिया । जिलाधिकारी जांच करेंगे, जांच करके देखेंगे कि क्या गलत है उसके हिसाब से कार्यवाही की जायगी ।

श्री प्रमोद तिवारी–

निर्बल वर्ग की निश्चित आय-सीमा होती है, इसके संबंध में क्या आधार है ? क्या प्रमाण प्रस्तुत किये गये हैं ?

श्री विजय सिंह राणा–

आप स्वयं विद्वान हैं, आप जानते हैं कि सहकारिता के बैंक की चुनाव की जो प्रक्रिया है, जिला स्तर का जो चुनाव होता है, उससे क्षेत्रीय स्तर पर चुनाव होते हैं और संचालक बन जाता है तो संचालक में ही यह निर्वाचन होता है तो संचालक के लिए, निर्बल वर्ग के लिए, क्षेत्र अलग, अलग मार्क कर दिये जाते हैं कि यहां से निर्बल वर्ग का प्रत्याशी खड़ा होगा । तो उसमें वहां के सचिव को ही प्रमाण-पत्र देना पड़ता है । जब प्राथमिक इकाई का चुनाव लड़ा गया होगा तो जो वहां का सचिव होगा उसके प्रमाण-पत्र के आधार पर चुनाव लड़ा गया होगा । जिलाधिकारी जिले का सर्वोच्च अधिकारी होता है। मान्यवर, मेरा पूछना यह है कि जब उसी समय प्रमाण-पत्र भर लिया गया था तब जो ये कहा जा रहा है कि फर्जी प्रमाण-पत्र भर लिया गया है इसकी आवश्यकता क्यों महसूस की गई ।

श्री सुधीर कुमार बालियान–

निर्बल वर्ग की सीमा में क्या वे आते हैं या नहीं, यह जो माननीय प्रमोद तिवारी और माननीय राणा जी ने सवाल किया है, अगर वे सीमा में आते हैं तो फर्जी प्रमाण-पत्र जमा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? निर्बल वर्ग का फर्जी प्रमाण-पत्र जो पेश किया गया, उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये मैंने कहा । अगर सीमा में निर्बल वर्ग के लिए आ रहे थे तो फर्जी प्रमाण-पत्र जमा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह बात रिकार्ड में नहीं जायेगी ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, जो मेरा प्रश्न था कि प्राथमिक इकाइयों का जो चुनाव हुआ, वे निर्बल वर्ग के लोगों के लिए अपने आप में मार्क कर दिये जाते हैं कि यहां से निर्बल वर्ग का प्रत्याशी खड़ा होगा, उस पर केवल सचिव प्रमाण-पत्र देते हैं, वह चुनाव लड़ा गया । एक निर्बल वर्ग का प्रत्याशी आ गया । अब जिला बैंक में आने पर उस पर फिर से प्रमाण-पत्र की आवश्यकता कहां से पैदा हो गयी । चुनाव हो गया, उसके बाद डायरेक्टर बन गये, अब फिर उस प्रकरण को पुनः खोलना और यह कहना कि फर्जी प्रमाण-पत्र दिया गया-था, इसका क्या औचित्य है । मान्यवर, चुने जाने के बाद, दो साल रहने के बाद, राजनीतिक विद्वेष के कारण यह आरोप बाद में एक संगठित रूप से लगाया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

यह अनुपूरक प्रश्न नहीं हुआ, यह तो आरोप हुआ ।

श्री रवीन्द्र शुक्ला–

मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि जब जिला अधिकारी कार्यालय से जो प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया उसके नीचे जो पृष्ठांकित किया गया जोत संबंधी मामले में, अपर जिलाधिकारी के हस्ताक्षर उसमें फर्जी बनाये गये । यह जो उत्तर में आया है फर्जी बताया गया है जो पृष्ठांकित किया गया है । निर्वाचन अधिकारी ने जिलाधिकारी से पूछा तो उन्होंने मना कर दिया कि उनके यहां से नहीं लिखा गया। क्या निर्वाचन अधिकारी ने जिलाधिकारी से इस प्रकार की कोई आख्या मंगाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि यह फर्जी है जो पृष्ठांकित है वह प्रमाण-पत्र में नहीं है ।

श्री सुधीर कुमार बालियान–

मान्यवर, निर्वाचन अधिकारी ने निदेशक भूमि विकास बैंक को इस बारे में अवगत कराया । शासन की ओर से इसमें आख्या मांगी गई जिलाधिकारी ने इस बारे मे सूचित किया था, वहं इसमें स्पष्ट रूप से टेलेक्स में लिखा है कि यह फर्जी प्रमाण-पत्र है । साथ ही जैसा मा० राणा जी ने जानना चाहा ।

नोट:–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

पूरे उत्तर प्रदेश में जो निर्बल वर्ग के लिये आरक्षित क्षेत्र है वह सिर्फ भूमि विकास बैंक की प्रबन्ध समिति के लिए है । उन क्षेत्रों में प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होती है । मान्यवर, चुनाव तीन चरण में कराया जाता है और विभिन्न शाखाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं है । जहां तक माननीय राणा जी ने कहा कि कृषि भूमि विकास बैंक की शाखा के लिए कोई चुनाव हुआ था उसके लिए आरक्षण की सुविधा उपलब्ध करायी गयी थी उसी स्तर पर डाइरेक्टर पद हेतु भी आरक्षण की सुविधा उपलब्ध करायी गयी ।

श्री विजय सिंह राणा–

यह तो मेरी बात को ही दोहरा रहे हैं ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

श्रीमन्, मेरा यह कहना है कि शिवपाल सिंह जी को प्रमाण-पत्र देने की आवश्यकता नहीं थी । क्योंकि सचिव को प्रमाण-पत्र देना था । तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिस राजनीतिक विद्वेष के कारण अधिकारियों पर वर्तमान शासन ने दबाव देकर फर्ज़ी प्रमाण-पत्र दिलाया तो उन अधिकारियों के खिलाफ आप कब तक कार्यवाही करेंगे क्योकि शिवपाल सिंह को प्रमाण-पत्र देने की आवश्यकता नहीं थी और वर्तमान शासन ने अधिकारियों पर दबाव डालकर फर्जी प्रमाण-पत्र दाखिल कराया तो इसकी जांच आप सी० बी० आई० से करायेगें ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

मान्यवर, माननीय चौधरी जी इस सदन के बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं । उन्हें सदन में कोई भी सूचना बिना तथ्यों के या बिना प्रमाण के नहीं देनी चाहिये । साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि राजनीतिक विद्वेष के कारण कोई भी कार्य यह सरकार नहीं कर रही है और यह भी कहना चाहता हूं कि सहकारिता के चुनाव राजनीतिक आधार पर नहीं होते हैं, पहले कभी हुए होंगे तो हुए होंगे लेकिन मैं यह निश्चित रूप से बता दूं कि यह सरकार राजनीतिक विद्वेष के कारण कोई कार्य नहीं कर रही है और न करेगी ।

श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में यह जानना चाहता हूं कि साधन सहकारी समितियों में किस आधार पर डेलीवेजेज चुने जाते हैं आपने निर्बल वर्ग के लिए कुछ सीटें आरक्षित की हैं तो वह किस आधार पर आरक्षित की हैं, उनकी जोत क्षमता क्या है और उनकी जोत क्षमता क्या थी और किस आधार पर यह कहा गया कि शिवपाल सिंह का प्रमाण-पत्र फर्जी है ।

श्री सुधीर कुमार बालियान–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य से पुनः अनुरोध करूंगा कि वे कृपया अपने प्रश्न को पुनः दोहरा दें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा है कि उनका प्रमाण-पत्र फर्ज़ी है यह किस आधार पर कहा गया ?

श्री सुरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं अपने प्रश्न को पुनः दोहरा देता हूं। मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में यह जानना चाहता हूं कि साधन सहकारी समितियों में किस आधार पर डेलीगेट्स चुने जाते हैं जो आपने निर्बल वर्ग के लिये सीटे आरक्षित की हैं यह किस आधार पर की हैं, उनकी जोत क्षमता क्या है और माननीय शिवपाल सिंह की जोत क्षमतां क्या थी, उनका प्रमाण-पत्र किस आधार पर फर्जी है ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

मान्यवर, निर्बल वर्ग की सीट आरक्षित करने का सहकारी समिति के नियमों में निश्चित आधार है। हिन्दी वर्णमाला के अनुसार जो चुनाव क्षेत्र पहले आते हैं, उनको आरक्षित किया जाता है। इसी तरह से भूमि विकास बैंक के चुनाव क्षेत्र निर्धारित करते समय 7 चुनाव क्षेत्र बनाये गये थे, जिसमें आगरा और इलाहाबाद प्राथमिकता के आधार पर आरक्षित किये गये थे। दूसरे....

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है कि डेलीगेट्स स्तर के चुनाव जब हुये थे तो यह निर्बल वर्ग के अभ्यर्थी पाये गये या नहीं ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

मान्यवर, किसी भी प्राथमिक सहकारी समिति या कृषि राज्य भूमि विकास बैंक की शाखा में कोई आरक्षण का प्राविधान नहीं है।

(इस पर विपक्ष के अनेक माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे, जिससे घोर व्यवधान हो गया)

श्री सुधीर कुमार बालियान–

मान्यवर, मेरे उत्तर को पूरा माननीय सदस्य सुन तो लें। इस तरह उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, आपके निदेश के बावजूद माननीय मंत्री जी गलत उत्तर दे रहे हैं। मैं मौखिक रूप से विशेषाधिकार हनन की सूचना दे रहा हूं। यह किसी व्यक्ति की राजनैतिक हैसियत समाप्त करने की पूर्णतः साजिश है और एक षड़यंत्र के तहत यह सब हो रहा है। मैं मंत्री जी के खिलाफ विशेषाधिकार का मामला उठाऊंगा। आप मेरे विशेषाधिंकार हनन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लें।

श्री प्रमोद तिवारी–

अध्यक्ष जी, आप इसे प्रश्न एवं संदर्भ समिति को भेज दें, वहां इस पर पूरी तरह से विचार हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

मैं विचार कर लेता हूं।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, आप इसे प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सौंप दें।

श्री प्रमोद तिवारी–

यह हम सब लोगों का आग्रह है । इसमें सरकार की बदनियती साफ हो गयी है । इस सरकार की नीयत साफ नहीं है । आप हम सबका आग्रह मानकर इसे प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सौंप दें ।

श्री अध्यक्ष–

इस पर मैं आज ही अपनी व्यवस्था दे दूंगा ।

श्री प्रमोद तिवारी–

आप इसे प्रश्न एवं संदर्भ समिति को भेज दें, वहां सारी चीजें साफ हो जायेंगी ।

श्री अध्यक्ष–

मैं आज 4 बजे के पहले ही इस पर व्यवस्था दे दूंगा ।

उत्तर प्रदेश के समस्त कोयला व्यापारियों को सुविधा एवं राजस्व की पूर्ण सुरक्षा की दृष्टि से नियमानुसार अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

**2- श्री माया शंकर पाठक–(अनुपस्थित)–

क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के समस्त व्यवसायी अपने माल को बेचने के बाद बिक्री-कर अदा करते हैं, परन्तु वाराणसी में नौबतपुर 680/- प्रति ट्रक वसूल किया जाता है? यदि हां, तो चेक पोस्ट पर कोयला व्यवसायियों से एडवान्स बिक्री-कर क्यों ? क्या सरकार इस प्रकार की नीति समाप्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

नियमित प्रपत्र-31 अथवा प्रपत्र-32 के विरुद्ध कोयले का आयात करने वाले व्यवसाइयों से नौबतपुर चेकपोस्ट पर कोई धनराशि जमा नही कराई जाती है । बिना प्रपत्र-31 प्रपत्र-32 के मामलों में कोयला व्यवसाइयों को यह सुविधा अनुमन्य की गई है कि 10 मैट्रिक टन तक कोयले वाले ट्रकों पर रु० 620 प्रति ट्रक की जमानत का भुगतान करने पर ट्रक को राज्य में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है । कोयले की मात्रा उक्त से अधिक होने पर रु० 90 प्रति टन की दर से अतिरिक्त धनराशि जमा करनी होती है । उक्त प्रक्रिया कोयला व्यवसाइयों को सुविधा देने के साथ-साथ राजस्व की पूर्ण सुरक्षा करने की दृष्टि से अपनाई गयी है । फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन नहीं है ।

उपरोक्त के प्रकाश में लागू नहीं होता है ।

कोयला व्यवसाइयों तथा राजस्व के हित में ऐसा करना उचित नहीं प्रतीत होता है ।

(इस प्रश्न पर प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने पर सदन में मौजूद नहीं थे)

श्री अध्यक्ष–

माननीय राज्य मंत्री जी, मैंने आपको उत्तर पढ़ने के लिए नहीं कहा । माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं है ।

(श्री मोहम्मद आजम खां, श्री अखिलेश व उनके साथ कई समाजवादी जनता पार्टी के माननीय सदस्य श्री अध्यक्ष के आसन की ओर बढ़ने लगे और श्री विक्रमादित्य पाण्डेय सदन के फ्लोर पर खड़े रहे ।)

(व्यवधान)

(उक्त सभी माननीय-सदस्य थोड़ी देर बाद अपने-अपने आसन की ओर वापस चले गये ।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री प्रमोद तिवारी जी, श्री राम गोविन्द चौधरी जी, माननीय श्री राणा जी, माननीय श्री दीक्षित जी व माननीय श्री आजम खां जी से मैं अभी कक्ष में इस विषय पर विचार-विमर्श करके 4.00 बजे से पहले अपना निर्णय दे दूंगा ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रशासन के कार्यों में भागीदारी एवं विकेन्द्रीकरण के नीति के अन्तर्गत विधान सभा सदस्यों को अधिकार दिये जाने की मांग

*1–श्री तीरथ राज (अनुपस्थित)–

क्या संसदीय कार्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रशासन के कार्यों में भागीदारी एवं विकेन्द्रीकरण की नीति के अंतर्गत विधान सभा के सदस्यों को अधिकार दिए जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है और उसका कार्यान्वयन कब तक हो जायेगा ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा नत्थी 'ख' के तारांकित प्रश्न संख्या 1 पर प्रश्नकर्ता श्री तीरथराज जी का नाम पुकारे जाने पर वह सदन में उपस्थित नहीं थे)

केंन्द्र सरकार के कर्मचारियों की भांति राज्य सरकार के कर्मचारियों को नगर प्रतिकर भत्ता अनुमन्य

*2–श्री सुरेन्द्र सिंह–

क्या वित्त मंत्री केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों को नगर प्रतिकर भत्ता 3 प्रतिशत की दर से दिए जाने के आधार पर रु० 2500 से अधिक मूल वेतन पाने वाले राज्य कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के समान 3 प्रतिशत की दर से नगर प्रतिकर भत्ता दिए जाने का आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संस्थागत वित्त राज्य मंत्री (श्री हरद्वार दुबे)–

केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय कर्मचारियों को नगर प्रतिकर भत्ता वेतन के 3 प्रतिशत की दर से नहीं वरन् वेतन स्लैब के अनुसार देय है । राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों को वेतन स्लैब के अनुसार नगर प्रतिकर भत्ता देय है ।

उपर्युक्त उत्तर के परिपेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री सुरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार स्लैब के आधार पर किस दर से अपने कर्मचारियों को नगर प्रतिकर भत्ता देती है, क्या भारत सरकार द्वारा

रु० 3500 मूल वेतन पाने वाले कर्मचारियों को 3 प्रतिशत के हिसाब से नगर प्रतिकर भत्ता देती है ? यदि हां, तो इसी आधार पर राज्य सरकार भी 3500 रुपये मूल वेतन पाने वाले कर्मचारियों को नगर प्रतिकर भत्ता देने पर विचार करेगी ? (श्री विजय सिंह राणा व श्री प्रमोद तिवारी के खड़े होने पर ..... व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, केन्द्र सरकार की तुलना में वेतन में समानता के आधार को सिद्धान्ततः स्वीकार किया है लेकिन भत्तों में समानता को हमने स्वीकार नहीं किया है । केन्द्र सरकार के भत्तों में और प्रदेश सरकार के भत्तों में फर्क है । उनके अपने वित्तीय संसाधन है और हमारे अपने वित्तीय संसाधन हैं, इसलिये इसको देखते हुए, अभी इस पर विचार करना सम्भव नहीं है ।

श्री सुरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं अपने प्रश्न को स्पष्ट कर दूं । जिस प्रकार 875 रुपये मूल वेतन पाने वाले कर्मचारी को 25 रुपये नगर प्रतिकर भत्ता दिया जाता है और 2500 रुपये मूल वेतन पाने वाले कर्मचारी को 40 रुपये नगर प्रतिकर भत्ता दिया जाता है और इससे ऊपर 3500 रुपये मूल वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भारत सरकार 75 रुपये नगर प्रतिकर देती है । क्या उन कर्मचारियों को भी जो 35 सौ से ऊपर या 35 सौ तक मूल वेतन पाने वाले कर्मचारी हैं उनको नगर प्रतिकर भत्ता उसी आधार पर देने का विचार करेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन किया था जो हमारी व्यवस्था है उस हिसाब से इस समय उत्तर प्रदेश के सभी नगरों में यह व्यवस्था नहीं है केवल 10 नगरों में 999 रु० तक को 30 रु० और एक हजार से 2500 रु० तक को 50 रु० दिया जाता है उससे अधिक पर प्रतिकर भत्ता नहीं देते हैं इस भत्ते के मामले में केन्द्र सरकार से समानता संप्रति उत्तर प्रदेश सरकार के सामने विचाराधीन नहीं है ।

(प्रश्न संख्या-3 पुकारने पर और माननीय सदस्य के अनुपस्थित रहने पर)

श्री मो० आजम खां–

मान्यवर, इसमें रुचि है ।

श्री अध्यक्ष–

बाद में, जब सब प्रश्न हो जायेंगे उसके बाद ।

आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध के० आर० कालेज मथुरा के कतिपय छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं गायब होने के संबंध में कार्यवाही तथा परीक्षाफल घोषित

*3–श्री राम औतार शाक्य (अनुपस्थित)-

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि विगत वर्ष 1991 में आगरा विश्वविद्यालय आगरा से सम्बद्ध अनेकों महाविद्यालयों के परीक्षा केन्द्रों की बी० ए० पार्ट 1 तथा बी०एस-सी० ए० जी० पार्ट I, II, III की हजारों परीक्षा पुस्तिकायें गायब हो गयी हैं । यदि हां, तो इसमें दोषी कौन हैं ? क्या इस प्रकरण की जांच कर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार परीक्षा पुस्तिकायें गायब होने वाले परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणामों को घोषित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक और उसका

मानक़ क्या होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सच है कि ऐसे परीक्षार्थियों के परिणाम घोषित न हो पाने के कारण वे प्रवेश भी नहीं ले पाये हैं ? क्या सरकार उन्हें कोई सुविधा उपलब्ध कराने जा रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सच है कि मैनपुरी चित्रगुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 91 में बैठे बी० ए० पार्ट I के व्यक्तिगत परीक्षार्थियों की भी परीक्षा पुस्तिकायें गायब कर दी गयी हैं ? यदि हां, तो ऐसे कितने परीक्षार्थी हैं ? क्या उनमें से किसी का परीक्षाफल घोषित किया गया ? यदि हां, तो कब ? क्या अवशेष परीक्षार्थियों का भी परीक्षाफल घोषित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उच्च शिक्षा, श्रम तथा सेवायोजन मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

मात्र के० आर० कालेज, मथुरा के बी० ए० पार्ट–I के अर्थशास्त्र (द्वितीय प्रश्न पत्र) की 168 छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं का एक बण्डल गायब हुआ था ।

आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

संबंधित छात्रों का परीक्षाफल नियमानुसार औसत अंक देकर घोषित कर दिया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नही उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

शीघ्र ।

प्रश्न नहीं उठता ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद फैजाबाद के दुर्गा बंसल फर्टिलाइजर्स एवं के० एम० शुगर मिल्स मसौधा द्वारा फैल रहे प्रदूषण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही

*1–श्री पवन कुमार पाण्डेय (अनुपस्थित)–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में मंगारी स्थित "दुर्गा" बंसल फर्टिलाइजर्स एवं मसौधा स्थित "के० एम० शुगर मिल्स" से निकलने वाले गन्दे पानी और गैसों से फैल रहे प्रदूषण के कारण मिलों के आस-पास काफी दूर तक की आबादी में बसे लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, फसलें प्रभावित हो रही हैं और जानवर मर रहे हैं ? यदि हां, तो प्रदूषण फैलाने वाली इन मिलों के विरुद्ध सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

दुर्गा बंसल फर्टिलाइजर्स गत कई माह से बन्द हैं ।

के० एम० शुगर मिल के आस-पास आबादी में बसे लोगों के स्वास्थ्य तथा फसलों पर प्रदूषण के कारण होने वाले प्रभाव से इंकार नहीं किया जा सकता । जानवरों के मरने की कोई सूचना प्राप्त नहीं है ।

विधिक कार्यवाही की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

[सोमवार, दिनांक 11 मई, 1992 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1–श्री सुरेश प्रताप गांधी–

[9वें सोम के लिये स्थगित]

*2–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या तथा रोजगार उपलब्ध कराने की शासन की नीति

*3–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों की दिनांक 31-12-1991 तक पंजीकृत संख्या क्या है और उनमें स्नातक तथा स्नातकोत्तर डाक्टरों की संख्या क्या है ? इन्हें रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सरकार की भावी योजनायें क्या हैं ?

श्रम तथा सेवायोजन राज्यमंत्री (श्री बालचन्द्र मिश्र)–

श्रम विभाग के अधीन प्रदेश में कार्यरत सेवायोजन कार्यालयों में शिक्षित बेरोजगारों की श्रेणी में हाईस्कूल एवं उससे उच्च शिक्षा प्राप्त अभ्यर्थी आते हैं । दिनांक 31-12-91 को सेवायोजन कार्यालयों के सक्रिय पंजी पर इस श्रेणी के शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 18,63,823 थी । इनमें से स्नातक चिकित्सा 931 एवं स्नातकोत्तर चिकित्सा की संख्या 206 है ।

प्रदेश में डाक्टरों का पंजीयन उत्तर प्रदेश मेडिकल कौंसिल द्वारा किया जाता है । उनके अनुसार दिनांक 31-12-91 तक रजिस्टर्ड डाक्टरों की संख्या 35,339 है और उनमें से 612 पोस्ट ग्रेजुएट डाक्टर रजिस्टर्ड हैं ।

श्रम विभाग किसी व्यक्ति विशेष को नौकरी नहीं प्रदान करते हैं वरन विभिन्न विभागों से मांग आने पर सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार अभ्यर्थियों के नामों का उनकी योग्यतानुसार सम्प्रेषण मात्र किया जाता है । इसके अतिरिक्त सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से बेरोजगारों को स्वतः रोजगार अपनाने हेतु उत्प्रेरित भी किया जाता है । उद्योग विभाग द्वारा पंडित दीन दयाल उपाध्याय रोजगार योजना संचालित की जा रही है जिससे बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे । इसके अतिरिक्त शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु स्वतः रोजगार योजना भी संचालित की जा रही है । स्नातक तथा स्नातकोत्तर डाक्टरों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु श्रम विभाग में कोई भावी योजनायें नहीं हैं ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के इस वक्तव्य के अनुसार प्रदेश में सरकारी पंजीकरण के अनुसार शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 18,63,823 है इसके भीतर करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार हैं जो एक

गम्भीर चिन्ता का विषय है । तो इस संदर्भ में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश में नयी नियुक्तियों पर रोक है अगर उस रोक को हटा लिया जाय तो शायद प्रदेश में लाखों नवयुवक रोजगार पा सकते हैं । तो जो इस प्रकार शिक्षित बेरोजगार हैं उनको प्रदेश के विभिन्न विभागों में जो स्थान रिक्त हैं, उनमें इन बेरोजगारों को नियुक्त करने पर विचार करेंगे, यदि नहीं, तो क्यों ?

दूसरा प्रदेश में जो भयंकर बेरोजगारी की समस्या है उसमें संवेदनशील नजरिये से देखते हुए नये रोजगार के अवसर सृजित करने का वर्तमान सरकार का क्या एक्सन प्लान है ?

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, 1992-93 में वर्तमान सरकार ने 50 करोड़ रु० का प्राविधान किया है दीन दयाल योजना के तहत ढाई लाख लोगों को रोजगार देने के लिये रोजगार सृजित करने की योजना है । जो माननीय सदस्य जानना चाहते हैं खास कर डाक्टर्स के बारे में । पोस्ट ग्रेज्वेट और डाक्टर्स के नियोजन के संदर्भ में मैं जानकारी देना चाहूंगा कि इनके नियोजन के संबंध में लगभग दो हजार पद विज्ञापित हुए और उसके विपरीत 836 ही आवेदन आये हैं । इसलिये इनको जितने नियोजन के अवसर प्रचुर मात्रा में सुलभ हैं उतने डाक्टर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, आप का संरक्षण चाहूंगा कि मैंने प्रश्न किया था कि जो प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों की गम्भीर समस्या है और दूसरी तरफ प्रदेश के विभिन्न विभागों में हजारों लाखों की संख्या में स्थान रिक्त पड़े हैं, जो प्रदेश में नियुक्तियों पर रोक लगी है उसको हटा कर इन खाली स्थानों को भर कर उनको रोजगार के अवसर सुलभ कराने पर आप विचार कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

इस समय प्रदेश में नियुक्तियों पर रोक फिलहाल नहीं हैं । उसके लिये जिन-जिन माध्यमों से नियुक्तियां होनी हैं उनके द्वारा पद संदर्भित किये गये हैं । उनकी नियुक्तियों का प्रासेस चल रहा है ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, पंडित दीनदयाल रोजगार योजना हो या जवाहर रोजगार योजना हो या फिर ग्रामीण रोजगार योजना हो, यह योजनायें उनके लिये हैं जो अशिक्षित हैं- ग्रामीण क्षेत्र में अशिक्षित बेरोजगार हैं, किन्तु माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य ने शिक्षित बेरोजगारों के बारे में स्पष्ट प्रश्न किया है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो शिक्षित बेरोजगार हैं, उनको नौकरी न मिल पाये उनको रोजगार करने के अवसर और जिनको यह भी नहीं दे सकते हैं, उनको बेरोजगारी भत्ता देने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

जहां तक बेरोजगारी भत्ता का प्रश्न है, माननीय सदस्य का मूल प्रश्न से हटकर प्रश्न है । उसके लिये कई बार सदन में प्रश्न आ चुके हैं और वर्तमान सरकार अपने सीमित साधनों के कारण बेरोजगारी भत्ता देने की स्थिति में नहीं हैं । जहां तक माननीय सदस्य ने बताया है कि पंडित दीनदयाल रोजगार योजना अशिक्षित बेरोजगारों के लिये है, तो ऐसा नहीं है कि यह केवल अशिक्षित लोगों के लिये है। इसके अन्तर्गत ग्रामीण विकास और उद्योग विभाग की ओर से विभिन्न योजनाओं की दृष्टि से काम के अधिक अवसर देने के लिये ही विभिन्न योजनायें विचाराधीन हैं ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

अभी माननीय राय चौधरी के प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने जो बताया इसमें कहा कि ऐसे तमाम पद हैं जिन पर नौकरी प्रतिबन्धित नहीं है, दूसरी तरफ मंत्री जी ने यह कह दिया कि उनको लोक सेवा आयोग को संदर्भित किया है, तो जो पद लोक सेवा आयोग के परव्यु में नहीं है, विभागीय पद हैं, या उन पर नियुक्तियां विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो नियुक्तियां क्यों नहीं की जा रही हैं ? मेरा दूसरा प्रश्न है कि जो तमाम योजनायें हैं, वे केवल अशिक्षित बेरोजगार लोगों के लिये नहीं हैं, शिक्षित बेरोजगारों के लिये भी हैं, तो पंडित दीनदयाल योजना में कौन सी योजनायें चलाई गयी हैं ?

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, अभी तक जिन योजनाओं की स्वीकृति मिली है और जो इस समय चल रही हैं जैसे दीन दयाल योजना के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगारों की दृष्टि से, मैं बताना चाहता हूं कि श्रम विभाग का दायित्व उनमें स्वतः रोजगार योजना चलाने का है । शिक्षित बेरोजगारों को उत्प्रेरित करते हैं कि वह स्वयं योजनायें चलायें और और तरह-तरह की सुविधायें देते हैं । जो दीन दयाल योजना है उसमें 5 तरह के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं । स्वतः रोजगार योजना के तहत बुन्देलखण्ड में सघन रोजगार योजना मिनी डेरी योजना, चर्म वस्तु विपणन योजना आदि योजनायें चलाई जा रही हैं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य के पहले प्रश्न का उत्तर भी दे दें ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैंने पहला प्रश्न पूछा था कि लोक सेवा आयोग के तहत जो पद नहीं आते हैं उनमें नियुक्तियां की जा रही हैं कि नहीं ?

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, विभाग द्वारा कार्यवाही हो रही है, आंकलन हो रहा है कि कितने पद ऐसे हैं और नियुक्तियों के प्रासेस के बारे में विचार हो रहा है ।

श्री भागवत पाल–

मान्यवर, मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूं । एक तो मिर्जापुर जिले में आदिवासियों की संख्या लगभग 22 प्रतिशत है और सोनभद्र में लगभग 40 से 45 प्रतिशत है । यहां पढ़े लिखे लोग हैं, टेक्निकल लोग भी हैं और मेरी सूचना के अनुसार इन दोनों जिलों में एक भी आदिवासी का रोजगार दफ्तर में पंजीकरण नहीं हुआ है । तो मैं जानना चाहता हूं मेरी सूचना को सही मानते हुए क्या मंत्री जी इस मामले की जांच करायेंगे ?

दूसरा प्रश्न हमारे प्रदेश में विशेषकर बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है, एक तो प्रतिबन्ध लगा है और दूसरे आटोमेशन सिस्टम को बढ़ावा दिया जा रहा है । हाथ से काम करने वाले उद्योग नहीं है जिससे बड़ी मात्रा में हाथ बेरोजगार पड़े हैं । बड़े-बड़े उद्योग धन्धों के नाम पर पूंजीपतियों को प्रश्रय दिया जा रहा है इसलिये लोग बेरोजगार हैं । इसलिये आटोमेशन सिस्टम पर रोक लगा कर बेकार हाथ जो पड़े हैं उन्हें काम देने के बारे में सरकार क्या विचार करेगी ?

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, यह प्रश्न यद्यपि मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है । लेकिन मैं जानकारी देना चाहता हूं कि जो पहला प्रश्न उन्होंने आदिवासियों के पंजीकरण के बारे में पूछा है तो शासन के संज्ञान में साजिश की बात नहीं आयी है और यदि माननीय सदस्य लिखकर देंगे तो जांच कराई जायेगी ।

माननीय सदस्य ने दूसरा प्रश्न हाथ से किये जाने वाले छोटे उद्योग धन्धों के बारे में पूछा तो मुख्य मंत्री जी ने सदन में उद्योग के बजट में कहा है कि वर्तमान सरकार उद्योगों का वर्गीकरण करना चाहती हैं और बड़े उद्योग, मझोले उद्योग, कुटीर उद्योग लगाने के संबंध में जैसा कहा है उसके पीछे यही आशय है कि एक दूसरे पर अतिक्रमण न हो । इस प्रकार यह सरकार की नीति का विषय है और इस पर सरकार विचार कर रही है ।

श्री दलवीर सिंह–

अभी हमारे सम्मानित सदस्य पूछ रहे थे कि लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर जो नियुक्तियां आती हैं, शासन उस पर क्या विचार कर रहा है । माननीय मंत्री जी ने बताया कि अभी उन पर रूप रेखा तैयार की जा रही है । मान्यवर, एक तरफ शासन कहता है कि प्रतिबन्ध है । मेरी निश्चित जानकारी है कि अलीगढ़ जनपद में आई० टी० आई० है । वहां पर आई० टी० आई० के प्रिंसिपल ने 30-30 हजार रुपये लेकर चार नियुक्तियां की हैं । मान्यवर, एक तरफ शासन कहता है कि प्रतिबन्ध लगा हुआ है और वहीं दूसरी तरफ नियुक्तियां की जा रही हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस तरह से जो अवैध नियुक्तियां हुई हैं तो इसमें जो दोषी अधिकारी या प्रिंसिपल हैं, इनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ?

श्री अध्यक्ष–

इसके लिये तो मेरे विचार से आप अलग से प्रश्न कर लें । यह मूल प्रश्न की परिधि में नहीं आता है ।

श्री दलवीर सिंह–

मान्यवर, नियुक्तियों से संबंधित है, आपके विभाग से संबंधित है ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री पूरन प्रकाश–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दिनांक 31-12-91 तक शिक्षित बेरोजगारों में स्नातक और स्नातकोत्तर कितने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के नाम आपके यहां पंजीकृत कराये गये ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, सेवायोजन कार्यालय में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है कि जातिगत वर्गीकरण के आधार पर आंकड़े उपलब्ध कराये जायं शिक्षित बेरोजगार कितने हैं, हाईस्कूल, इन्टर, ग्रेज्युएट, पोस्टग्रेज्युएट इस आधार पर सूचना उपलब्ध है । इसकी जानकारी अगर माननीय सदस्य चाहें तो दे सकते हैं ।

श्री पूरन प्रकाश–

मान्यवर, आप कहीं भी इम्प्लायमेंट आफिस में जायें अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति का अलग से पंजीकरण होता है । माननीय मंत्री जी गलत कह रहे हैं । मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन लोगों का अलग से पंजीकरण होता है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी यह जानकारी करवा लीजियेगा । मा० सदस्य आप मंत्री जी से सीधे न पूछें, मेरे माध्यम से पूछें । मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, मैं यह कह रहा हूं कि जो सूचना इस वक्त उपलब्ध है, उसमें जातिगत वर्गाकरण के आधार पर विषय नहीं था । शिक्षित बेरोजगारों का विषय था । इसलिये जो सूचना है वह शिक्षित बेरोजगारों के विषय में है, अगर जातिगत शिक्षित बेरोजगार से संबंधित सूचना मांगी होती तो हम वह भी उपलब्ध करा देते ।

श्री अध्यक्ष––

यह मूल प्रश्न से संबंधित नही है ।

श्री भरत सिंह––

मान्यवर, अभी मंत्री जी ने बताया कि बेरोजगारी दूर करने के लिये स्वतः रोजगार योजना लागू की जा रही है या चल रही है तो मैं माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि अभी जो योजना चल रही है उसमें बहुत धांधलेबाजी है । जिला उद्योग केन्द्र से जितने प्रार्थियों का नाम लोन के लिये स्वीकृत होता है, उनको बैंक से लोन नहीं मिलता है ।

श्री रवीन्द्र शुक्ल––

मान्यवर, यह प्रश्न पूछ रहे हैं, या सुझाव दे रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष––

इस बारे में व्यवस्था मैं दूंगा ।

श्री भरत सिंह––

तो मेरा यह निवेदन है कि यह घूसखोरी जो चल रही है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे । एक-एक प्रार्थी से जिसको पैसा दिया जाता है बैंक अधिकारी और विभाग के लोग उससे 4/5 हजार रुपये घूस ले लेते हैं ।

श्री अध्यक्ष––

आप अनुपूरक प्रश्न पूछियें ।

श्री भरत सिंह—

दूसरा सवाल है जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि पंडित दीन दयाल उपाध्याय रोजगार योजना और जवाहर रोजगार योजना चल रही है मैं जानना चाहूंगा यह योजना 50 करोड़ की बताई गई है, जो दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर स्वीकृत हुई है बेरोजगारी दूर करने के लिये तो क्या 50 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में बराबर बांटा जायेगा। बेरोजगारी दूर करने के लिये या किसी क्षेत्र विशेष में खर्च किया जायगा।

श्री अध्यक्ष—

यह मूल प्रश्न से अलग है।

श्री स्वामी नाथ यादव—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं इसमें लिखा है उत्तर में बताया गया है कि, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार योजना संचालित की जा रही है जिसमें बेरोजगारी को दूर करने के अवसर उपलब्ध होंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना जो चली है तो इसमें कितने शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने की व्यवस्था वर्तमान सरकार ने की है।

श्री बालचन्द्र मिश्र—

दीन दयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत वर्तमान शासन ने 50 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिये, और इसमें ढाई लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे, इस योजना के तहत पांच योजना स्वीकृत की गई हैं उनका विवरण दिया है। शिक्षित के लिये क्या होगा तो शिक्षित का वर्गीकरण है, तो टोटल जितना काम का सृजन हुआ है वह बताया है।

श्री स्वामी नाथ यादव—

सरकार ने कोई योजना बनाई है।

श्री अध्यक्ष—

समाप्त करें।

*4—श्री राम आसरे वर्मा—

[मा० उपाध्यक्ष होने के कारण हटाया गया]

प्रदेश के छात्रों की प्रवेश समस्या को देखते हुए बढ़ायी गयी शिक्षण संस्थायें

*5—श्री विजय सिंह राणा—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि विद्यालयों में छात्रों के प्रवेश की समस्या निरन्तर गम्भीरतम होती जा रही है ? इस प्रवेश की समस्या के निराकरण के लिये शासन ने वर्ष 1991-92 में कुल कितना नवीन हाई स्कूल, इण्टर कालेज और डिग्री कालेज खोलने का निर्णय किया है ? यह विद्यालय कब तक खोल दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो प्रवेश की समस्या के निराकरण के लिये क्या कोई अन्य वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नही, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री अमर नाथ यादव)—

जी नहीं। कतिपय विद्यालयों में छात्रों की प्रवेश समस्या है।

12 राजकीय इन्टर कालेज तथा 32 राजकीय हाईस्कूल खोले जा चुके हैं । डिग्री कालेजों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है । इसके अतिरिक्त लगभग 300 विद्यालयों को हाईस्कूल/इन्टर की नवीन/अतिरिक्त वर्ग/अतिरिक्त विषय की मान्यतायें भी प्रदान की जा चुकी हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, यह तो नयी परम्परा हो गयी कि प्रश्न के उत्तर के बीच में "सूचना एकत्र की जा रही है " यह कालम दे दिया गया है । यह कहां तक समीचीन है, मान्यवर, यह तो गलत परम्परा है या तो पूरे प्रश्न का उत्तर न दें, आधा प्रश्न का उत्तर दे दिया जाय और आधे प्रश्न का उत्तर न दिया जाय यह तो सही नहीं है । या तो प्रश्न को स्थानान्तरित कर दिया जाय या फिर पूरे प्रश्न का उत्तर दिलाया जाय, आधे प्रश्न का उत्तर देने की परम्परा तो सदन में रही नहीं है इसमें मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, खण्डों में प्रश्न होता है तो पूरे प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिये एक खण्ड का उत्तर आ गया और एक खण्ड का उत्तर नहीं आया इस प्रश्न को तो निरस्त कर देना चाहिये था । जिसमें सूचना एकत्र की जा रही है उसमें कब तक सूचना आयेगी ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य को जानकारी है कि डिग्री कालेज का जहां तक संबंध है यह उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा देखा जाता है और हाईस्कूल, इण्टर कालेज को माध्यमिक शिक्षा मंत्री देखते हैं उनके पास जितनी सूचना थी वह उन्होंने दे दी । डिग्री कालेज की बाद में सूचना आ जायेगी ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, इस प्रश्न को निरस्त कर देना चाहिये था ?

श्री अध्यक्ष–

यह सही है कि इसको निरस्त कर देना चाहिये था, लेकिन प्रश्न के महत्व को ध्यान में रखते हुए और माननीय सदस्य की जिज्ञासा को देखते हुए इण्टर और हाईस्कूल के बारे में उत्तर दे दिया गया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, हम इसकी तकनीकी विशिष्टता में नहीं जाते कि यह प्रश्न स्वीकार होना चाहिये या नहीं होना चाहिये । हाईस्कूल के बारे में जानकारी प्राप्त हो गयी है जहां तक डिग्री कालेज के बारे में है, उसके लिये अलग से हम उत्तर दिला देंगे ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है । हजारों छात्र विद्यालयों के सामने लाइन बनाकर खड़े रहते हैं । नौकरी से भी ज्यादा समस्या प्रवेश की हो गयी है । मैंने प्रश्न पूछा है कि क्या विद्यालयों में छात्रों के प्रवेश की समस्या निरन्तर गम्भीरतम होती जा रही है । उसका उत्तर आया है जी नहीं । आगे प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने कहा है कि कतिपय विद्यालयों में छात्रों की प्रवेश की समस्या है । तो दोनों उत्तरों में विरोधाभास है । कुछ विद्यालय, जो फर्जी चल रहे होंगे या सरकार की कृपा दृष्टि वाले लोग चला रहे होंगे वहां पर समस्या नहीं होगी लेकिन अन्य विद्यालयों में सामान्य रूप से यह समस्या है और छात्रों का

प्रवेश होने में बड़ी कठिनाइयां होती है । मैं यह जानना चाहता हूं कि 1990-91 में कितने नये हाई स्कूल और इन्टर कालेज खोले गये । 1991-92 में कितने हाई स्कूल, इन्टर कालेज खोले गये तथा 1992-93 में कितने कालेज खोलने जा रहे हैं ? साथ ही यह बताने का कष्ट करें कि प्रवेश हेतु जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या क्या है ?

डा० अमर सिंह–

1992-93 के बारे में सूचना नहीं है, बाद में बता दिया जायगा ।

श्री अध्यक्ष–

जब डिग्री कालेजों के विषय में सूचना आनी है तो पूरे प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने आश्वासन दिया था कि डिग्री कालेजों के बारे में हम पूरी जानकारी करके उत्तर दे देंगे । सत्रावसान होने वाला है । उत्तर राना जी को उपलब्ध करा दिया जायगा । जिस समस्या की ओर राणा जी ने ध्यान आकर्षित किया है वह गम्भीर समस्या है, उसके विवाद में मैं नहीं जाना चाहता । जुलाई आ रही है हमारी सरकार पूरा प्रयास कर रही है जुलाई में प्रवेश समस्या न रहे । इसके लिये क्या कुछ किया जा सकता है इसके लिये गम्भीरता से विचार किया जा रहा है । हम आश्वासन देना चाहेंगे कि जो प्रवेश समस्या है, आबादी बढ़ रही है, प्रतिवर्ष उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या बढ़ रही है, विद्यालय सीमित हैं, एक दिन में ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती कि सभी विद्यार्थियों की प्रवेश की समस्या सुनिश्चित कर दें लेकिन समस्या के आयाम को जितना नीचा किया जा सकता है उसके लिये सरकार पूरी तरह से प्रयत्नशील है ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैं संसदीय कार्य मंत्री जी की भावनाओं से सहमत हूं । माननीय मंत्री जी शिक्षा जगत से जुड़े रहे हैं । यह जो प्रवेश की समस्या है तो क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि जितने हाई स्कूल प्रदेश में हैं उनको इण्टर की मान्यता स्वतः दे दी जाय । इण्टर स्तर पर जो विद्यालय हैं उनका परीक्षण कराकर उनकी संख्या बढ़ायी जाय । जो हाई स्कूल स्तर के विद्यालय हैं उनको इण्टर तक मान्यता दे देने में क्या कोई कठिनाई आ रही है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय राणा जी ने समस्या के समाधान के लिये एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया है । लेकिन यह ऐसी समस्या है कि हर स्कूल को शासनादेश के जरिये अपग्रेड कर दें तो फर्नीचर, बिल्डंग और अध्यापकों की समस्यायें सामने आयेंगी । सिद्धान्ततः समस्या तो दूसरी बात है, लेकिन मान्यता और अनुदान व्यावहारिक रूप से एक ही दिन दे नहीं पायेंगे । कल भी नहीं दे पाये और आज भी व्यवस्था नहीं है । एक समस्या यह होती है कि हर जिले में कुछ विद्यार्थियों को प्रवेश की समस्या रहती है और कुछ विद्यालय ऐसे रह जाते हैं, जहां प्रवेश के लिये लोग जाते नहीं हैं । ऐसा प्रयास किया गया है कि एक समान रूप से लोग उनमें जायं । इस पर हम गम्भीरता से चिंतन कर रहे हैं । इस बारे में राणा जी से परामर्श कर लेंगे और जुलाई में जरूर कोई कारगर कदम उठाये जायेंगे, जिससे कि इस समस्या का समाधान हो सके ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, इस समस्या के समाधान के लिये, यहां पर बहुत से शिक्षक विधायक हैं, उनकी एक समिति बनाकर मंत्री जी को उसका हेड बना दीजिये, वह समिति उस पर विचार कर लेगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, गैर शिक्षक भी अभिभावक हैं, तो गैरशिक्षकों के मूल्यवान सुझाव आ सकते हैं, इसलिये शिक्षकों की ही समिति क्यों कह रहे हैं ?

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अभी कहा कि यदि सभी हाई स्कूलों को इण्टर कालेज बना दिया जाता है तो उसके अन्दर ऐसी कठिनाई है कि अध्यापकों की जरूरत पड़ेगी, इन्फ्रास्टक्चर की जरूरत पड़ेगी और कई तरह की समस्यायें आएंगी । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कुछ विद्यालय हाईस्कूल के प्रदेश में ऐसे हैं जिन्होंने शासन से आवेदन किया है कि उनको इण्टर तक मान्यता दे दी जाय, जिसे कहा जाता है कि वित्त विहीन मान्यता की श्रेणी में हैं । तो जिन लोगों ने वित्त रहित मान्यता के लिये आवेदन किया है, ऐसे विद्यालय कितने हैं और वित्त सहित मान्यता की मांग कितनों ने की है । मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि पहले तो मंत्री जी बताने की कृपा करें कि कितने विद्यालयों ने वित्त सहित मान्यता के लिये कहा है । जितनों ने कम से कम वित्त रहित के लिये आवेदन किया है, उनको अपग्रेड करने में शासन को क्या दिक्कत है । क्या शासन सीधे उनको अप ग्रेड कर देगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय सदस्य का सुझाव विचार योग्य है । जितने आवेदन पत्र वित्त विहीन मान्यता के लिये लम्बित होंगे या अब प्राप्त होंगे, इन सभी पर विचार करने के बाद अगले सत्र के पहले प्राप्त आवेदन पत्रों पर निर्णय अवश्य ले लिया जायगा ।

श्री रवीन्द्र प्रताप–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि चूंकि प्रवेश की समस्या संसाधनों की कमी के कारण भी हैं तो क्या पहली जुलाई से लड़कियों के जो विद्यालय हैं, उनमें 2 पाली में अध्ययन कराने पर सरकार विचार कर रही है । यदि ऐसा करना सम्भव हो तो क्या सरकार विचार करेगी ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, प्रत्येक प्रार्थना-पत्र पर स्थिति को देखते हुए सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायगा ।

श्री नन्द राम–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न कीजिये ।

श्री नन्दराम–

मान्यवर, जिन हाईस्कूल के बारे में कह रहे हैं कि इण्टर तक मान्यता देनी चाहिये, मेरे चुनाव क्षेत्र फतेहगंज में 20 हजार से अधिक आबादी है, उसके बीस किलोमीटर दूर तक कोई भी हाईस्कूल नहीं है, जबकि कई लोगों ने आवंटन किये हैं कन्या विद्यालय के लिये । क्या उनका अध्ययन कराकर वहां स्कूल खुलवाने पर विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

अध्ययन कराकर विचार कर लिया जाय ।

*6–श्री राम लखन–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में बिक्रीकर प्रक्रिया को सरलीकृत करने हेतु कार्यवाही

*7–डा० दिनेश जौहरी, श्री लाखन सिंह तथा श्री नन्द राम–

क्या सरकार सेल्स टैक्स का सरलीकरण एवं उत्तर प्रदेश में सेल्स टैक्स की दर अन्य प्रान्तों के बराबर करने जा रही है ? यदि हां, तो व्यापारियों के हित में यह निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरद्वार दुबे–

उत्तर प्रदेश सरकार बिक्रीकर प्रक्रिया को सरलीकृत करने हेतु कटिबद्ध है । प्रत्येक राज्य में विभिन्न वस्तुओं पर बिक्रीकर की दरें भिन्न-भिन्न होती हैं । राज्य सरकारें अपनी आर्थिक आवश्यकताओं तथा राज्य की विशेष परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए ही बिक्री कर की दरें निर्धारित करती हैं । किसी भी दो राज्यों में बिक्रीकर की सभी दरें समान नहीं है । अतः उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बिक्रीकर की दरें अन्य राज्यों के बराबर करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है । उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के उद्योगों को प्रोत्साहित व्यापार के व्यावर्तन को रोकने हेतु प्रदेश में प्रचलित बिक्रीकर की दरों को सुव्यवस्थित करने हेतु निरन्तर प्रयलशील है । विभिन्न औद्योगिक एवं व्यापारिक संगठनों से प्राप्त होने वाले प्रत्यावेदनों पर राज्य सरकार द्वारा विचार करके उक्त विषय पर समय-समय पर निर्णय लिये जाते रहे है । भविष्य में भी उक्त दिशा में कार्यवाही की जाती रहेगी । •

प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

श्री नन्द राम–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह भी कहा है कि राज्य सरकारें अपनी आर्थिक आवश्यकताओं तथा राज्य की विशेष परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए ही बिक्री कर की दरें निर्धारित करती हैं । तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी अन्य राज्यों की भांति उत्तर प्रदेश में बिक्रीकर की दरें समान करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

मूल प्रश्न में इसका उत्तर आ गया है ।

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणापत्र में यह वादा किया था कि हम प्रदेश में बिक्रीकर समाप्त नहीं किया गया, बल्कि बिक्रीकर के सरलीकरण का कार्यक्रम चलाया और बिक्रीकर समाप्त नहीं किया, इसका क्या कारण है ?

श्री हरद्वार दुबे–

मान्यवर, पहले तो मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 1991 के चुनाव घोषणा-पत्र वह फिर से पढ़ लें । हमारी पार्टी ने यह कहीं पर भी नहीं कहा है और न आज तक व्यापारियों की ऐसी मांग है और टैक्स की दरें लगभग और प्रान्तों के बराबर करने की बात कही है।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, माननीय संस्थागत वित्त राज्य मंत्री ने जो उत्तर दिया है, उसको आप स्वयं देंखे । क्या यह घोषणा नहीं की गई थी कि बिक्रीकर समाप्त कर उत्पादन शुल्क लगाया जायगा, यह कहा था कि यह सरकार आयेगी, तो उत्पादन शुल्क लगायेगी । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चहता हूं कि क्या बिक्रीकर समाप्त कर, उत्पादन शुल्क लगाने की घोषणा इनकी पार्टी ने कभी किया था ? मान्यवर, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी जब यहां पर बैठते थे, तो वे बराबर यहां पर भाषण देते थे कि बिक्रीकर समाप्त कर उत्पादन शुल्क लगाने पर विचार करना चाहिए । तो मान्यवर, बिक्रीकर समाप्त कर उत्पादन शुल्क नहीं लगाया गया । क्या उसके बारे में कार्यवाही प्रारम्भ ही नहीं किया या उसको बीच में ही छोड़ दिया गया ?

श्री हरद्वार दुबे–

मान्यवर, उत्पादन शुल्क के बारे में न कहा गया और न यह इसके कार्यक्षेत्र में ही आता है ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, उत्पादन शुल्क लगाने की बात थी, लेकिन माननीय मंत्री जी उत्तर सही नहीं दे रहे हैं । इसलिये मैं विशेषाधिकार अवहेलना की सूचना दे रहा हूं ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, बिक्रीकर समाप्त करने के लिए बार-बार व्यापारियों के प्रार्थना-पत्र पिछली सरकार में आये थे और माननीय गुप्ता जी ने स्वयं इस बात पर बल दिया था कि बिक्रीकर समाप्त होना चाहिए और आज माननीय मंत्री जी यह कह रहे हैं कि व्यापारी लोग बिक्रीकर समाप्त करने की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि सरलीकरण की बात कर रहे हैं । तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या बिक्रीकर समाप्त कर उसका सरलीकरण करने के संबंध में उनको कोई प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं, राणा जी के मामले का उत्तर बाद में दूंगा, सरकार में मंत्रि परिषद् में आसीन होने के बाद, मुझे सौभाग्य मिला है, या पहले के सुझाव या घोषणा, सुझाव या ऐलान या आश्वासन, इनके अन्तर को विचार कर लें । मान्यवर, जो प्रश्न माननीय सदस्य ने किया है..

श्री ऊदल–

सेल्सटैक्स माफ करने की घोषणा कभी न करें तो अच्छा है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, वर्तमान सरकार के पास अनेक प्रत्यावेदन प्राप्त हुये हैं, सभी प्रत्यावेदनों में दो बातों पर बल दिया गया है । पहली बात है कि जो बिक्रीकर वसूलने की प्रक्रिया है, उसकी जटिलता और उसकी विसंगतियों को समाप्त किया जाये और सभी प्रंत्यावेदनों में है कि बिक्रीकर की दरों का अभिनवीकरण किया जाये, उनका पुनरीक्षण किया जाये । मान्यवर, इसके लिये एक कमेटी का गठन किया गया है और राज्यमंत्री जी उसके अध्यक्ष हैं, वह इसको देखेंगे । व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों की रिपोर्ट मिली है, उसके दो हिस्से थे एक तो सरलीकरण के बारे में, जैसा मैंने अपने बजट भाषण में कहा है और कुछ जानकारी दी थी कि बिक्रीकर की दरों को सरल बनाने पर विचार कर रहे हैं और दूसरा बिक्रीकर की दरों को पड़ोसी राज्यों की बिक्रीकर की दरों के आस-पास किया जाये । अगर हम केरल राज्य के बराबर कर दें, तो उत्तर प्रदेश को कुछ भी फायदा नहीं होगा । हमने बिक्रीकर में कमी अनेक मदों पर की है । इस समय भी व्यापार मंडल से प्रतिवेदन मिलते हैं और उनसे बातें होती रहती हैं, उनकी बिक्री-कर को समाप्त करने की मांग नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

माननीय मंत्री जी यह बता दें कि बिक्रीकर समाप्त करने के प्रतिवेदन प्राप्त हुये थे या नहीं, यह बता दें ।

श्री अध्यक्ष–

आप यह बता दें कि बिक्रीकर समाप्त करने के प्रतिवेदन प्राप्त हुये थे या नहीं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

प्राप्त हुये होंगे ।

श्री भागवत पाल–

मान्यवर, पूर्व की सरकारों ने जो हाथ से चीजें बनाते हैं, जैसे कपड़ा बनाते थे, साबुन बनाते थे, कालीन बनाते थे उनको बिक्रीकर से मुक्त कर दिया था, लेकिन जो लोग पत्थर तोड़ते हैं, उन पर सेल्स टैक्स लागू है, उसका क्या औचित्य है, क्या सरकार उनका सेल्स टैक्स हटायेगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह मूल प्रश्न के बाहर है, लेकिन मा० सदस्य से सदन के बाहर वार्ता हुई थी, मैंने बाहर भी कहा था और सदन में भी कहता हूं कि मैं इसको दिखवा लूंगा ।

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उत्तर दिया है, उनका कहना है कि शासन से व्यापारियों की मांग नहीं है कि सेल्स टैक्स समाप्त किया जाये । तीन दिन पूर्व क्या व्यापारियों ने बाजार बंद करने का नोटिस दिया था कि सेल्स टैक्स समाप्त करने का वादा पूरा करें । मैं 16 जनवरी, 1990 की विधान

सभा की कार्यवाही का उल्लेख करना चाहता हूं, जिसमें कल्याण सिंह जी ने कहा है कि मैं समझता हूं कि वर्तमान सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे और बिक्रीकर समाप्त करने की घोषणा करे । आज यह कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बिक्री कर समाप्त करने की बात नहीं की थी । विधान सभा की कार्यवाही है, उससे बिलकुल स्पष्ट है । इनके नेता कल्याण सिंह ने कहा था । इनकी कथनी और करनी में अन्तर है । यह बता दें कि क्या यह बिक्रीकर समाप्त करने की स्थिति में है या नहीं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इस संबंध में आदरणीय सदन में एक बार चर्चा हुई थी मैंने तब भी कहा था और आज भी कहना चाहता हूं कि व्यापार मंडल की कोई विधिवत नोटिस मेरे पास नहीं प्राप्त हुई है । जहां तक बिक्रीकर को समाप्त करने का ताल्लुक है तो मेरी जानकारी के अनुसार बिक्रीकर पूर्णरूप से समाप्त कर पाना यह न तो व्यापारियों के हित में है और न राज्य के संशाधनों के हितों में है वर्तमान स्थिति में । लेकिन बिक्रीकर समाप्त कर दिया जाय यह हमारी घोषणा तब हो सकती है जब आज जो बिक्रीकर से 14-15 सौ करोड़ की आमदनी होती है इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था कराये, इसमें व्यापार मंडल से भी सहयोग है । इस बात को ध्यान में रखकर जो कम्पाउण्ड स्कीम है वह एक तरह से बिक्रीकर की समाप्ति ही है, सारे उत्तर प्रदेश में बिक्रीकर का जो रेट है, उसका सरलीकरण करेंगे ताकि हमारे उपभोक्ताओं का भी संरक्षण रहे, यहीं शासन की नीति है, मैंने इसको स्पष्ट कर दिया ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)––

मान्यवर, माननीय गुप्ता जी इतनी जल्दी रंग बदलते हैं, मैंने यह नहीं सोचा था । मैंने एक बार नहीं अनेकों बार और आपके घोषणा पत्र में भी लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से और विधान सभा की कार्यवाही में भी है, और आज आप लोग कह रहे हैं कि उसको समाप्त नहीं किया जा सकता है, आपने यह कहा था, वर्तमान स्थिति में क्या और पूर्व में क्या और भविष्य में क्या आपने क्या किया, आपने कहा था कि बिक्रीकर को समाप्त करके हम उत्पादन शुल्क लगायेंगे और अब आज आप कह रहे हैं कि वर्तमान स्थिति में नहीं खत्म कर सकते हैं, व्यापारियों ने आपका घूम-घूमकर झण्डा दिखाया और चन्दा भी दिया और जब आपकी सरकार आई तो साफ इन्कार कर रहे हैं कि समाप्त नहीं किया जायेगा । आज आप स्पष्ट कर दीजिए विधान सभा में जिससे कि भविष्य में यह गलतफहमी न रह जाये कि बिक्रीकर को समाप्त नहीं करेंगे या जो आपने पूर्व में कहा था वह कोरा आश्वासन था और बिक्रीकर किसी भी दशा में समाप्त करने वाले नहीं है, 16 जून से व्यापारी लोग हड़ताल करने जा रहे हैं और आपका व्यापारियों से तालमेल है तो भी हड़ताल क्यों होने जा रही है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, बिक्रीकर से जो आमदनी होती है उस राजस्व को प्राप्त करने के लिये जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती तक तक बिक्रीकर पूर्णरूप से एबोलिस करना, पूर्ण रूप से समाप्त करने का इस सरकार का कोई विचार नहीं है ।

दूसरा मान्यवर, जहां तक हमारे घोषणा-पत्र का ताल्लुक है हमने उस घोषणा पत्र में लिखा था कि हमारी सरकार जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनके समान बिक्रीकर करेगी और उससे होने वाली क्षतिपूर्ति का भुगतान केन्द्र सरकार करेगी तो मान्यवर, प्रमोद तिवारी जी वहां बैठ गये हम भी दिल्ली में पहुंचे होते तो यह हो गया होता तो वह स्थिति तो पैदा नहीं हो पाई जो हमने कहा है वह उद्योग व्यापार की सहमति से शासन के अन्दर घोषणा की है वह उनके परामर्श से होगा । बिक्रीकर समाप्त हो जाये यह हमारी

नोटः–तारांकित प्रश्न संख्या ७ के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

सद्इच्छा है लेकिन जब तक अपने राजस्व की वैकल्पिक व्यवस्था हम उनके परामर्श से नहीं कर लेते तब तक बिक्रीकर की वर्तमान व्यवस्था को समाप्त कर पाना सम्प्रति संभव नहीं है ।

जनपद जौनपुर के कस्बा बादशाहपुर में परिवहन निगम की अनुबन्धित बस से हुई दर्घटना में मुआवजा दिलाने की मांग

*8–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या परिवहन मंत्री को ज्ञात है कि दिनांक 20 मई, 1986 को कस्बा बादशाहपुर, जिला जौनपुर में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बस संख्या-यू० एच० सी०/251 द्वारा अपराह्न में कोई एक्सीडेन्ट हुआ जिसमें एक नाबालिग लड़का श्री नीरज, आयु 10 वर्ष, पुत्र श्री राज नारायण यादव, निवासी मौजा बरपुर, थाना बलवरगंज, जिला जौनपुर बुरी तरह से घायल हुआ है जिसकी रिपोर्ट थाना बादशाहपुर में दर्ज हुई है ? यदि हां, तो वह प्रथम सूचना रिपोर्ट क्या है ? क्या उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा बच्चे के पिता को कोई कम्पेनशेसन भुगतान किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि भुगतान किया गया, तो कब और कितना धन ?

आबकारी परिवहन एवं पूर्त धर्मस्व मंत्री (श्री सत्य प्रकाश विकल)–

बस संख्या–यू० एच० सी०–251 निजी बस मालिक की थी जो निगम के अधीन इलाहाबाद क्षेत्रान्तर्गत अनुबन्ध के अन्तर्गत संचालित थी जिससे प्रश्नगत बालक जिसकी आयु लगभग 06 वर्ष थी दुर्घटनाग्रस्त हुआ था ।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 20-5-86 को मु० अ० स० 118/86 धारा 279/337 आई० पी० सी० का मुकदमा विरुद्ध रोडवेज बस नंबर यू०-एच० सी०–251 चालक नाम पता अज्ञात कायम किया गया । जिसमें वाद विवेचना आरोप पत्र संख्या–53, दिनांक 15-8-86 न्यायालय को प्रेषित किया गया ।

जी नहीं ।

परिवहन निगम से अनुबंधित बसों द्वारा दुर्घटना होने पर अनुबन्धन की शर्त संख्या–16 (अ) व 16 (ब) के अनुसार दुर्घटना के फलस्वरूप प्रतिकर भुगतान का पूर्णतः दायित्व निजी बस मालिक का होता है । अतः निगम द्वारा मुआवजे के भुगतान का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद की तहसील-बीकापुर में स्थिति दुर्गा बंसल फर्टिलाइजर से उत्पन्न प्रदूषण के विरुद्ध की गई शिकायत की जांच

*9–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद की बीकापुर तहसील के अंतर्गत स्थापित "दुर्गा बंसल फर्टिलाइजर" नामक खाद के कारखाने से जहरीली गैस निकलने व गन्दा पानी निकलने से उत्पन्न प्रदूषण से प्रभावित किसानों की शिकायत पर माह सितम्बर 1991 में परगनाधिकारी, बीकापुर और तहसीलदार, बीका पुर द्वारा संयुक्त रूप से जांच की गई थी और जांच आख्या जिलाधिकारी फैजाबाद को सितम्बर, 91 में ही दे दी गयी है ? यदि हां, तो इस जांच रिपोर्ट का पूर्ण विवरण क्या है तथा प्रभावित किसान परिवारों को जिला प्रशासन द्वारा या सरकार द्वारा फैक्ट्री मालिकान से कितना-कितना मुआवजा व अन्य सुविधायें दिलायी गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जांच रिपोर्ट म ननीय सदस्य द्वारा मेरे कार्यालय कक्ष में देखी जा सकती है ।

जी नहीं ।

चूंकि प्रभावित व्यक्तियों द्वारा विधि के अनुसार मुआवजा प्राप्ति हेतु सक्षम न्यायालय में दावा प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है ।

प्रदेश की सड़कों पर सरकारी बसों के स्थान पर निजी बसों के चलाये जाने संबंधी कथित आदेश

*10–श्री हरिवंश सहाय–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की कितनी सड़कों पर सरकारी बसों के स्थान पर निजी बसें इस वर्ष चलाने का आदेश हुआ था ? इन सड़कों पर सरकारी बसों के चलाने से सरकार को कितना सालाना लाभ होता था ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

शून्य ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर के प्राचार्य एवं सहा० प्राचार्य का वेतनमान पालीटेकनिक संस्थाओं के अध्यक्ष के समान किये जाने की मांग

*11–श्री गंगा बख्श सिंह–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पालीटेकनिक संस्थाओं में अध्यक्ष पदों पर नियमित कार्यरत अधिकारियों जिनका वेतनमान रु० 3000–4500 तथा जिनका स्थानान्तरण शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान प्राविधिक शिक्षा विभाग उ० प्र० कानपुर में अध्यक्ष के समकक्ष प्राचार्य एवं सहायक प्राचार्यों के पदों पर किया गया है, को उपरोक्त वेतनमान क्यों नहीं दिया जा रहा है ? क्या सरकार को किसी अधिकारी या कर्मचारी का वेतनमान बिना किसी कारण के कम किये जाने का अधिकारी प्राप्त है ? यदि हां, तो कैसे ?

माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा विज्ञान एवं प्रौद्योग मंत्री (श्री राजनाथ सिंह)–

वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर के प्राचार्य एवं सहायक प्राचार्य के पद पर पालीटैकनिक संस्थाओं के अध्यक्ष पदों के समकक्ष वेतनमान में थे । मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों के परिपेक्ष्य में पालीटेकनिक संस्थाओं के अध्यक्षों के वेतनमान रु० 2350–4300 से 3000–4500 में पुनरीक्षित हो गये हैं । शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान के पदों के वेतनमान के पुनरीक्षण का मामला शासन के समक्ष विचाराधीन है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय बसों में इस्तेमाल होने वाले सामानों के मूल्यवृद्धि के कारण उक्त मदों में हुए व्यय वृद्धि का विवरण

*12-श्री स्वामी [illegible]-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय बस में इस्तेमाल होने वाले कलपुर्जों, डीजल, पेट्रोल, टायर की कीमतें बढ़ने से गत वर्षों की अपेक्षाकृत कितना खर्चा बढ़ा तथा क्या यह भी बतायेंगे कि इन परिस्थितियें को दृष्टिगत रखते हुए किराये में वृद्धि न करने के क्या कारण है ?

श्री सत्य प्रकाश विकल-

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में इस्तेमाल होने वाले कलपुर्जों, डीजल, पेट्रोल, टायर की कीमतें बढ़ने से इन मदों पर व्यय में निम्नलिखित वृद्धि हुई है :--

मद	वर्ष 1989-90 कुल व्यय (रु० करोड़ में)	वर्ष 1990-91 कुल व्यय (रु० करोड़ में)	वर्ष 1991-92 कुल व्यय (रु० करोड़ में)	वर्ष 1989-90 की तुलना में वर्ष 1991-92 में व्यय में वृद्धि (रु० करोड़ में)
1-कलपुर्जे	28.00	28.68	28.07	0.07
2-डीजल	59.82	70.76	83.28	23.46
3-पेट्रोल	0.72	0.93	1.32	0.60
4-टायर ट्यूब्स एवं फ्लैक्स	17.25	17.70	20.38	3.13

संचालन लागत में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए किराये की दरों में वृद्धि का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

प्रदेश के पूर्वांचल विकास निधि एवं बुन्देलखंड विकास निधि हेतु आवंटित धनराशि

*13-श्री महेन्द्र नाथ पाण्डेय-

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान समय में दी जा रही पूर्वांचल विकास निधि एवं बुन्देलखण्ड विकास निधि को दुगुना करने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

जी नहीं ।

गत वर्षों की अपेक्षा पूर्वांचल विकास निधि एवं बुन्देलखंड विकास निधि में वर्तमान वर्ष 1992-93 में अधिक धनराशि का आवंटन किया गया है । प्रदेश के सीमित संसाधनों को देखते हुए

पूर्वांचल विकास निधि एवं बुन्देलखण्ड विकास निधि को अब दुगुना किये जाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में बी० एड० का समर कोर्स प्रारम्भ करने संबंधी लिये गये शुल्क की वापसी

*14–श्री भारत सिह रावत–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि हेमवती नन्दन बहुगणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में शिक्षा सत्र 1990-91 में लगभग एक हजार विद्यार्थियों को प्रवेश देकर बी० एड० का समर कोर्स प्रारम्भ किया गया, जिसको कि उ० प्र० शासन द्वारा स्वीकृति भी प्रदान नहीं की गयी थी ? यदि हां, तो इस कोर्स को आरम्भ किये जाने का क्या औचित्य है ? क्या सरकार को उक्त कोर्स आरम्भ करने के उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी तथा इस कोर्स हेतु प्रत्येक छात्र से ली गयी रुपये 3500 की धनराशि वापस करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

प्रवेश के लिये उपलब्ध सीटों की अपर्याप्तता एवं छात्रों की प्रबल मांग ।

सत्र 1990-91 के बाद से यह पाठ्यक्रम बन्द कर दिया गया है । अतः अब कोई कार्यवाही समीचीन नहीं है ।

जी नहीं ।

यह पाठ्यक्रम स्वावलम्बी योजना के रूप में चलाया गया था । अतः लिये गये शुल्क की वापसी सम्भव नहीं है ।

जनपद गोण्डा के कतिपय वन प्रभागों में अवैध लकड़ी कटान की कीमत तथा तत्सम्बन्धी मामलों की संख्या एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण

*15–श्री बाल प्रसाद–

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 5 जून, 1990 से 31 दिसम्बर, 1991 तक उत्तर गोण्डा वन प्रभाग में रेन्ज वन कटवा/बरहवा/तुलसीपुर/रामपुर/भांभर के अन्तर्गत किस-किस प्रजातियों के वृक्षों का अवैध कटान हुआ तथा इसकी कीमत क्या थी ? वर्तमान समय में अवैध कटान के कितने मुकदमें किस-किस न्यायालय में चल रहे हैं ? अवैध कटान में उत्तरदायी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह–

5 जून, 1990 से 31 दिसम्बर, 1991 तक वनकटवा, बरहवा, तुलसीपुर, रामपुर, भांभर रेन्जों के अन्तर्गत शीशम, सागौन, हल्दू, खैर, सकसाल, साखू तथा फल्दू प्रजातियों के अवैध रूप से कटे वृक्षों की कीमत 4,80,930 रुपये थी ।

ऊपर वर्णित अवैध कटान के मामलों में से वर्तमान समय में निम्नलिखित न्यायालयों में उनके सामने अंकित संख्या में मुकदमें चल रहे हैं :—

1–मुंसिफ मजिस्ट्रेट, बलरामपुर 23

2–सिविल जज गोण्डा	2
3–सी० जे० एम० तृतीय गोण्डा	2
4–उच्च नयायालय, लखनऊ	4
योग ..	31

उपरोक्त अवैध कटान में लापरवाही के लिये दो वन रक्षकों को आरोपित किया गया है ।

*16–श्री राम औतार शाक्य–

[10वें गुरु में ता० प्र० सं० 11 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के चलचित्र निगम द्वारा संचालित सिनेमा गृहों को बन्द किये जाने के उपरान्त उनके भवनों को विक्रय किये जाने का निर्णय

*17–श्री नरेन्द्र सिंह--

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में चलचित्र निगम द्वारा संचालित सिनेमा हालों को बन्द किये जाने के उपरान्त खाली पड़े भवनों को किसी दूसरी योजना के अन्तर्गत उपयोग में लिये जाने अथवा नीलाम किये जाने का प्राविधान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो इस संबंध में कब तक कार्यवाही कर ली जायेगी ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम द्वारा संचालित सिनेमागृहों को बन्द किये जाने के उपरान्त उन्हें विक्रय किये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है । विक्रय की कार्यवाही तत्परता से की जा रही है । इस प्रयोजन हेतु समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

*18–श्री घनश्याम शुक्ल–

[दो विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त]

जनपद मुरादाबाद की अजोध्या वाइन डिस्टेलरी में हुई दुर्घटना में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

*19–श्री अकबर हुसैन–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी स्थित अजोध्या वाइन डिस्टेलरी में वर्ष 1990 में गैस प्लाण्ट की चादर फटने से हुई दुर्घटना में कितने श्रमिकों की मृत्यु एवं कितने श्रमिक घायल हुए थे ? क्या उक्त प्लाण्ट से अभी भी गैस का रिसाव जारी है ? यदि हां, तो क्या सरकारी इसकी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रथम चरण के अन्तर्गत कार्यरत उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयत्र (एफ्लूऐंट ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट) में ड्रिप टेप नाल्व के असावधानीपूर्ण संचालन के कारण तीन कर्मचारियों की मृत्यु हुई थी ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद की जवाहर रोजगार योजना हेतु केन्द्र द्वारा दी जाने वाली धनराशि का विवरण

*20–श्री लालजी वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद की जवाहर रोजगार योजना की द्वितीय एवं तृतीय किस्त शासन द्वारा रोक दी गयी है ? यदि हां, तो उक्त किस्तों पर रोक लगाये जाने का कारण क्या है ? क्या मंत्री जी जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ? .

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

वर्ष 1991-92 में भारत सरकार द्वारा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत दो ही किस्तों में धनराशि अवमुक्त की गई । जनपद फैजाबाद को योजनान्तर्गत द्वितीय एवं अन्तिम किस्त कतिपय कटौतियों के उपरान्त अवमुक्त की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड बनीकोडर में उर्वरक वितरण हेतु निर्धारित मानक

1–श्री तीरथ राज–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के प्रथम सोमवार के निर्धारित अता० प्र० सं०–174 के उत्तर के संबंध में क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खण्ड विकास अधिकारी, बनीकोडर, जनपद बाराबंकी ने संबंधित उर्वरक विक्रेता को अपने स्तर से क्या निर्देश दिये थे ? संदर्भित परिवार में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उर्वरक वितरण हेतु परमिट जारी करने में किन मानकों का अनुसरण किया गया ? उक्त मानकों का निर्धारण, किस अधिकारी द्वारा किया गया है ? क्या प्रश्नगत प्रकरण में सभी परमिट एक ही मानक के अनुरूप निर्गत किये गये हैं ? यदि नहीं, तो दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही सुनिश्चित की गयी ?

श्री कल्याण सिंह–

मानक के अनुरूप उर्वरक वितरण के निर्देश दिये गये थे ?

यथा निर्देश प्रति हेक्टर अधिकतम दो बोरी यूरिया, एक बोरी डी० ए० पी० व एक बोरी पोटाश देने का अनुसरण किया गया । इन मानकों का निर्धारण तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा किया गया ।

जी हां ।

प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा, तहसील बाह के ग्राम रुदुमुली निवासी श्री रनवीर सिंह के निजी वन तथा भूमि को सरकारी वन भूमि से बदलने का कथित मामला

2–श्री अरिदमन सिंह–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा की बाह तहसील के ग्राम रुदुमुली निवासी ब्रिगेडियर रनवीर सिंह एम० सी० (रि०) के निजी वन तथा भूमि को सरकारी वन भूमि से बदले जाने की कार्यवाही वन विभाग के पास विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से ? इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि अब तक इस संबंध में कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

इस संबंध में श्री रनवीर सिंह एम० सी० (रि०) का प्रार्थना पत्र दिनांक 15 दिसम्बर, 1987 को प्राप्त हुआ था, जिस पर आवश्यक कार्यवाही कर मामला नियमानुसार अस्वीकृत किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के उपवन रेंजरों को वन रेंजरों के पद पर प्रोन्नति एवं डिप्टी रेंजरों की ज्येष्ठता निर्धारण की नीति

3–श्री राम ललित चौधरी–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि वन रेंजरों के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती के क्या स्रोत हैं ? वर्ष 1951 से अब तक कितने उप वन रेंजरों की पदोन्नति वन रेंजर के पद पर की गयी है ? क्या उप वन रेंजरों की ज्येष्ठता का निर्धारण उप वन रेंजर पद पर मौलिक नियुक्ति के आधार पर किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्या कोई अन्य आधार है ? यदि उनकी ज्येष्ठता का आधार भी कोई अन्य रहा है, तो क्या वन नियमावली में संशोधन किया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

4–श्री राम ललित चौधरी–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि प्रमुख वन संरक्षक उ० प्र० ने उप वन रेंजरों की ज्येष्ठता का निर्धारण वनविद के पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि को आधार मानकर तैयार किया है ? यदि किया है तो क्या इस संबंध में शासन से विधिक राय प्राप्त की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? फारेस्ट और डिप्टी रेंजर के नियुक्ति अधिकारी कौन हैं । इनकी ज्येष्ठता का निर्धारण किस अधिकारी के स्तर पर किया जाता है ? इस ज्येष्ठता निर्धारण का आधार क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । शासनादेश के अनुसार ही यह कार्यवाही की गयी है ।

फारेस्टर तथा डिप्टी रेंजरों के नियुक्ति अधिकारी संबंधित वन संरक्षक हैं । शासनादेश के तहत ज्येष्ठता का निर्धारण केन्द्रीय स्तर पर मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन एवं नियोजन) लखनऊ द्वारा किया जाता है ।

प्रदेश के वन दरोगाओं की प्रोन्नति में शासनादेश के अनुरूप नियमावली में संशोधन की कार्यवाही

5–श्री राम ललित चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ वन सेवा में नियुक्त ऐसे वन दरोगा; जो वानिकी के स्कूलों में प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे उन्हें सीधे रेंजर के कोर्स में प्रशिक्षण हेतु भेजा जावेगा ?क्या प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश का कोई प्रस्ताव दिनांक 1-2-89 को शासन में प्रस्तुत किया गया है । भारत सरकार के कृषि तथा खाद्य मंत्रालय द्वारा पारित नियम-17 के अनुसार उन वन दरोगाओं की, जिनकी सेवा दस वर्ष पूर्ण हो चुकी है, पदोन्नति के नियम क्या हैं ? क्या दिनांक 27-3-91 को इस विषय में कोई शासनादेश जारी हुआ है ? क्या इस विषय में नियमावली में संशोधन की कार्यवाही चल रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

जी हां । नियमावली में संशोधन की कार्यवाही की जा रही है ।

6–श्री अखिलेश–

[8वें मंगल में अता० प्र० सं० 88 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद गोरखपुर तहसील खजनी के ग्राम सभा पिपरसण्डी, बेलघाट एवं कुआं हेतु जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत आवंटित धन एवं उसके उपयोग की जानकारी

7–श्री राम गोविन्द चौधरी तथा श्री अकबर हुसैन–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सभा पिपरसण्डी, बेलघाट एवं कुआं ब्लाक बेलघाट तहसील खजनी, गोरखपुर वर्ष 1989-90, 1990-91 एवं 1991-92 तक कुल कितना धन जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत आवंटित किया गया ? क्या इन ग्राम सभाओं में उक्त धन का उपयोग के प्रधान एवं संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1989-90, 1990-91 एवं 1991-92 में ब्लाक बेलघाट, तहसील खजनी, गोरखपुर की ग्राम सभा पिपरसण्डी की रु० 3,90,503.70 पैसे बेलघाट को रु० 2,87,633.00 तथा कुआं को रु० 1,27,209.81 की कुल दानराशि अवमुक्त की गयी है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा विभिन्न पदों पर की गई अवैध नियुक्तियों को निरस्त करने की मांग

8–श्री राम गोविन्द चौधरी तथा श्री अकबर हुसैन–

क्या सरकार को जानकारी है कि 22 नवम्बर, 1991 के पश्चात् गोरखपुर विश्वविद्यालय कुलपति द्वारा विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की गयी हैं ? यदि हां, तो शासन के आदेश की अवहेलना पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? क्या यह सच है कि श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विश्वविद्यालय कोर्ट, गोरखपुर ने दिनांक 7-12-91 को अवैधानिक नियुक्तियों के संदर्भ में शासन को पत्र दिया था ? यदि हां, तो अब तक पत्र पर कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ? क्या उच्च शिक्षा मंत्री कुलपति के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? क्या शासन द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी के द्वारा की गयी इन अवैधानिक नियुक्तियों को निरस्त करने और अवैध नियुक्तियों पर आये हुए परिव्यय की वसूली नियुक्ति प्रभारी के वेतन से करने की कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी को अनियमित नियुक्तियों के समक्ष वेतन भुगतान न करने का निर्देश दिया गया है ।

जी हां ।

कार्यवाही की गयी है ।

उत्तरदायी सिद्ध होने पर कार्यवाही की जायेगी ।

जी हां ।

जांच अधिकारी का प्रतिवेदन प्राप्त होने तथा कदाचार का आरोप सिद्ध होने पर ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद खीरी के दुधवा नेशनल पार्क एवं बफर जोन वृक्षारोपण पर हुए व्यय की जानकारी

9–श्री दया राम वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद खीरी में दुधवा नेशनल पार्क एवं बफर जोन में वर्ष 1989, 90, 91 में प्रतिवर्ष कितने हेक्टर भूमि में वृक्षारोपण किया गया ? कितना इस कार्य पर धन व्यय हुआ ? कितने हेक्टेयर के वृक्ष वहां के अधिकारियों की लापरवाही से सूख गये ? क्या इसके लिये किसी को दण्डित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

दुधवा नेशनल पार्क में बफर जोन में वर्ष 1989 में 30 हेक्टेयर वर्ष 90 में 10.766 हेक्टेयर तथा वर्ष 91 में 35.5 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण हुआ ।

उक्त कार्य पर निम्नलिखित धनराशि व्यय की गयी :—

वर्ष	धनराशि
1989	77,000
1990	38,000
1991	1,25,000

अधिकारियों की लापरवाही से कोई वृक्ष नहीं सूखा है । वृक्षारोपण की औसतन दर प्रतिशत 90 से अधिक रहा जो सन्तोषजनक है । अतः किसी को दंडित करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

मिर्जापुर–लखनऊ बस सेवा को हनुमना से लखनऊ तथा मिर्जापुर से बलरामपुर बस सेवा को मिर्जापुर–मांडा खास तक संचालन की मांग

10–श्री सुरेन्द्र नाथ--

क्या परिवहन मंत्री को ज्ञात है कि उ० प्र० रा० स० प० नि० (इलाहाबाद क्षेत्र की मिर्जापुर डिपो की मिर्जापुर लखनऊ (5.00 बजे) बस सेवा को जन हित में हनुमना से लखनऊ उपरोक्तानुसार संचालन किये जाने का आदेश शीघ्र निर्गत करेंगे ? क्या इसी क्रम में इलाहाबाद होकर जाने वाली मिर्जापुर बलरामपुर को बलरामपुर से आने के बाद मिर्जापुर से मांडाखास तक चलायेंगे ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

वर्णित सेवा 5.30 बजे संचालित थी । मार्ग अलाभकारी होने के आधार पर दिनांक 15-2-92 से बन्द कर दी गयी है । हनुमना से लखनऊ के लिये बस सेवा चलाना प्रस्तावित नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ऐसा किये जाने से वाहन को नियमित दैनिक तकनीकी रख-रखाव का समय नहीं मिल सकेगा ।

11–श्री यदुनाथ सिंह–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

12–श्री यदुनाथ सिंह–

[दि० 24-2-92 को अता० प्र० सं० 123 द्वारा उत्तरित]

वन राजि अधिकारी एवं उसके अधीनस्थ कर्मचारियों के विरुद्ध दिये गये शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

13–श्री राम सरन–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वन राजि अधिकारी श्री नरेन्द्र वर्मा मोहम्मदी कार्यालय महेशपुर एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारियों के विरुद्ध दिनांक 12-2-92 का श्री डोरे लाल ग्राम प्रधान बनबुधेली, विकास खण्ड बांकेगंज, जनपद खीरी का प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न प्रश्नकर्ता का पत्र मुख्य मंत्री को दिनांक 21-2-92 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र में उल्लिखित दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करके गरीब जनता को शोषण एवं उत्पीड़न से मुक्ति दिलायेंगे ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

उक्त पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच करने के लिये मुख्य वन संरक्षक को आदेश दिये गये हैं । जांच आख्या प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद आजमगढ़ एवं मऊ में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा कार्यालय में कार्यरत वर्कचार्ज कर्मियों को नियमित किये जाने की मांग

14–श्री अंगद सिंह यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़/जनपद मऊ के अन्तर्गत ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के कार्यालय में वर्कचार्ज पर लिपिक/ड्राइवर/चपरासी के पद पर कितने व्यक्ति नियुक्त हैं ? उन्हें कब तक नियमित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड आजमगढ़/मऊ के अन्तर्गत कार्यालय में वर्कचार्ज लिपिक/ड्राइवर/चपरासी के पद पर कोई भी व्यक्ति नियुक्त नहीं है ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

जनपद आजमगढ़ में आमरण अनशन करने वाले वर्कचार्ज कर्मियों से हुए समझौते पर कृत कार्यवाही की जानकारी

15–श्री अंगद सिंह यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में जिलाधिकारी कार्यालय पर वर्कचार्ज कर्मचारियों ने आमरण अनशन दिनांक 16-8-91, 2-2-92 को किया था ? यदि हां, तो दोनों तिथियों में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) आजमगढ़, परगनाधिकारी सदर, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, आजमगढ़, अधीक्षण अभियन्ता, परिमण्डल गोरखपुर द्वारा वर्कचार्ज कर्मचारी संघ से कोई समझौता किया गया है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

दि० 16-8-91 को समझौता हुआ था परन्तु दि० 2-2-92 को कोई समझौता नहीं हुआ ।

समझौते के अनुसार संबंधितों को बकाया वेतन का भुगतान किया गया एवं कनिष्ठ सहायक के पद को प्रखंड में रिक्त मानने हेतु मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को लिखा गया ।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, आजमगढ़ में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को सरकार द्वारा बढ़ाई गयी दर से वेतन भुगतान किये जाने की मांग

16–श्री अंगद सिंह यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कयह बताने की कृपा करेंगे कि उपसचिव वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 के पत्र संख्या–जी०-2-1232/दस-3201/85, लखनऊ, दिनांक 15 अक्टूबर, 1990 को दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन के संबंध में जो आदेश पारित हुए हैं, क्या उक्त आदेश का पालन ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, आजमगढ़ में हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक की जायेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

उक्त आदेश जवाहर रोजगार योजना के कार्यों पर लागू नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० रा० स० प० निगम आजमगढ़ रीजन के प्रशिक्षित लिपिकों की नियुक्ति

17–श्री अंगद सिंह यादव–

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० रा० स० प० नि० आजमगढ़ रीजन के प्रशिक्षित लिपिक प्रशिक्षुओं, जिनकी नियुक्ति संबंधी मामला माननीय उच्च नययालय से 15-5-91 को ही निर्णित हो चुका है, इन प्रशिक्षुओं की नियुक्ति अभी तक नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि की जायेगी, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ? क्या यह सही है कि इसी संबंध में रा० स० प० नि० लखनऊ क्षेत्र के एक प्रशिक्षु लिपिक मुन्नी लाल चौरसिया का मामला माननीय उच्च न्यायालय से निर्णित होने के उपरान्त इनकी नियुक्ति झांसी रीजन में कर दी गयी और अन्य प्रशिक्षुओं की नहीं की गयी ? ऐसे कितने प्रशिक्षु माननीय उच्च न्यायालय से निर्णित आजमगढ़ रीजन के हैं ? इन प्रशिक्षुओं की नियुक्ति कब होगी ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

जी हां ।

प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी विभिन्न श्रेणी के प्रशिक्षुओं द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से इस प्रकार के आदेश प्राप्त किये गये हैं । उ० प्र० परिवहन निगम द्वारा इनमें से कुछ मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

संदर्भित निर्णय जिस मूल निर्णय पर आधारित है वह अंतिम नहीं है । उसके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय से स्थगन आदेश जारी हो चुका है ।

जी नहीं ।

आजमगढ़ क्षेत्र में अब तक 81 प्रशिक्षित शिशिक्षु मा० उच्च न्यायालय से निर्णय प्राप्त कर चुके हैं ।

यथासमय नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

निदेशक राज्य नियोजन संस्थान द्वारा कृषि विश्वविद्यालय कानपुर को भेजी गयी प्रामक रिपोर्ट के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

18–श्री सत्य देव पचौरी–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1992 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-127 के उत्तर के क्रम में क्या नियोजन मंत्री को जानकारी है कि निदेशक, राज्य नियोजन संस्थान (मूल्यांकन प्रभाग) द्वारा जनवरी, 1990 में कृषि विश्वविद्यालय कानपुर को भेजी गयी मूल्यांकन रिपोर्ट पर कुलपति ने अपने अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-176/आर० एम०-38/89/90, दिनांक 14-2-90, द्वारा उक्त निदेशक को जो प्रस्तरवार आख्या भेजी है उसमें जगह-जगह मूल्यांकन समिति के

विरुद्ध निर्धारित उद्देश्यों से अलग हटाने, तथ्यों से विपरीत रिपोर्ट देने तथा सम्पूर्ण प्रकरण में निष्पक्षता न बरतने का गम्भीर आरोप लगाया गया है ? यदि हां, तो इस संबंध में मूल्यांकन समिति के संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि अभी तक (25-2-92) कोई कार्यवाही नहीं की गयी, तो इस विलम्ब के लिये कौन जिम्मेदार है तथा इस प्रकरण में क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

प्रश्न में उल्लिखित कुलपति के पत्र के साथ संलग्न प्रस्तरवार आख्या में मूल्यांकन समिति के विरुद्ध कतिपय प्रतिकूल उल्लेख किये गये हैं जो सही नहीं है । स्थिति निम्नवत् है :–

1–अध्ययन का उद्देश्य वही रखा गया है जो अध्ययन करने के पूर्व अध्ययन परिकल्प में दिया गया था और जिसे संबंधित केन्द्र को उनके विचार के लिये भेजा गया था जिस पर उन्होंने सहमति भी प्रकट की थी । अतः इस आधार पर उद्देश्य से अलग हटने की बात सही नहीं है ।

2–जहां तक तथ्यों का संबंध है, प्रतिवेदन में वे ही तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं जो केन्द्र द्वारा समिति को उपलब्ध कराये गये हैं । अतः इन तथ्यों पर आधारित निष्कर्षों को तथ्यों के विपरीत कहना सही नहीं है ।

3–इन प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर केन्द्र की कार्योपलब्धियों के बारे में निष्कर्ष निकाला गया है । अतः निष्कर्ष को मूल्यांकन प्रभाग के लिये पक्षपातपूर्ण कहना उचित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

19–श्री खालिद गौरी–

[7 वें शुक्र में अता० प्र० सं० 91 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद हरदोई के ब्लाक भरावन के ग्राम बहुती से मीनाबाजार तक बनाये गये दोषपूर्ण कच्चे मार्ग को ठीक कराये जाने की मांग

20–श्री राम पाल वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के विकास खण्ड भरावन के ग्राम बहुती से भेरका होते हुए मीनाबाजार तक 5 कि० मी० कच्चे सड़क मार्ग का निर्माण कार्य कराया गया है ? उक्त मार्ग के निर्माण हेतु धन किस मद से व किसके प्रस्ताव तथा अनुरोध पर आवंटित किया गया है ? क्या उक्त मार्ग के दोषपूर्ण निर्माण को ठीक कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चूंकि प्रश्नगत मार्ग का निर्माण कार्य नहीं कराया गया है । अतः दोषपूर्ण निर्माण को ठीक कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

21–श्री यदुनाथ सिंह–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

आगरा के लघु जूता कुटीर उद्योग से बिक्री-कर हटाकर सौ जोड़ी जूता बाहर ले जाने की मांग

22–श्री किशन गोपाल–

क्या वित्त मंत्री आगरा के लघु जूता कुटीर उद्योग पर से बिक्री-कर हटाते हुए कुटीर उद्योग कर्मियों को 100 जोड़ी जूता सप्ताह में एक बार आगरा से बाहर बिक्री हेतु ले जाने की अनुमति देने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जी नहीं । ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

ऐसा करना राजस्व के हित में नहीं पाया गया है ।

ग्राम सभा समरपुर, हनुमानगंज, ब्लाक भदैया, जिला सुल्तानपुर के ग्राम प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना एवं अन्य योजनाओं में भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

23–श्री गंगा बख्श सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18-12-91 उन्हें एवं ग्राम्य विकास मंत्री को ग्राम सभा समरपुर, हनुमानगंज, ब्लाक भदैया, परगना मीरानपुर, तहसील सदर, जिला सुल्तानपुर के ग्राम प्रधान द्वारा गांव सभा के पानी के मोटर को बेचने तथा जवाहर रोजगार योजना में भ्रष्टाचार के संबंध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या शिकायती-पत्र के सभी बिन्दुओं की जांच करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बांदा के ग्राम परसौंड़ा के प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की टेक्निकल जांच

24–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा के ब्लाक तिन्दवारी अन्तर्गत ग्राम परसौंड़ा के प्रधान को वर्ष 1989 से दिसम्बर, 1991 तक कितनी धनराशि दी गयी है ? उस धन से योजनावार कौन-कौन से कार्य कराये गये हैं ? क्या कच्चे कार्य मानव श्रम द्वारा पूर्ण कराने की तकनीकी जांच करायी गयी है ? क्या मस्टर रोल में अंकित मजदूरों को मजदूरी दी गयी है ? यदि हां, तो दोनों का अलग-अलग विवरण क्या है ? क्या अब टेक्निकल जांच करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

ग्राम परसौंड़ा को वर्ष 1989 से दिसम्बर, 1991 तक कुल प्राप्त धनराशि रु० 3,00,905.50 है ।

उस धन से योजनावार निम्नलिखित कार्य कराये गये हैं :–

(1) कूप मरम्मत

(2) खड़न्जा निर्माण

(3) नाली निर्माण

(4) तालाब खुदाई

(5) कूप निर्माण

(6) सम्पर्क मार्ग का निर्माण

(7) कच्ची बंधी व खाई निर्माण

(8) पक्की नाली निर्माण

(9) निर्बल वर्ग आवास।

जी हां।

जी हां।

कच्चे कार्यों में 2,113 मानव दिवस सृजित हुए जिनकी मु० 38,034.00 रुपया मजदूरी का भुगतान किया गया है।

जी नहीं।

कराये गये कार्यों की तकनीकी जांच करायी जा चुकी है। कार्य सन्तोषजनक पाये गये हैं।

जनपद सुल्तानपुर के ग्राम त्रिलोकपुर के प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना में धन के दुरुपयोग संबंधी शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

25– श्री तेजभान सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य मंत्री उ० प्र०, ग्राम विकास मंत्री, राजस्व मंत्री (प्रभारी मंत्री सुल्तानपुर) मुख्य विकास अधिकारी, जिलाधिकारी सुल्तानपुर को सम्बोधित श्री कृष्ण पाण्डेय पुत्र श्री शिव कुमार व अन्य ग्रामवासियों, ग्राम त्रिलोकपुर, परगना आसल, तहसील अमेठी, जिला सुल्तानपुर द्वारा हस्ताक्षरित दिनांक 3-12-91 का रजि० प्रार्थना–पत्र जिसमें ग्राम त्रिलोकपुर के प्रधान के विरुद्ध जवाहर रोजगार योजना के धन के दुरुपयोग, ग्राम सभा की सम्पत्ति का परिवार में ही वितरण आदि की गम्भीर शिकायतें की गयीं हैं, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इस मामले की बिन्दुवार जांच की गयी है ? यदि हां, तो क्या जांच आख्या सहित कृत कार्यवाही को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां।

जी नहीं।

विस्तीर्णता के आधार पर। यदि मा० सदस्य चाहें तो मेरे कार्यालय कक्ष में आकर देख सकते हैं।

जनपद बांदा की ग्राम सभा नरी के ग्राम प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत किए गए धन के दुरुपयोग से सम्बन्धित पत्र पर कृत कार्यवाही

26–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिलाधिकारी बांदा को प्रश्नकर्ता का पत्रांक-ख-830271/149, दिनांक 19-12-91 जो ग्राम सभा नरी विकास खण्ड तिन्दवारी के प्रधान द्वारा सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर जवाहर रोजगार योजना में प्राप्त धनराशि का दुरुपयोग तथा मानव श्रम द्वारा तालाब व कच्चे

रोड की मरम्मत दिखाकर सरकारी धन का गबन एवं फर्जी मस्टर रोल के संबंध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद लखनऊ के ग्राम धैला के ग्राम प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत धन के दुरुपयोग किए जाने की जांच

27–श्री राम लखन–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम प्रधान, धैला, पो० डिगुरिया जिला-लखनऊ को वर्ष 1990-91, 91-92 में कितनी धनराशि जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत प्राप्त हुई ? उस राशि को किस प्रकार व्यय किया गया ? क्या यह सही है कि प्राप्त धनराशि का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्या इसकी सम्पूर्ण जांच कराने का कष्ट करेंगे ? क्या यह भी सही है कि ग्राम प्रधान कत्ल के केस में अभियुक्त है ? यदि हां, तो क्या इन्हें पद से हटाने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर व नगरा में जांचोपरान्त जवाहर रोजगार योजना में दोषी पाये गये ग्राम प्रधानों के विरुद्ध कार्यवाही

28–श्री अंगद सिंह यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद के विकास खण्ड सीयर व विकास खण्ड नगरा में किन-किन ग्राम सभाओं द्वारा जवाहर रोजगार योजना के धन का दुरुपयोग संबंधी शिकायत जांच में है तथा किन-किन प्रधानों के विरुद्ध अनियमितता के सन्दर्भ में कार्यवाही की गयी है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

विकास खण्ड सीयर व नगरा में निम्नलिखित ग्राम सभाओं में जवाहर रोजगार योजना के धन का दुरुपयोग किये जाने संबंधी शिकायत जांच में है :–

विकास खण्ड–सीयर

1–मोलनापुर, 2–टगुनिया, 3–शाहपुर अपणा, 4–बहोरवाखुर्द, 5– कुहतितरा, 6– वासपार वहोरवा, 7–हल्दीरामपुर, 8–पडहरा नंदोली ताजपुर, 9–बलिया, 10–कुचहरा, 11– पिपरोली, 12–इन्दौली जमीन, 13–सरयाडीहभगत, 14–तन्दुआ पट्टी फरसाटार, 15–तेन्दुआ, 16–बभनौली, 17–मुजौनी, 18–गौरातालऔसा, 19–कुण्डैल नियामत अली, 20–रछौती, 21–राजपुर, 22–कलवाणी, 23–गोविन्दपुर दुगौली, 24–रामपुर चन्दौली, 25–पतनारी, 26–अतरौली, 27–अहिरौली, 28–चैनपुर गुलौरा, 29–सैदपुर, 30–महेन्दुआ, 31–अवाया, 32–पशुहारी, 33–चकमहमूद, 34–फरदहा उफरपुरा, 35–पहाड़पुर, 36–बेल्थराबाजार, 37–चरौवा, 38–करनी, 39–सिहरी प्रेमरजा ।

विकास खण्ड–नगरा

1–नरही, 2–कोटागालिब पट्टी, 3–असढिया, 4–खरुआव, 5–करनी, 6–मलपहसेनपुर, 7–विरुफ, 8–ककरी, 9–इन्दासी, 10–गौवापार, 11–गोठवा, 12–रुपवार भगवापुर, 13–सोनापाली, 14–उस्कागाजियापुर, 15–देवरिया, 16–टुरकी दौलतपुर, 17–मसूरिया, 18–ताडीबड़ागांव, 19–रामपुर, 20–जूडनपुर, 21–बरेवा, 22–टेकवारी, 23–देवडिया, 24–लखसराय, 25–खन्डवा, 26–तुर्तीदलपतपुर, 27–करीमपुर, 28–कसौड, 29–निकासी, 30–रामपुर असली, 31–इनामीपुर, 32–तियरा हैदरपुर, 33–चकरा कोल्हुआ, 34–पालचन्द्रह, 35–वीरचन्द्रहा तथा निम्नलिखित प्रधानों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है ।

विकास खण्ड–सीयर

1–पिपरौली, 2–सैदपुर, 3–शिवजी प्रेमरजा ।

विकास खण्ड–नगरा

1–कसौडर, 2–निकासी, 3–रामपुर असली, 4–इनामीपुर, 5–तियरा हैदर, 6–चकराकोल्हुआ, 7–पालचन्द्रहा, 8–बीरचन्द्र, 9–भेलपहसेनपुर ।

जनपद देवरिया की ग्राम सभा खजुरी करौंता में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत की गयी धांधली की जांच हेतु दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही

29–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक श्री स्वामीनाथ यादव के पत्र सं० जनता दल/4 दिनांक 7-1-92 जो कि ग्राम सभा खजुरी करौता, विकास खण्ड भटनी, जनपद देवरिया में वर्ष 1989-90 एवं 1990-91 में जवाहर रोजगार योजना में दी गयी धनराशि ग्राम प्रधान एवं अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा की गयी धांधली को सतर्कता विभाग द्वारा जांच कराये जाने के संबंध में था, मुख्य मंत्री विधायक प्रकोष्ठ में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिह–

जी नहीं ।

अपितु प्रश्नगत विषयक संदर्भित विधायक का पत्र दिनांक 6-1-92 प्राप्त हुआ है जिलाधिकारी, देवरिया को उक्त पत्र के संदर्भ में जांच/कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा के कूक नगर ग्रान्ट से लखनऊ, बलरामपुर एवं फैजाबाद तक बस चलाये जाने की मांग

30–श्री राम प्रताप सिंह–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 8-7-91 विधान सभा क्षेत्र सादुल्लानगर, गोण्डा में कूक नगर ग्रान्ट से लखनऊ व कूक नगर ग्रान्ट से बलरामपुर व कूक नगर ग्रान्ट से फैजाबाद तक बस चलाये जाने के संबंध में मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा के उत्तरी व दक्षिणी वन प्रभाग में बिना लाइन्सेस चलने वाली आरा मशीनों के मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

31–श्री तुलसी दास–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा स्थित उत्तरी व दक्षिणी वन प्रभाग के अन्तर्गत जो आरा मशीनें चल रही हैं उनकी संख्या क्या है ? क्या यह भी बतायेंगे कि इन आरा मशीनों में से कितनों के मालिकों ने आवश्यक शुल्क जमा करके लाइसेन्स प्राप्त किये हैं ? कितनों ने लाइसेन्स नहीं प्राप्त किया है ? उक्त आरा मशीनों के लिए वन विभाग से लाइसेन्स न प्राप्त करने से राजस्व की कितनी हानि उ० प्र० सरकार को उठानी पड़ रही है ? लाइसेन्स न प्राप्त करने की दशा में वन विभाग क्या विधिक कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

137 (एक सौ सैंतीस)

44 (चौवालिस)

93 (तिरानवे)

रु० 93,000.00 (तिरानवे हजार) प्रति वर्ष

आरा मशीन मालिकों के विरुद्ध एच–2 केस इजरा कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

इलाहाबाद एग्रीकल्चरल इन्स्टीट्यूट इलाहाबाद में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के रुके हुए वेतन दिये जाने की मांग

32–श्री प्रमोद तिवारी–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि इलाहाबाद एग्रीकल्चरल इन्स्टीट्यूट इलाहाबाद में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को फरवरी, 1988 से वेतन संदाय खाते से वेतन भुगतान शिक्षा विभाग द्वारा रोक दिये जाने के कारण 10 मृतक परिवार एवं 5 सेवानिवृत्त एवं अन्य कर्मचारी भुखमरी से ग्रसित हैं ? उनके साथ सरकार द्वारा भेदभाव पूर्ण नीति अपनाये जाने का औचित्य क्या है ? क्या महाविद्यालय द्वारा सन् 1988 से बराबर प्रत्यावेदन/ज्ञापन दिया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कोई राहत दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? प्रदेश के अन्य समस्त महाविद्यालयों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को क्या विश्वविद्याालय अधिनियम, 1975 के लागू होने पर 1-4-1975 से वेतन संदाय पर सरकार द्वारा मान्य किया गया हैं ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

इलाहाबाद एग्रीकल्चरल इन्स्टीट्यूट नैनी के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों द्वारा योजित 20 याचिकाओं पर माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्णय दिनांक 24 मार्च, 1988 के अनुपालन में नियमान्तर्गत अस्तित्वहीन पदों के प्रति नियुक्त व्यक्तियों को माननीय उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेशों के

अनुपालन में इन कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया जा रहा था । इसे रोकने के आदेश माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अनुपालन में शिक्षा निदेशक द्वारा जारी किये गये । अतः सरकार द्वारा भेदभावपूर्ण नीति नहीं अपनाई गयी है ।

महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर सम्यक विचारोपरान्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के आलोक में शिक्षा निदेशक (उ० शि०) द्वारा मानकों के अन्तर्गत 12 शिक्षणेतर रिक्त पदों की अनुज्ञा दी गयी । एक शिक्षक तथा बारह शिक्षणेतर पद सृजित किये गये जिनके विरुद्ध अनुमोदित पदों के प्रबन्धतंत्र के स्रोत के नियुक्त व्यक्तियों का समायोजन प्रबन्धतंत्र द्वारा किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं । 1-4-1975 से वेतन संदाय प्रणाली लागू होने पर संख्या–ग-2/3269/15-100(10)/68 दिनांक 13 मई, 1968 की राजाज्ञा के आधार पर शैक्षिक कार्यभार के आधार पर जितने पदों का औचित्य पाया गया केवल वही पद वेतन संदाय पर लिये गये ।

जनपद कानपुर देहात के सरवन खेड़ा व तिलौची गांव में दस लाख कूप योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कुओं के निर्माण की मांग

33–श्री मथुरा प्रसाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेगे कि जनपद कानपुर देहात के अन्तर्गत ब्लाक सरवन खेड़ा के ग्राम तिलौची में 2 कूप व ग्राम जलालपुर में एक कूप सन् 1990-91 में 10 लाख कूप निर्माण योजना के अन्तर्गत निर्माण होना था ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त कूप बन चुके हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि कुओं के निर्माण के बिना भी पैसे का भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो उसका औचित्य क्या है ?

श्री कल्याण सिह–

जनपद कानपुर देहात के अन्तर्गत ब्लाक सरवन खेड़ा के ग्राम तिलौची में 2 कूप का निर्माण नहीं अपितु एक कूप का निर्माण तथा दो कूप की मरम्मत होनी थी व ग्राम जलालपुर में एक कूप का निर्माण नहीं अपितु एक कूप की मरम्मत का काम होना था ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा एवार्ड संबंधी वाद पर दिये गये निर्णय को प्रतिपालित करने की कार्यवाही

34–श्री नरेश अग्रवाल–

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण (द्वितीय) उ० प्र० लखनऊ में औ० विवाद सं०–86/91 का एवार्ड किया था ? क्या यह सत्य है कि उस आदेश को श्रमायुक्त, कानपुर ने उ० प्र० में आज तक लागू नहीं किया जिससे उस आदेश से लाभार्थी श्रमिक को उसके अधिकार अभी तक नहीं मिले ? यदि हां, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां । उप श्रमायुक्त, लखनऊ इस एवार्ड को प्रतिपालित कराये जाने के संबंध में कार्यवाही कर रहे हैं ।

बारह सेनी इंटर कालेज, अलीगढ़ में प्रधानाचार्य के पद पर तैनात दो व्यक्तियों का औचित्य

35–श्री किशन लाल दिलेर–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बारह सेनी इण्टर कालेज, अलीगढ़ में प्रधानाचार्य के पद पर दो व्यक्ति कार्यरत हैं ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ? क्या सरकार आगामी बोर्ड की परीक्षाओं के सन्निकट होने एवं छात्रों के भविष्य को देखते हुए उपरोक्त समस्या का समाधान अविलम्ब करायेगी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राज नाथ सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री अमित राय एडवोकेट इलाहाबाद के भवन के अवैध बैनामे की जांच रिपोर्ट

36–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संस्थागत वित्त विभाग के पत्र संख्या–एस० आर० 1541/10, 88,312/81/88, दिनांक 13 मई, 1988 के द्वारा श्री अमित राय एडवोकेट महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद के भवन का अवैध बैनामा कराये जाने की जांच महानिरीक्षक निबन्धन उत्तर प्रदेश से कराने के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो जांच हेतु कौन-कौन बिन्दु निर्दिष्ट किये गये थे ? क्या उक्त जांच पूरी हो गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अवैध बैनामे के पंजीकरण को निरस्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जी हां ।

शिकायतकर्ता श्री अमित राय, एडवोकेट, इलाहाबाद के शिकायती पत्र की प्रति संलग्न है ।

जी हां ।

जांचोपरान्त दोषी पाये गये तत्कालीन उपनिबन्धक, श्री सर्वदानन्द श्रीवास्तव को, विभागीय कार्यवाही के उपरान्त, प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी गयी है । अवैध पंजीकरण को निरस्त करने का अधिकार इस विभाग को नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(दिखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 185-186 पर)

श्री अवधेश राय आत्मज श्री हरि राय के प्रमाण-पत्र एवं अंक तालिका में छपे हुए त्रुटि पूर्ण नाम को ठीक करने की मांग

37–श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद् क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी को सम्बोधित शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ का अतिहित पत्रांक-शिविर/अनु०/50725/91-92, दिनांक 4-1-1992 द्वारा 1989 की हाईस्कूल परीक्षा में डा० भीमराव अम्बेडकर, उ० मा० विद्यालय, जखनिया गाजीपुर से अनुक्रमांक-1591500 (व्यक्तिगत) वर्ग "ए" पर सम्मिलित श्री अवधेश राय आत्मज श्री हरी राय का प्रार्थना-पत्र प्रमाण-पत्र एवं अंक तालिका में छपे नाम में त्रुटि सुधारने हेतु प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी एवं त्रुटिपूर्ण नाम छापने के लिये कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी दोषी हैं ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राजनाथ सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बांदा के अनौपचारिक शिक्षा कार्यालय में लिपिकों द्वारा सही समय पर कार्यालय आने एवं वेतन लेने के संबंध में शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

38–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिलाधिकारी, बांदा को प्रश्नकर्ता द्वारा पत्रांक–क-200727, दिनांक 16-12-91 जिला अनौपचारिक शिक्षा कार्यालय में लिपिकों द्वारा सही समय पर कार्यालय आने जाने व अनुपस्थित रहकर वेतन उठाने के संबंध में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आदर्श बंग विद्यालय इण्टर कालेज, कानपुर के प्रधानाचार्य के विरुद्ध दिये गये शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

39–श्री सत्यदेव पचौरी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आदर्श बंग विद्यालय इण्टर कालेज, माल रोड, कानपुर के संबंध में कोई शिकायती पत्र दिनांक 27-8-91 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र में प्रमुख बिन्दु क्या-क्या थे तथा दिनांक 15-2-92 तक शासन विभाग द्वारा उस पर क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री राजनाथ सिंह–

प्रश्नकर्त्ता महोदय का पत्र दिनांकित 22-8-91 शासन को 27-8-91 को प्राप्त हुआ है ।

संदर्भित पत्र में विद्यालय में वेतन वितरण अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत (I) साधिकार नियंत्रक की नियुक्ति न करने, (II) प्रधानाचार्य द्वारा की गयी अनियमितताओं के विरुद्ध कार्यवाही न करने तथा (III) प्रधानाचार्य को विभागीय नियमों को नजरअन्दाज करके 400 रुपये प्रतिमाह आवास भत्ता दिये जाने की शिकायतें की गयी थीं ।

उक्त शिकायतों के संबंध में प्राप्त आख्या में बताया गया है कि वेतन वितरण से संबंधित आरोप समाप्त हैं, अतः वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत नियंत्रक की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं रही है।

प्रधानाचार्य की पत्नी नगर के एक अन्य विद्यालय में कार्यरत हैं । पति-पत्नी दोनों के द्वारा आवासीय भत्ता लिये जाने के आरोप पर कार्यवाही की गयी और तदनुसार उनकी पत्नी श्रीमती दास का आवासीय भत्तों का भुगतान नवम्बर, 1991 से बन्द कर दिया गया है । अधिक भुगतान हुए भत्ते की वसूली सुनिश्चित की जायेगी ।

प्रधानाचार्य के विरुद्ध कतिपय अन्य आरोप भी प्रमाणित पाये गये हैं जिनके संबंध में नियमान्तर्गत यथोचित कार्यवाही किये जाने हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिये जा चुके हैं ।

जनपद बांदा के ग्राम सढ़ा, मजरा चतुरहन पुरवा में लगी अवैध आरा मशीन को हटाये जाने से संबंधित दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही

40–श्री श्याम लाल रावत–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दि० 26 फरवरी, 1992 को विधान सभा सदस्य, श्रीमती उर्मिला राजपूत एडवोकेट के द्वारा लिखित पत्र के साथ श्री राम किशोर सिंह प्रधान ग्रामसढ़ा, ब्लाक नरैनी, जनपद बांदा का प्रार्थना पत्र ग्राम सड़ा, मजरा चतुरहन पुरवा ब्लाक नरैनी, जनपद बांदा में लगी अवैध आरा मशीन को हटाने के संबंध में वनसचिव उ० प्र० शासन लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उस पर वन सचिव ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो प्रदेश स्तर से कौन से उच्च अधिकारी ने जांच किया और पूरे संलग्न पत्रों का विवरण क्या है ? आरा मशीन हटवाने के लिये क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नगत पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । तलाश जारी है ।

41–श्री श्याम लाल रावत–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा ब्लाक नरैनी, के ग्राम सभा सढ़ा मजरा चतुरहनपुरवा में लगी आरा मशीन को प्रभागीय वन अधिकारी के जांचोपरान्त उनके पत्र संख्या-1630/37-2(आरा मिल) दिनांक नवम्बर 26, 1990 के द्वारा वन क्षेत्रों में अवैध कटान होने की सम्भावना को देखते हुए अपर जिलाधिकारी (वित्त) जनपद बांदा ने अपने अनापत्ति प्रमाण-पत्र संख्या 123/एस०टी०/89-90, दिनांक 23-12-89 को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त कर दिया था ? यदि हां, तो क्या उसी स्थान पर लगी उक्त आरा मशीन को व्यक्ति का नाम बदल कर दिनांक 23-10-91 को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया है ? यदि हां, तो नियमों के विरुद्ध लगी उक्त आरा मशीन से वन क्षेत्रों के अवैध कटान की सम्भावना को देखते हुए प्रदेश स्तर से उच्च स्तरीय जांच कराकर अवैध लगी आरा मशीन हटवाते हुए कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

मामले में जांच के आदेश किये जा रहे हैं ।

डा० किशोरी लाल वरिष्ठ प्रवक्ता हिन्दी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सेवा निवृत्ति के पश्चात् देय लाभों में उनके इण्टरमीडिएट सेवा काल को भी सम्मिलित किया जाना

42–श्री मो० मुकीम–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यदि कोई प्राध्यापक 19 वर्ष की सेवा किसी इण्टरमीडिएट कालेज में करता है और बाद में कुछ वर्षों के लिये उसकी नियुक्ति विश्वविद्यालय में हो जाती है तो क्या उसके सेवा निवृत्ति के उपरान्त उसकी इण्टरमीडिएट के सेवाकाल की पेंशन एवं ग्रेच्युटी के लिये सम्मिलित किया जावेगा ? इस संबंध में सरकार की नीति क्या है ? क्या सेवा निवृत्ति डा० किशोरी लाल वरिष्ठ प्रवक्ता, हिन्दी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की इण्टरमीडिएट में की गयी सेवा के 19 वर्ष की पेंशन के लिए सम्मिलित किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

शासनादेश संख्या-2148/पन्द्रह (15)1983-46(14)/83, दिनांक 24-12-1983 के अन्तर्गत राज्य विश्वविद्यालयों के अध्यापकों को सेवा निवृत्तिक लाभों की स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा 1 जनवरी, 1984 से पेंशन की योजना प्रारम्भ कर दी गयी है । उपर्युक्त शासनादेश के प्रस्तर 6 में इण्टरमीडिएट कालेज के अध्यापकों द्वारा की गयी सेवाओं का लाभ दिये जाने का उल्लेख नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में डा० किशोरीलाल, वरिष्ठ प्रवक्ता हिन्दी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की 19 वर्षों की इण्टरमीडिएट कालेज की सेवा को पेंशन के लिए सम्मिलित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

43–श्री विजयपाल सिंह तोमर तथा श्री जाहिद हुसैन–

[दि० 28-4-92 को अता० प्र० सं० 113 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश के राजकीय महाविद्यालय वेरीनाग में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही

44–श्री लीला राम शर्मा–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय महाविद्यालय वेरीनाग में स्वीकृत मानक के आधार पर पद रिक्त पड़े हैं ? यदि हां, तो कितने पद रिक्त हैं तथा कब से ? उन पदों की पूर्ति कब तक की जायेगी ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

1–प्रवक्ताओं के 6 पद दिनांक 28-8-89 से एक पद 11-12-89 से एक पद 8-8-90 से तथा एक पद 11-8-91 से रिक्त हैं । इन रिक्त कुल 9 पदों में से दो पदों के प्रति अंशकालिक स्वयंसेवी कार्यरत हैं ।

2-शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के 3 पद शिक्षा सत्र 89-90 से, 2 पद 90-91 से, तथा एक पद 91-92 से रिक्त हैं ।

1–उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा रिक्त प्रवक्ताओं के पद विज्ञापित हो चुके हैं । आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक राजाज्ञा संख्या-966/15-17-92-100/90, दिनांक 4 अप्रैल, 1992 द्वारा उत्तरांचल क्षेत्र में स्थित राजकीय महाविद्यालयों में राजकीय महाविद्यालयों के सेवानिवृत्त प्राचार्यों/प्रवक्ताओं को नियत मानदेय के आधार पर अंशकालिक स्वयंसेवी के रूप में लेक्चर देने हेतु आमंत्रित करने की अनुमति प्राचार्यों को दी गई है । जिसके तहत रिक्त पदों पर व्यवस्था की जा रही है ।

2–शिक्षणेत्तर पदों पर नियुक्ति के संबंध में शासनादेश संख्या-20/1/91- कार्मिक-2/1991 दिनांक 26-9-91 में नियुक्तियों/भर्ती पर लगे प्रतिबन्ध को शिथिल किये जाने के फलस्वरूप अब शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है ।

45–श्री राम ललित चौधरी–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रशासन के विभिन्न विभागों में आशुलिपिकों की प्रोन्नति का मामला

46–श्री दल सिंगार–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि प्रशासन के विभिन्न विभागों में आशुलिपिक प्रोन्नति करके विभागीय उच्च पदों पर नियुक्त किये जा सकते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार को ज्ञात है कि कोषागारों में आशुलिपिक की नियुक्ति की योजना बनी है, जिसके उपरान्त इलाहाबाद एवं जवाहर भवन, लखनऊ के कोषागार में एक-एक आशुलिपिक नियुक्त किये गये हैं ? उनकी प्रोन्नति के लिये वर्तमान नियमावली के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-एस-3-428/द्रस/502/59, दिनांक 22 अगस्त, 1978 के अन्तर्गत कोषागार विभाग के आशुलिपिकों की प्रोन्नति के लिये कोई व्यवस्था की जायेगी ? क्या कोषागार में आशुलिपिक पहले तैनात होते थे ? क्या मंत्री जी कोषागार में नियुक्त इन आशुलिपिकों की प्रोन्नति के लिए आदेश सं०-एस-3-428/दस-502/59 में संशोधन करेंगे ? यदि नहीं, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

द्वितीय वेतन आयोग एवं समता समिति द्वारा प्रदेश के समस्त विभागों में कार्यरत अर्थ एवं संख्या विभाग के उच्चीकृत सांख्यिकीय कर्मचारियों को उपेक्षित किये जाने की कथित शिकायत

47–डा० दिनेश जौहरी–

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि द्वितीय वेतन आयोग, 1979 तथा समिति 1989 ने प्रदेश के समस्त विभागों में कार्यरत सांख्यिकीय कर्मचारियों को पदानुसार एक से वेतन दिए जाने के उपरान्त भी मुख्य सचिव वेतन समिति ने केवल अर्थ एवं संख्या विभाग के सांख्यिकीय कर्मचारियों के ही पुनरीक्षित वेतनमान शासनादेश संख्या–207/32-2-89-1/9(1)/87, दिनांक 3 फरवरी, 1990 को उच्चीकृत करते हुअ घोषित किया है ? क्या अन्य विभागों के सांख्यिकीय कर्मचारियों को इससे उपेक्षित रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि अर्थ एवं संख्या विभाग के सांख्यिकीय अधिकारी एवं कर्मचारी प्रदेश के वित्त वेतन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर होने के कारण केवल उन्हें ही उच्च वेतनमान का लाभ दिया है जबकि सरकार की नीति के अनुसार प्रदेश के सभी सांख्यिकीय कर्मचारियों को समता के आधार पर एक ही वेतनमान वित्त विभाग द्वारा एक ही साथ निर्गत होना चाहिए था ? यदि हां, तो क्या यह भी बतायेंगे कि प्रदेश के वित्त वेतन आयोग कार्यालय में अर्थ एवं संख्या विभाग के कितने सांख्यिकीय अधिकारी एवं कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर आए हुए हैं ? यह सुविधा अन्य विभागों के कितने सांख्यिकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रदत्त की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जी हां, द्वितीय उ०प्र० वेतन आयोग (1979-80) की संस्तुतियों के आधार पर विभिन्न राजकीय विभागों में सांख्यकीय पदों को सामान्य कोटि के अन्तर्गत वर्गीकृत करते हुए सामान्य वेतनमान दिये गये थे । समता समिति 1989 ने इन पदों पर पुनरीक्षित वेतनमान दिया है । भारत सरकार से समकक्षता के आधार पर विसंगति के मामलों में मुख्य सचिव समिति द्वारा विचार किया जाता है । अभी मुख्य सचिव समिति ने अर्थ एवं संख्या प्रभाग के मामले में विचार कर अपनी संस्तुतियां दी हैं । शासन की स्वीकृति के उपरान्त 3-2-90 को आदेश प्रसारित हुये ।

अन्य विभागों के सांख्यकीय पदों का मामला मुख्य सचिव समिति में विचाराधीन है ।

अर्थ एवं संख्या प्रभाग के सांख्यिकीय कर्मचारी/अधिकारी केवल वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग में ही नहीं अपितु अन्य विभागों में भी कार्यरत हैं। यह बात सही नहीं है कि वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग में प्रतिनियुक्ति पर होने के कारण ऐसे कर्मचारियों/अधिकारियों को उच्च वेतनमान का लाभ दिया गया है। वस्तुस्थिति यह है कि ऐसे पद जो चाहे वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग में हों या अन्य किसी विभाग में यदि उक्त अर्थ एवं संख्या प्रभाग के सम्बन्धित संवर्ग हैं तो उन्हें तद्नुसार वेतनमान देय होता है। जहां तक निःसंवर्गीय पदों का प्रश्न है अभी वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग में विद्यमान ऐसे सांख्यिकीय पदों के वेतनमान का भी पुनरीक्षण नहीं हुआ है और उनका मामला भी उपरोक्तनुसार मुख्य सचिव समिति में विचाराधीन है। मुख्य सचिव समिति जिन मामलों पर विचार कर लेती है उनके आदेश प्रसारित किये जाते हैं।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग में अर्थ एवं संख्या प्रभाग से प्रतिनियुक्ति पर नहीं आये है किन्तु आये हुए कर्मचारियों/अधिकारियों में दो पदधारक अधिकारी वर्ग में कार्यरत हैं और छः कर्मचारी वर्ग में। जहां तक सांख्यकीय अधिकारी का प्रश्न है इनमें कोई संशोधन अर्थ एवं संख्या प्रभाग में नहीं हुआ है। अन्य विभागों के सांख्यकीय कर्मचारियों के बारे में मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियां यथाशीघ्र आने की आशा है।

जनपद बांदा के ग्राम खप्टिहा कला ब्लाक तिन्दवारी के प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना द्वारा प्राप्त धनराशि का दुरुपयोग करने का आरोप तथा जांच आख्या

48–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा के अपर जिलाधिकारी (परियोजना) बांदा को प्रश्नकर्ता द्वारा पत्रांक-ग-503425 दिनांक 16-12-91 ग्राम खप्टिहा कला ब्लाक तिन्दवारी (बांदा) के प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना में प्राप्त धनराशि को मानक के अनुरूप कार्य न कराए जाने एवं टेक्निकल जांच विषयक प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि जांच पूरी कराई गयी, तो जांच आख्या क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां।

ग्राम प्रधान खप्टिहा कला विकास खण्ड तिन्दवारी के द्वारा वर्ष 1989-90 से 91-92 तक कराये गये कार्यों की जांच कराई गयी।

जांच में कराये गये कार्य संतोषजनक पाये गये हैं। यदि मा० सदस्य चाहें तो जांच आख्या मेरे कार्यालय कक्ष में देख सकते हैं।

पर्वतीय क्षेत्र के भूकम्प पीड़ितों द्वारा मंहगी तथा अनुपयोगी लकड़ी वापस किये जाने के कारण हुई राजस्व की हानि की जानकारी

49–श्री राम लखन–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पर्वतीय क्षेत्र में आये भूकम्प में भूकम्प पीड़ितों को भवन निर्माण के लिए वन निगम द्वारा लकड़ी भेजी गयी थी ? क्या लकड़ी अत्यधिक मंहगी होने और उपयोगी न होने के कारण भूकम्प पीड़ितों ने उसे लेने से इन्कार कर दिया था ? यदि हां, तो इससे वन निगम को कितनी राजस्व की हानि उठानी पड़ी ? इस लकड़ी की ढुलाई पर कितना व्यय आया ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

इलाहाबाद के श्री सरदार पटेल इण्टर कालेज रूम, खेरहट खुर्द में अग्नि लगने का षड़यन्त्र

50–श्री राम सेवक सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री सरदार पटेल इण्टर कालेज रूम, खेरहट खुर्द, इलाहाबाद के समस्त अभिलेख 10-4-85 श्री छदम्मी लाल प्रजापति (प्रधान लिपिक) द्वारा प्रधानाचार्य व प्रबन्धक के आवास 185, पुराना बैरहना, इलाहाबाद ले जाए गए हैं ? यदि हां, तो अभिलेखों को कब विद्यालय वापस भेजा गया ? यदि नहीं, तो 23-5-87 को विद्यालय कार्यालय में हुए अग्निकाण्ड में उक्त अभिलेख जलना कैसे दिखाया गया है ? क्या अभिलेखों को जल जाने का षडयन्त्र करने हेतु दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

इलाहाबाद के श्री सरदार पटेल इण्टर कालेज, रूम, खेरहट खुर्द के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को निकालने एवं नियोक्ता द्वारा स्वयं इस्तीफा दिये जाने का संदिग्ध मामला

51–श्री राम सेवक सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री सरदार पटेल इण्टर कालेज, रूम, खेरहट खुर्द, इलाहाबाद के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी रामेश्वर, महेश, मनपूरन, ताड़क नाथ, विजय बहादुर, विजय कुमार कन्हई, कल्याण सिंह, ननकउना, अर्जुन देव, विनय कुमार, चन्द्रा बाई, ननकू गायत्री प्रसाद शुक्ल कहां के निवासी हैं ? इनकी नियुक्ति विद्यालय में कब की गयी ? क्या इन्हें निकाल दिया गया है ? यदि हां, तो कब और क्यों ? क्या बेरोजगारी की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए सारे कर्मचारियों को निकाल देने अथवा स्वतः इस्तीफा दे देने की संदिग्ध स्थिति की जांच करायी जा रही है ? क्या इन कर्मचारियों के माध्यम से नियोक्ता द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री सरदार पटेल इण्टर कालेज रूम, खेरहट खुर्द, इलाहाबाद के स्व० राम सिंह व स्व० नवूवत हुसैन (लिपिकों) की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को सामूहिक जीवन बीमा धनराशि दिलाये जाने की मांग

52–श्री राम सेवक सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री सरदार पटेल इण्टर कालेज रूम, खेरहट खुर्द, इलाहाबाद के कर्मचारी स्व० राम सिह (नैत्यिक लिपिक) व स्व० नवूवत हुसैन, की मृत्य क्रमशः 6-6-84 व 15-12-86 को सेवाकाल में ही हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या उनकी पत्नियों को सामूहिक जीवन बीमा की धनराशि दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसके लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री सरदार पटेल इण्टर कालेज रूम, खेरहट खुर्द, इलाहाबाद में आडिट रिपोर्ट के बाद भी कार्यवाही न किये जाने का कारण

53–श्री राम सेवक सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री सरदार पटेल इण्टर कालेज रूम, खेरहट खुर्द, इलाहाबाद का कोई विशेष आडिट मण्डलीय सहायक लेखाधिकारी, चतुर्थ मण्डल, इलाहाबाद के पत्रांक म० ले० 40/436-46/1988-89, दिनांक 29-8-88 के आधार पर 6-9-88 से 14-9-88 तक आडिट के अनुपालन के सन्दर्भ में कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

54–श्री राम प्रताप सिंह–

[9वें सोम के लिये स्थगित]

श्री पी० एस० पाण्डेय तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता (ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा) प्रखण्ड फैजाबाद के विरुद्ध शिकायती पत्र एवं उस पर की गयी कार्यवाही की जानकारी

55–श्री प्यारे लाल शंखवार–

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री पी० एस० पाण्डेय तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता (ग्रा० अभि० सेवा) प्रखण्ड-फैजाबाद द्वारा किये गये भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्रीमती आशा, सचिव जिला महिला कांग्रेस कमेटी, फैजाबाद के शिकायती पत्र दि० 16-1-81 पर टो० ए० सी० द्वारा जांच की गयी थी, जिसमें श्री पाण्डेय अपने अधिकारों का दुरुपयोग कराने के दोषी पाये गये थे ? क्या उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि की जायेगी तो कब तक ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

अनुशासनात्मक कार्यवाही सन् 1985 में करके श्री पाण्डेय को सचेत किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वन प्रभाग दक्षिणी गोण्डा के सादुल्ला नगर व उतरौला रेंज में कार्यरत वाउचरों व चौकीदारों के विगत दस माह के वेतन के भुगतान का निर्देश

56–श्री राम प्रताप सिंह–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वन प्रभाग दक्षिणी गोण्डा के सादुल्ला नगर व उतरौला रेंज में कार्यरत वाउचरों व चौकीदारों के वेतन का भुगतान विगत 10 माह से क्यों नहीं किया गया है ? भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह–

वित्तीय वर्ष 1991-92 में धनराशि की कमी के कारण सादुल्लाह नगर तथा उतरौला रेंज में कार्यरत वाउचरों व चौकीदारों को विगत 10 माह से भुगतान नहीं किया जा सका है । भुगतान शीघ्र करने के लिये निर्देशित किया जा रहा है ।

जिला हरदोई में मुख्य विकास अधिकारी के यहां स्टेनोग्राफर की नियुक्ति, चयनित अभ्यर्थियों द्वारा किये जाने की मांग

57–श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जिले में जबसे मुख्य विकास अधिकारी का पद सृजित हुआ है तभी से विकास खण्ड का एक नानस्टेनोग्राफर के रूप में कार्यरत है और जब से जिला विकास अधिकारी का स्टेनो 31-1-90 से सेवा निवृत्त हुआ है तब से उनके साथ भी नान स्टेनोग्राफर के रूप में कार्यरत हैं जिससे प्रशिक्षित स्टेनोग्राफर नवयुवकों में पर्याप्त रोष व्याप्त है क्योंकि स्टेनोग्राफर का संवर्ग ही प्रथक है और उक्त दोनों पदों के विधिवत् चयन हेतु आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ? क्या मंत्री जी उक्त दोनों पदों का नियमानुसार चयनित अभ्यर्थियों द्वारा स्टेनोग्राफर्स से भरने हेतु आदेश देने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग से संबंधित श्री श्याम बिहारी सदस्य विधान सभा का पत्र एवं उस पर कृत कार्यवाही का विवरण

58– श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री श्याम बिहारी सदस्य विधान सभा का कोई पत्र दिनांक 15-1-92 जो आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग से संबंधित हैं, वित्त विभाग के उप सचिव को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जी हां । उक्त पत्र में उल्लिखित विषय वस्तु प्रशासनिक विभाग के विचार क्षेत्र के अर्न्तगत है, अतएव माननीय सदस्य के उक्त पत्र की प्रतिलिपि सचिव, चिकित्सा शिक्षा को आवश्यक कार्यवाही हेतु संदर्भित कर दी गई है ।

लखनऊ मण्डल के विभिन्न कोषागारों के कर्मचारियों को भवन निर्माण एवं भवन मरम्मत हेतु अग्रिम दिये जाने हेतु बनायी गई पात्रता सूची का विवरण

59–श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोषागार निदेशालय में वर्तमान समय में लखनऊ मण्डल के विभिन्न कोषागारों के कर्मचारियों को भवन निर्माण अग्रिम तथा भवन मरम्मत अग्रिम हेतु कोई पात्रता सूची बनायी गयी है ? यदि हां तो उक्त सूची में से किन-किन व्यक्तियों को भवन निर्माण अग्रिम/भवन मरम्मत अग्रिम दिया गया तथा उक्त सूची में कौन-कौन कर्मचारी शेष रह गये हैं तथा इनके शेष रहने का क्या कारण है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

उल्लिखित पात्रता सूची अलग से मण्डलवार नहीं बनायी गयी है, बल्कि स्वीकृतकर्ता अधिकारी, कोषागार निदेशक स्तर पर उसके अधीनस्थ संपूर्ण पात्र कर्मचारियों की संहत रूप से तैयार की गयी है, जिसमें विभिन्न मण्डल के कोषागारों के साथ-साथ लखनऊ मण्डल के कोषागार कर्मचारी भी सम्मिलित हैं।

लखनऊ मण्डल के विभिन्न कोषागार कर्मचारियों/अधिकारियों के कुल 60 प्रार्थना पत्र वर्ष 1991-92 तक प्राप्त हुये थे, जिनमें से 27 कर्मचारियों (कृपया सूची अ देखें) को भवन मरम्मत अग्रिम स्वीकृत किया गया था। शेष 33 (कृपया सूची ब देखें) † कोषागार कर्मचारियों को अग्रिम स्वीकृत नहीं किया जा सका, क्योंकि उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में या तो औपचारिकतायें पूर्ण नहीं थी अथवा पात्रता सूची के क्रमानुसार प्राप्त धन पर्याप्त नहीं था।

जनपद आगरा में फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र में जिला योजना द्वारा प्रस्तावित हैण्डपम्प लगाये जाने की मांग

60–श्री विजय पाल सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि आगरा जिला योजना की दिनांक 30-6-91 की बैठक में प्रस्तावित हैण्ड पम्प फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र में नहीं लगाये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? यदि लगाये जायेंगे, तो कब तक ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला सुल्तानपुर की ग्राम सभा गुलालपुर तहसील गौरीगंज के कतिपय ग्रामवासियों द्वारा जवाहर रोजगार योजना में की गई अनियमितता की शिकायत तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

61–श्री तेजभान सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि परगना अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी गौरीगंज, पंचायती राज अधिकारी सुलतानपुर, जिला-अधिकारी सुल्तानपुर मुख्य राजस्व अधिकारी सुल्तानपुर को संबोधित श्री लालता प्रसाद मिश्र, उप प्रधान, श्रीमती बड़का देवी, जनदीश प्रसाद, श्री राम-आदि सदस्य ग्राम सभा तथा अन्य निवासी गण ग्राम सभा गुलालपुर तहसील गौरींगंज जिला सुल्तानपुर का रजिस्टर्ड व स्वयं जाकर प्राप्त कराया गया प्रार्थना पत्र दिनांक क्रमशः 6-11-89, 17-11-89, 29-12-89, 6-1-90, 17-1-90, 5-2-90, 2-3-90, व 6-3-90 जिसमें जवाहर रोजगार योजना में की गयी अनियमितता व घपलों की शिकायत की गई हैं, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या मामले की जांच गांव के समस्त लोगों व शिकायतकर्ताओं के समक्ष की गई है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी जांच करके संबंधित दोषीजनों के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

नोट :–† छापी नहीं गयी।

जनपद मुरादाबाद के वाम आर्गेनिक केमिकल्स प्रा० लि० गजरौला का विषैला पानी बगद नदी में मिलने से जल प्रदूषण के कारण हो रही धन जन हानि को रोकने का प्रयास

62–श्री प्रीतम सिंह तथा श्री तुलाराम सैनी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि वाम आर्गेनिक केमिकल्स प्रा० लि० गजरौला जनपद मुरादाबाद का विषैला पानी बगद नदी में जाने से क्षेत्र गंगेश्वरी के लोगों को हो रही, अपार धन-जन की हानि तथा मनुष्यों तथा पशुओं में फैल रहे रोगों का निवारण करने के लिए तथा पानी साफ करने की कोई मशीन उक्त उद्योग प्रतिष्ठान द्वारा लगाने की व्यवस्था सरकार द्वारा की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि की जायेगी, तो कब तक ?

श्री कल्याण सिंह–

बोर्ड द्वारा जल प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग को दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित कर लिया गया है । फिर भी निस्तारित उत्प्रवाह की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है । परिणाम स्वरूप उद्योग की वर्ष 1992 की जल सहमति अस्वीकार करते हुए निर्देश दिए गये हैं कि संयत्र का संचालन इस प्रकार करें कि उत्प्रवाह निर्धारित मानकों के अनुरूप रहे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मुरादबाद में गंगेश्वरी क्षेत्र के ग्राम साथलपुर को अम्बेदकर ग्राम विकास योजना में रखे जाने पर विकास कार्यों में दी जाने वाली सुविधा की जानकारी

63–श्री प्रीतम सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गंगेश्वरी क्षेत्र (मुरादाबाद) में ग्राम-साथलपुर, को अम्बेदकर ग्राम विकास योजना के अंतर्गत चयनित किया गया था ? यदि हां, तो उस ग्राम के विकास कार्यों के लिए कितने धन की व्यवस्था की गयी है ? यदि नहीं, तो कब तक धन दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

64–श्री अवध पाल सिंह–

[8वें मंगलवार में अता० प्र० सं०–89 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

मेसर्स रामचन्द्र, पूरनचन्द्र रेलवे रोड, अलीगढ़ एवं कुछ व्यापारिक प्रतिष्ठानों द्वारा कर निर्धारण पत्रावलियों में की गई अनियमितता के विरुद्ध दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग

65–श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि मेसर्स रामचन्द्र, पूरन चन्द्र, रेलवे रोड, अलीगढ़ एवं कुछ अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों की वर्ष 1983-84 व 1984-85 की प्रान्तीय व केन्द्रीय कर निर्धारण पत्रावलियों में कुछ रूपपत्रों में उल्लिखित आंकड़ों को कटिंग/ओवर राइटिंग करके बदला गया है ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में अपर आयुक्त (प्रशासन) बिक्रीकर, उत्तर प्रदेश द्वारा कोई जांच

की गयी ? क्या जांच रिपोर्ट आयुक्त बिक्रीकर, उत्तर प्रदेश को प्रस्तुत की गयी है ? यदि हां, तो इस मामले में दोषी अधिकरी/कर्मचारी कौन-कौन हैं तथा क्या उनके विरुद्ध बिक्रीकर आयुक्त द्वारा कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस हेराफेरी से सरकार को कितने राजस्व की हानि हुई है ? क्या सरकार इस प्रकरण में दोषियों को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेंन्द्र कुमार गुप्त–

जी हां ।

जी नहीं । प्रारम्भिक जांच सहायक आयुक्त (कर-निर्धारण) बिक्रीकर द्वितीय,अलीगढ़ द्वारा की गयी है ।

जी नहीं । तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के नियुक्ति अधिकारी अपर आयुक्त (प्रशासन) बिक्रीकर होने के कारण जांच-रिपोर्ट आयुक्त बिक्री कर उ० प्र० को प्रस्तुत करना आयवश्यक नहीं है ।

एक तृतीय श्रेणी कर्मचारी को प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये जाने पर उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी परन्तु जांच-अधिकारी द्वारा अन्ततः उसे दोषी नहीं पाया गया है । उक्त वादों में कर-निर्धारक अधिकारी द्वारा कर दाता के हिसाब किताब स्वीकार कर लिये गये हैं अतः राजस्व की हानि के संबंध में कुछ कहना संभव नहीं है ।

उपरोक्त परिस्थित में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को राजाज्ञा के अनुसार पेंशन, ग्रेच्युटी आदि की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की जानकारी

66–श्री बनवारी लाल दोहरे–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को सेवा विस्तारण की अवधि के फलस्वरूप प्रदत्त समस्त लाभ, यथा पेंशन, ग्रेच्युटी एवं राशिकरण आदि की सुविधाएं जैसी कि राजाज्ञा में अंकित हैं, इस आधार पर प्रदान की गई हैं कि उपरोक्त सुविधायें राजकीय शिक्षकों को पूर्व से ही अनुमन्य हैं ? यदि हां, तो राजकीय शिक्षकों को उपरोक्त लाभ दिये जाने के संबंध में राजाज्ञा कब जारी की गई है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार राजकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को भी यह सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

शासनादेश दिनांक 13-2-91 के द्वारा यह स्वीकृत प्रदान की गई कि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के सेवा विस्तरण की अवधि को पेंशन आगणन में वे लाभ दिये जायेंगे जो राज्य कर्मचारियों को अनुमन्य हैं ।

शासनादेश दिनांक 25-11-91 के द्वारा यह स्वीकृत प्रदान की गई कि राजकीय सेवकों की सेवा विस्तारण की अवधि की गणना पेशनरी लाभो के लिये अनुमन्य की जायेगी ।

जनपद इलाहाबाद के बहादुरपुर विकास खण्ड में चमनगंज रिठैया मार्ग को ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा फर्जी निर्माण करके भुगतान की मांग पर की जा रही जांच

67–श्री महेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि इलाहाबाद जनपद के बहादुरपुर विकास खण्ड में विकास खण्ड द्वारा 3 वर्ष पूर्व बनायी गयी चमनगंज रिठैया मार्ग को ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा फर्जी

निर्माण के आधार पर भुगतान का प्रयास किया जा रहा है ? क्या यह भी सही है कि इस मामले की विभागीय जांच चल रही है ? यदि हां, तो जांच का परिणाम क्या है ? क्या फर्जी निर्माण के आधार पर भुगतान को रोकने और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं । कुछ लोगों द्वारा भुगतान प्राप्त करने का प्रयास किया गया था । विभाग द्वारा भुगतान रोक दिया गया है ।

जी हां । जांच चल रही है ।

जांच पूर्ण होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

जिला जौनपुर में विकास खण्ड रामपुर के ग्राम कठवतिया के प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना में की गयी अनियमितता के विरुद्ध शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

68–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम प्रधान कठवतिया विकास खण्ड रामपुर जिला जौनपुर के विरुद्ध जवाहर रोजगार में किये गये भ्रष्टाचार के संबंध में मुख्य मंत्री को दिनांक 27-1-92 को कोई शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उपर्युक्त ग्राम प्रधान के विरुद्ध क्या आरोप है ? इन आरोप की जांच किस अधिकारी ने की है और जांच का निष्कर्ष क्या है ? सरकार ने इस संबंध में उक्त ग्राम प्रधान के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश के विभिन्न विकास खण्डों में कन्या हायर सेकेण्डरी या माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना किये जाने की मांग

69–श्री सुरेश प्रताप गांधी–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कितने ऐसे विकास खण्ड हैं जिनकी सीमा में कोई कन्या हायर सेकेण्डरी या माध्यमिक विद्यालय नहीं है ? क्या सरकार एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर क्रमशः तीन वर्षों में, इस प्रकार के सभी विकास खण्डों के अन्तर्गत एक-एक बालिका राजकीय माध्यमिक विद्यालय की स्थापना कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ?

श्री राजनाथ सिंह–

लगभग 442 विकास खण्ड हैं ।

कार्यक्रम पूर्व से निर्धारित है । अतः पुनः निर्धारित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा श्री जय प्रकाश अनुसचिव शिक्षा अनुभाग-16 को भेजे गये पत्र पर की गई कार्यवाही

70–श्रीमती शारदा देवी–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि पत्रांक सं०-1-2-166/90-91 दिनांक 26-4-91 को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ने श्री जय प्रकाश अनुसचिव उत्तर प्रदेश शासन शिक्षा अनुभाग-16

लखनऊ को कोई पत्र भेजा था ? यदि हां, तो सरकार ने उस पत्र पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गोण्डा में दक्षिणी गोण्डा वन प्रभाग के रेंज सादुल्लानगर में प्रभारी डिप्टीरेंजर के विरुद्ध गबन का आरोप

71–श्री राम प्रताप सिंह–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि दक्षिणी गोण्डा वन प्रभाग के रेंज सादुल्लानगर के चार्ज प्रभारी डिप्टीरेंजर के विरुद्ध गबन का आरोप सिद्ध हो चुका है और उनकी सत्यनिष्ठा भी प्रमाणित नहीं है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसे दोषी डिप्टी रेंजर को चार्ज दिलाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करते हुए डिप्टी रेंजर से चार्ज वापस लेने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

जी हां ।

उक्त डिप्टी रेंजर को रेंज का चार्ज न दिये जाने के आदेश किये जा रहे हैं ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के नैनी डांडा, रिखणी खाल एवं कलजी खाल विकास खण्डों में आदमखोर द्वारा स्त्री, बच्चे के मारे जाने के संबंध में जानकारी

72–श्री भारत सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि विगत तीन माह से पौड़ी गढ़वाल के नैनी डांडा, रिखणी खाल एवं कलजी खाल विकास खण्डों में आदमखोर द्वारा कई स्त्री, पुरुष तथा बच्चे मार दिये गये हैं ? यदि हां, तो उक्त आदमखोर को पकड़वाने हेतु क्या-क्या प्रयास किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मुख्य मंत्री जी आदमखोर द्वारा मारे गये व्यक्तियों के आश्रितों को एक-एक लाख रुपया मुआवजा देने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक इस संबंध में निर्णय ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नगत अवधि में पौड़ी गढ़वाल के नैनीडांडा, रिखणीखाल, एवं कलजीखाल विकास खण्डों में आदमखोर वन्य पशुओं द्वारा स्त्री, पुरूष तथा बच्चों को मारे जाने की किसी घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई है । अतः इस क्षेत्र में आदमखोर के होने या उसे पकड़ने का प्रश्न नहीं उठता है ।

चूंकि प्रश्नगत अवधि में उक्त क्षेत्र में आदमखोर द्वारा किसी व्यक्ति को मारे जाने की कोई घटना संज्ञान में नहीं आई है अतः किसी को मुआवजे के भुगतान का प्रश्न नहीं उठता है ।

बुन्देलखण्ड जिले में निर्वाचन क्षेत्रो की संख्या के आधार पर धन का आवंटन किया जाना

73–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी तथा श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखंड विकास निधि में जो धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में दी गई है उसके जिलेवार वितरण करने का मानक क्या है ? क्या जनसंख्या या क्षेत्रफल के आधार पर बुन्देलखण्ड के प्रत्येक जिले को यह धनराशि आवंटित की जाती है ? यदि हां, तो बुन्देलखण्ड में बांदा जिले की जितनी आबादी या क्षेत्रफल के हिसाब से क्या उसी अनुपात से यह धन दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जिले में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या को आधार मानते हुये धनराशि का आवंटन किया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति के एक माह के अन्दर पेंशन देने के शासनादेश की जानकारी

74–श्री छोटे लाल यादव–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या राज्य कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति के एक माह के अन्दर पेंशन देने का शासनादेश है ? यदि हां, तो क्या निरीक्षक आंग्ल भारतीय विद्यालय, लखनऊ के कार्यालय के दफ्तरी श्री यतीन्द्र नाथ को दि० 31-8-89 जो सेवा निवृत्त हुए हैं क्या उन्हें पेंशन अथवा पेंशन संबंधी समस्त देयों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

75–श्री राम लखन–

[8वें बुधवार में अता० प्र० सं०–121 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उप श्रमायुक्त खाण्डसारी उद्योग उ० प्र० लखनऊ के कार्यालय में हुई कर्मचारियों की समस्या पर बैठक में लिये गये निर्णयों की जानकारी

76–श्री मिही लाल–

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 10 मार्च, 1987 को खांडसारी उद्योग के कर्मचारियों की समस्याओं से संबंधित एक मीटिंग उप श्रमायुक्त उ० प्र० ए० पी० सेन रोड लखनऊ के कार्यालय में हुयी थी ? यदि हां, तो उसमें क्या-क्या निर्णय लिये गये तथा उनके कार्यान्वयन के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां। इस मीटिंग में खांडसारी उद्योग से संबंधित त्रिपक्षीय बैठक का सुझाव आया था। संबंधित उद्योग की समस्याओं पर विचार हेतु एक बैठक 27 मई, 1992 को बुलाई गई है।

जनपद मैनपुरी में श्री अमर शहीद इण्टर कालेज बेबर मैनपुरी में श्री जयपाल सिंह प्रबन्धक द्वारा वर्ष 1991-92 में विद्यालय की दुकानों से प्राप्त धनराशि में घपले का मामला

77–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त श्री अमर शहीद इण्टर कालेज बेबर मैनपुरी में वर्ष 1991-92 में विद्यालय की दुकानों के किराये से कितना धन प्राप्त हुआ ? क्या यह सच है कि उक्त विद्यालय के प्रबन्धक श्री जयपाल सिंह ने जुलाई, 1991 से लेकर फरवरी, 1992 तक पूँरी धनराशि वसूल कर हड़प ली है ? क्या उक्त प्राप्त धनराशि बैंक में विद्यालय के खाते में जमा है ? यदि हां, तो कब और कितनी धनराशि जमा की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त विषय में जिला प्रशासन ने श्री जयपाल सिंह के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद हरिद्वार में वन क्षेत्र के निकटवर्ती गांवों में वन्य पशुओं द्वारा कृषि फसल को पहुंचाई जाने वाली क्षति

78–आचार्य जगदीश मुनि–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरिद्वार के पहाड़ी क्षेत्रों में बसे गांवों हेतमपुर आनेकी औरंगाबाद, भोगपुर, रामपुर, रायपुरघाटी, श्यामपुर इत्यादि के कृषकों की फसलों का कुछ भाग वन्य जन्तुओं द्वारा प्रतिवर्ष नष्ट कर दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी रोकथाम हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां, हरिद्वार जनपद वन क्षेत्र के निकटवर्ती गांवों में वन्य पशुओं द्वारा कृषि फसलों को क्षति पहुंचायी जाती है ।

समस्या से निपटने हेतु इकोडेवलपमेंट योजना लागू करने पर भारत सरकार से विचार विमर्श चल रहा है । वित्तीय सहायता प्राप्त होने पर कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में तार-बाड़ लगाया जाना सम्भव हो सकेगा ।

जनपद मिर्जापुर के ग्राम अमोई विकास खण्ड मड़िहान में दस लाख कूप योजनान्तर्गत बनाये गये कूप का घपला

79–श्री भागवत पाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम अमोई वि० खं० मड़िहान जनपद मिर्जापुर में दस लाख कूप योजनान्तर्गत किसी कूप का निर्माण नहीं हुआ है ? क्या यह सही है कि जिला कृषि अधिकारी द्वारा इस मामले की जांच की गयी है ? यदि हां, तो निर्मित कूप का व्यास क्या है और निर्धारित मानक क्या है ? क्या यह भी सही है कि लगभग 50 साल पूर्व में बने कूप के नाम पर धन निकाला गया है ? क्या यह भी बतायेंगे कि अपर जिलाधिकारी द्वारा दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का आदेश दिया गया है ? यदि हां, तो अभी तक आदेश को रोके रखने का कारण क्या है ? क्या दोषी अधिकारी को दण्डित करेंगे ? क्या कूप के नाम पर धन हड़पने के जुर्म में गबन की कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक और क्या ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालयों को सम्भागीय परिवहन कार्यालय में परिवर्तित करने की शासन की योजना

80–श्री सुरेश प्रताप गांधी–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे की प्रदेश के महत्वपूर्ण जनपदों में स्थित उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालयों को सम्भागीय परिवहन कार्यालय में परिवर्तित करने की शासन की कोई योजना है ? अलीगढ़ व गाजियाबाद के उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालयों को कब तक सम्भागीय परिवहन कार्यालय का स्तर प्रदान कर दिया जायेगा ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

सामान्यतः ऐसी योजना नहीं है ।

शासनादेश संख्या–2839/30-3-92-30एलवी/90, दिनांक 27फ़रवरी, 1992 द्वारा उप संभागीय परिवहन कार्यालय गाजियाबाद व अलीगढ़ का उच्चीकरण करके उन्हें संभागीय कार्यालय का स्तर प्रदान कर दिया गया है ।

दक्षिणी गोण्डा के वन प्रभाग के रेंज सादुल्लानगर के बीच ऐलनपुर भरतपुर लैकिया में साखू व सागौन के वृक्षों को अवैध रूप से कटवाने के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

81–श्री राम प्रताप सिंह–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि माह जनवरी 92 से माह फरवरी 92 तक दक्षिणी गोण्डा वन प्रभाग के रेंज सादुल्लानगर के बीच ऐलनपुर भरतपुर लैकिया में कुल कितने रुपये की साखू व सागौन का अवैध कटान हुआ ? क्या सरकार तीनों वीटों की कम्बिंग बाहरी एजेन्सी के द्वारा कराकर दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

लखनऊ नगर में चलने वाली रोडवेज नगर बसों की कमी किये जाने की जानकारी

82–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में चलने वाली रोडवेज की नगर बसों की संख्या में कमी की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? लखनऊ में कितने मार्गों पर रोडवेज की बसें हटायी गयी है ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

जी हां ।

ग्रामीण अंचलों की बढ़ती हुई यातायातं की मांग को देखते हुए नगरीय बस डिपो लखनऊ से कुछ बसों को ग्रामीण डिपो में इस प्रत्याशा में स्थानान्तरित किया गया था कि बाद में नगरीय बस बेड़े में हुई कमी की पूर्ति कर दी जायेगी परन्तु संसाधनों की कमी के कारण ऐसा कर पाना सम्भव नहीं हो सका ।

पूर्व में संचालित 7 नगरीय मार्गों पर वर्तमान में नगरीय सेवायें संचालित नहीं हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है :–

मार्ग सं० (1) अमीनाबाद–विकासनगर

मार्ग सं० (2) अमीनाबाद–पेपर मिल कालोनी

मार्ग सं० (3) दारुलशफा–टिकैतराय–राजकीय कालोनी

मार्ग सं० (9) चारबाग–अलीगंज–कालोनी सेक्टर-क्यू

मार्ग सं० (13) चारबाग–इन्दिरानगर

मार्ग सं० (24) अमीनाबाद–चौपटिया

मार्ग सं० (44) चारबाग–स्पोर्ट्स कालेज

जवाहर लाल नेहरू कृषक विद्यालय गौसपुर, बस्ती तथा आदर्श जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हलुआ बाजार में हुए क्षतिपूर्ति में घपला

83–श्री कृष्ण किंकर सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जवाहर लाल नेहरू कृषक विद्यालय, गौसपुर, बस्ती तथा आदर्श जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हलुआ बाजार में क्षतिपूर्ति के घपले के संबंध में घान्हा-सोनहा तथा घान्हा-कलवारो जनपद बस्ती में दिनांक 19-2-90 को उप निदेशक, समाज कल्याण द्वारा प्रथम

सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी ? यदि हां, तो क्या उसमें अभियुक्तों के विषय में कार्यवाही कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बस्ती के आदर्श जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हलुआ बाजार बस्ती में फर्जी प्रबन्धक द्वारा किये गये घपले की जांच की मांग

84– श्री कृष्ण किंकर सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि आदर्श जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हलुआ बाजार, बस्ती में तथा कथित प्रबन्धक ने बेसिक शिक्षाधिकारी से बगैर हस्ताक्षर प्रमाणित कराये वर्ष 1984 से फर्जी तरीके से स्कूल का प्रबन्धक बनकर स्कूल के प्राचार्य को विश्वास में लेकर हलुआ बाजार के खाता सं० 651, 652, 653 आदि से ऐसे बच्चों के नाम से खाता खोल कर पैसा निकाल लिया है, जिनका जन्म ही नहीं हुआ है ? क्या प्रश्नकर्ता द्वारा बेसिक शिक्षा सचिव को दो पत्र वर्ष 84 में उपरोक्त सन्दर्भ में दिये गये हैं ? क्या इस संदर्भ में कोई जांच कराकर दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही की प्रक्रिया चल रही है ? यदि हां, तो जांच कब तक पूरी होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ।

श्री राजनाथ सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सरदार पटेल इण्टर कालेज, रूम खेरहर खुर्द, इलाहाबाद के सहायक अध्यापक श्री सुरेना नाथ गुप्त को राजाज्ञा के अनुसार एल०टी० ग्रेड दिये जाने की मांग

85–श्री राम सेवक सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री सरदार पटेल इण्टर कालेज, रूम, खेरहट खुर्द, इलाहाबाद के सहायक अध्यापक श्री सुरेना नाथ गुप्त (सी०टी०) प्रशिक्षित स्नातक जिनकी नियुक्ति दिनांक 26-9-74 से है द्वारा राजाज्ञा के अनुसार 10 वर्ष की सेवा के उपरान्त एल०टी० ग्रेड दिये जाने के संबंध में जो प्रार्थना पत्र, जिला विद्यालय निरीक्षक इलाहाबाद को क्रमशः दिनांक 20-6-90, 25-7-90, 18-8-90, 20-9-90, 27-12-90, 4-2-91 को दिये गये थे, उनमें सम्बन्धित अधिकारी द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या कृत कार्यवाही से उक्त अध्यापक को भी अवगत कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद इलाहाबाद में स्थित श्री सरदार पटेल इण्टर कालेज, रूम, खेरहट खुर्द के प्रबन्धक से 16 डी (2) की कार्यवाही के निराकरण हेतु कार्यवाही की मांग

86–श्री राम सेवक सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री सरदार पटेल इण्टर कालेज, रूम, खेरहट खुर्द, इलाहाबाद के प्रबन्धक से अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) श्री विनय कुमार पाण्डेय ने पत्रांक सा० (11) 1-211/1-110-91 दिनांक 22-10-90 को 16 डी (2) की कार्यवाही के निराकरण हेतु कोई नोटिस दी

थी ? यदि हां, तो उसके निराकरण हेतु कोई कार्यवाही की गयी ? क्या की गयी कार्यवाही को सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में मदिरा विक्रय की नीति

87–श्री रमेश पोखरियाल

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि पर्वतीय क्षेत्रों में एक ओर जहां शासन ने मद्यनिषेध नीति अपनायी हुई है वहीं दूसरी ओर भारी जनान्दोलन के बाद भी पर्वतीय क्षेत्र के दूरदराज क्षेत्र तक शासन द्वारा मदिरा की दुकानों में दिनोदिन वृद्धि की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? उत्तरांचल क्षेत्र में शराब विक्रय के विषय में शासन की क्या नयी नीति प्रस्तावित है ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के जनपद पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी , पौड़ी गढ़वाल एवं टिहरी गढ़वाल तथा नैनीताल जनपद के पर्वतीय भाग के ग्रामीण क्षेत्र में परमिटधारियों को विदेशी मदिरा की सुविधा के साथ आंशिक मद्यनिषेध लागू है । यह सही नहीं है कि उपरोक्त जनपदों में शासन दिनोदिन विदेशी मदिरा की दुकानों की संख्या में वृद्धि कर रहा है । वर्ष 91-92 तक जनपद पिथौरागढ़ में 2, जनपद अल्मोड़ा में 10, जनपद चमोली में 6, जनपद उत्तरकाशी में 5, जनपद पौड़ी गढ़वाल में 14 तथा जनपद टिहरी गढ़वाल में 5 विदेशी मदिरा की दुकानें परमिटधारियों को विदेशी मदिरा की फुटकर विक्री हेतु खोली गयी थी । परन्तु वर्तमान वित्तीय वर्ष 92-93 में उपरोक्त जनपदों में कोई भी नयी विदेशी मदिरा की दुकान सृजित नहीं की गयी है, केवल जनपद पिथौरागढ़ के डीडीहाट नामक स्थान में पूर्व वर्ष 91-92 में सृजित विदेशी मदिरा की दुकान जो वर्ष 91-92 में मा० उच्च न्यायालय के स्थगनादेश के कारण नहीं खोली जा सकी, को वर्ष 92-93 में खोला गया है । जहां तक मदिरा विक्रय के विरोध में भारी जनान्दोलन होने का प्रश्न है, इस संबंध में परस्पर विरोधाभासी मत शासन को प्राप्त होते रहे हैं । किसी बड़े जन आन्दोलन की सूचना शासन को प्राप्त नहीं है ।

पर्वतीय क्षेत्रों की विषम भौगोलिक जलवायु में वास्तविक आवश्यकता की पूर्ति हेतु तथा अवैध व जहरीली शराब एवं हानिकारक मादक पेयों से जन स्वास्थ्य की रक्षा हेतु व्यसनियों को स्वच्छ व मानक मदिरा प्रभावी नियंत्रण व पर्यवेक्षण के अधीन उपलब्ध कराये जाने के लिये ही वहां पर परमिटधारियों को विदेशी मदिरा की सुविधा के लिये विदेशी मदिरा की दुकानों सीमित संख्या में खोली गई हैं । उत्तरांचल क्षेत्र में शराब विक्रय की उपरोक्त विद्यमान नीति के अलावा कोई नयी नीति फिलहाल शासन के विचाराधीन नहीं है ।

जनपद गढ़वाल की तहसील कोटद्वार के खाम बंगले से जब्त लकड़ी की जांच का परीक्षण

88–श्री रमेश पोखरियाल–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत दिनों कोटद्वार तहसील (जिला गढ़वाल) के खाम बंगले में 287 नग देवदार एवं चीड़ की लकड़ी स्थानीय जनता एवं पत्रकारों द्वारा वन विभाग से अवैध

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । 283 नग देवदार की लकड़ी खाम बंगले से जब्त की गयी थी ।

मामले के संबंध में जांच रिपोर्ट शासन को भेजी गयी है जिसका परीक्षण किया जा रहा है ।

जनपद बांदा के अन्तर्गत संकट मोचन इण्टर कालेज बछरन में विज्ञान के अध्यापकों के पदों का सृजन

89–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा अन्तर्गत संकट मोचन इन्टर कालेज, बछरन को हाईस्कूल में विज्ञान विषय में वर्ष 1976 में मान्यता परिषद् से दी जा चुकी है ? यदि हां, तो क्या विज्ञान अध्यापक के पदों का सृजन अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि विद्यालय के प्रबन्ध तंत्र द्वारा पदों के सृजन के संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक बांदा को लगातार लिखा गया है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या विज्ञान के अध्यापकों के पदों का सृजन अब किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अपर जिलाधिकारी (परियोजना) को प्रश्नकर्ता द्वारा दिये गये शिकायती पत्र पर कार्यवाही

90–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा अपर जिलाधिकारी (परियोजना) को पत्रांक ग 503427 दिनांक 16-12-91 के विषय में पत्रांक संख्या-1925/जे० आर० वाई० शिकायत 91-92 दिनांक 26-9-91 एवं पत्र संख्या 2061/जे० आर० वाई०/शिकायत/91-92 दिनांक 20-10-91 अपर जिलाधिकारी (परयोजना) को इस संदर्भ में अवलोकनार्थ प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या दोषी अधिकारी को जांच आख्या न देने पर दण्डित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जांच के आदेश दिये जा चुके हैं एवं जांच की कार्यवाही प्रगति में है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

जांच की कार्यवाही प्रगति पर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मत्स्य पालन योजना के अन्तर्गत व्यय की गयी धनराशि के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर जांच के आदेश

91–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या पशुधन मंत्री कृपया बतायेंगे कि मत्स्य पालन योजना के अन्तर्गत तालाबों की जल निकासी/तालाबों के सुधार आदि कार्यों पर करोड़ों रुपये के धन के अपव्यय की जानकारी सरकार को

है ? क्या यह भी कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के इसी संदर्भ में निदेशक, मत्स्य पालन को माह फरवरी, 92 के अंतिम सप्ताह में प्रेषित पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुधन, दुग्ध विकास तथा मत्स्य राज्यमंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह)–

करोड़ों रुपये के अपव्यय की जानकारी विभाग को नहीं है, तथापि 19-2-92 के दैनिक प्रतिदिन के अंक में लाखों के घपले का समाचार छपा था ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित का पत्र दिनांक 27-2-92 मार्च, 1992 के प्रथम सप्ताह में प्राप्त हुआ था। पत्र पर जांच करने के लिये उप निदेशक मत्स्य, लखनऊ को निर्देश दिये गये हैं ।

जनपद गाजियाबाद के हापुड़ क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक के विरुद्ध की गयी शिकायत की जांच

92–श्री लालजी वर्मा–

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री बुनियाद हुसैन अंसारी, विधायक का पत्र संख्या 589/87/लो० द० दिनांक 25-10-87, जो कि हापुड़ क्षेत्र (गाजियाबाद) के आबकारी निरीक्षक के भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायती पत्र था, पर शासन ने जांच का आदेश दिया है ? यदि हां, तो क्या उस पर आज तक कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी का प्रश्नगत पत्र दिनांक 25-10-87 प्राप्त हुआ था । उक्त शिकायतों की जांच करायी गयी । उसमें उल्लिखित शिकायतों में एक शिकायत हापुड़ (गाजियाबाद) के तत्कालीन आबकारी निरीक्षक द्वारा नकली शराब बिकवाने एवं उसके सेवन से कुछ व्यक्तियों की मृत्यु होने से संबंधित थी । यद्यपि जिस रूप में उक्त शिकायत की गयी थी, वह तो सिद्ध नहीं हुई परन्तु यह प्रकट हुआ कि संबंधित आबकारी निरीक्षक का आबकारी अपराधियों पर नियंत्रण शिथिल रहा, जिसके लिये उन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी । अन्य शिकायतें सही नहीं पाई गयीं । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

93–श्री लाल जी वर्मा–

[8वें मंगलवार में अता० प्र० सं० 87 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

94–श्री रमेश पोखरियाल–

[9 वें सोमवार के लिये स्थगित]

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में मुख्य प्रधान प्रबन्धक संचालन तथा टेक्निकल के पदों को प्रतिनियुक्त से भरे जाने का प्राविधान

95–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में मुख्य प्रधान प्रबन्धक (संचालन) तथा मुख्य प्रधान प्रबन्धक (टेक्निकल) अलग-अलग पदों का सृजन किया गया है ? क्या इन पदों पर विभागीय अधिकारियों को ही पदोन्नति करने का निर्णय निगम ने लिया है ? यदि हां, तो इन पदों पर विभागीय अधिकारियों की पदोन्नति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

जी हां ।

जी नहीं । इन पदों में से मुख्य प्रधान प्रबन्धक (संचालन) के पद को प्रतिनियुक्ति से तथा मुख्य प्रधान प्रबन्धक (टेक्निकल) के पद को सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति से भरे जाने का प्राविधान किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के कानपुर रोड स्थित एल० डी० ए० कालोनी हेतु नियमित बसें चलाने का प्रयास

96–श्री सुरेन्द्र सिंह–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एल० डी० ए० कालोनी, कानपुर रोड योजना के लिये 6 नम्बर की दो 52 नम्बर तथा 70 नम्बर की कुल चार बसें चला रखीं हैं, किन्तु एक भी बस कालोनी में नहीं चल रही है ? क्या उन सभी बसों को प्रतिदिन नियमित चलाने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

एल० डी० ए० कालोनी से मार्ग 6 व मार्ग संख्या-52 पर एक-एक बस से आठ-आठ ट्रिप्स अप एवं डाउन में संचालन हेतु निर्धारित है । इसके अतिरिक्त मार्ग संख्या-70 पर एक ट्रिप प्रातः कार्यालय जाने वाले यात्रियों की सुविधा हेतु संचालित की जाती है ।

बसों का संचालन नियमित रखने हेतु हर संभव प्रयास किये जाते हैं, किन्तु बसों में आकस्मिक तकनीकी खराबियों एवं प्रायः पुलिस विभाग/जिला प्रशासन की मांग पर बसें दिये जाने से नगरीय मार्गों पर निर्धारित संचालन के विपरीत ट्रिप्स में कमी हो जाती है ।

जनपद सुल्तानपुर तहसील-सदर के ग्राम-सौरमऊ के भूखण्ड संख्या-6 के क्रेता से वसूली की कार्यवाही

97–श्री महेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि सुल्तानपुर जनपद में सदर तहसील के ग्राम सौरमऊ के भूखण्ड संख्या 6 क्षेत्रफल 1 बीघा 10 बिस्वा 17 धुर का बैनामा 31 जनवरी, 1992 को जिला निबन्धक (अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व० के कार्यालय में मात्र 40 हजार रुपये में कराकर लाखों रुपये का सरकारी राजस्व की चोरी की गयी है जबकि आस-पास की भूमि का बाजार मूल्य 30 हजार रुपये विस्वा है ? क्या मंत्री जी पूरे प्रकरण की जांच कराकर सरकार को हुई क्षति से बचायेंगे और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जी हां ।

निरीक्षण में पाया गया कि द्विवार्षिक मूल्यांकन के अनुसार भूखण्ड का मूल्य 10,49,650 रुपये होता है । तद्नुसार क्रेतागण पर 125 रुपये प्रति हजार की दर से 1,24,865 रुपये कमी स्टाम्प तथा 75,000 रुपये अर्थदण्ड आरोपित किया गया है, जिसकी वसूली की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर में काकोरी शहीद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मीरानपुर कटरा में कार्यरत सहायक अध्यापक श्री लोचन लाल वर्मा की ज्येष्ठता सूची के सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

98–श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री लोचन लाल वर्मा, सहायक अध्यापक, काकोरी शहीद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मीरानपुर कटरा (शाहजहांपुर) की रिट याचिका 10415/91 उच्च न्यायालय

के प्रति उत्तर में जिला विद्यालय निरीक्षक, शाहजहांपुर ने श्री लोचन लाल वर्मा को सीनियारिटी में दूसरे स्थान पर माना है ? यदि हां, तो उच्च न्यायालय में दिये गये प्रति उत्तर (शपथ पत्र) के विपरीत पत्रांक ई० 2/91-92 दिनांक 22 फरवरी, 1992 में श्री राम बहादुर शर्मा को दूसरे स्थान की सीनियारिटी लिस्ट में दर्ज किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं ? यदि हां, तो इन परस्पर विरोधी आदेशों के लिये जिला विद्यालय निरीक्षक के विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही रहा है ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद लखनऊ के विधान सभा मार्ग स्थित सेवेन्थ डे एडवेन्टिस्ट स्कूल में कार्यरत प्रधानाचार्य तथा उनकी पत्नी को अकारण सेवामुक्ति

99–श्री इन्द्रपाल सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि सेवेन्थ डे एडवेन्टिस्ट हाई स्कूल विधान सभा मार्ग, लखनऊ में कार्यरत प्रधानाचार्य हेरल्ड जेम्स तथा उनकी पत्नी को, जो 20 वर्षों से अधिक समय से वहां कार्यरत थे, को अकारण वर्ष 1987-88 में सेवा मुक्त किये जाने से उक्त संस्था में रोषपूर्ण वातावरण व्याप्त है जिससे लखनऊ नगर के नागरिकों के उक्त स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के शिक्षण पर कुप्रभाव पड़ रहा है ? क्या सरकार इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

श्री राजनाथ सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद सीतापुर स्थित ग्रामीण आवास परिषद् के भू० पू० आवास विकास अधिकारी स्व० श्री राम पाल सिंह के समस्त देयों का भुगतान

100–श्री राम लखन–

क्या पशुपालन मंत्री बतायेंगे कि स्व० श्री राम पाल सिंह, भू० पू० आवास विकास अधिकारी, ग्रामीण आवास परिषद्, सीतापुर जिनका मूल विभाग पशुपालन था की मृत्यु 26-5-89 को हो जाने के पश्चात् उनकी पेंशन, ग्रेच्युटी, जी० पी० एफ० आदि समस्त देय धनराशि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? विलम्ब के लिये कौन उत्तरदायी है ? कब तक समस्त देयों का भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री चन्द्र शेखर सिंह (पशुधन, दुग्ध विकास तथा मत्स्य राज्य मंत्री)–

स्व० श्री राम पाल सिंह की पारिवारिक पेंशन तथा ग्रेच्युटी के भुगतान आदेश दिनांक 2-5-92 को जारी किये जा चुके हैं । जी० पी० एफ० के भुगतान हेतु प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, तथापि इसके लिये संबंधित अधिकारी को निर्देश दे दिये गये हैं । इन देयों के भुगतान में औपचारिकतायें पूर्ण कराने के कारण विलम्ब हुआ है जिसके लिये कोई उत्तरदायी नहीं है ।

जनपद लखनऊ के अन्तर्गत बिक्री कर संग्रह में कार्यरत अमीन एवं चपरासियों के स्थायीकरण का मामला

101–श्री बिन्दु लाल तथा श्री श्रीराम सिंह (जालौन)–

क्या वित्त मंत्री को यह जानकारी है कि बिक्रीकर संग्रह (लखनऊ) में कार्यरत अमीन एवं चपरासी जो 18 साल से कार्यरत हैं उन्हें आज तक स्थायी नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जी हां ।

स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण इन अमीनों एवं चपरासियों को अभी स्थायी नहीं किया जा सका है ।

अध्यक्ष दि० जैन हाई स्कूल एसोसियेशन बड़ौत जनपद मेरठ द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक तथा संस्था के प्राधिकृत नियंत्रक के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

102–श्री महेन्द्र जैन–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि अध्यक्ष, दि० जैन हाई स्कूल एसोसियेशन बड़ौत, मेरठ द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक, मेरठ तथा संस्था के प्राधिकृत नियंत्रक के विरुद्ध शिकायती पत्र दिनांक 1-10-1991, 31-10-90, 10-1-1991, 15-5-91, 17-8-91, 23-8-91, 21-10-91, 15-11-91, 30-12-91 तथा 28-2-92 विभाग तथा शासन को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो इसमें मुख्य शिकायतें क्या हैं तथा इस पर शासन ने किस अधिकारी से जांच करायी ? जांच आख्या क्या है ? शिकायतें सही पाये जाने पर शासन ने दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस मामले के लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

सूचना एकत्र की ज़ा रही है ।

प्रबन्धक दि० जैन इण्टर कालेज बड़ौत जनपद मेरठ में प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति के पश्चात् हुई अनियमितताओं की जांच

103-श्री महेन्द्र जैन–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रबन्धक दि० जैन इण्टर कालेज, बड़ौत, मेरठ का प्रबन्ध समिति के गठन संबंधी पत्र दिनांक 6-6-91 व दिनांक 4-11-91 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में संस्था में प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति के पश्चात् हुई अनियमितंताओं का विवरण क्या है ? क्या उपरोक्त अनियमितताओं की जांच की गयी ? यदि हां, तो जांच आख्या क्या है ? दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस मामले में कार्यवाही करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ? क्या सरकार इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

104–श्री अखिलेश–

[8वें मंगलवार में अता० प्र० सं० 86 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मैनपुरी के वन विभाग में जून, 1991 के बाद की गई नियुक्तियों की जांच की मांग

105–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगे कि वन विभाग, मैनपुरी में वर्ष 91-92 में कितने कर्मचारी मस्टर रोल पर रहे और कितना रुपया उनके वेतन से भुगतान किया गया ? क्या यह सच है कि इस

दौरान पुराने कर्मचारियों के स्थान पर नये कर्मचारियों की भी नियुक्तियां की गयीं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सच है कि मैनपुरी में बाहर के जनपदों से तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्तियां जून, 91 के बाद की गयी ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इस घपले की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

विरियागंज तिलहर जनपद शाहजहांपुर निवासी श्री अशोक कुमार शर्मा द्वारा बैनामों में कम स्टाम्प लगाये जाने की शिकायत

106–श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

क्या वित्त मंत्री को श्री अशोक कुमार शर्मा निवासी विरियागंज तिलहर (शाहजहांपुर) द्वारा दिनांक 29-1-92 के आस-पास रजिस्टर्ड पत्र द्वारा बैनामों में कम स्टाम्प लगाए जाने संबंधी प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो राजस्व हित की इस शिकायत पर अभी तक क्या कार्यवाही हुई है ? क्या जांच कर्ता ने शिकायत कर्ता से सम्पर्क किया ? यदि हां, तो कब और कहां ? शासन इस शिकायत पर कब तक और क्या कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जी हां ।

संबंधित परगनाधिकारी से जांच करायी गई । जांच के पश्चात् मामला न्यायालय में विचाराधीन है ।

जांच कर्ता परगनाधिकारी द्वारा दिनांक 2-5-92 तथा 3-5-92 को शिकायतकर्ता को, उनके कार्यालय में उपस्थित होने के लिये सूचित किया गया, परन्तु वह उपस्थित नहीं हुये ।

प्रश्नगत प्रकरण इस समय न्यायालय में विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० परिवहन निगम की बसों में परिचालकों द्वारा यात्रियों को टिकट उपलब्ध कराने की सुविधा

107–श्री सुरेश संगल–

क्या परिवहन मंत्री को ज्ञात है कि पहले प्रदेश की रोडवेज बसों में परिचालकों यात्रियों के पास जाकर टिकट बांटते थे मगर पिछले कुछ वर्षो से कंडक्टर अपनी सीट पर बैठे रहते हैं एवं यात्रियों को उसके पास जाकर टिकट लेना पड़ता है ? इससे यात्रियों को (विशेषतः बूढ़ों, बीमार यात्रियों व महिलाओं को) बहुत असुविधा होती है ? बस में स्टैडिंग यात्री मौजूद रहने पर यह दिक्कत और भी बढ़ जाती है ? क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के लाखों यात्रियों को असुविधा पहुंचने वाली इस योजना को चलाने के पीछे क्या उद्देश्य था और क्या सरकार यह व्यवस्था समाप्त करने की घोषणा करेगी ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

उ० प्र० परिवहन निगम में लागू "पे एण्ड बोर्ड" नियम एवं एम० वी० ऐक्ट 1988 की धारा-124 के प्राविधान के अनुसार बस में चढ़ने से पूर्व टिकट प्राप्त करना यात्री का दायित्व है फिर भी परिस्थिति

के अनुसार यात्रियों को सुविधा हेतु परिचालक द्वारा यात्रियों के पास जाकर भी टिकट वितरित किये जाते हैं।

फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ में आबकारी राजस्व के गबन में सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के विरुद्ध कृत कार्यवाही

108–श्री बी० आर० वर्मा तथा श्री सुखदेव–

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में आबकारी विभाग के निरीक्षक द्वारा इसी वित्तीय वर्ष में कोई गबन का मामला पकड़ा गया है ? यदि हां, तो उस गबन की धनराशि कितनी है ? क्या इसकी वसूली की गयी ? यदि नहीं, तो दोषी अधिकारी को दण्डित करके इसकी वसूली की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

वित्तीय वर्ष 1991-92 में जनपद आजमगढ़ में आबकारी राजस्व के गबन का मामला प्रकाश में आया। गबन की धनराशि रु० 33,88,000 (रु० तैंतीस लाख अट्ठासी हजार केवल) थी, जिसकी शत-प्रतिशत वसूली की जा चुकी है। संबंधित सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी, आजमगढ़ के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है, जिसमें यदि वह दोषी पाये जाते हैं तो उन्हें यथोचित दंड दिया जायेगा।

जनपद उन्नाव के अंतर्गत बांगरमऊ में राजकीय डिग्री कालेज के भवन निर्माण हेतु धन की स्वीकृति

109–श्री गोपी नाथ दीक्षित–

क्या शिक्षा मंत्री को यह जानकारी है कि राजकीय डिग्री कालेज, बांगरमऊ, उन्नाव से तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी द्वारा विज्ञान कक्षायें खोलने हेतु 25 लाख रुपये की स्वीकृति की घोषणा की गयी थी ? क्या यह भी सही है कि उक्त घोषणा हुए तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी धन के अभाव में विज्ञान कक्षायें प्रारम्भ नहीं की जा सकी हैं ? यदि हां, तो उक्त महाविद्यालय में कब तक विज्ञान की कक्षायें प्रारम्भ कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां।

जी नहीं।

राजाज्ञा संख्या–3918/15-11-90-4ए (26)/90 दिनांक 10 अगस्त, 1990 द्वारा विज्ञान भवन के निर्माण हेतु रु० 1,03,04,000 की स्वीकृति दी जा चुकी है और भवन निर्माणाधीन है।

भवन निर्मित हो जाने एवं आवर्तक/अनावर्तक धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

जनपद उन्नाव में चन्द्रिका प्रसाद इण्टर कालेज में नये प्रशासक के चुनाव की मांग

110–श्री गोपी नाथ दीक्षित–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि उन्नाव जनपद में चन्द्रिका प्रसाद इण्टर कालेज कमेटी में विगत 12 वर्षों से प्रशासक तैनात हैं ? क्या यह सही है कि किसी भी संस्था में तीन वर्ष की अवधि से अधिक प्रशासक तैनात किये जाने का प्राविधान नहीं है ? यदि हां, तो उक्त संस्था में इतनी लंबी अवधि तक प्रशासक की नियुक्ति क्यों है ? क्या मंत्री जी प्रशासक हटाकर वहां चुनाव के आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मत्स्य निदेशालय के मेन गेट पर स्व० चौ० चरण सिंह के नाम का पत्थर न दिखाई पड़ने के सम्बन्ध में

111–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद तथा श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या पशुधन एवं मत्स्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मत्स्य निदेशालय पर स्व० चौ० चरण सिंह का पत्थर मेन गेट पर लगाया गया था ? क्या यह सही है कि उक्त पत्थर को अब दीवाल में बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो उसे पुनः खुलवाने एवं इसे बन्द करने हेतु दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह–

जी हां ।

पत्थर अभी भी यथावत लगा हुआ है परन्तु एक्वेरियम लगाए जाने के कारण दिखलायी नहीं देता है ।

चूंकि पत्थर अभी भी सुरक्षित है, अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है ।

उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के पुनरीक्षित वेतनमान का विचाराधीन प्रकरण

112–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का वेतनमान पुनरीक्षित कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब और कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सच है कि उक्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के पुनरीक्षित वेतनमान का प्रस्ताव वर्ष 1991 में मुख्य वित्त सचिव के यहां भेजा गया था ? यदि हां, तो उसमें अभी तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रकरण विचाराधीन है ।

जी हां ।

प्रकरण विचाराधीन है ।

जनपद कानपुर देहात के ग्राम सभा सट्टी में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत की गई अनियमितताओं की जांच

113–श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

दसवीं विधान सभा के प्रथम सत्र 91 के दूसरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 96 के उत्तर के संदर्भ में क्या ग्राम विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गांव सभा सट्टी, कानपुर देहात की प्रश्नगत जवाहर रोजगार योजना वर्ष 1989-90 में 21,296 रुपये का गबन पाया गया ? परगना अधिकारी, भोगनीपुर ने प्रधान को 10-4-91 को निलम्बित कर दिया जिसकी रिपोर्ट थाना सट्टी में अप० सं० 23 धारा 409 आई० पी० सी० दिनांक 16-4-91 दर्ज करायी गयी ? यदि हां, तो प्रधान के विरुद्ध धारा 409 आई० पी० सी० में क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? प्रधान ने निलम्बन के बाद दिनांक 11-4-91 को 5000 रुपया व 15-4-91 को 5000 रुपया बैंक पास बुक गांव सभा से निकाल लिया जिसकी शिकायत जिला अधिकारी से दिनांक 7-9-91 को सदस्यों द्वारा प्रार्थना पत्र देकर की गयी ? इस संबंध में दोषी प्रधान आदि के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या ग्राम विकास एवं पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर देहात की गांव सभा सट्टी के प्रधान को वर्ष 1990-91 में जवाहर रोजगार योजना में 88.770 रुपया आवंटित हुआ, उपरोक्त धन में प्रधान द्वारा दुरुपयोग व गबन करने की शिकायत पंचायत के उप प्रधान व 11 सदस्यों ने जिलाधिकारी, कानपुर देहात, मुख्य विकास अधिकारी व निदेशक, पंचायत राज, उ० प्र० को क्रमशः दिनांक 7-9-91, 17-9-91 व 23-9-91 को की थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

114–श्री सुन्दर लाल तथा श्री श्यामदेव राय चौधरी–

[7वें शुक्रवार में अता० प्र० सं० 192 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

115–श्री राम कुमार शुक्ल–

[8वें मंगलवार के अता० प्र० सं० 85 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

116–श्री भगवन्त प्रसाद तथा श्री यदुनाथ सिंह–

[दि० 20-4-92 को अता० प्र० सं० 41 द्वारा उत्तरित]

आदर्श इण्टर कालेज जनपद शाहजहांपुर के प्राइमरी विभाग में कार्यरत चार अध्यापक तथा जनपद इटावा के भगवान दास इंटर कालेज के प्राइमरी अध्यापक श्री राकेश कुमार राजपूत के वेतन के भुगतान की मांग

117–श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आदर्श इण्टर कालेज शाहजहांपुर के प्राइमरी विभाग में कार्यरत चार अध्यापकों तथा भगवान दास इण्टर कालेज, इटावा के प्राइमरी अध्यापक राकेश कुमार राजपूत के वेतन भुगतान रोक कर उन्हें उत्पीड़ित किया जा रहा है जबकि उसके लिये आल इंडिया प्राइमरी एजूकेशन वेलफेयर सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री के० के० शर्मा द्वारा शासन तथा सरकार को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त वेतन भुगतान आदेश की प्रति संलग्न करते हुए वेतन भुगतान

कराकर उन्हें उत्पीड़न से मुक्त कराने का बार-बार आग्रह किया गया है ? सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ? उनका वेतन भुगतान कब तक कराया जायेगा ?

श्री राजनाथ सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गाजीपुर में दुग्धशाला विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत हाई फ्लेट मिल्क डेरी नामक योजना का संचालित न किया जाना

118–श्री महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

क्या पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री को ज्ञात है कि गाजीपुर जनपद दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से पूर्वांचल में अपना विशेष स्थान रखता है ? क्या मंत्री जी को यह भी ज्ञात है कि हाई फ्लेटमिल्क डेरी योजना के अंतर्गत गाजीपुर जनपद का चयन नहीं किया गया ? क्या इसी वर्ष गाजीपुर जनपद को उक्त योजना में चयनित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस जनपद को कब तक चयनित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्र शेखर सिंह–

जी हां ।

दुग्धशाल विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रदेश में हाई फ्लैट मिल्क डेरी नामक योजना संचालित नहीं की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बिक्रीकर सरलीकरण समिति की रिपोर्ट

119–श्री नरेश अग्रवाल–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सेल टैक्स सरलीकरण के लिये राज्य मंत्री श्री हरिद्वार दूबे की अध्यक्षता में बिक्रीकर सरलीकरण समिति का गठन किया गया था ? क्या यह सत्य है कि उपरोक्त समिति ने सभी पक्षों से बात करके दिनांक 5 फरवरी, 1992 को अपनी रिपोर्ट शासन को दे दी ? यदि हां, तो उस रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु क्या-क्या थे तथा शासन ने उनमें से कितने बिन्दुओं को स्वीकृत किया ? क्या वित्त मंत्री जी समिति की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जी हां ।

जी हां ।

उस रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु बिक्रीकर की दरें, बिक्रीकर में समाधान योजना, फार्मों का सरलीकरण, फार्म–31 की व्यवस्था तथा सामान्य व्यवस्था थे ।

शासन ने उनमें से सभी बिन्दुओं को आंशिक/पूर्ण रूप से स्वीकृत किया गया है ।

जी नहीं । जन-हित में ऐसा करना उचित नहीं पाया गया है ।

मेसर्स चौधरी बुडबुल इण्डस्ट्रीज अतरौली, अलीगढ़ पर आरोपित बिक्रीकर की वसूली करके दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने की मांग

120–श्री राम गोविन्द चौधरी तथा श्री बलराम यादव–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के तहत मंगलवार के लिंये निर्धारित तारांकित प्रश्न -6 के उत्तर के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि मेसर्स चौधरी बुडबुल इंडस्ट्रीज अतरौली जनपद अलीगढ़ के संबंध में बिक्रीकर आयुक्त से मांगी गई रिपोर्ट आ गयी है और व्यापारी पर राज्य में की गयी बिक्री कर और केन्द्रीय बिक्रीकर आरोपित बिक्रीकर की वसूली और वर्ष 1982-83 के बाद के वर्षो में कर निर्धारण के निर्देश का अनुपालन कर दिया गया है ? यदि हां, तो पूर्ण विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो आरोपित कर अभी तक न जमा करने पर सेल्स टैक्स अधिनियम के तहत व्यापारी पर अर्थ दण्ड न लगाने और अन्य दण्डात्मक कार्यवाही न करने का कारण क्या है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राजस्व परिषद, उच्च न्यायालय आदि कार्यालय के कर्मचारियों को सचिवालय के समकक्ष पदों के समान वेतनमान दिये जाने का प्रकरण

121–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महाविभागाध्यक्ष अनुसचिवीय कर्मचारी महासंघ उ० प्र० द्वारा वेतन समानता संबंधी ज्ञापन सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस ज्ञापन के मांग बिन्दु क्या-क्या है ? सरकार क्या वेतन समानता की मांग को सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार करती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या राज्य सरकार ने उपर्युक्त महाविभागाध्यक्षों से निम्न स्तरीय विभागों (राजस्व परिषद, उच्च न्यायालय, निर्वाचन निदेशालय, लोकायुक्त कार्यालय आदि) को सचिवालय के समकक्ष वेतन भत्तों की समानता दी जा चुकी है ? सरकार का इस महासंघ की मांगों के प्रति क्या दृष्टिकोण है, सरकार कब तक इन्हें वेतन समानता प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उपर्युक्त महासंघ से हुई वित्त मंत्री की वार्ता दिनांक 1-10-91 में सहमति के उपरान्त गठित समिति का ज्ञापन के प्रति क्या दृष्टिकोण रहा ? सरकार समिति की रिपोर्ट/संस्तुति सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

ज्ञापन के मांग बिन्दु संलग्न हैं ।

जी नहीं । कथित महाविभागाध्यक्ष (ग्रुप-1) तथा सचिवालय कर्मचारियों के उत्तरदायित्व का स्तर अलग-अलग है । शासन द्वारा राज्य कर्मचारियों को केन्द्र के समकक्ष पदों के समान वेतनमान दिये जाने का सिद्धान्त स्वीकार किया जा चुका है । अतः अब अन्य विभाग/विभागों से वेतनमान की तुलना पर विचार किये जाने का औचित्य नहीं है । जिन विभागों में सचिवालय से समानता पूर्व में दी गई है, वह उनके कार्यपद्धति एवं उत्तरदायित्व के आधार पर है । शासन द्वारा महासंघ की मांगों पर विचार किया जा चुका है और संघ को अवगत करा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

दिनांक 1-10-91 को हुई वार्ता के उपरान्त ज्ञापन पर उच्च स्तर पर विचार किया गया । जहां के मांग संख्या-7 का प्रश्न है, प्रदेश में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अनुरूप योजना लागू करने का मामला मुख्य सचिव समिति में विचाराधीन है । शेष मांगों को स्वीकार किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 187 -पर)

परिवहन आयुक्त कार्यालय में प्रश्नगत कर्मचारियों को दैनिक वेतन भोगी के रुप में पारिश्रमिक का भुगतान

122–श्री गयाचरन दिनकर–

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन आयुक्त कार्यालय में श्री विमल कुमार उप्रेती, श्री केशव देव शर्मा, श्री शेष नारायण शुक्ला, श्री अखिलेश कुमार पाण्डेय, श्री राम लखन, श्री नन्द किशोर, कुमारी पूनम शुक्ला, श्री श्यामल गांगुली, श्री सुरजीत सिंह, श्री दिनेश प्रताप सिंह, श्री राज किशोर यादव, श्री प्रदीप कुमार सिंह, श्री बाल किशन भटनागर, श्री भूपेन्द्र सिंह, श्री उमा शंकर अवस्थी, श्री अजय कुमार वर्मा, श्री रामचन्द्र यादव, श्री राम प्रवेश शर्मा, श्री जगदीश प्रसाद, श्री अनूप श्रीवास्तव तथा श्री मुकेश चन्द्र शर्मा की नियुक्ति मार्च, 91 से तृतीय श्रेणी कर्मचारी के रूप में कार्य करने हेतु की गयी और नियमित रूप से वेतन भुगतान किया गया ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि ये नियुक्तियां शासन द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया को अपनाये बिना अवैध रूप से की गयी ? यदि नहीं, तो क्या उक्त व्यक्तियों की नियुक्ति संबंधी सारे अभिलेख सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

जी नहीं ।

प्रश्नगत व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं की गई थी अतः वेतन भुगतान का प्रश्न नहीं उठता । सरकारी कार्य के हित में मार्च, 1991 के बाद भिन्न-2 अवधियों में इनसे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के रूप में कार्य लिया गया तथा उसी अवधि के दैनिक पारिश्रमिक का भुगतान प्रासंगिक व्यय की मद से किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर गोण्डा प्रभाग गोण्डा द्वारा अभिवहनकर्ता से ट्रांजिट फीस लिया जाना

123–श्री दल सिंगार यादव–

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० वन उपज नियमावली, 1978 में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि कटान स्थल से डिपो तक वन उपज के अभिवाहन का ट्रांजिट फीस लिया जाय तथा डिपो से बाहर ले जाने पर न लिया जाय ? क्या उत्तर गोंडा प्रभाग गोण्डा द्वारा डिपो से बाहर वन उपज ले जाने के लिये अभिवहनकर्ता से ट्रांजिट फीस ली जाती है तथा उसकी ई–3 रसीद नहीं जारी की जाती है ? यदि हां, तो 5 जून, 1990 से 31 दिसम्बर, 1990, 1 जनवरी, 1991 से 31 दिसम्बर 91 तक तथा 1 जनवरी, 92 से 31 मार्च, 1992 तक कितने सरकारी राजस्व की क्षति उक्त वन प्रभाग में हुई है ? इसमें दोषी प्रभागीय वनाधिकारियों तथा आशुलिपिक के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह–

उ० प्र० इमारती लकड़ी तथा अन्य वन उपज का अभिवहन नियमावाली, 1978 के अन्तर्गत कटान स्थल से डिपो तक वन उपज के ले जाने की ट्रांजिट फीस लिये जाने का प्राविधान है, लेकिन यदि उसी वन उपज को डिपो से बाहर ले जाये तो ट्रांजिट फीस दोबारा लेने का प्राविधान नहीं है ।

डिपो में वन उपज लाने के पहले अभिवहन कर्ता ने यदि ट्रांजिट फीस अदा कर दी है तो उसी माल को डिपो से बाहर परिवहन करने पर दोबारा ट्रांजिट फीस नहीं ली जाती, लेकिन यदि डिपो में आने से पूर्व वन उपज पर ट्रांजिट फीस नहीं ली गई है तो डिपो से बाहर अभिवहन पर ट्रांजिट फीस ली जाती है और उसकी ई-3 रसीद काटी जाती है ।

ट्रांजिट फीस नियमानुसार ली गई है । अतः राजस्व हानि होने का तथा किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

उत्तर गोण्डा वन प्रभाग गोण्डा के वन रेंजर श्री अशोक कुमार सिंह तथा श्री दिनेश कुमार यादव के विरुद्ध शिकायतों की जांच

124–श्री दल सिंगार यादव–

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर गोण्डा वन प्रभाग गोंण्डा के श्री अशोक कुमार सिंह/श्री दिनेश कुमार यादव वन रेंजर का स्थानान्तरण शासन स्तर से 6 अगस्त, 91 को जनपद सुल्तानपुर किया गया था और इन दोनों वन रेजरों को 31 अगस्त, 91 को कार्यभार से मुक्त कर दिया गया था ? यदि हां, तो कार्यभार से मुक्त कर देने के बाद इन स्थानान्तरित वन रेंजरो से विभागीय कार्य भी लिया गया और माह सितम्बर, 91 का वेतन भुगतान भी कर दिया गया जो शासनदेश के विरुद्ध है ? यदि हां, तो सरकार दोषी प्रभागीय वनाधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नगत शिकायतों की सतर्कता अधिष्ठान से छानबीन करायी जा रही है ।

प्रदेश में भूमि उपयोग परिषद् का गठन

125–श्री किशोरी लाल यादव–

क्या नियोजन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि भूमि उपयोग परिषद् स्थापना के पूर्व जो नहरें खोदी गयीं हैं, उनकी स्वीकृति भूमि उपयोग परिषद् से लेना जरूरी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि क्या प्रदेश के किसानों के हित को ध्यान में रखकर भूमि उपयोग परिषद् की स्थापना की गयी है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जी नहीं ।

जी हां । भूमि उपयोग परिषद् का गठन भूमि संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया गया है ।

जनपद बांदा में मिलियन वेल सिंचाई नलकूपों का निर्माण तथा कूपों में गड़बड़ियों के लिये उत्तरदायित्व का निर्धारण

126–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगे कि जनपद बांदा में मिलियन वेल सिंचाई नलकूपों को निर्माण वर्ष 1990-91 में कराया गया है ? यदि हां, तो कितने ? क्या उक्त वर्षो में ब्लाक वाइज चयनित स्थलों

की सूची उपलब्ध है ? यदि हां, तो उक्त स्वीकृत कुओं में से कितने कुएं पूर्ण रूप से निर्मित हो चुके हैं ? कितने कुएं बनना शेष हैं ? क्या इन सिंचाई नलकूपो के व्यास, गहराई एवं प्राक्कलन का मानक निर्धारित है ? यदि हां, तो वह मानक क्या है ? क्या यह भी बतायेंगे कि सिंचाई नलकूपों के निर्माण की एजेन्सी कौन है ? कूपों में गड़बड़ियों के लिये उत्तरदायित्व किस पर निर्धारित किया गया है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मिलियन वेल्स स्कीम के अन्तर्गत सिंचाई हेतु नलकूपों का निर्माण अनुमन्य नहीं है । इस योजना में अनुसूचित जाति./जनजाति के व्यक्तियों की भूमि पर सिंचाई क्षमता बढ़ाने हेतु केवल सिचाई कूपों व अन्य भूमि संरक्षण सम्बन्धी कार्य जिनका उद्देश्य सिंचाई क्षमता बढ़ाने से होता है; कराया जाना अनुमन्य है ।

जनपद महराजगंज ग्राम केवलही विकास खंड नवतनवां के ग्राम प्रधान द्वारा विकास कार्यों की धनराशि हड़पने के कथित मामले की जांच

127–श्री नन्द किशोर मिश्र–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-केवलहीं, विकास खंड-नवतनवां, जनपद-महराजगंज के ग्राम प्रधान के विरुद्ध विकास कार्यों की धनराशि हड़पने हेतु वहां के ग्रामवासियों की शिकायत पर, संबंधित जिलाधिकारी द्वारा जांच कराई गई थी ? यदि हां, तो क्या उसे दोषी पाया गया था ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद इलाहाबाद की ग्राम सभा लोडटा तहसील मेजा के ग्राम प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना से संबंधित धन के दुरुपयोग किये जाने के कथित मामले पर निलम्बन तथा बहाली

128–श्री कैलाश नाथ सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सभा लोडटा तहसील-मेजा, जनपद इलाहाबाद के ग्राम प्रधान को जवाहर रोजगार योजना एवं 95 जी० उ० प्र० रा० ऐक्ट तथा अन्य योजनाओं से संबंधित धन के दुरुपयोग के कारण परगनाधिकारी मेजा द्वारा दिनांक 2-11-91 को निलम्बित कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त साक्ष्यों की व प्रमाणों की प्रतियां सदन के पटल पर रखते हुए, यह भी बतायेंगे कि मुख्य प्रमाण कौन-कौन से थे ? क्या यह सत्य है कि उक्त ग्राम प्रधान को साक्ष्यों/प्रमाण-पत्रों के आधार पर बहाल कर दिया गया है ? यदि हां, तो किन-किन प्रमाणों के आधार पर ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद इलाहाबाद के ग्राम सभा रसूलपुर विकास क्षेत्र सैदाबाद में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत दी गयी धनराशि द्वारा कराये गये कार्य तथा अवशेष कार्यों की जांच

129–श्री कैलाश नाथ सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सभा रसूलपुर, विकास क्षेत्र-सैदाबाद, जनपद इलाहाबाद से वर्ष 1988-89, 90-91 एवं 91-92 में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत कितनी धनराशि दी गयी है ? क्या यह भी बतायेंगे कि उक्त धनराशि से कौन-कौन से कार्य निर्धारित मानक के अनुसार कराये गये हैं ? अब तक उनमें से कौन-कौन से कार्य शेष हैं ? क्या मंत्री जी अवशेष कार्यों को पूर्ण कराते हुए, अब तक कराये गये कार्यों की टी० ए० सी० से जांच करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अवशेष कार्य हेतु दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही कराई गयी है ? यदि नहीं, तो कब तक कराई जायेगी ?

श्री कल्याण सिंह--

ग्राम सभा रसूलपुर विकास खण्ड सैदाबाद को जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 1989-90 में रु० 51,858 वर्ष 90-91 में रु० 25,387 तथा वर्ष 91-92 में रु० 19,817 कुल धनराशि रु० 97,062 दी गयी है । वर्ष 88-89 में उक्त योजना संचालित नहीं थी ।

उक्त धनराशि से खड़ंजा निर्माण सम्पर्क मार्ग (मिट्टी कार्य) कूप निर्माण, निर्बल वर्ग आवास के कार्य निर्धारित मानक के अनुसार कराये गये हैं ।

कोई कार्य अवशेष नहीं है ।

कार्यों की स्वीकृति गांव सभा की खुली बैठक में लेकर समस्त कार्य निर्धारित मानक के अनुसार कराये गये हैं और वर्ष 89-90 व 90-91 का आडिट चीफ आडिट आफिसर कोआपरेटिव एवं पंचायत की आडिट पार्टी द्वारा किया जा चुका है ।

कोई कार्य अवशेष नहीं है अतएव किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर की ग्राम सभा बड़खेरवा, विकास खण्ड हरगांव के ग्राम प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना का धन हड़प लेने के संबंध में उक्त ग्रामवासियों का शिकायती पत्र एवं कार्यवाही

130–श्री ज्ञानेन्द्र सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सभा बड़खेरवा, (कल्लापुर), पोस्ट मुमताजपुर, विकास खण्ड-हरगांव, जिला-सीतापुर के ग्राम प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना का धन हड़प लेने व ग्राम्य विकास के कार्यों में न लगाने संबंधी उक्त ग्राम के निवासियों का रजिस्टर्ड शिकायती पत्र दिनांक 29-8-90, 31-7-90 सीतापुर, परियोजना अधिकारी, सीतापुर, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश एवं जिलाधिकारी सीतापुर को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

उक्त पत्रों की जांच करायी गयी और प्रधान को दोषी पाये जाने पर निलम्बित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के विकास खण्ड तिन्दवारी के ग्राम खप्टिहा कलां के ग्राम प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना की धनराशि का गबन

131–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा के विकास खण्ड तिन्दवारी के ग्राम खप्टिहा कलां के प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना की धनराशि के गबन एवं कराये गये कार्यों की जांच चल रही है ? यदि हां, तो अब तक क्या विवरण प्रकाश में आया ? क्या जांच में दोषी पाये जाने वाले व्यक्ति को दण्डित कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जांच कराई गयी है ।

ग्राम प्रधान द्वारा कराये गये निर्माण कार्य संतोषजनक पाये गये हैं एवं कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं पाया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया, विकास खण्ड नगरा में कतिपय ग्राम सभाओं के प्रधानों द्वारा जवाहर रोजगार योजना की धनराशि को हड़पने के मामले में उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही

132–श्री अवध पाल सिंह यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद के विकास खण्ड नगरा में वर्ष 1991 के दौरान ग्राम सभा कसौनडर, बरौली भीमपुर नं० 1, देवलवीर, इन्दौली मल कौली, भीमपुरा, डपवार, भगवानपुर आदि ग्राम सभाओं के प्रधानगणों ने जवाहर रोजगार योजना के लिये मिली धनराशि को हड़पने के लिये फर्जी बिल/बाउचर बनवाये हैं तथा सही कार्य न करके धन गबन कर लिया है ? यदि हां, तो सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद सुल्तानपुर में ब्लाक भदैया, ग्राम बरूई के प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत की गयी अनियमितता की जांच कराने की मांग

133–श्री फतेह बहादुर सिंह तथा श्री सुरेन्द्र नाथ–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम बरूई, ब्लाक भदैया, जनपद सुल्तानपुर के प्रधान के विरुद्ध जवाहर रोजगार योजना के धन का दुरुपयोग करने के संबंध में श्री यशवंत सिंह नि० बरूई ने जिला अधिकारी, सुल्तानपुर को दिये गये शिकायती पत्र पर सी० डी० ओ० को 15 दिन के अन्दर टेक्नीकल अधिकारी से जांच कराकर आख्या देने का निर्देश दिया गया था ? यदि हां, तो जांच में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्या शासन टेक्निकल अधिकारी से जनहित में जांच करायेगी ? उक्त ग्राम में जवाहर रोजगार योजना के धन के दुरुपयोग करने वाले के विरुद्ध कब तक वैधानिक कार्यवाही करके दण्डित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद जौनपुर, विकास खण्ड मड़ियाहूं के ग्राम आनापुर दशरथपुर के प्रधान को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत आवंटित धन एवं उसका उपयोग

134– श्री किशोरी लाल यादव तथा श्री श्याद अली–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर, विकास खण्ड मड़ियाहूं के ग्राम सभा आनापुर-दशरथपुर के ग्राम प्रधान को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 में कितना धन प्राप्त हुआ ? उस रुपये का किन-किन कार्यों में उपयोग किया गया है ? क्या यह सही है कि ग्राम प्रधान द्वारा धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या अब तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

ग्राम सभा आनापुर-दशरथपुर के ग्राम प्रधान को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 में मु० 18.787.00 रुपये आवंटित किया गया था ।

उस रुपये का सम्पर्क मार्ग निर्माण, हैण्ड पम्प एवं प्रांसगिक व्यय में उपयोग किया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा के वन प्रभाग में लकड़ी व्यापारियों द्वारा न्यायालय के आदेशानुसार ट्रांजिट फीस जमा करके व्यापार जारी

135–श्री बाला प्रसाद अवस्थी–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 5 जून, 1990 से 31-12-91 तक उत्तर गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा के कार्यक्षेत्र सीमा के रेलवे स्टेशन पचपेड़वा/गैसड़ी/तुलसीपुर/कौंव्वापुर से हजारों की संख्या में रेलवे के वैगनों से जनपद के बाहर तथा प्रदेश के बाहर माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के तथा लखनऊ बेंच के माननीय उच्च बिना प्रभागीय वनाधिकारी के अनुमति के तथा बिना ट्रांजिट फीस के लकड़ियों का ढुलान किया गया है ? सरकार उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश को रद्द कराने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह–

उत्तर गोण्डा वन प्रभाग में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार लकड़ी के व्यापारी प्रतिमाह रुपये 500 ट्रांजिट फीस जमा करके महीने भर मण्डी समिति के क्षेत्र से लकड़ी खरीद कर अभिवहन करते हैं जिसके लिये वे माननीय उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेशानुसार अभिवहन पास वनाधिकारी से नहीं लेते हैं ।

स्थगन आदेशों को रद् कराने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद उन्नाव विकास खण्ड बिछिया के ग्राम बेहटा निवासी श्री रामदास अनुसूचित जाति को इन्द्रा आवास उपलब्ध कराने संबंधी मा० मंत्री का कथित पत्र

136–श्री फरीद महफूज किदवई–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के विकास खण्ड बिछिया के अन्तर्गत ग्राम बेहटा नथई सिंह के निवासी श्री राम दास पुत्र श्री ललई अनुसूचित जाति को इन्द्रा आवास आवंटित करने संबंधी प्रार्थना-पत्र का श्री सुन्दर लाल, विधायक, उन्नाव ने अपनी संस्तुति के साथ

दिनांक 27-1-90 को तत्कालीन ग्राम्य विकास मंत्री को दिया था ? यदि हां, तो पत्र पर मा० मंत्री ने जिलाधिकारी, उन्नाव को क्या आदेश दिये थे ? क्या जिला अधिकारी, उन्नाव ने भी अपने पत्र सं० 1785 दिनांक 12-7-90 द्वारा आवास आवंटन हेतु स्पष्ट आदेश खंड विकास अधिकारी, बिछिया, उन्नाव को दिया था ? क्या इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी, उन्नाव ने भी दिनांक 30-7-90 तथा 1-1-91 को इस संबंध में खण्ड विकास अधिकारी, बिछिया, जिला उन्नाव को आदेश दिये थे ? यदि हां, तो उक्त सभी आदेशों पर अब तंक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

मा० मंत्री जी द्वारा ऐसे किसी प्रार्थना-पत्र पर भेजा गया कोई आदेश उपलब्ध नहीं है ।

संदर्भित पत्र अपर ज़िलाधिकारी (परियोजना) का है, जिसके द्वारा उन्होंने खंड विकास अधिकारी बिछिया को पात्र होने की स्थिति में आवास आवंटित करने के निर्देश दिये थे ।

दिनांक 30-7-90 को अपर परियोजना निदेशक, जिला ग्राम विकास अभिकरण उन्नाव ने तथा दिनांक 1-1-91 को अपर जिलाधिकारी (परियोजना) उन्नाव ने कार्यवाही हेतु निर्देश दिये थे।

ग्राम सभा बेहटा नथई सिंह में दिनांक 23-8-90 तथा 1-5-91 को इन्दिरा आवास आवंटन हेतु पात्र व्यक्तियों के चयन की बैठकें की गयी । उक्त बैठकों में श्री राम दास पुत्र श्री ललई का चयन न होने के कारण इनके लिये इन्दिरा आवास का निर्माण नहीं कराया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा में बलरामपुर के उपप्रभागीय वनाधिकारी द्वारा कार्यालय में ही आवास बनाने संबंधी कथित शिकायत

137–श्री बाला प्रसाद अवस्थी–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री एस० पी० सिंह, उपप्रभागीय वनाधिकारी, बलरामपुर, उत्तर वन प्रभाग गोंडा, बलरामपुर में कार्यालय भवन में ही अपना आवास बना रखा है ? यदि हां, तो क्या आवास का किराया वे अलग से लेते हैं ? अब तक उन्हें आवास हेतु कितना किराया भुगतान किया गया है ? क्या सरकार भुगतान किये गये किराये को उप प्रभागीय वनाधिकारी के मूल वेतन से वसूल लेने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद जलालपुर विकास क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा चितई के निलम्बित प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत की गयी कथित अनियमितताओं की जांच के पश्चात् धनराशि की वापसी

138–श्री राम लखन –

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फैजाबाद जनपद के जलालपुर विकास क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा चितई के प्रधान को जवाहर रोजगार योजना में हुए घपले के आरोप में परगनाधिकारी जलालपुर के आदेश

दिनांक 3-8-90 द्वारा निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो उक्त प्रधान के विरुद्ध हुई जांच की रिपोर्ट क्या है ? क्या उस प्रधान को पुनः बहाल कर दिया गया ? यदि हां, तो उसका औचित्य क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जांच की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम प्रधान द्वारा की गयी अनियमितताओं के कारण उसकी अज्ञानता प्रतीत हुई जिसमें उसकी बदनियती परिलक्षित नहीं हुई । जांच के आधार पर व्यय हेतु आहरित धनराशि में से व्यय के पश्चात् अवशेष बची धनराशि प्रधान द्वारा जमा कर दी गयी है ।

जी हां ।

जांच अधिकारी की संस्तुति एवं डीजीसी (सिविल) द्वारा प्राप्त राय के आधार पर बहाल किया गया है ।

प्रदेश के जिला ग्राम्य विकास अभिकरण में प्रतिनियुक्ति पर आये हुए अधिकारियों व कर्मचारियों की वापसी

139–श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों (डी० आर० डी० ए०) में कितने अधिकारी व कर्मचारी किस-किस विभाग के कितने वर्षों से प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) पर तैनात हैं और उनको मूल विभाग में वापस भेजे जाने की शासन स्तर से क्या कार्यवाही हुई ? यदि कोई कार्यवाही नहीं हुई है, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद सुल्तानपुर, ग्राम ब्लाक जगदीशपुर के ग्राम सरेसर के प्रधान के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच

140–श्री रमेश बहादुर सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनको तथा मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता के दिनांक 21-1-92 के पत्र जिसमें ग्राम प्रधान सरेसर, ब्लाक-जगदीशपुर, जिला-सुल्तानपुर के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये गये हैं, प्राप्त हैं ? यदि हां, तो इसकी जांच किस अधिकारी ने की तथा क्या जांच के बाद कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद फर्रुखाबाद के अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य स्व० श्री य० प्र० कपूर की पेंशन आदि के भुगतान की मांग

141–श्री नरेन्द्र सिंह (फर्रुखाबाद)–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन विधायक का पत्र दिनांक 21-10-90 श्रीमती शान्ति कपूर के संलग्न प्रार्थना-पत्र के साथ जो उनके स्व० पति श्री य० प्र० कपूर, अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य क० रा० रस्तोगी इण्टर कालेज, फर्रुखाबाद के नियमानुसार पेंशन, बीमा, ग्रेच्युटी आदि की

देय राशि को स्वीकृति/भुगतान के संबंध में है, उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या देय राशि स्वीकृत करके अवमुक्त कर दी गयी ? यदि नहीं तो क्यों और इस विलम्ब के लिये कौन उत्तरदायी है ?

श्री राजनाथ सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गोण्डा के विकास खण्डों को कूप निर्माण हेतु आवंटित धनराशि द्वारा कूप निर्माण कार्य पूरा न कराये जाने के संबंध में कार्यवाही किये जाने की मांग

142–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनवरी, 1991 से 15 जनवरी, 1992 के बीच में जनपद गोण्डा के विकास खण्डों को कूप निर्माण हेतु जो धनराशि आवंटित की गयी थी, खण्ड विकास अधिकारियों ने विकास खण्डों के ग्राम विकास अधिकारियों/ग्राम पंचायत अधिकारियों को अग्रिम रूप से धनराशि दे दी है और कूप का निर्माण कार्य पूरा नहीं कराया गया ? यदि हां, तो सरकार उस प्रकरण पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गोण्डा में कूप निर्माण योजना में ईंटों की आपूर्ति में किये गये घपले की सरकार द्वारा जांच

143–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 1991 से 15 जनवरी, 1992 के बीच में जनपद गोण्डा के किस-किस विकास खण्ड के किस-किस ग्राम सभा में कूप निर्माण कार्य कराया गया है और किस-किस ग्राम सभा में कराया जा रहा है ? कूप निर्माण में ईंटों की आपूर्ति टेण्डर अथवा कोटेशन से ली गयी है या सीधे भट्ठा मालिकों से आपूर्ति करायी गयी है ? क्या ईंटें निम्न श्रेणी की हैं ? क्या सरकार शासन स्तर से किसी वरिष्ठ अधिकारी को भेजकर जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद सुल्तानपुर के ग्राम्य विकास विभाग में अनुसूचित जाति के लिपिकों की नियुक्ति एवं पदोन्नति में कोटा पूरा कराने की मांग

144–श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम्य विकास विभाग में लिपिक संवर्ग में वर्ष 1986 से 1991 तक कितने पदों पर नियुक्ति और कितने पदों पर पदोन्नति की गयी है ? क्या की गयी नियुक्ति/पदोन्नति में अनुसूचित जाति/जनजाति का कोटा पूरा किया गया है ? यदि हां, तो सुल्तानपुर जनपद में की गयी पदोन्नति/नियुक्ति में कितने पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों/लिपिकों की पदोन्नति/नियुक्ति की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

ग्राम्य विकास विभाग के लिपिक संवर्ग में प्रश्नगत अवधि में हुई नियुक्तियों/पदोन्नतियों एवं उसके विपरीत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित पदों को पूरा किये जाने से संबंधित आंकड़े संकलित किये जा रहे हैं ।

जनपद सुल्तानपुर में वर्ष 1986 से 1991 तक लिपिक संवर्ग में कुल 16 पदों पर नियुक्ति, 24 पदों पर पदोन्नति/आमेलन किया गया है । इनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों/लिपिकों की तीन पदों पर नियुक्ति एवं दो पदों पर पदोन्नति की गयी है ।

शासनादेश संख्या 2737/38-6-आई० आर० डी०-283/82 दिनांक 27-6-85 में निहित अर्हता न रखने के कारण एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिपिक के निलम्बित होने के कारण पदोन्नति में कोटा पूरा नहीं किया जा सका । आरक्षण कोटा पूरा करने हेतु दो पद रिक्त रखे गये हैं ताकि भविष्य में पदोन्नति करके आरक्षण कोटा पूरा किया जा सके ।

जनपद फैजाबाद में ग्राम मंगारी स्थित "दि दुर्गा बंसल फर्टिलाइजर कम्पनी" हेतु खरीदी गई कृषि भूमि के परिवर्तन करने हेतु आदेश एवं अनियमितता के कारण अर्थदण्ड की वसूली

145–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद की तहसील बीकापुर अन्तर्गत ग्राम मंगारी स्थित दि दुर्गा बंसल फ़र्टिलाइजर कम्पनी नामक उर्वरक कारखाने के मालिकान द्वारा कारखाना लगाये जाने की आरम्भिक प्रक्रिया के दौरान सम्भावित उपयोग योग्य भूमि का क्रय करने और उसकी रजिस्ट्री कराये जाने में गम्भीर हेरा-फेरी करने भूमि का उपयोग कृषि कार्य हेतु दिखाकर लाखों रु० की स्टाम्प ड्यूटी की चोरी करके न केवल सरकारी राजस्व क्षति करके बल्कि भा० द० वि० की धाराओं के अन्तर्गत आने वाली कोटि का अपराध भी किया है ? यदि हां, तो फैक्टरी मालिकान द्वारा जानबूझकर की गयी इस स्टाम्प हेरा-फेरी के बारे में सरकार की ओर से अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

" दि दुर्गा बंसल फर्टीलाइजर कम्पनी" ने ग्राम-मंगारी, तहसील-बीकापुर में दिनांक 18-9-85 से 2-2-87 के बीच 15 विलेख-पत्रों के माध्यम से जमीन क्रय की । कृषि भूमि का बैनामा कराया गया । कालान्तर में "उ० प्र० जमींदारी भू० विनाश अधिनियम" की धारा-143 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 29-1-87 को 12 गाटा के संबंध में भू-उपयोग में परिवर्तन की अनुमति प्राप्त की गयी ।

उप निबन्धक द्वारा सात विलेख पत्र संदर्भित किये गये जिनमें दो विलेख-पत्रों में क्रमशः रुपये 42.50 पैसे के स्टाम्प शुल्क की कमी पायी गयी, जो अर्थदण्ड सहित वसूल कर ली गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बहराइच एवं बाराबंकी के जिला ग्राम्य विकास अभिकरण कार्यालय में परियोजना अर्थशास्त्रियों की नियुक्ति

146–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि संयुक्त विकास आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद के अधीनस्थ जनपद में से जनपद में बहराइच और बाराबंकी में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण कार्यालय में परियोजना अर्थशास्त्री के पदों पर दूसरे विभाग के लोगों की प्रतिनियुक्ति किये जाने से सरकार को कितने राजस्व की क्षति पहुंची ? विभाग के सहायक संख्याधिकारी/अन्वेषक पदों पर नियुक्त अनुभवी

और योग्य कर्मचारियों की पदोन्नति को अवरुद्ध रखे जाने के क्या कारण है ? सरकार इन प्रतिनियुक्तियों को कब तक जारी रखेगी, और क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

फैजाबाद मंडल, फैजाबाद के जनपद बहराइच तथा बाराबंकी में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण कार्यालय में परियोजना अर्थशास्त्री के पदों पर प्रतिनियुक्ति किये जाने से सरकार को राजस्व की हानि नहीं हुई है क्योंकि इन पदाधिकारियों को कोई प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं है । वर्तमान में लागू शासनादेशों में निर्धारित नियुक्ति की प्रक्रिया के अनुसार परियोजना अर्थशास्त्री के पदों पर ऐसे अन्वेषक/संख्याधिकारी नियुक्ति हेतु सक्षम होंगे जिनके द्वारा अपने पद पर दस वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो । उक्त जनपदों से वर्तमान में कोई भी कर्मचारी निर्धारित अर्हता नहीं रखता है अतः पदोन्नति अवरुद्ध किये जाने का प्रश्न नहीं उठता । सेवा नियमावली के प्रख्यापित होने के पश्चात ही इस संबंध में निर्णय लिया जायेगा ।

वनों के अवैध कटान के संबंध में शिकायती पत्रों की जांच

147–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें सचिव वन एवं प्रमुख वन संरक्षक को तथा मुख्य वन संरक्षक मध्य क्षेत्र, लखनऊ को व वन संरक्षक सरयू क्षेत्र फैजाबाद को एवं वन संरक्षक अवध क्षेत्र लखनऊ को 1 जुलाई, 1991 से 31 दिसम्बर, 91 तथा 1 जनवरी, 92 से 30 जनवरी, 92 तक माननीय विधायकों के, माननीय सांसदों के तथा जनता के कितने शिकायती पत्र अवैध कटान के संबंध में प्राप्त हुए ? जांच किस अधिकारी से करायी गयी और दोषी कौन-कौन लोग पाये गये ? कितने शिकायती पत्रों में जांच लम्बित है ? सरकार इस, संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

संयुक्त विकास आयुक्त, फैजाबाद द्वारा सहायक संख्याधिकारी के पद पर की गयी वैध नियुक्ति

148–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी/अध्यक्ष ग्राम्य विकास अभिकरण, फैजाबाद द्वारा सहायक संख्याधिकारी के पद पर नियुक्ति किये जाने के क्रम में संयुक्त विकास आयुक्त फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद द्वारा दिनांक 11-8-89 को चयनित अभ्यर्थियों को जनपद द्वारा नामांकन सूची के वरिष्ठताक्रम का उल्लंघन करके विकास प्राधिकरण, फैजाबाद के पूर्व सचिव के एक रिश्तेदार श्री बृजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की नियुक्ति, आदेश संख्या-2465/डी० आर० डी० ए०/स्था० मु० लि०/91-92, दिनांक 5 जुलाई, 91 द्वारा कर दी गयी है ? यदि हां, तो चयनित अभ्यर्थियों की सूची के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों की क्रम से नियुक्ति न किये जाने के लिये दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही करायी जायेगी ? क्या मंत्री जी चयनित अभ्यर्थियों की सूची सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

संयुक्त विकास आयुक्त, फैजाबाद द्वारा सहायक संख्याधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु मंडल स्तर पर एक चयन सूची दिनांक 11-3-89 को निर्गत की गयी थी यह सूची जनपदवार नहीं बनी थी अतः विभिन्न अभिकरणों द्वारा वरिष्ठताक्रम में नियुक्ति करना संभव नहीं था । इन्हीं कारणों से उक्त चयन

सूची आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा अपने आदेश दि० 17-3-90 द्वारा निरस्त कर दी गयी है। श्री बृजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की नियुक्ति मा० उच्च न्यायालय के आदेश दि० 11-5-90 के अनुपालन में की गयी अतः श्री बृजेन्द्र को फैजाबाद विकास प्राधिकरण के पूर्व सचिव से रिश्तेदारी का लाभ दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता। यह नियुक्ति मा० उच्च न्यायालय के आदेशों के परिपालन में की गयी है अतः दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही का भी प्रश्न ही नहीं है।

जनपद टिहरी गढ़वाल के राजकीय इण्टर कालेज के नागराजाधार के प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार सिंह के कथित शिकायती पत्र पर जांच

149–श्री मो० रिजवानुल हक–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह अगस्त, 1991 में श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह, प्रवक्ता, जीव विज्ञान (तदर्थ) जो राजकीय इण्टर कालेज, नागराजाधार (बमुण्ड) टिहरी गढ़वाल में कार्यरत थे, का शिकायती पत्र प्रधानाचार्य रा० इ० कालेज, नागराजाधार (बमुण्ड) टिहरी गढ़वाल के संबंध में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या पत्र में वर्णित तथ्य के आधार पर न्याय प्रदान किया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? तथा उन्हें न्याय कब तक प्रदान कर दिया जायेगा ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां।

नियुक्ति आदेश की शर्तों के अनुसार श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह ने त्याग-पत्र के पूर्व एक माह के नोटिस अथवा नोटिस के बदले एक माह का वेतन जमा नहीं किया जिसके कारण प्रधानाचार्य द्वारा उनके दिनांक 1-3-91 से 25-3-91 तक की अवधि का वेतन भुगतान नहीं किया गया।

जनपद मुरादाबाद में राजकीय दीक्षा विद्यालय बुद्धनपुर के सेवा निवृत्त सहायक अध्यापक श्री कृष्ण कुमार यादव के जी० पी० एफ० के भुगतान हेतु अप्राप्त आवेदन पत्र

150–श्री बनवारी सिंह यादव–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि कृष्ण कुमार यादव सेवानिवृत्त सहायक अध्यापक राजकीय दीक्षा विद्यालय बुद्धनपुर (मुरादाबाद) जून, 1990 में सेवा निवृत्त हुए थे ? यदि हां, तो क्या उनके जी० पी० एफ० (सामान्य भविष्य निधि) के 90 प्रतिशत का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? भुगतान कब तक कराया जायेगा ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां।

जी नहीं।

अंतिम भुगतान हेतु आवेदन पत्र अप्राप्त। आवेदन पत्र प्राप्त होने पर यथा शीघ्र निस्तारित कर दिया जायेगा।

जनपद हरदोई के ग्राम्य विकास अभिकरण में अनियमितताओं के विरुद्ध की गयी जांच को सदन के पटल पर रखे जाने की मांग

151–श्री नरेश अग्रवाल–

प्रथम सत्र, 1992 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित अता० प्र० संख्या 24 के उत्तर के संबंध में क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तकनीकी जांच सहायक अभियन्ता (ग्रामीण अभियंत्रण सेवा) हरदोई द्वारा मुख्य-मुख्य कौन-कौन से बिन्दुओं की जांच की

गयी ? इस संबंध में ग्रामवासियों अथवा संबंधित प्रमुख क्षेत्र समिति से जांचकर्ता द्वारा किन-किन तिथियों की जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की ज़ा रही है ।

जनपद सुल्तानपुर तहसील गौरीगंज के ग्राम सभा लोहंगपुर में जवाहर रोजगार योजना के कार्यों के संबंध में की गयी शिकायत की जांच कराने की मांग

152–श्री तेजभान सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि परगनाधिकारी, गौरीगंज, सुल्तानपुर व अतिरिक्त जिला अधिकारी, सुल्तानपुर को सम्बोधित श्री गिरजा प्रसाद मिश्र पुत्र श्री सिद्ध नाथ मिश्र तथा अन्य हस्ताक्षरकर्ता ग्राम सभा लोहंगपुर तह० गौरीगंज, जिला-सुल्तानपुर के पत्र क्रमशः दिनांक 21-12-90, 8-2-91 जिसमें उक्त ग्राम सभा में ज० रो० यो० के कार्यो की शिकायत व जांच की मांग की गई है, प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो किस अधिकारी ने जांच के बाद क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं,तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद सुल्तानपुर में ब्लाक भदैया के कतिपय ग्रामों में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत की गयी अनियमितताओं की जांच कराने की मांग

153–श्री बच्चा पाठक–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा अभियां कलां, जगदीशपुर बरुई, पन्ना टिकर, हनुमानगंज, ब्लाक भदैया, जनपद सुल्तानपुर को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि दी गई ? उस धनराशि में से कितना-कितना धन विभिन्न मदों में खर्च किया गया ? कच्ची सड़क निर्माण में कार्यरत मजदूरों का नाम, पिता का नाम, पता, कार्य का दिन व मजदूरी कितनी दी गयी ? कितने धन फुट मिट्टी की सड़क बनायी गयी व सड़क की लम्बाई-चौड़ाई कितनी है ? खड़ंजा बिछाने में ईटों की संख्या, किस्म, दाम प्रति हजार ईट क्या है ? ईटों को बिछाने में मिस्त्री को कितने दिन के कार्य की कुल कितनी मजदूरी दी गयी ? कितनी धनराशि अवशेष है तथा इसे किस कार्य में खर्च किया जायेगा ? क्या शासन ब्लाक के अधिकारियों से टेक्निकल जांच करायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद लखीमपुर खीरी के फारेस्ट गार्ड श्री शिव चन्द्र यादव के विरुद्ध कथित आरोप की जांच

154–श्री निरवेन्द्र कुमार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं० 1327/91 श्री शिव चन्द्र यादव, फारेस्ट गार्ड, सुमेरपुर द्वारा अवैध वनों का कटान कराने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी को प्राप्त कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

उक्त पत्र में श्री शिव चन्द्र यादव, फारेस्ट गार्ड के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच कराई गई और आरोप निराधार पाये गये हैं ।

प्रदेश के दलित शिक्षा आन्दोलन के कार्यकर्त्ताओं द्वारा शासन को दिये गये ज्ञापन एवं उन पर शासन की नीति

155–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि दलित शिक्षा आन्दोलन के कार्यकर्ताओं द्वारा दिसम्बर, 1991 में विधान सभा के सामने कोई आन्दोलन/धरना हुआ था ? यदि हां, तो आन्दोलनकारियों की मुख्य मांग क्या थीं ? क्या यह सच है कि आन्दोलनकारियों ने आन्दोलन के पूर्व मुख्य मंत्री को कोई ज्ञापन भी दिया था ? यदि हां, तो ज्ञापन के आधार पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश तथा शिक्षक पदों पर नियुक्तियों में आरक्षण कोटा पूरा किया जाय, प्रवेश न्द्रीय कमेटी में आयुक्त स्तर को दलित अधिकारी की नियुक्ति की जाय, प्राइमरी स्कूल, राजकीय द्यालय, समस्त माध्यमिक विद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में दलित शिक्षकों की वर्तमान संख्या प्रकाशित ो जाय, खाली जगह निश्चित समय में भरी जाय, आरक्षण को शैक्षणिक स्वायत्ता की परिधि के बाहर या जाय, विश्वविद्यालयों के छात्रावासों में आरक्षण कोटा पूरा किया जाय, शोध छात्रवृत्ति में आरक्षण या जाय, पब्लिक स्कूलों में आरक्षण, प्रोफेशनल शिक्षा में छात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति की दर 26 जनवरी, 950 से मंहगाई वृद्धि के आधार पर निर्धारित की जाय । छात्रवृत्ति हेतु अभिभावक की आय की सीमा समाप्त की जाय तथा राज्य खर्च पर दलितों को शिक्षा की व्यवस्था की जाय, आदि ।

जी हां ।

शासन द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु जुलाई, 1978 से ही प्रख्यापित शासनादेश द्वारा अशासकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों हेतु 18%, जनजाति हेतु 2% तथा पिछड़े वर्गो हेतु 15% के आरक्षण की व्यवस्था है । अशासकीय विद्यालयों में आरक्षण कोटा पूरा करने की कार्यवाही चल रही है । पब्लिक स्कूलों में आरक्षण वर्तमान में इसलिये नहीं है कि उनके द्वारा सरकार से कोई अनुदान नहीं प्राप्त किया जाता । ऐसे विद्यालयों में 10% स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के प्रवेश के लिये सुरक्षित रखे जाने का प्राविधान है । समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति/विमुक्त जाति के पात्र लाभार्थियों को छात्रवृत्ति देने की योजना संचालित है । वित्तीय वर्ष 1990-91 से उपरोक्त वर्गो के छात्रों को छात्रवृत्तियां अधिक से अधिक संख्या में उपलब्ध कराने हेतु सीमित संसाधनों को देखते हुए आच्छादन बढ़ाया गया । कक्षा-9 व 10 में शत-प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाती है । अस्वच्छ पेशे में लगे अभिभावकों के बच्चों को भी छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की योजना संचालित है । वित्तीय वर्ष 1990-91 में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये समाज कल्याण विभाग द्वारा 15 छात्रावासों का निर्माण कराया गया था 8 स्वैच्छिक संस्थाओं को छात्रावास के निर्माण

हेतु अनुदान दिया गया । वर्ष 1991-92 में 02 स्वैच्छिक संस्थाओं को छात्रावास निर्माण हेतु अनुदान दिया गया है । जहां तक उपरोक्त वर्गों के छात्रों के परिवारों को मुआवजा दिये जाने का प्रश्न है ऐसी कोई योजना राज्य सरकार द्वारा संचालित नहीं है । और न ही उपलब्ध वित्तीय संसाधनों को देखते हुए संभव है ।

जहां तक उच्च शिक्षा का संबंध है, विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियमों में शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पदों में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है ।

प्राविधिक शिक्षा विभाग एवं चिकित्सा विभाग आदि के संबंध में सूचना अभी प्राप्त नहीं की जा सकी है ।

जनपद हरदोई के विद्यालयों में कार्यरत लिपिकों की संख्या एवं उन्हें प्रोन्नत वेतनमान आदि की सुविधा दिये जाने की मांग

156–श्री खालिद गौरी–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के माध्यमिक सहायता व असहायता प्राप्त विद्यालयों में अलग-अलग कितने लिपिक कार्यरत हैं क्या इन लिपिकों को प्रोन्नत वेतनमान दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इनको प्रोन्नत वेतनमान देने पर विचार करेगी ? क्या इन लिपिकों को नकदीकरण की सुविधा प्राप्त है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद लखनऊ में इस्लामियां इन्टर कालेज के सेवा निवृत्त अध्यापक श्री फरीद उद्दीन अय्यवी के अवशेष वेतन एवं पेंशन भुगतान किये जाने की मांग

157–श्री विजय सिंह राणा–

क्या सरकार को जानकारी है कि श्री फरीदउद्दीन अय्यवी अध्यापक इस्लामियां इण्टर कालेज, लालबाग, लखनऊ, 30 जून, 1985 में सेवा निवृत्त हुए हैं परन्तु उनकी रुकी हुई वेतन वृद्धियां, सेलेक्शन ग्रेड और उसका अन्तर जो उन्हें 1966 से मिलना था अभी तक नहीं मिला है और न ही बढ़े हुए वेतनमान से उनकी पेंशन का ही अभी तक निर्धारण किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार श्री अय्यूब को रुकी हुई वेतन वृद्धियां सेलेक्शन ग्रेड, उसका अन्तर और पेंशन (बढ़ी हुई) दिये जाने का तत्काल आदेश देने एवं इस संबंध में शिथिलता बरतने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने का आदेश करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद सिद्धार्थनगर में महात्मा गौतम बुद्ध उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय जोगिया उदयपुर के प्रधानाचार्य का नाम एवं वेतन भुगतान का आधार

158–श्री शिव लाल मित्तल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सिद्धार्थनगर के जोगिया-उदयपुर में कोई उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय है ? यदि हां, तो उसके प्राचार्य का नाम क्या है और उन्हें नियमित रूप से प्रतिमाह वेतन का भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो वेतन के भुगतान का आधार क्या है ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां, इस विद्यालय का नाम महात्मा गौतम बुद्ध उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जोगिया उदयपुर सिद्धार्थनगर है ।

उक्त विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती कमला साहनी हैं । इन्हें प्रबन्धक द्वारा प्रमाणित उपस्थिति के आधार पर प्रतिमाह वेतन का भुगतान किया जा रहा है ।

प्रदेश हाईस्कूल एवं इण्टरमीडियेट से संलग्न प्राइमरी पाठशालाओं को शासन की सूची में सम्मिलित किये जाने की मांग

159–श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में हाईस्कूल व इण्टरमीडियेट से संलग्न प्राइमरी पाठशाला जो 1970 के पूर्व से मान्यता प्राप्त है उनमें से शासन की सूची में कितने टूट गये हैं तथा कितने संचालित हैं ? क्या इनमें से भी कुछ विद्यालय शासन की सूची से छूट गये ? यदि हां, तो उनका नाम क्या है ? क्या छूटे हुए विद्यालयों को सरकार तत्काल वेतन वितरण अधिनियम में लेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

325 बालक विद्यालय अनुदानित हैं ।

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर विचार किया जा सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी में विकास कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक श्री जगदीश चन्द्र श्रीवास्तव के विरुद्ध लगाये गये आरोप की शीघ्र जांच कराने की मांग

160–श्री दलबीर सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद में विकास कार्यालय के लिपिक श्री जगदीश चन्द्र श्रीवास्तव 2 वर्ष पूर्व जिला कृषि अधिकारी, बाराबंकी के कार्यालय से प्रशासनिक आधार पर हटाये गये थे और उनके विरुद्ध जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय में की गयी अनियमितताओं की जांच चल रही है ? यदि हां, तो पुनः श्री श्रीवास्तव को उसी कार्यालय में किस प्रकार स्थानान्तरण कर दिया गया है ? क्या मंत्री जी श्रीवास्तव को हटाकर उनके विरुद्ध चल रही जांच को शीघ्र पूरा करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

श्री श्रीवास्तव वरिष्ठ लिपिक का स्थानान्तरण तत्कालीन जिला अधिकारी द्वारा कार्यालय की सम्बद्धता समाप्त करने तथा पारस्परिक स्थानान्तरण की सहमति पर किया गया है ।

जी हां ।

जनपद सुल्तानपुर में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा बनवाये गये मार्गों की मजदूरी के भुगतान के संबंध में गठित समिति की जांच रिपोर्ट की जानकारी

161–श्री तेजभान सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गौरगिंडा-सुल्तानपुर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1984-85 में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा कितने ऐसे मार्गों का निर्माण कराया गया था, जिनके मजदूरी का भुगतान अभी लम्बित है ? क्या इस संबंध में उ० प्र० शासन के पत्रांक 256/86-87/प्रा० अनु०/एन०आर० ई० पी० द्वारा कोई जांच करवायी गयी थी ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच, उ० प्र० शासन द्वारा गठित एक समिति द्वारा भी दिनांक 21-4-86 व 24-4-86 को की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त जांच समिति की रिपोर्ट क्या सदन के पटल पर रखी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की ज़ा रही हैं ।

निदेशक माध्यमिक शिक्षा का निर्धारित कालावधि के पश्चात स्थानान्तरण

162–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि वर्तमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा इस पद पर कितने समय से कार्यरत है ? निदेशक पद पर एक ही व्यक्ति को रखने का क्या मानक निर्धारित है ? क्या अन्य राजपत्रित अधिकारियों की भांति निदेशक माध्यमिक शिक्षा के लिये निर्धारित कालावधि के पश्चात स्थानान्तरित किये जाने का कोई नियम है ? यदि नहीं, तो कब तक लागू किया जाना प्रस्तावित है ? तीन वर्ष के बाद भी वर्तमान निदेशक किन नियमों के तहत एक ही पद पर कार्यरत हैं ?

श्री राजनाथ सिंह–

वर्तमान शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) दिनांक 1-12-86 से कार्यरत हैं ।

इस हेतु कोई मानक निर्धारित नहीं है ।

जी नहीं ।

ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

इस प्रकार का कोई नियम नहीं है ।

नेशनल गर्ल्स इण्टर कालेज में प्राधिकृत नियन्त्रक नियुक्त किए जाने की मांग

163–श्री अब्दुस्सलाम–

क्या शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश विधान सभा के वर्ष 1992 के प्रथम सत्र के तीसरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न 109 के क्रम में यह बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल गर्ल्स इण्टर कालेज, बाराबंकी में प्राधिकृत नियन्त्रक की नियुक्ति अब किस स्तर पर, कितने समय से लम्बित है और क्यों ? क्या शासन द्वारा शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश से उक्त संस्था में प्राधिकृत नियन्त्रक नियुक्त करने हेतु बार-बार मांगी

जा रही सिफारिश एवं प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो सरकार कब तक उक्त संस्था में प्राधिकृत नियन्त्रक नियुक्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज़नाथ सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

(अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने से व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब मैं नियम 301 की सूचनाओं को लेता हूं । मेरा विशेष रूप से सदस्यों से आग्रह है कि 4 बजे विनियोग विधेयक होगा, आप संक्षेप में ही बात कहेंगे तो अच्छा होगा ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मेरा एक निवेदन है कि आज कल और परसों तीन दिन ही सदन है । मेरा एक आपसे आग्रह है कि 301 की जितनी सूचनाएं आ रही हैं, उनको स्वीकार कर लीजिए ।

श्री अध्यक्ष–

कल और परसों के लिए विचार कर लेंगे ।

आज दिनांक 11 मई, 1992 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अंतर्गत कुल 35 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । प्राप्त सूचनाओं में से चयनित एवं शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 10 सूचनाएं स्वीकार की गईं ।

पहली सूचना श्री पूरणमासी पंकज की है ।

(सूचना देने वाले मा० सदस्य सदन में उपस्थित नहीं है ।)

दूसरी सूचना श्री मोहम्मद मुकीम की कैम्पवेल रोड नियर एक्जान मांटेसरी स्कूल, लखनऊ का विद्युतीकरण कराने के संबंध में है ।

तीसरी सूचना श्री मातवर सिंह काण्डारी की जामनीबाल बगडुवालधार लक्ष्मोली मोटरमार्ग (टिहरी गढ़वाल) के अधूरे निर्माण को पूरा कराने के संबंध में है ।

चौथी सूचना श्री राम गोविन्द चौधरी की बलिया जनपद के ब्लाक चिलकहर एवं नगरा के कुछ गांवों में उत्पन्न गंभीर पेयजल संकट के संबंध में है ।

पांचवी सूचना श्री राम प्रताप सिंह की है ।

(सूचना देने वाले मा० सदस्य सदन में उपस्थित नहीं है ।

छठी सूचना श्री किंशनगोपाल की आगरा में फैली बीमारियों से छुटकारा दिलवाने एवं कीटनाशक दवाएं छिड़काने के संबंध में ।

सातवीं सूचना श्री भारत सिंह रावत की गढ़वाल के कालागढ़ बवनखंड के पेड़ सूख जाने से आग लगने की आशंका के संबंध में है ।

8वीं सूचना श्री राम चन्द्र चौधरी की लोक सेवा आयोग से चयनित ए०टी०एफ०वन प्रभाग में कार्यरत अनुसूचित जाति के कर्मियों को प्रोन्नति देने के संबंध में है ।

9वीं सूचना श्री स्वामीनाथ यादव की देवरिया की सलेमपुर तहसील में छोटी गंडक पर बने बंधे को पूरा निर्मित कराने के संबंध में है ।

10वीं सूचना श्री अमरेश चन्द्र पांडेय की प्रदेश में जिला परिषदों द्वारा आरोपित संपत्ति विभवकर ग्रामसभाओं को अंशदान के रूप में देने के संबंध में है ।

चूंकि दो मा० सदस्य अनुपस्थित हैं । अतः मैं प्रतीक्षा सूची से सूचनाएं लेता हूं । प्रतीक्षा सूची में पहली सूचना श्री दल सिंगार यादव की है ।

(सूचना देने वाले मा० सदस्य सदन में उपस्थित नहीं हैं)

प्रतीक्षा सूची से दूसरी सूचना श्री विशम्भर प्रसाद निषाद की बांदा के विकास खण्ड तिंदवारी जसपुरा में सर्वे कराकर राजकीय नलकूप लगवाने के संबंध में है ।

प्रतीक्षा सूची की तीसरी सूचना श्री फरीद महफूज किदवई की बाराबंकी में प्राइवेट मैनजमेंट द्वारा जूनियर हाई स्कूलों को वर्ष 90-91 व 91-92 की क्षतिपूर्ति की धनराशि दिलाने के संबंध में है ।

यह दो सूचनाएं प्रतीक्षा सूची से स्वीकार की जा रही हैं । अन्य सूचनाएं अस्वीकृत की गयीं ।

(सदन की सहमति से सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

कैम्पवेल रोड नियर एक्जान माण्टेसरी स्कूल, लखनऊ क्षेत्र का विद्युतीकरण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री मोहम्मद मुकीम–

[मान्यवर, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, से उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि कैम्पवेल रोड नियर एक्जान मांटेसरी स्कूल हसनगंज बावली लखनऊ क्षेत्र में पहले से विद्युत लाइन नहीं है । यहां के 12 नागरिकों द्वारा क्षेत्र का विद्युतीकरण कराये जाने हेतु ऐशबाग पावर स्टेशन, लखनऊ द्वारा निर्धारित 7 (सात) पोल की लाइन का इस्टीमेट रु० 32,334 स्वीकार किया गया था, को यहां के नागरिकों द्वारा समय सीमा के अन्दर जमा कर दिया गया है, परन्तु खेद है कि अभी तक बिजली विभाग द्वारा इस क्षेत्र का विद्युतीकरण नहीं कराया गया है । मान्यवर, इस क्षेत्र के नागरिकों के छोटे-छोटे बच्चे व परिवार के सदस्य बिजली न होने के कारण गर्मी से परेशान हैं । इनके बच्चे बिजली न होने के कारण पढ़ाई-लिखाई नही कर पर रहे हैं । अंधेरा रहने के कारण इस क्षेत्र में काफी चोरियां हो रही हैं ।

मान्यवर, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को स्वीकार करते हुए सरकार को इस कार्य को शीघ्र निस्तारित करने हेतु निर्देश देने का कष्ट करें ।]

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जामगीखाल बगुडवा लधार लक्षमोली मोटर मार्ग (टिहरी गढ़वाल) के अधूरे निर्माण को पूरा कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

[मान्यवर, जनपद टिहरी गढ़वाल में जामनी खाल बगुडवा लधार-लक्षमोली मोटर मार्ग विगत 10 वर्ष से अधर में लटका हुआ है। यह मोटर मार्ग वन भूमि के प्रस्ताव शासन को न भेजे जाने के कारण निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है। यदि यह मोटर मार्ग बन जाता है तो लगभग 45,000 जनता को यातायात की सुविधा मिल पायेगी।

अतः मेरा अनुरोध है कि लो० नि० वि० तथा वन विभाग टिहरी गढ़वाल को निर्देशित किया जाये कि वन भूमि का प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति हेतु शासन को भेजा जाय।]

जनपद बलिया के ब्लाक चिलकहर के कतिपय गांवों में गंभीर पेयजल संकट उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम गोविन्द चौधरी–

[मान्यवर, बलिया जनपद के ब्लाक चिलकहर के ग्राम संवरा, गोपालपुर इड़िमान पुर, पाण्डेपुर तथा नगरा ब्लाक के ग्राम सिसवार कलां, रघुनाथपुर आदि सैकड़ों गांवों में पानी का स्तर नीचे गिर जाने के कारण सभी कुएं सूख गये हैं हैंड पम्प ने पानी देना बन्द कर दिया है यहां तक की ट्यूबवेल भी अब सूख रहे हैं पानी के लिए गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। लोग 3-4 किलोमीटर दूर से पीने का पानी ला रहे हैं प्रत्येक वर्ष गर्मी के दिनों में यह हालत इन गांवों की होती है हर वर्ष विधान सभा में इस प्रश्न को उठाया जाता है परन्तु आज तक शासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई जिसके कारण लोग पानी के अभाव में मरने के कगार पर पहुंच गये हैं।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बीय विषय पर माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट कर उन गावों में जल निगम के हैण्ड पम्प तत्काल लगाये जायं तथा जब तक हैण्ड पम्प नहीं लग जाते वहां पर टैंकर के द्वारा पानी का प्रबन्ध किया जाय।]

आगरा महानगर के कतिपय क्षेत्रों में मलेरिया, चेचक, खसरा, हैजा आदि बीमारियों के भयंकर प्रकोप के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री किशन गोपाल–

[मान्यवर, आगरा महानगर में मलेरिया, चेचक, खसरा, हैजा आदि बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। आगरा पश्चिम में छिपेरी, राजामण्डी, पुनियापाड़ा, लोहामंडी, नगला, कलीर, बापूनगर, खन्दारी खां, खवासपुरा, नगला भगवती, नगला अनीता, ट्रांसपोर्टनगर, अर्जुननगर, राजनगर अयोध्याकुंज, नगला मोहन, केदार नगर, घड़ी अदोरिया सिकंदरा आदि क्षेत्रों में अत्यन्त मच्छरों के प्रकोप व बढ़ती गन्दगी के कारण बीमारियां फैल रही हैं। जगह-जगह गड्ढों में पानी गन्दा भरा हुआ है जिससे बीमारियां और अधिक बढ़ने की आशा है।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आपसे अनुरोध है कि उक्त भयानक बीमारियों के रोकथाम हेतु बच्चें के टीके व समस्त आगरे में कीट नाशक दवा के छिड़की गई तो महामारी फैलने की पूरी आशंका है । तुरन्त गंभीरता से लेकर बढ़ती बीमारी पर काबू पाने हेतु कार्यवाही के आदेश देने का कष्ट करें ।]

गढ़वाल जनपद के कालागढ़ वन खण्ड के कतिपय क्षेत्रों में सूखे लाखों पेड़ों के दोहन हेतु शासन से मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भारत सिंह रावत–

[मान्यवर, गढ़वाल जनपद के कालागढ़ वन खण्ड के मनदाल, अदनाला व सोनी नदी रजि में लाखों पेड़ सूख गये हैं । आग लगने की संभावना बनी हुई है आग लगने पर सूखे पेड़ जलने से संपूर्ण हरे जंगल इस क्षेत्र के नष्ट हो जायेंगे इन सूखे पेड़ों के दोहन से सरकार को करोड़ों रुपया मिल सकता है एवं आग का खतरा भी नहीं होगा और शेष वन बच जायेंगे ।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न को आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में ला रहा हूं । निवेदन करता हूं कि शासन को सूखे पेड़ों से दोहन हेतु निर्देशित कर दें ।]

प्रदेश के लोक सेवा आयोग से चयनित ए० सी० एफ० वन प्रभाग के अनुसूचित जाति के कर्मियों को प्रोन्नति दिये जाने की मांग के संबंध में नियम 301के अन्तर्गत सूचना

श्री राम चन्द्र चौधरी–

[मान्यवर, आपके माध्यम से अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न माननीय सदन के समक्ष रखना चाहता हूं ।

उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत लोक सेवा आयोग से चयनित ए० सी० एफ० वन प्रभाग जो 17 वर्षों से ए० सी० एफ० पद पर कार्यरत हैं, उनकी प्रोन्नति नहीं की गयी । अनुसूचित जाति के ऐसे कितने ए० सी० एफ० हैं जो 17 वर्षों से कार्यरत हैं । शासनादेश के बावजूद आज तक प्रोन्नति करके डी० एफ० ओ० क्यों नहीं बनाया गया जबकि अनुसूचित जाति के लोक सेवा आयोग से चयनित 17 वर्षों से कार्यरत ए० सी० एफ० को डी० एफ० ओ० बना देना चाहिये था । ऐसा नहीं किया गया जो शासन की नीतियों का खुला उल्लंघन किया गया है ।

अतः आपसे आग्रह है कि प्रदेश के लोक सेवा आयोग से चयनित ए० सी० एफ० वन प्रभाग को डी० एफ० ओ० बनाये जाने पर बल दें ।]

देवरिया जनपद की सलेमपुर तहसील में छोटी नदी गण्डक पर कई स्थानों पर बने अधूरे बन्धे को पूर्ण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री स्वामी नाथ यादव–

[मान्यवर, देवरिया जनपद के सलेमपुर तहसील में छोटी नदी गण्डक पर बना बन्धा कई स्थानों पर अधूरा होने के कारण जैसे दनपुर से सबरेजी मठदनउर से बनकटा मिश्र तथा जिरासों से नदावर घाट का बन्धा अवशेष होने के कारण जब भी बाढ़ आती है पूरा तहसील बाढ़ के पानी से डूब से जाता है । विभाग द्वारा कई बार इसका सर्वे करा गया परन्तु अवशेष बन्धा आज तक पूरा नहीं किया गया । यदि अवशेष बन्धा पूरा करा दिया जाय तो पूरी तहसील को बाढ़ से बचाया जा सकता है ।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना जाय ।

नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाकर अवशेष बन्धे के निर्माण की मांग करता हूं।]

प्रदेश में जिला परिषदों द्वारा आरोपित संपत्ति विभव कर के ग्राम सभाओं का अंशदान के रूप में देने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

[मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश में जिला परिषद आरोपित संपत्ति विभव कर में ग्राम सभाओं को भी अंशदान देने का प्राविधान उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम में है। लेकिन पूरे प्रदेश की कोई भी जिला परिषद् ग्राम सभाओं को अंशदन के रूप में कोई धन नहीं देती जिससे ग्राम सभाओं के विकास में जिला परिषद् का कोई सहयोग नहीं रहता इस समय वर्तमान सरकार द्वारा ग्राम सभाओं को अंशदान देने के बजाय ग्राम सभाओं की छोटी-छोटी बाजारें जो सप्ताह में दो-तीन दिन लगती है उसमें जिला परिषद् द्वारा तहबाजारी को नीलामी कर पूरे प्रदेश के ग्राम सभाओं की आमदनी के स्रोत को भी प्रभावित कर दी थी जिससे ग्राम सभाओं का विकास अवरोधित हुआ है। इस तहबाजारी के नीलामी को रोकना जनहित तथा ग्राम सभाओं के हित में आवश्यक है।

अतः इस महत्वपूर्ण मामले को सदन के संज्ञान में लाते हुए आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि शासन की स्थिति स्पष्ट कराने की कृपा करें।]

जनपद बांदा के कतिपय ग्रामों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[मान्यवर, मैं आपका तथा सदन का ध्यान सिंचाई कृषि की महत्वपूर्ण आवश्यकता की तरफ दिलाना चाहता हूं जनपद बांदा के विकास खण्डों के ग्रामों में सिंचाई की व्यवस्था की अत्यन्त कमी है। पम्प नहरों व कैनाल रजबाह से टेल तक कभी भी पानी नहीं पहुंचता है इसलिए निम्नलिखित ग्रामों में सर्वे कराकर एक-एक राजकीय नलकूप लगवाये जायं :– भुगौली, बेन्दा, भुजरख, अरसोन्डा, सैमरी, धौसड, रेहुटा, खप्टिहाकला, अतरहट, भवानीपुर विकास खण्ड तिन्दवारी तथा सिन्धनकला, महबरा, इछावर, सोनामऊ, कानाखेड़ा, सिकहुआ, सबादा, नादादेव, पडोहरा, अंदरी विकास खण्ड जसपुरा।]

जनपद बाराबंकी में प्राइवेट मैनेजमेंट द्वारा जूनियर हाई स्कूलों को (वर्ष 90-91 व 91-92) क्षतिपूर्ति की धनराशि दिलाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री फरीद महफूज किदवई–

[मान्यवर, जनपद बाराबंकी में प्राइवेट मैनेजमेंट द्वारा चल रहे जूनियर हाई स्कूलों को पिछले वर्ष अर्थात् 1990-91 व 1991-92 के लिए क्षतिपूर्ति की धनराशि अभी तक नहीं दी गयी है। जिसके नतीजे में वहां के अध्यापकों को पूरा वेतन नहीं मिल पा रहा है तथा स्कूलों का सुचारू रूप से संचालन नहीं हो पा रहा है। क्षतिपूर्ति की यह धनराशि सरकार द्वारा ए० डी० बेसिक फैजाबाद के दफ्तर में जमा भी है परन्तु स्कूलों को यह धनराशि नहीं दी जा रही है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मैं चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।]

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं व्यवस्था का प्रश्न गम्भीरता के साथ इसलिए उठा रहा हूं कि समाचार-पत्रों में छपी बात का संज्ञान नहीं लिया जा सकता है। लेकिन सदन का अवमान हो तो संज्ञान लिया जा सकता है। आज के अखबार के ऊपर ध्यान दिलाना चाहता हूं इसमें लिखा है कि इस प्रदेश सरकार के ढाई दर्जन मंत्री [xxx] हैं उनकी आवाज ही नहीं निकलती है।

श्री अध्यक्ष–

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता है आप नियमावली उठाकर देख लें।

(श्री प्रमोद तिवारी के पुनः बोलने का प्रयत्न करने पर)

यह [xxx] शब्द लिखा नहीं जायगा। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

अब मैं नियम 300 की सूचनायें ले रहा हूं।

आज दिनांक 11-5-92 को नियम 300 के अन्तर्गत जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं उनमें पहली सूचना श्री कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री प्रमोद तिवारी, श्री हृदय नारायण दीक्षित तथा श्री विजय पाल सिंह तोमर एवं श्री स्वामीनाथ यादव की है।

दूसरी सूचना श्री राम गोविन्द चौधरी की है।

तीसरी सूचना श्री निर्वेन्द्र कुमार मुन्ना की है।

चौथी सूचना श्री फरीद महफूज किदवई और श्री मोहम्मद आजम खां की है।

पांचवी सूचना श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय की है।

छठी सूचना श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी की और श्री विशम्भर प्रसाद निषाद की है।

यह सूचनायें नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आतीं। लेकिन मैं श्री रेवती रमण सिंह जी को और श्री राम गोविन्द चौधरी जी को सुनूंगा।

वित्तीय वर्ष 1991-92 में प्रदेश में दवायें क्रय न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में औचित्य का प्रश्न

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

मान्यवर, आपको याद होगा कि 21 मार्च, 92 को इसी सदन में नियम 311 के अन्तर्गत इस प्रदेश में 91-92 में 20 करोड़ रुपये की दवा नहीं खरीदे जाने के बारे में मामला उठाया था। आपको स्मरण होगा कि मैंने यह भी कहा था कि इस मामले को नियम 56 के रूप में ग्राह्य करना चाहिए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[समय 12 बजकर 30 मिनट]

लेकिन मान्यवर, जब राजस्व मंत्री जी अपना जवाब दे रहे थे तो उनका जवाब सुनने के बाद मैंने यह निश्चय किया कि आपके कहने के बावजूद, आपने तो हमको यह स्मरण कराया कि आप तो पेश करने वाले थे और अब आप भी कुछ नहीं कह रहे । तो मैंने कहा कि जब समय आयेगा तो मैं सभी तथ्य सदन के सामने लाऊंगा तो मान्यवर, इसलिए मैंने उस समय प्रेस नहीं किया था । एक मान्य परम्परा कि सदन की जो कुछ भी बात कही जाय सदन में सही कही जाय, सत्य से परे बात न कही जाय । मान्यवर, उस दिन हम लोगों ने बल पूर्वक बात कही थी कि 1991-92 में बीस करोड़ की दवा नहीं खरीदी गयीं । उस दिन माननीय राजस्व मंत्री जी जो स्वास्थ्य मंत्री के रूप में जवाब दे रहे थे, बहुत ही बल पूर्वक और बड़ी ही दृढ़ता से यह बात कही थी कि बीस करोड़ की दवा निश्चित रूप से खरीदी गयी है और मा० नेता विरोधी दल जी कह रहे हैं वह सही नहीं है । मैं कुछ तथ्य आपकी आज्ञा से आपके संज्ञान में तथा पूरे सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । मान्यवर, उन्होंने हवाला दिया यहां से एक जी० ओ० इश्यू हुआ था जिसमें यह आदेश दिये गये थे कि पुराने भुगतान न किये जायं और दवाओं को खरीदा जाय । लेकिन उसी दिन मान्यवर, कहा गया था कि जो जी० ओ० इश्यू किया था उसका पालन नहीं किया गया है । मान्यवर, मैंने जो जानकारी प्राप्त की है । 1991-92 में बीस करोड़ बाइस लाख रुपये का बजट में प्राविधान किया गया था दवाओं को खरीदने के लिए । लेकिन मान्यवर, 4 करोड़ 4 लाख रुपये केन्द्रीय औषधि भण्डार को एवं 15 करोड़ 8 सौ सड़सठ लाख रुपये बिलों में दवाओं का क्रय हेतु प्राविधान किया गया लेकिन मान्यवर, सभी जनपदों में जो यह भेजा गया उसमें केन्द्रीय औषधि भण्डार से खरीदने के लिए प्राविधान किया गया । मैं तत्कालीन महानिदेशक श्री डी० पी० माथुर द्वारा प्रेषित अर्ध प० सं० 5फ/97वी/88/3952-4252, दिनांक 2 मई, 1991 की दो लाइनें पढ़ना चाहता हूं ।

स्वीकृत आवंटन के विरुद्ध पहले पूर्व वर्ष की औचित्यपूर्ण लायबिलिटीज भुगतान की जानी हैं, जहां अनौचित्यपूर्ण लायेबिलिटीज हैं, वहां भुगतान न करते हुए साक्ष्यों के साथ उसके अनौचित्यपूर्ण दायित्व की विश्लेषात्मक रिपोर्ट भेजी जाय । अतः नये कर्यों/योजनाओं में व्यय उसी दशा में किया जायेगा जब औचित्यपूर्ण लायबिलिटीज का भुगतान पूर्ण हो जाय । मान्यवर, इस जी० ओ० से, 22 जनवरी, 92 के जी० ओ० का हवाला माननीय मंत्री जी ने दिया था । मान्यवर, स्पष्ट है कि इस जी० ओ० के बाद प्रदेश में 2 मई को जो महानिदेशक स्वास्थ्य का जी० ओ० गया, उसमें यही था कि पुरानी जो लायबिलिटीज थीं पहले उसका भुगतान करने के लिए पैसा दिया गया, नई दवायें जो 20 करोड़ 22 लाख की थीं वह नहीं खरीदी गयीं । इसी तरह मान्यवर, आप देखें जो जिलों में आवंटन किया गया 15 करोड़ 8 सौ सड़सठ लाख का उसका भी पुराने बिलों में भुगतान होता रहा ।

मान्यवर, 8 माह तक अनवरत पुराने बिलों का भुगतान शासन के आदेश के बावजूद स्वास्थ्य विभाग ने किया । करोड़ 9 लाख 43 हजार रुपया 31 मार्च को सरेन्डर कर दिया गया । उक्त से स्पष्ट है कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने 22 जनवरी, 1992 के शासनादेश का उल्लेख तो किया किन्तु बजट के आवंटन के साथ महानिदेशक द्वारा भेजे गये दिनांक 2 मई, 91 के आदेश का उल्लेख न करके सदन को भ्रमित एवं गुमराह करते हुए असत्य सूचना दी । इसी तरह से देखें केन्द्रीय औषधि भण्डार को आवंटित बजट रु० 4.04 करोड़ रुपये की दवा क्रय का ब्रेक अप देना चाहता हूं । उक्त धनराशि में से 84 लाख रुपया पी० एल० एफ० में डाल दिया गया । 2.59 करोड़ रुपया तत्कालीन संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, श्री राजू शर्मा द्वारा जारी अं० शा० पत्र/सेक–2/32/91, दिनांक 31 मई, 1991 द्वारा दिनांक 3-6-91 से 7-8-91 तक वर्ष 90-91 में क्रय की गयी दवा के पुराने बिलों का अनियमित एवं अवैधानिक

ढंग से 91-92 के बजट से भुगतान किया गया । एक बात होती तो मान ली जाती लेकिन जो जवाब दिया गया उसमें इस बात का उल्लेख नहीं किया गया कि 90-91 के बिलों का भुगतान 91-92 में किया गया । इससे स्पष्ट होता है कि पुराने बिलों के भुगतान में 2.59 करोड़ एवं 84 लाख रुपया पी० एल० एफ० में जमा कर देने के उपरान्त शेष बची धनराशि रु० 61 लाख भी केन्द्रीय औषधि भण्डार द्वारा 90-91 के पेंडिंग बिलों के भुगतान में खर्च किया गया । इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो सरेन्डर किया गया और जो पुराने बिलों के भुगतान में खर्च किया गया, 5 करोड़, 13 लाख, 43 हजार की दवा 91-92 में नहीं क्रय की जा सकी है । हमारे पास और जिलों के आंकड़ें नहीं हैं लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सदन को इस तरह से गुमराह नहीं करना चाहिये । यह सदन की अवमानना है और राजस्व मंत्री जी ने बल पूर्वक कहा था कि 20 करोड़ रुपया की दवा खरीदी गयी है और मेरी जानकारी है कि के० जी० एम० सी० में दवा उपलब्ध नहीं हुई, काटन बेन्डेज तक नहीं मिली, जो जीवन रक्षक दवाइयां थीं वह नहीं मिलीं जब यहां पर यह हालत है तो दूरस्थ इलाकों का क्या हाल होगा । मान्यवर, दूरस्थ इलाकों में तो दवा की एक टिकिया तक नहीं है, लाल दवा नहीं है तो इस तरह से भ्रामक उत्तर देकर सदन की अवमानना की है, आप इस सदन के संरक्षक हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस तरह से भ्रामक और सदन को गुमराह करने वाले उत्तर मंत्री जी ने दें इससे सदन की अवमानना होती है और निश्चित रूप से प्रदेश का 14 करोड़, जनता के साथ एक क्रूर मजाक है और ऐसे गंभीर मामले को देखकर आपका यह दायित्व बनता है कि इस तरह से जो सदन की अवमानना की गयी है, तो आप इस पर तत्काल कार्यवाही करें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं माननीय नेता विरोधी दल की बात पर बल देता हूं और केवल यही कहना चाहता हूं कि यह प्रश्न जब उठाया गया था तो हम लोगों ने इस संबंध में जानकारी दी थी, आप जानकारी कर लें इसका उपयोग नहीं हुआ है, यह प्रदेश की 14 करोड़ जनता का प्रश्न है, जीवन रक्षक दवाएं न उपलब्ध होने का प्रश्न है । हमने इस प्रश्न को गंभीरता से लिया था और इसका उत्तर 21 मई, 1992 को आया था और हमने बार-बार यह कहा था कि 2 मई, 1991 को जो सूचना जारी की गयी है उसके अनुसार दवाएं नहीं खरीदी जा सकी हैं । लेकिन मान्यवर, माननीय राजस्व मंत्री ने बलपूर्वक यह कहा कि दवाओं का उपयोग हो गया है । दिनांक 2 मई को पत्र जायेगा और 31 मार्च तक इसके होने का प्रश्न हीं नहीं उठता । यह करोड़ों लोगों की जिन्दगी से जुड़ा प्रश्न है और माननीय राजस्व मंत्री ने गलतबयानी करके सदन को गुमराह किया है और इससे भारतीय जनता पार्टी की गरीबों के प्रति नीयत का परिचय भी होता है । अंत में मैं माननीय नेता विरोधी दल की बात पर बल देते हुये आपसे यह अनुरोध करता हूं कि माननीय मंत्री जी को सदन मे गलत सूचना देने के लिये दंडित करें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन्, प्रदेश के किसी भी अस्पताल में गत वित्तीय वर्ष में दवाओं का न पहुंचना बड़ा गंभीर मामला है । यह मामला दो बार सदन में आ चुका है और सरकार की तरफ से इस पर उत्तर संगत नहीं आया । यदि माननीय संसदीय कार्य मंत्री की तरह से टाला जाता, तो दूसरी बात थी । लेकिन इस पर सरासर झूठ बोला गया है, इसलिये यह गंभीर मामला बन चुका है । एक निश्चित धनराशि, जिसके बारे में नेता विपक्ष ने आपके सामने बताया, जनपदों को भेज दी गयी और जिले के मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देश दिये गये, खरीद के तरीके लिख भेजे गये जिसे नई क्रय नीतिं बताया गया । सभी चिकित्साधिकारियों से कहा गया कि आप औषधि निश्चित कारखानो से ही खरीदेंगे, जो सरकारी हैं ।

औषधि निर्माण की जो सरकारी संस्थायें हैं, उनको मुख्य चिकित्साधिकारियों द्वारा लगातार पत्र लिखे गये, लेकिन जैसा कि होता है, सरकारी पत्र पढ़े नहीं जाते, चूंकि सरकार का इन पर नियंत्रण नहीं है, इसलिये पत्र पढ़े नहीं गये । जिस दिन स्वास्थ्य का बजट था, उस दिन भी मैंने तमाम चिकित्साधिकारियों के इस आशय के पत्र यहां दिखाये थे । महानिदेशक स्वास्थ्य को भी लिखा गया था कि वह मार्ग दर्शन करें। उन सरकारी कारखानों से मुख्य चिकित्साधिकारियों को न तो दवायें प्राप्त हुयीं और न ही महानिदेशक की तरफ से मुख्य चिकित्साधिकारियों को अन्य जगह से दवायें खरीदने का कोई निर्देश मिला । आदेश यह जारी हुये कि पहले पुराने बिलों का भुगतान किया जाय । इसके अतिरिक्त दवा खरीद की जो केन्द्रीय व्यवस्था थी, वह भी पुराने बिलों का भुगतान करने में सारे का सारा पैसा खर्च करते रहे । एक पैसे की भी दवायें किसी भी अस्पताल को नहीं मिल पाई । मान्यवर, दवाओं से कीमती कुछ भी नहीं हो सकता और इन्सान को जिन्दगी से बड़ा सवाल कोई हो नहीं सकता । इस सदन से बड़ी और कोई जगह नहीं है, जहां झूठ बोला गया है । वैसे तो यह विशेषाधिकार का मामला बनता था, लेकिन उसमें यह लम्बित हो जाता, इसलिये नेता विपक्ष ने इसे औचित्य प्रश्न के रूप में उठाया है । मामला बहुत गंभीर है और मैं मा० नेता विपक्ष की बात पर बल देता हूं । मान्यवर, आप सरकार को इस बात को निर्देश दें कि इसका उत्तर साफ-साफ आये और अगर स्वास्थ्य मंत्री नहीं हैं तो माननीय कल्याण सिंह जी यहां आ जाया करें और साफ-साफ उत्तर देने के लिये उपस्थित हो जाया करें । वैसे मैं यह मानता हूं कि उनके पास अनेक काम हैं, लेकिन दवाओं को खरीदना झूठा उत्तर देने से सदन गुमराह हुआ है और इस प्रदेश की 14 करोड़ जनता गुमराह हुयी है, इसलिये औचित्य के प्रश्न के रूप में यह गंभीर मामला बनता है कि आप सरकार को निर्देश दें कि सरकार की तरफ से इस पर साफ-साफ उत्तर आना चाहिये ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, यह विभाग जो है, माननीय मुख्य मंत्री जी के पास है और इसलिये नैतिक जिम्मेदारी माननीय मुख्य मंत्री जी की होती है । यह मान्यवर, स्पष्ट शासनादेश है कि पहले पुराने बिलों का भुगतान किया जाय, लेकिन माननीय राजस्व मंत्री ने दहाड़-दहाड़ कर सदन में कहा कि दवायें खरीदी गयी हैं । इसलिये मान्यवर, मेरा निवेदन है कि यह नियम 300 में जो औचित्य प्रश्न के रूप में मामला आया है, इसे स्वीकार करें या फिर इसे आप विशेषाधिकार समिति को सौंप दें और नहीं तो जिन अधिकारियों ने सदन में गलत बयान दिलवाया है, उन्हें सदन में बुलाकर दंडित करवायें । यह पूरे प्रदेश की जनता से जुड़ा सवाल है और एक भी व्यक्ति की दवा खरीदी नहीं गयी है ।

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी की यह नैतिक जिम्मेदारी थी कि वह इस प्रश्न का जवाब देते । वैसे भी माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो जवाब दिया था, वह जवाब तो माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से ही दिया गया होगा । उत्तर में तो माननीय मुख्य मंत्री जी के ही दस्तखत होंगे । इसलिये मान्यवर, आप इस प्रश्न को स्वीकार करें और इसका उत्तर दिलवायें ।

* वित्त,संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता विरोधी दल व अन्य नेताओं ने इस विषय की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया था । माननीय राजस्व मंत्री जी की ओर से उस दिन शासन का पक्ष स्पष्ट कर दिया

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

था । यदि कोई गलत उत्तर हो या फिर माननीय सदस्यों को पूरा समाधान न हो सका हो तो आप नियमों को हवाला देकर स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं । सदन को गुमराह करने का कोई कारण नहीं है । आपने एक शासनादेश पढ़ा 2 मई, 1991 वाला वर्तमान सरकार ने भी 22 जनवरी को एक शासनादेश किया । 15 करोड़ रुपये की राशि की जो चर्चा की गई, इसके संबंध में एक किश्त अप्रैल के महीने में ही जारी कर दी गई थी । मैं 22 जनवरी को जो शासनादेश किया था, उसकी कुछ पंक्तियों को पढ़ देना चाहता हूं । उसमें लिखा है "इस धनराशि का उपयोग 1991-92 के लिये औषधियों के क्रय पर ही किया जायेगा । किसी भी दशा में पिछले वर्षों में क्रय की गई औषधियों के बिलों के भुगतान में नहीं किया जायेगा ।" इस बात की पूरी व्यवस्था की गई कि यह रुपया जो दिया गया है दवाइयों के क्रय पर ही खर्च किया जाय । माननीय राजस्व मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी थी । इसमें कोई भी परिवर्तन किसी तरह का नहीं है । इसलिये यह नियम 300 के अंतर्गत नहीं आता है । माननीय नेता विरोधी दल कोई और जानकारी कर लें, हम उन्हें 1-1 जिले की सूचना देने को तैयार हैं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी तो जी० ओ० का हवाला दे रहे हैं । इन जी० ओ० का हवाला तो मैंने पहले ही दे दिया है । इसके बाद के दों जी० ओ० का मैंने हवाला दिया था । कहां-कहां रुपया खर्च किया गया, कितना पी० एल० ए० में जमा किया गया और कितना पैसा वापस किया गया । इसका ब्योरेवार मैंने हवाला दिया था । हम यह कहां कह रहे हैं कि आपने जी० ओ० इश्यू नहीं किया । इस जी० ओ० के वाद भी काम नहीं हुआ और पैसा पी० एल० ए० में जमा कर दिया गया और वापस भी किया गया । 20 करोड़ की दवाइयों की खरीद नहीं की गई । इससे गंभीर प्रश्न और क्या हो सकता है ? आप इस प्रश्न को अग्राह्य करके न टालें । हम कोई अनर्गल बात तो यहां पर कर नही रहे हैं । 14 करोड़ की जनता की सेवा के लिये हम यहां पर बैठते हैं । इसलिये आप इसे स्वीकार करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय राजस्व मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी थी । इसके बावजूद भी अगर कोई विसंगति है तो उसकी सूचना वह किसी और नियम में दे दें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय नेता विरोधी दल ने जो जानकारी दी है, उसका आप परीक्षण करवा लें । माननीय नेता विरोधी दल ने व अन्य माननीय सदस्यों ने इस विषय पर अपने जो विचार व्यक्त किये हैं, यह सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आ रही है । नियम 300 के उप नियम–5 में भी दिया है "औचित्य प्रश्न विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है । " इसलिये मैं इस सूचना को अस्वीकार करता हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आपने परीक्षण कराने हेतु निर्देश दिये हैं, मैं परीक्षण करवा लूंगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, सरकार ने सही उत्तर नहीं दिया है, इसलिये मैं और मेरा दल सदन का वहिष्कार करता है ।

(नेता विरोधी दल कुंवर रेवती रमण सिंह अपने दल के अन्य माननीय सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री डी० पी० यादव, सदस्य, विधान सभा की सुरक्षा के संबंध में शासन द्वारा सदन में दिये गये आश्वासन का अनुपालन न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य का मामला आपके सामने दिया है वह बहुत महत्वपूर्ण है । मान्यवर, इस सदन में उच्च संसदीय परम्परायें, उच्च सिद्धान्त, उच्च गरिमा बनाये रखने के लिये उच्च मापदंडों की आवश्यकता है । इस सदन में माननीय सदस्यों द्वारा कही हुई बातों पर सरकार ध्यान ही न दे वरन् त्वरित कार्यवाही भी सुनिश्चित करे तब जाकर माननीय सदस्यों की गरिमा सुरक्षित रह सकती है । आये दिन माननीय सदस्य सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के उनके द्वारा जो बातें कही जाती हैं उनमें यह देखा जा रहा है उस पर शासन या अधिकारयों के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो इससे सदन में कुछ भी बोलने का कोई मतलब नहीं रह जाता है । तो इससे सदन की गरिमा ही नष्ट हो जायेगी । अगर सदन की गरिमा नष्ट हो जायेगी तो लोकतंत्र के लिये बहुत बड़ा खतरा प्रदेश में उत्पन्न हो जायेगा । मैं कहना चाहता हूं कि 9 अप्रैल को इस सदन में 311 के अन्तर्गत श्री डी० पी० यादव तथा उनके परिवार की सुरक्षा की मांग का प्रस्ताव रखा गया और मांग भी की गयी। पक्ष तथा विपक्ष दोनों तरफ के सदस्यों ने उस पर विचार व्यक्त किये थे और माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने स्पष्ट आश्वासन दिया था कि श्री डी० पी० यादव की सुरक्षा का प्रबन्ध किया जायेगा इसके बावजूद, श्रीमन्, आपने स्पष्ट निर्देश दिया था माननीय संसदीय कार्य मंत्री तथा शासन को कि श्री डी० पी० यादव की सुरक्षा के लिये अतिरिक्त व्यवस्था करें तो उसके बाद भी आज तक श्री डी० पी० यादव के संबंध में कोई प्रबन्ध शासन के द्वारा नहीं किया गया । इससे श्री डी० पी० यादव परेशान हैं और उन्होंने एक पत्र संसदीय कार्य मंत्री को लिखा कि हमको अभी तक अंगरक्षक प्रदान नहीं किया गया । जब उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई तो आपको भी पत्र लिखा । मैंने दोनों पत्रों की फोटो स्टेट कापी अपनी सूचना में संलग्न किया है और उस दिन की सदन की कार्यवाही के उस अंश की छायांकन प्रति भी दी है । अब इस मामले ने आज खतरनाक मोड़ एक और ले लिया । एक पत्र जिसकी फोटो कापी संलग्नक 5 में मैंने दी है एक कुख्यात अपराधी रजपाल ने मेरठ जेल से एक बदनाम माफिया सरगना श्री नीरज त्यागी को पत्र लिखा है जिसमें लिखा है कि श्री डी० पी० यादव को जल्दी ही समाप्त कर दिया जायेगा तथा उसके परिवार को नेस्तनाबूत कर दिया जायेगा । जो पत्र आपको मैंने दिया है । इससे परिस्थितियां आज भयंकर हो गयी हैं । जब सदन में माननीय मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन को शासन पूरा नहीं करेगा और सर्वोच्च शिखर पर आप बैठे हैं आपके निर्देशों की अवहेलना होगी तो सदन की गरिमा समाप्त हो जायेगी । यह लोकतंत्र के लिये बहुत ही खतरनाक बात है । इस तरह से सदन की दिन प्रतिदिन गरिमा घटती जा रही है इससे लोकतंत्र कमजोर हो जायेगा इस तरह प्रदेश और देश में लोकतंत्र की जड़ें उखाड़ फेंकने की साजिश चल रही है जिससे प्रदेश में और देश में तानाशाही प्रवृत्तियां पनप रही हैं । सदन में जो बात कही जाती है वह सही होती है यहां पर सही बात के सिवाय और कुछ नहीं कहा जाता है । उस पर शासन को तुरन्त कार्यवाही करनी होती है अगर नहीं की जाती है तो उससे सदन की गरिमा समाप्त हो जायेगी । जब हमारा और आपका स्वाभिमान नहीं रहेगा तो इस देश की जनता का क्या होगा लोकतंत्र के अधिकारों का क्या होगा । इस तरह से लोकतंत्र कैसे जीवित रह पायेगा । मैं आपसे आग्रह करूंगा आप पुनः स्पष्ट आदेश दें कि इस सदन के अन्दर माननीय सदस्य कोई भी बातें कहते हैं उस पर शासन तुरन्त कार्यवाही करे । जिन विषयों को माननीय सदस्य चाहे किसी पक्ष के हों अगर वह कोई बात कहते हैं तो अधिकारियों को चाहिए कि वह उस पर तुरन्त कार्यवाही करें । आज स्थिति यह है कि कोई भी बात यहां कही जाती है तो अधिकारी चाहे वह किसी विभाग से संबंधित हों कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं । यहां पर जो मानीय सदस्य बोलते हैं उसका परिणाम आज कुछ नहीं निकल रहा है । जिससे दिन प्रतिदिन इस प्रदेश का शासन विधायिका, विधायक और सदन

की गरिमा बेकार होती जा रही है । इसलिये आप स्पष्ट निर्देश दें कि आदेशों का पालन किया जाय, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, यह कहना सही नहीं है कि सदन में जो कुछ माननीय सदस्य कहते हैं या शासन का आप के द्वारा जो निर्देश दिये जाते हैं उनका पालन नहीं किया जाता है । मान्यवर, उस दिन श्री डी० पी० यादव का संदर्भ उठा कि सुरक्षा व्यवस्था की जाय मान्यवर, जो आस्तिक हैं वह समझते हैं कि सुरक्षा की व्यवस्था भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता है । लेकिन शासन और हमारा दायित्व है कि हम उनके लिये अंगरक्षक की व्यवस्था करें । मैं बताना चाहता हूं कि 7 मई को यहां से टेलेक्स, द्वारा श्री डी० पी० यादव के लिये एक गनर और एक अंगरक्षक की व्यवस्था के आदेश कर दिये गये हैं। वैसे गनर और अंग रक्षक दोनों नहीं देते हैं लेकिन श्री डी० पी० यादव की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखकर आपके कक्ष में उनसे मुलाकात हुई थी, पत्र का हवाला दिया था, हमने चेकिंग किया और मैं निश्चित रूप से बताना चाहता हूं कि 5 तारीख के टेलेक्स की फोटो कापी उपलब्ध है, एस० पी० गाजियाबाद को माननीय सदस्य को एक गनर और अंगरक्षक की तत्काल व्यवस्था कर दी जाय आदेश भेज दिये गये हैं ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, श्री डी० पी० यादव को यह सुविधा अभी नहीं मिली है ।

श्री अध्यक्ष–

शासन सुनिश्चित कर ले कि गनर और अंगरक्षक उन्हें मिल गया है कि नहीं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

ठीक है । हम सुनिश्चित करा लेंगे कि उनको गनर और अंगरक्षक मिल गया है कि नहीं ।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस सूचना को नियम 300 के अन्तर्गत अग्राह्य कर रहा हूं परन्तु माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है उसका अनुपालन आप सुनिश्चित करायें ।

नियम 300 के अन्तर्गत श्री निर्वेन्द्र कुमार, श्री फरीद महफूज किदवई और श्री मोहम्मद आजम खां, श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय, श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी और श्री विशम्भर प्रसाद निषाद की चार सूचनायें जो प्रथम दृष्ट्या नहीं आती हैं, इसलिये मैं इन्हें निरस्त करता हूं ।

ओबरा जांच आयोग की रिपोर्ट †

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से ओबरा ताप विद्युत गृह में 23 अगस्त, 1984 को हुई घटनाओं के संबंध में ओबरा जांच आयोग की रिपोर्ट को ज्ञापन एवं संकल्प सहित जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

दि प्रादेशिक इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ यू० पी० लि० की वार्षिक रिपोर्ट 1989-90 †

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से दि प्रादेशिक इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ यू० पी० लि० की वार्षिक रिपोर्ट 1989-90 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

† छापी नहीं गयी ।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992

सचिव, विधान सभा–

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन), विधेयक, 1992, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1992

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अंतर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1992 , जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 7 मई, 1992 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 8 मई, 1992 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का प्रथम प्रतिवेदन †

श्री चन्द्र मणि कान्त सिंह–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रतिनिहित विधायन समिति, उत्तर प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

इसकी प्रतियां वितरित की दी जायं।

विशेषाधिकार हनन की सूचनाओं के संबंध में जानकारी

श्री अखिलेश–

(व्यवधान) मेरी सूचना के संबंध में बता दें।

श्री अध्यक्ष–

मैं परीक्षण करवा रहा हूं लेकिन इस समय नहीं। आप बैठ जायं।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

(व्यवधान) मेरी विशेषाधिकार की सूचना पर आप विचार कर लें।

श्री अध्यक्ष–

अभी आप से बाद में बात कर लेंगे।

मेरे कार्यालय में भेज दीजियेगा। मैं परीक्षण करवा लूंगा।

श्री अखिलेश–

मैंने इसके पहले भी विशेषाधिकार हनन की एक सूचना दी थी, उसके 10-15 दिन हो गये हैं।

नियम 311 की सूचनाओं का नियम 56 में परिवर्तन

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 11 मई, 1992 को नियम 311 के अन्तर्गत प्राप्त सभी सूचनाओं को नियम 56 में परिवर्तित कर दिया गया है इस प्रकार नियम-56 के अन्तर्गत कुल 23 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें से

---

† छापा नहीं गया।

शलाका के आधार पर निम्नलिखित 10 सूचनाएं चयनित की गयीं । पहली सूचना हृदयनारायण दीक्षित जी की जनपद लखनऊ के समस्त मुकदमों को जनपद उन्नाव में संबद्ध कर दिये जाने से वादकारियों को हो रही असुविधा से उत्पन्न स्थिति पर, दूसरी सूचना सर्व श्री कुंवर रेवती रमण सिंह, प्रमोद तिवारी, ऊदल, राम गोविन्द चौधरी, दीनानाथ सिंह यादव, और नसीम उद्दीन सिद्दीकी की अफजाल अंसारी सदस्य, विधान सभा के घर पर पुलिस व पी० ए० सी० द्वारा धावा बोलकर उनके परिवार वालों को शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न किये जाने के संबंध में है । तीसरी सूचना सर्व श्री प्रमोद तिवारी, फतेहबहादुर सिंह, भोला शंकर मौर्य, श्याम सुन्दर शर्मा, सुरेन्द्र सिंह, वंशीधर राज तथा राम कृष्ण की है, जनपद गोरखपुर के जिला परिषद् अध्यक्ष, श्री गुलाब सिंह के ऊपर प्राण घातक हमला किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चौथी सूचना है श्री हरिवंश सहाय की बिहार प्रदेश की पुलिस द्वारा उत्तर प्रदेश की सीमा में घुस कर लूटपाट तथा अपहरण करने के संबंध में, और पांचवी सूचना है कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री स्वामी नाथ यादव जी की जनपद हमीरपुर के थाना मौदहा के थाना अध्यक्ष द्वारा कथित रूप से अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों का उत्पीड़न किये जाने के संबंध में । इन पांचों सूचनाओं को तो में ग्राह्यता के बारे में सुनूंगा । शेष जो पांच सूचनायें हैं, जो श्री फरीद महफूज किदवई जी की, श्री निर्वेन्द्र कुमार की, श्री सुरेश प्रताप गांधी, श्रीमती राजवती सिंह, सर्वश्री नवाब सिंह, विजय सिंह राणा, बलवीर सिंह, राम शरण सिंह जी की है, श्री अमरेश चन्द्र पांडेय की है और श्री सोमांश प्रकाश और श्री विजय पाल सिंह तोमर की है, इन पर मैं शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

"व्यवधान"

(अनेक सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, इटावा जनपद में बहुत अत्याचार हुआ है.....

श्री अध्यक्ष–

इतने पहले हो जाने दीजिए ।

(व्यवधान)

पहले इतनी सूचनाओं का निस्तारण हो जाने दीजिए, फिर कोई शेष रहेगी तो हम आप को सुन लेंगे । लेकिन कितना समय लगेगा । यह ध्यान रखने की बात है ।

(व्यवधान)

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

मान्यवर, मेरी भी बहुत महत्वपूर्ण सूचना है...

श्री अध्यक्ष–

देखिये आज तीन-तीन अनुदान हैं, सब कैसे हो सकता है ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, आप हमारी समस्या को सुन लें,...

श्री अध्यक्ष–

पहले चयन शलाका में जो सूचनायें आ गयी हैं, उनको मैं सुन लूं (व्यवधान) कुछ ऐसी प्रक्रिया बनाई जाये कि सभी को संतोष हो सके ।

श्री हृदय नाराणय दीक्षित–

मान्यवर, लखनऊ जनपद के सभी मुकदमें उन्नाव जनपद की कचहरी में सुने जा रहे हैं। यह गंभीर स्थिति हमारे यहां पिछले तीन माह से लंबित है। वकील और वादंकारी सभी इस स्थिति के चलते परेशान हैं। आप अवगत होंगे कि जब कोई वादकारी यहां से उन्नाव जाता है तो उसका अतिरिक्त किराया खर्च होता है, काफी समय बेकार होता है और उसे वहां वकीलों को खोजने में भी भारी परेशानी उठानी पड़ती है वह उन्नाव से घर भी वापस नहीं हो पाता है। यह एक ऐसी समस्या है इससे सरकार और यह आदरणीय सदन अवगत हैं। मैंने यह मामला पहले भी उठाया था, तब सरकार की तरफ से जो उत्तर आया था वह सन्तोषजनक तो था किन्तु गलत था। न्याय मंत्री जी ने उस दिन मेरे उठाये गये प्रश्न को सुनकर कहा था, मैं कार्यवाही से उसका अंश पढ़ रहा हूं, "क्योंकि न्यायिक अधिकारियों के संघ में यह प्रस्ताव किया। उसमें था कि संबंधित अधिवक्ता द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई नहीं करेंगे। मान्यवर, न्यायिक सेवा संघ ने एक विशेष अधिवक्ता के मुकदमे न करने का फैसला किया। पहली बात तो यह है कि ऐसा कोई प्रस्ताव औचित्यपूर्ण नहीं है कि किसी खास अधिवक्ता के मुकदमें या किसी खास अधिवक्ता द्वारा पैरवी किये जा रहे मुकदमे में, वह नहीं सुनेंगे। श्रीमन् आप स्वयं नियमों के ज्ञाता हैं, अधिवंक्ता रहे हैं। आप स्वयं इस बात से सहमत होंगे कि कोई भी न्यायिक संघ न्याय पालिका का कोई संगठन किसी खास वकील के मुकदमें नहीं करता, ऐसा कोई प्रस्ताव न्याय संगत नहीं हो सकता। हां यदि वह हड़ताल पर हों तो बात अलग है। मेरी निश्चित जानकारी में है कि न्यायिंक सेवा संघ ने वह प्रस्ताव पास किया और वापस नहीं लिया था। मगर जब यह सरकार की तरफ से जानकारी दी गयी तो वह अधिवक्ता महोदय फिर मा० न्यायालय में उनके पास गये किसी मुकदमे को लेकर फिर यह बताया गया कि पहले जो प्रस्ताव था इसमें कोई फेर-बदल नहीं हुआ है। माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया था कि पहले प्रस्ताव वापस ले लिया गया था। माननीय मंत्री जी प्रस्ताव वापस नहीं हुआ था। एक बात और, वह यह है कि जब आप जवाब दें तो इस बात का स्पष्ट उत्तर आ जाना चाहिये कि वह प्रस्ताव वापस नहीं हुआ था। सरकार पर कौन सा दबाव था जिसकी वजह से सरकार ने गलत बयानी की और सदन को गुमराह किया। दूसरी बात यह है कि जब वकीलों की हड़ताल चल रही है और भी सारे वकीलों की हड़ताल पर जाने की बात है उस समय मा० मंत्री जी की तरफ से यही कहा गया था कि वादकारी का हित सर्वोच्च है। वाद उन्नाव में लग रहे हैं। हमने भी प्रयत्न किया है कि यह मामला सुलझ जाय लेकिन न्याय-पालिका के क्षेत्र में शासन कितना दखल दे सकता है यह सभी लोग जानते हैं। हम किस स्थिति में प्रवेश कर सकते हैं। जब हमने यहां जनता की बात कही और वादकारियों की बात कही तो न्याय-पालिका के क्षेत्र में शासन कितना दखल दे सकता है कहकर सरकार ने मामला टाला, आपकी अनुमति से सरकारी गजट जो जारी किये गये उनके बारे में मैं शासन का और इस आदरणीय सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। यहां से उन्नाव मुकदमें स्थानान्तरित कर दिये गये। 4 मार्च, 1992 को जारी किया गया पहला गजट। कुछ धारायें भी हैं उनका उल्लेख मैं नहीं करना चाहता क्योंकि समय काफी लग जायेगा सरकार चाहती तो मुकदमें यहीं हो सकते थे लेकिन उन्नाव हस्तांतरित कर दिये गये। सरकार चाहती कि वादकारियों का हित हो तो इसे वापस ले सकती थी। इसी तरह से दूसरा गजट भी जारी किया गया सम्भवतः उसी तारीख को जारी किया गया जिस दिन पहला जारी किया गया था। इसमें दीवानी मुकदमों का मामला है। इसमें लखनऊ जनपद के वादकारी उन्नाव में क्या न्याय पा सकेंगे। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इसमें जनता के हित को देखते हुए, जनता कितनी परेशान है इसे वापस लेने का कष्ट करें। वकील लोग हड़ताल पर हैं और पूरे प्रदेश के वकील हड़ताल में शामिल होने वाले हैं। सरकार को यह अधिसूचना वापस ले लेनी चाहिये। जैसे ही

अधिसूचना वापस हो जायेगी यहां पर न्याय प्रक्रिया शुरू हो जायेगी । इस समस्या का यथाशीघ्र निदान निकालें । यह मान्यवर, गम्भीर विषय है । कार्य रोक कर इस पर चर्चा करायें ।

सिंचाई, न्याय तथा विधायी मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

मान्यवर, माननीय सम्मानित सदस्य हृदय नारायण जी प्रश्नों को, कमजोर प्रश्नों को भी सशक्त रूप से रखने की क्षमता रखते हैं । जिस दिन मैंने वक्तव्य दिया था और जिस दिन यह प्रश्न सदन में उठाया गया था वह 21-4-1992 की तारीख थी, उस दिन भी मैंने उत्तर दिया था और आज भी दे रहा हूं कि जो न्यायिक सेवा संघ के सचिव, जस्टिस रजा प्रशासनिक जज हैं, इन दोनों का पत्र मुझे प्राप्त हुआ था । 3-4-92 की सूचना थी जिस दिन प्रश्न उठाया गया था उसमें लिखित रूप में जस्टिस रजा, न्यायिक सेवा संघ के अधिकारियों का लिखित पत्र हमें प्राप्त हुआ था । जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था, यह पत्र मेरे हाथ में है, उन्होंने उस प्रस्ताव को वापस लेने की घोषणा की थी, यह लिखित रूप में मुझे दी थी आप जो प्रश्न उठा रहे हैं यह फरवरी का उठा रहे हैं । जब न्यायालय बन्द नहीं किए गये थे, तो दोनों के बारे में ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि बीच में न्यायालय बन्द हो गए, उस समय न तो चर्चा थी और न ही जवाब का संबंध था । मैंने तब भी कहा था और आज भी इसी मत का हूं कि न्यायालय क्षेत्र में जो घटना घटित होती हैं, शासन का निश्चित मत है, उन घटनाओं का निस्तारण बेंच आफ बार मिलकर करेंगे । बेंच आफ बार को स्थिति जान लेना आवश्यक है । तभी जनता को न्याय मिल पाएगा । इसमें प्रयास किया जा रहा है न्यायिक अधिकारियों से बात की गई । अधिवक्ता संघ से दो बार बात की गई । माननीय उच्च न्यायालय से सम्पर्क रखा गया है । जनता की कठिनाइयों को हमने माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाने और तदनुसार निर्णय लेने के लिए भेजा है । उनको अवगत कराया गया है हमें विश्वास है कि अति शीघ्र इसमें कार्यवाही हो सकती है । कल-परसों में हो सकता है पढ़ने को मिल जाए कि न्यायालय खुल रहे हैं या नहीं । माननीय उच्च न्यायालय का जो हमने शासनादेश जारी किया था वह माननीय उच्च न्यायालय की सलाह पर किया था । जनता के हित में किया था । न्यायिक स्थिति और समानता में किया था । इसीलिये यह शासनादेश जारी किया गया था । इसको वापस लेने के लिए माननीय उच्च न्यायालय का पूर्ण विश्वास प्राप्त करना होगा । जिससे कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सम्मानजनक संबंध बने रहें, आदर-सम्मान बना रहे । उस दिन भी प्रश्न उठा था आज भी उठा रहा हूं कि माननीय सदस्यों का सहयोग चाहता हूं । माननीय उच्च न्यायालय में न्यायालयों को खोलने का निर्णय विचाराधीन है । हम इसको बन्द करने के पक्ष में नहीं हैं । अधिवक्ताओं ने कहा है कि न्यायिक अधिकारी क्षमायाचना नहीं करेंगे तो अनिश्चितकाल तक हड़ताल करेंगे, तो यह तो जिद्द हो गई । जनता के हित को ध्यान में रखना चाहिए । अधिवक्ताओं को जिद्द छोड़ देना चाहिए । छोटे-मोटे मामलों को छोड़ देना चाहिए । अधिवक्ता तालाबन्दी खत्म करने का निर्णय ले लें, सौहार्दपूर्ण वातावरण को बनाए रखना चाहिए ।

जहां तक प्रशासन का सवाल है, प्रशासन सबसे संबंध बनाये हुए हैं । यह निर्णय भी उन्हीं के स्तर से होना है । जहां तक अधिसूचना वापस करने का संबंध है इसमें न्याय-पालिका को पूर्ण रूप से विश्वास में लेकर तब कोई निर्णय किया जायगा । सरकार जनता का हित करना चाहती है, मुझे विश्वास है कि शीघ्र ही न्यायालय खुल जायेंगे ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

माननीय मंत्री जी ने कहा कि 2-3 दिनों में अखबार में आ जायगा, स्थिति स्पष्ट हो जायगी, न्यायालय खुल जायेंगे । एक आशंका है कि यदि किसी वजह से वकीलों ने हड़ताल वापस नहीं लिया तो

जनता की कठिनाइयों को दूर करने के लिये शासन क्या करेगा । मान लीजिये कि न्यायिक संघ के अधिकारी अपनी बात पर अड़े रहते हैं तो आप क्या करेंगे । सरकार क्या कोई कदम अपनी तरफ से उठायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, जहां तक न्यायिक अधिकारियों की बात है, मुझसे उन्होंने कहा है कि अगर प्रस्ताव वापस ले लेते हैं तो हम काम करने के लिए तैयार हैं । यह न्यायिक संघ के अध्यक्ष और सचिव ने कहा है, लेकिन अगर अधिवक्ता बन्धुओं की जिद है कि वह क्षमा याचना करें तब हड़ताल खत्म करेंगे, तो शासन किसी से क्षमा याचना नहीं करा सकता है ।

श्री अध्यक्ष–

मेरा विचार है कि न्यायमंत्री जी थोड़ी सी पहल आप कर लें । अधिवक्ताओं के अध्यक्ष और जो प्रतिनिधि हैं उनको तथा न्यायिक संघ के जो पदाधिकारी गण हैं उनको बुलाकर एक टेबिल पर बैठकर वेचार विमर्श कर लें । मैं समझता हूं कि बहुत लम्बे समय से हड़ताल चल रही है और वादकारियों का अहित हो रहा है । कुछ प्रयास करके हड़ताल समाप्त करायें ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, मैं बार बार प्रयास करूंगा । आपस में बैठकर बात करेंगे . लेकिन किसी जिद का इलाज नहीं निकल पायेगा । मैं स्थिति सौहार्दपूर्ण बनाने और एक दूसरे को समझने के लिये मीटिंग बुलाऊंगा : कोई हल निकल आये इसका प्रयास करूंगा ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

माननीय मंत्री जी ने कहा कि जिद का इलाज नहीं निकल पायेगा । जिद चाहे वकीलों की हो या न्यायिक अधिकारियों की, अगर सरकार जिद का इलाज नहीं निकाल सकती है तो फिर सरकार को बने रहने का क्या हक है ?

श्री अध्यक्ष–

इस सूचना पर माननीय दीक्षित जी की और माननीय न्याय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं ।

दूसरी सूचना माननीय रेवती रमण सिंह, माननीय प्रमोद तिवारी, माननीय ऊदल, माननीय ओम प्रकाश, माननीय रामगोविन्द चौधरी, माननीय दीनानाथ सिंह यादव, माननीय नसीमउद्दीन सिद्दीकी की है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं बहुत दुख के साथ इस सूचना को सदन में दे रहा हूं । इस दुखद सूचना पर मुझे विश्वास नहीं होता कि हम लोकतंत्र में रह रहे हैं या साम्राज्यवादी व्यवस्था में रह रहे हैं । यह सरकार जब से आयी है [x x x] और राजनीतिक बदले की भावना से कार्य हो रहे हैं । मान्यवर, इस सम्मानित सदन के माननीय सदस्य अफजाल हुसैन अंसारी जिनकी शराफत के बारे में कोई दो राय नहीं हैं, साथ

नोट :– [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

ही उनमें संघर्ष की क्षमता है । वह गरीबों के लिये लगातार संघर्ष करते रहे हैं और तीसरी बार वह विधायक चुनकर आये हैं । उनके साथ जो कुछ हुआ, उनके वयोवृद्ध स्वतंत्रतासंग्राम सेनानी, धर्म निरपेक्ष पिता के साथ जो कुछ हुआ, उनके घर के पशुपक्षियों के साथ जो कुछ हुआ, शहीदों के चित्रों के साथ जो कुछ हुआ, उनके परिवार के सदस्यों के साथ जो कुछ हुआ वह इतना दुखद और घृणित है और निन्दनीय है कि अगर कोई सरकार उसके बचाव में खड़ी होती है और दोषी को दंडित नहीं करती है तो उससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई और हो नहीं सकती । मैं सिर्फ दो-तीन तथ्यों को आपके सामने रखना चाहता हूं । यह जो परिवार है उसमें सुभान अल्ला अंसारी पिता हैं जिनके तीन बेटे सिब्ते अली अंसारी, अफजाल अंसारी, मुख्तार अन्सारी हैं । इनके मोहल्लों की तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं उनका घर है गाजीपुर के सेतीटोला के वार्ड नम्बर 5 में और श्री मुख्तार अंसारी का घर है वार्ड संख्या 4 में, मकान नम्बर है 295 दर्जी टोला में । मेरा कहना यह है कि ये दोनों भाई सिर्फ अलग अलग घरों में ही नहीं रहते, घरों का बंटवारा नहीं हुआ है, अलग-अलग मोहल्ले और वार्ड में रहते हैं । इसका सत्यापन यहां से होगा । उनके सचिवालय के कागजात देख लिये जायं । अफजाल अंसारी ने मकान बनाया तो यहां पर पता दिया । सचिवालय से आर्थिक सहायता के लिये जो आवेदन दिया, यही पता दिया । इसी पते के आधार पर ऋण मिला और उन्होंने मकान बनवाया । यह तीन-चार साल पुराना ऋण है । महामहिम राज्यपाल की अनुमति से ऋण प्राप्त हुआ । उनके संज्ञान में दोनों लोग हैं । एक बनारस में घटना होती है । एफ० आई० आर० में मुख्तार अंसारी का नाम नहीं है, लेकिन जांच के दौरान नाम उभर कर सामने आता है । उसके बाद चीफ जुडीशियल मैजिस्ट्रेट कुर्की के आर्डर देते हैं । कुर्की दर्जीटोला, वार्ड संख्या 4, मकान नं० 295 में होती है । वहां चूंकि सरकार के खिलाफ आवाज उठायी जाती है तो जिस तरह से व्यवहार किया जाता है, मैंने आज तक कभी इतिहास में ऐसी अमानवीय घटना नहीं सुनी । गाजीपुर और बनारस की पुलिस गांव को घेर लेती है, अघोषित कर्फ्यू लगा दिया जाता है । अफजाल अंसारी घर में नहीं होते हैं तो उनके पिता, जो कि 80 साल के हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, हाजी हैं और टाउन एरिया के चेयरमैन हैं, वे कहते हैं कि अफजाल अंसारी हैं नहीं, घर में पर्दा है, आप घर में क्यों प्रवेश कर रहे हैं तो उस विधायक के 80 वर्षीय पिता, जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनको पुलिस जूतों के तले रखती है और मारती पीटती है । क्या गुनाह था उनका ।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त कर दें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

अभी इतनी आसानी से समाप्त नहीं होगा । यह एक विधायक के पिता और उनके परिवार की सुरक्षा का सवाल है । इसको गम्भीरता से लें । इसके लिये आवश्यक होगा तो हम किसी भी हद से गुजर जायेंगे, लेकिन अभी समाप्त नहीं करेंगे । मान्यवर, इसके बाद एक घटना होती है, जिससे इनकी बदनीयती का परिचय होता है । मकान की कुर्की करेंगे तो यह कहां लिखा है कि उस जगह नहीं करेंगे, भाई के घर पर करेंगे । यह किस आदेश में लिखा है कि दोबारा करेंगे तो उसके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पिता को जूतों से पीटा जाय । जहां पर्दानशीन औरतें हों, वहां का पर्दा उतार लिया जाय । मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यह किस कुर्की आदेश में लिखा है कि कबूतरों की गरदन मरोड़ कर फेंक दिया जाय । उसके बाद विधायक जी आए । उन्होंने प्रश्न किया कि क्यों कुर्की की जा रही है तो जबाव दिया गया कि जाकर कल्याण सिंह से पूछो, जिनके आदेशों से कुर्की की जा रही है । मैं जानता हूं कि उनकी जानकारी में यह नहीं होगा । होगा तो यह निहायत दुर्भाग्यपूर्ण बात है । लेकिन उनके नाम पर वहां पर

जिस अधिकारी ने कहा, इससे उसकी बदनीयती का पता चलता है । आपकी सरकार में इस तरह की ज्यादती होती है, क्या यह लोकतंत्र है । क्या इस तरह से विधायकों को बदनाम किया जाय, यह लोकतंत्र है । इस सदन के एक सदस्य रहे हैं श्री सरजू पाण्डेय, विधान परिषद् और संसद के सदस्य भी रहे हैं । वहां उनके चित्र को निकाल कर फेंक दिया गया । ब्रिगेडियर उस्मान, जिनका नाम सभी बड़े सम्मान से लेते हैं, उनके चित्र को जूतों से रौंदा गया । तो इस तरह से एक विधायक के घर में यह किस तरह से 6 घंटे तक कर्फ्यू लगाकर कुर्की की जा रही है । और उस अधिकारी के खिलाफ आज तक इस संवेदनशील सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है । श्री अफजाल अंसारी का सिर्फ इतना गुनाह है कि वह एक अल्पसंख्यक हैं, श्री अफजाल अंसारी का सिर्फ इतना गुनाह है कि वह विरोधी पक्ष के सदस्य हैं और पुलिस ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाई । मान्यवर, मैं आपके पद की गरिमा के अनुरूप आपसे आग्रह करूंगा कि इसके दोषी अधिकारियों के खिलाफ डकैती का मुकदमा कायम कर एक नजीर पेश करें ताकि विधायकों के खिलाफ इस तरह से कोई आंख न उठा सके । मान्यवर, अगर ऐसा नहीं करेंगे, तो उस अधिकारी का कहना सच साबित हो जायगा कि उसने कहा था कि जाकर कल्याण सिंह से पूछो। मान्यवर, दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि अगर आप यह समझते हैं कि वे अधिकारी बिल्कुल पाक साफ हैं, तो आप आज यह घोषणा कीजिये कि सम्पूर्ण घटना की न्यायिक जांच कराई जायेगी और मान्यवर, अगर आप यह कह कर बैठ जायेंगे कि हम जांच करायेंगे, तो हम यह समझेंगे कि आप विपक्ष को कुचलना चाहते हैं और हम लोग जीते जी संघर्ष करेंगे । मान्यवर, दोषी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा कायम किया जाय ।

श्री ऊदल–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल का भी नाम है, और माननीय नेताओं का भी नाम है । मान्यवर, यह घटना 6 मई, 1992 को माननीय अफजाल अंसारी के घर पर घटित हुई । मान्यवर, मैं इस बात को नहीं कहना चाहता और न तो समर्थन ही करना चाहता हूं, क्योंकि माननीय अफजाल अंसारी के एक भाई के खिलाफ, जो मुख्तार अंसारी हैं, आपराधिक मुकदमा दर्ज है, उसका मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन सरकार की तरफ से जो कार्यवाही की गयी, इसकी निन्दा जरूर करता हूं । श्रीमन्, मुख्तार अंसारी के खिलाफ पिछले साल एक केस बनारस में रजिस्टर्ड हुआ हत्या का और उसमें उनके उसी मकान में जो दर्जी टोला में है, माननीय अफजाल अंसारी के 500 गज की दूरी पर है, उसी की कुर्की की गयी थी । दूसरा मुकदाम पिछले साल दिसम्बर, 91 में, जिसके बारे में मान्यवर, आपको एहसास होगा, मैंने उस दिन सामान्य प्रशासन और गृह विभाग के अनुदान पर बोलते हुए कहा था कि मुगल सराय में पुलिस को शक हुआ कि मारुति कार में एक माफिया गैंग के लोग हैं और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी मेरी बात को जरा गौर से सुनिये, तो बड़ी कृपा होगी, मुगल सराय के एक इन्सपेक्टर को यह एहसास हुआ कि मारुति कार में एक माफिया गिरोह बैठा हुआ है, हेड कांस्टेबिल को कहा कि वह मारुति कार में बैठे और ले चलो थाने पर, मान्यवर, आपको याद होगा इनकी पुलिस जो है, सबको भेड़-बकरी समझती है, जिसको चाहती है, मार देती है । मान्यवर, माफिया गिरोह के लोग जैसे ही थोड़ी दूर गये, इनके हेड कांसटेबिल को मार कर फेंक दिया और मारुति कार छोड़कर भाग गये।

[समय 1 बजकर 30 मिनट]

और श्रीमन् उसमें मुख्तार का नाम लिखा है । मुख्तार के खिलाफ सरकार चाहे जो करे, उनके घर की कुर्की करे, उनके घर को गिरा दे, मैं उसका समर्थन नहीं करा सकता । हम सभी लोग परिवार के लोग

हैं इनके परिवार में और लोग ठीक हैं, इज्जतदार हैं, भलेमानुष हैं, तो सरकार कैसे जान गयी कि पूरा परिवार खराब है और पूरे परिवार को तहस नहस कर दे । 7 ट्रक सामान लादा गया। एक बजे से 6 बजे तक लूट की गयी और जब अफजाल अंसारी वहां पर पहुंचे तो उनसे पूछा कि क्या कुर्की का कोई आदेश है, दर्जी टोला में मुख्तार का घर है, पुलिस ने कहा कि विधान सभा में चाहे जो कुछ कहो और करो, कुर्की की जायेगी ।

मान्यवर, औरतों के बदन पर जो कपड़े थे, वहीं बचे हैं और बाकी सब पुलिस ले गयी है ; विधायक जी के नाम की तो जीप भी पुलिस ले गयी । नगर पालिका के चेयरमैन उनका भी सारा सामान ले गयी । उनको कुछ दिन पहले जैकेट मिली थी, उस जैकेट को भी ले गयी । सारा सामान 7 ट्रकों में भर कर ले गयी । मान्यवर, मोहम्मदाबाद मुहल्ले में कर्फ्यू का एलान किया और लूट की । यह सरकार के लिये लज्जा की बात होनी चाहिये । मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, अगर आपके द्वारा माननीय विधायकों के हितों की और उनके मान और सम्मान की रक्षा नहीं की जायेगी, तो श्रीमन्, मैं समझता हूं कि यह सरकार आमंत्रण दे रही है कि लोग सड़कों पर उतर आयें और आन्दोलन करें और दूसरे रास्ते को अख्तियार करें । श्रीमन्, मोहम्मदाबाद में हड़ताल है, मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है । सबसे बड़ी बात यह है कि आप बहुत बड़े वकील हैं, सम्मानित वकील हैं, इसको आप देखें । कर्जा इनको मिला है, एक लाख का कर्जा मिला है और उसी कर्जे से इन्होंने मकान बनवाया है और वह राज्यपाल को गिरवी है इसको भी आप देखें । इतना बड़ा मामला है । इसीलिये मैंने इससे लोक महत्व पर प्रकाश डाला है । यह बहुत ही अरजेंट मामला है, विधायक के मान सम्मान का मामला है, पुलिस को बहसियानापन हो गया है कि आये दिन वह इसी प्रकार की घटनायें कर रही है । वाराणसी देहात का एस० पी० है और चन्दौली का सी० ओ० है और गाजीपुर की पुलिस ने जो तांडव नाच किया है, परदानशीन औरतों को बेइज्जत किया है, बूढ़े बाप को थप्पड़ मारा है, यह सब बरदाश्त के बाहर है । आप काम रोक कर इस को सुनें, आये दिन इस प्रकार की घटनायें हो रही हैं ।

श्री अध्यक्ष–

तीन विभागों की मांगों पर चर्चा है, इसलिये आप संक्षेप में ही कहें ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, यह वड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ।...

श्री ऊदल–

श्रीमन्, सारे कागजात मेरे पास हैं । मैं इनको आपकी सेवा में भेज रहा हूं । आप इनको देख लें, जो कुछ मामला सरकार के खिलाफ बनता है, उसे करने के निर्देश दें ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

श्रीमन, मैं दो बातें पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से इस सरकार से, क्या माननीय विधायक अफजाल अंसारी के खिलाफ कोई मामला लम्बित था और क्या माननीय विधायक अफजाल अंसारी के घर की कुर्की करने का आदेश न्यायालय ने दिया था या नहीं दिया था, उनके भाई की कुर्की के बहाने विधायक को अपमानित करना, उनके घर की कुर्की करना, सामानों को तहस नहस करना उनको तोड़ फोड़कर रौंद देना यह कहां का न्याय है । यह सारा प्रकरण नोटिस में ही दे दिया गया है कि उनके घर और उनके भाई का घर दोनों अलग-अलग हैं, उनके भाई की कुर्की होनी चाहिये यदि वह अभियुक्त हैं,

कोर्ट ने आदेश दिया है तो श्रीमन्, मैंने सबेरे भी कहा था कि माननीय सदस्यों की गरिमा के साथ सदन की गरिमा को घटाने का षड़यन्त्र वर्तमान शासन के द्वारा चल रहा है कि विधायक और सांसद को बदनाम करो, उनकी इज्जत प्रतिष्ठा को गिरावें जिससे लोकतंत्र की नींव ही हिल जाय और देश और प्रदेश में तानाशाही प्रवृत्ति जिससे कायम की जा सके, इससे सदन को भी आगाह करना पड़ेगा, माननीय सदस्यों को भी आगाह करना पड़ेगा और आपको तो आगाह होना ही पड़ेगा । मान्यवर, वह एस० पी० मेरे यहां रह चुका है मैं उसके क्रियाकलापों से पूर्ण रूप से परिचित हूं वह अच्छा आदमी नहीं हैं वह आजकल बनारस का एस० पी० रूरल है । मान्यवर, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक मुस्लिम विधायक को कितना बेइज्जत किया है कितना प्रताड़ित किया गया है क्योंकि वह एस० पी० जानता है कि इससे सरकार प्रसन्न हो करके पुरस्कार देगी इसीलिये एक विधायक के घर को बिल्कुल तहस नहस कर दिया गया है । यह मामला बहुत ही गम्भीर है, मैं आग्रह करूंगा कि इस पर आप स्पष्ट आदेश निर्देश दें वर्ना सरकार इस मामले पर लीपापोती करेगी ।

मान्यवर, मैं एक प्रश्न जानना चाहता हूं कि क्या अफजाल अंसारी के खिलाफ कोई न्यायालय ने कुर्की का आदेश दिया था या नहीं दिया था तो उनके घर की कुर्की क्यों हुई कौन किया और अगर किया और आदेश नहीं था कुर्की का तो इस सदन में घोषणा कर दें कि जिन्होंने कुर्की किया है उनके खिलाफ 395 का केस लाज हो और उनको जेल बन्द किया जाय वर्ना आये दिन विधायकों को बेइज्जत और परेशान करने का षड़यन्त्र किया इस सरकार के अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है । आप हमारे संरक्षक हैं और आपसे आये दिन हम लोग रोज अपनी इज्जत को बचाने के लिये भीख मांगते हैं यह सदन कों सदस्य कितने दिन इसे सहता रहेगा । आप महान आदमी हैं कोई दो टूक निर्णय दे दें वर्ना प्रदेश की जनता इस सदन का, हमको, आपको माफ नहीं करेगी इसके साथ ही मैं अपने कार्यस्थगन प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री दीनानाथ सिंह यादव–

मान्यवर, 6 तारीख को जो घटना हुई अफजाल जी के घर में उसके संबंध में मैं इस सरकार से कुछ सवाल करना चाहता हूं । मान्यवर, अफजाल जी के घर जो कुर्की हुई तो कम हुई बेइज्जती करने का इरादा, आतंक पैदा करने का इरादा और मान्यवर, मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि आज इस सरकार के लोग जो भी किये हैं, मान्यवर, अफजाल अंसारी अल्पसंख्यक वर्ग के हैं, [x x x] श्री मुख्तार अंसारी उनके भाई हैं कुछ दिन पहले उनकी कुर्की हुई है और कुछ दिन ही पहले तलाशी भी हुई । दोनों लोगों के घर दूर-दूर पर हैं करीब आधा किलोमीटर पर, मान्यवर, उनके घर पर, पूरा मार्केट जानता है पूरा प्रशासन जानता है, जब कुर्की हुई जब मुख्तार की खोजबीन हुई थी उसमें जो फर्द काटा गया है, उनके घर की अलग-अलग कुर्की हुई सारी चीजें पुलिस और प्रशासन के संज्ञान में थीं उसके बावजूद मान्यवर, जानबूझकर, आतंक पैदा करने के लिये, डराने के लिये, रौब रुतबा गालिब करने के लिये [x x x] यह जय श्रीराम का नारा लगाते हैं, अफजाल के परिवार में गीता की पुस्तक थी । आप देख लीजियेगा कोई न कोई हिन्दू धर्म की पुस्तक उनके घर में जरूर मिल जायेगी ।[× × ×] इस सरकार में अगर जरा भी शर्म हो तो पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ धारा-395 का मामला दर्ज करके उनको जेल में डालने का काम करे । जिस तरह से पशु पक्षियों को मारा, तोता मार दिया, कबूतर को मार दिया, यह बर्बर और तानाशाह सरकार के जमाने में ही किया जा सकता है । किसी लोकतांत्रिक सरकार के जमाने में नहीं

नोट:– [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

किया जा सकता है । पुलिस के अधिकारियों ने जिस तरह से नंगा नाच नाचा है उसकी मिसाल मिलनी मुश्किल है । तीनों भाई अलग-अलग रहते हैं । पुलिस इस तरह निरंकुश हो गयी है कि बताना चाहूंगा कि बनारस में एक घटना दस दिन पहले घटी थी जो मुल्जिम दीवान हत्या काण्ड का था कैण्ट पुलिस द्वारा उसके 13 रिश्तेदारों को बुलाकर थाने में लाकर बिठाया और पीटा गया था । यह राम राज्य आपका है । क्या यही लोकतांत्रिक सरकार है कि जुर्म कोई करता है उसके सारे रिश्तेदारों को और भाइयों को पीट-पीट कर पैरों से रौंदा जाता है और बेइज्जत किया जाता है । मान्यवर, समस्त कामों, नियमों को रोककर इस पर चर्चा करानी चाहिये । इस सरकार के जमाने में हम लोगों को भी डर लगने लगा है । जिन लोगों ने ऐसा कुकृत्य किया है अफजाल के साथ उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये'।

श्री अध्यक्ष–

अब मैं नेता विरोधी दल को सुनूंगा और उसके बाद मा० संसदीय कार्य मंत्री को सुनूंगा ।

(विपक्ष के अनेक सदस्यों के खड़े होकर विषय पर बोलने के लिये अनुरोध करने से व्यवधान)

श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, जो घटना माननीय अफजाल अंसारी साहब के साथ हुई है वह बहुत ही निन्दनीय है । मान्यवर, एक ओर तो यह सरकार भय मुक्त समाज की बात करती है और दूसरी ओर मान्यवर, [x x x] मान्यवर, अभी थोड़े दिन पहले माननीय अंगद सिंह यादव के साथ दुर्घटना घटित हुई । इसके बाद त्यागी के साथ किया गया, इसके बाद दिनकर जी के साथ किया गया, इसके बाद विश्वनाथ प्रताप जी के साथ किया गया । मान्यवर, यह एक-दो नहीं, आधे दर्जन विधायकों के साथ सोच समझकर इस प्रकार की घटनायें करा रहे हैं ।

मान्यवर, माननीय अफजाल अंसारी साहब को इसकी बावत कुछ शंका हुई थी, इसलिये चार दिन पहले 2-5-92 को उन्होंने गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक को एक लिखित सूचना दी थी और उसको उनके स्टेनो से रिसीव करा दिया था । उसके बावजूद भी कुछ ध्यान नहीं दिया गया । मेरी समझ में कुछ ऐसा आता है कि यह करने की कोशिश की गई जब मुस्लिम विधायक ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी । यह मुसलमानों के दिमाग में बैठाने के लिये सुनियोजित ढंग से कुचक्र रचा गया । अगर ऐसा नहीं है तो माननीय मंत्री जी स्पष्ट रूप से अभी यहां घोषणा करें कि जिन पुलिस कर्मियों ने ऐसी हरकतें की हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे ।

* श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

मान्यवर, माननीय अफजाल अंसारी, के घर पुलिस कुर्की के नाम पर पूरे घर को डकैती डालने का काम पुलिस के लोगों ने किया । श्रीमन्, आप विश्वास नहीं करेंगे, छः मई को ग्यारह बजे माननीय अंसारी जी अपने बगल के क्षेत्र में एक लड़के की हत्या हो जाने के कारण उसके घर दरवाजे पर जाते हैं उनके दुख दर्द में भागीदार होने के लिये जब वे वहां से लौटते हैं तो एक बजे उनकी जीप पहले रोक दी जाती है यह बताकर कि आपके घर कुर्की हो रही है । छः मई को बनारस के एस० पी० (आर०), सी० ओ० (सिटी), मुगलसराय, चन्दौली और जो चुनिन्दा पुलिस महकमें के सब इन्सपेक्टर थे और गाजीपुर के

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कुछ चुनिन्दा सब इन्सपेक्टरों को लेकर जिस बेरहमी के साथ डकैती डालने का काम किया गया, मान्यवर, वह आप चाहे पता कर लें अपने सूत्रों से, [x x x] मान्यवर, आप चाहे पता कर लें अंसारी जी के विरुद्ध आज तक कोई एफ० आई० आर० लाज नहीं है । उनका कोई भी अपराधिक जगत से जुड़ा हुआ सवाल वहीं है । मान्यवर, छः मई को गाजीपुर में जो घटना हुई वह देश प्रदेश के राजनीति करने वालों के लिये शर्म का दिन था । [xxx] मान्यवर, उस परिवार को कम्युनल घोषित किया गया । जबकि उस परिवार में डा० मुख्तार, ब्रिगेडियर उस्मान ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया था । मान्यवर, [x x x] जब उनको बताया गया कि यह वेद है तो कुर्की करने वालों ने उसको उठाने का काम किया । मान्यवर, [× × ×] अंसारी साहब की औरत को धूप में खड़ा करके, उनके शरीर पर जो गहने थे, कानों में जो बाली थीं उनको उतारने के साथ-साथ अपमानित किया गया, साबुन लगाकर अंगूठी उतारने का काम किया गया । पांच घन्टे तक अन्सारी साहब अपने घर को लूटते देखते रहे, घर पर उनको प्रवेश नहीं करने दिया गया । भा० ज० पा० राम-रोटी इन्साफ की बात करती है और दूसरी तरफ इस तरह से अपमानित किये जाने का काम किया जा रहा है । मान्यवर, जो अन्याय हुआ है उस पर न्यायिक जांच कराई जाय और जिन अधिकारियों/कर्मचारियों ने यह डकैती डालने का काम किया है उनके विरुद्ध कार्यवाही हो ।

* श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, एक विधायक के मान-सम्मान और आत्मसम्मान के साथ जो कुछ हुआ वह आपके समक्ष आ चुका है मैं उस संबंध में कोई बात दोहराना नहीं चाहता । माननीय अंसारी साहब से मेरी बात हुई थी । निश्चित रूप से बिना किसी हिचक के उन्होंने स्वीकार किया कि उनका भाई आपराधिक तत्वों में से है उससे मेरा कोई संबंध नहीं है वह अलग घर बनाकर दूसरी जगह रहता है । मान्यवर, किसी का भाई, किसी के परिवार में कोई अपराधी किस्म का व्यक्ति हो जाय या हो जाना, असम्भव बात नहीं है, इतिहास में प्रमाण मिलते है कि राणा प्रताप के यहां शक्ति सिंह जैसा व्यक्ति हुआ था जो जंगियों से मिल गया था । और मान्यवर, इसके विपरीत आम्भी की बहन लता देश जागृति का और देश भक्ति का झंडा ऊंचा उठाये रखी रही । तो अच्छे परिवार में खराब व्यक्ति का पैदा होना और खराब परिवार में अच्छे व्यक्ति का पैदा होना कोई असंभव बात नहीं है । मान्यवर, माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि अगर इसमें हमारा रंचमात्र भी दोष है तो यह सरकार और इस सरकार की पुलिस हमें जो सजा चाहे दे दे लेकिन उसके कुकृत्यों की सजा हमें क्यों दी जा रही है ? मान्यवर, इनके साथ इतना बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया गया, उस परिवार के साथ, जिसका स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जो सहानुभूतिपूर्ण रिश्तों से जुड़े हुए हैं, उनके साथ इस तरह का बहशीपन किया गया उन्हें अपमानित किया गया .....

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें अब बहुत हो गया है ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो पुलिस के दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाये और उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाये और दूसरी बात यह है कि सम्पूर्ण तथ्यों की न्यायिक जांच करायी जाये ।

श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

मान्यवर, यह घटना 6 तारीख को हुई जब अफजाल अंसारी जी मो० इस्माइल कासिमाबाद के नाती, जिसे मारकर कुए में गिरा दिया गया था, को देखने मोहम्मदाबाद कस्बे में गये थे । मान्यवर, स्थिति ऐसी है कि इनका घर वार्ड नम्बर–5 में है और इनके भाई मुख्तार अंसारी का घर वार्ड नम्बर–4 में है । 11 बजे से लेकर लगातार छः घंटे तक 82-83 की कार्यवाही (कुर्की) उनके घर में होती रही । उनके घर की छत देख लें खिड़कियां गिरा दीं, दीवार तोड़ दी, उनका फ्रिज ऊपर से नीचे फेंक दिया जो टूट गया, उनका टी० वी० तोड़ दिया, उनके बीबी के गहने लूट लिया, उनके हाथ से साबुन लगाकर सोने की अंगूठी उतार ली, कान की बालियां उतार लीं तथा अन्य गहने लूट लिये । मान्यवर, इससे वहां पर बहुत असंतोष व्याप्त है । 9 तारीख को कई हजार लोगों ने मिटिंग वहां पर की, जन सभाएं कीं । मै उन्हें बधाई देना चाहता हूं कि इन लोगों ने पेशेंस रखा । इन लोगों ने थानों का घेराव किया लेकिन इनके पिता जी ने कहा कि ऐसा करने से पुलिस और भड़क सकती है.....

श्री अध्यक्ष–

अब आप कृपया समाप्त करें ।

श्री सुरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं थोड़ा समय और लूंगा मैं यह कहना चाहता हूं कि इनका परिवार एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय आन्दोलन परिवार है, एक ऐतिहासिक परिवार है, इनके सगे चाचा स्व० आशिफ अंसारी आपके साथ इलाहाबाद में वकील थे, बाद में जज हो गये थे । डा० मुख्तार और बिग्रेडियर उस्मान इनके परिवार के व्यक्ति हैं, जिनका योगदान स्वतंत्रता संग्राम में रहा है । इनके पिता जी जो कि 80 वर्ष के हैं, को डन्डों से मारा पीटा । मान्यवर, इस पूरे परिवार को अपमानित करने का प्रयास किया गया है । मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसे धर्म निरपेक्ष मुस्लिम परिवार इस पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत कम होंगे, इन्हें अपमानित करने का प्रयास किया गया है तो मैं यह चाहता हूं कि इसमें जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये और इनके सामानों की क्षति का मुआवजा दिया जाय इस पूरे प्रकरण की जांच भारत सरकार को रिकमेन्ड करके सी० बी० आई० से इसकी जांच करायें और इस सदन की कार्यवाही रोककर इस प्रकरण पर चर्चा करायें आप न्यायविद् हैं इसलिये मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप इस पर कार्यवाही करायें ।

* नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित नेताओं और सम्मानित सदस्यों ने बड़े विस्तार से अपनी बात कही । मान्यवर, आज मैं बहुत दुखी मन से इस सदन में इस बात को कहना चाहता हूं कि गुप्ता जी, जब से यह आपकी सरकार आई है, पता नहीं कौन सा बदला ले रहे हैं, आप राजनीतिक लोगों से । आधा दर्जन विधायकों के साथ बदसलूकी की गयी । रोजाना इस तरह की घटनायें आती हैं, लेकिन आप बहुत हल्के-फुल्के ढंग से इन चीजों को लेते रहे हैं । यह सही है कि आपको शासन चलाने का तौर-तरीका मालूम नहीं है । मैं जानता हूं कि पुलिस और अधिकारी, जो बात आपसे कह देते हैं, वह ब्रह्म वाक्य हो जाता है, उससे इधर-उधर आप जा नहीं सकते हो । मैं मान्यवर, आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इसी तरह सदन में विधायकों के अपमान की घटनायें आती जायेंगी और आप मूकदर्शक बने रहोगे । श्री अफजाल अंसारी का परिवार एक संभ्रान्त परिवार है, केवल गाजीपुर के लिये ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में । जो आचरण आपकी पुलिस ने उनके साथ किया है, वह कतई उचित नहीं है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्यवाही करते, हम लोग सदन में एक शब्द भी नहीं कहते । लेकिन आप विधायक के घर तलाशी लेते हैं और पुलिस द्वारा पूरी डकैती डलवाते हैं ।

मान्यवर, मैं बार-बार सदन में कहता रहा हूं कि पुलिस आपकी निरंकुश हो गयी है और आप पीठ थपथपाते हो कि पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है । यही पुलिस आपके लिये भी एक दिन शासन में रहते हुए आपके ऊपर भी डंडा चलायेगी, मत भूलिये, वह दिन दूर नहीं है । जिस तरह का वातावरण आप लोगों ने आज बनवा दिया है, वह ऐसे ठीक होने वाला नहीं है । आज अफजाल अंसारी का कसूर क्या है ? उनका भाई अपराधी है, आप उसके खिलाफ कार्यवाही करते । आज तक अफजाल अंसारी के खिलाफ एक भी एफ० आई० आर० दिखा दीजिये । मैं जानता हूं कि आप क्या जवाब देंगे । अभी गुप्ता जी खड़े होकर यही कहेंगे कि बड़ा गम्भीर विषय है, उसे दिखवा रहे हैं, जांच करवा लेंगे, इससे काम चलने वाला नहीं है । यह जो आप टरकाव का बयान देते रहे हो, इससे बजाय सदन की गरिमा बढ़ने के आप सदन की गरिमा गिराते हो । आज जो अफजाल अंसारी के साथ हुआ है, उससे बड़ा निन्दनीय कार्य और कोई हो नहीं सकता । आज उनके घर में वेद पाये गये, यह इस बात का सबूत है कि इनका परिवार कोई कम्युनल परिवार नहीं है । जब हम लोग कहते हैं कि आपकी पुलिस कन्ट्रोल में नहीं है, तो आप कहते हैं कि पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है और आपकी पुलिस काम करते-करते डकैती डालने लग गयी । मान्यवर, मुझे गुप्ता जी पर विश्वास नहीं है और इनकी सरकार पर भी विश्वास नहीं है। अगर आप इसी तरह से इनके उत्तर को सही मानकर कोई कार्यवाही नहीं करेंगे । मान्यवर, आपको अधिकार प्रदत्त हैं, आप सरकार को सीधे निर्देश दे सकते हैं । कार्यवाही करने के लिये सीधे आदेशित कर सकते हैं । मैं चाहूंगा कि आज इस सदन में विधायक की गरिमा को देखते हुए इस परम्परा को कायम रखते हुए आप जुडीशियल जांच के लिये सीधे सरकार को आदेशित करें और जो पुलिसकर्मियों ने निन्दनीय कार्य किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने की सदन में घोषणा होनी चाहिये । गुप्ता जी, आज आप सत्ता में जरूर हो, लेकिन हमेशा सत्ता में नहीं रहोगे ऐसी परम्परा क्यों बना रहे हैं । आप भी एक दिन इसमें झुलसेंगे । हमें तो आप झुलुसवा ही रहे हो । इसलिये मेरा आपसे आग्रह है कि जब आप उत्तर दें जिससे न्यायपालिका की भी रक्षा हो और साथ में व्यक्ति को न्याय भी मिले । जिस भी पुलिस के बड़े से बड़े अधिकारी ने ऐसा कार्य किया है, उसको आप अवश्य

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दण्ड दें । उनका जो सामान लूटा गया है, उसका आप मुआवजा दिलवायें, इस बात की आज आप इस आदरणीय सदन में घोषणा करें । यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो सदन की कार्यवाही शान्तिपूर्ण तरीके से चलना मुश्किल होगा ।

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)––

मान्यवर, यह कहना तो बिल्कुल सही नहीं है कि श्री अफजाल अंसारी के खिलाफ बदले की भावना से कार्यवाही की गयी है । यह कहना बिल्कुल गलत है कि वह अल्प संख्यक वर्ग के हैं, इसलिये उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

चलिये बदले की भावना से कार्यवाही नहीं हुई, पर अब आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, अगर माननीय नेता विरोधी दल व माननीय नेता, कांग्रेस दल ने यदि पहले ही यह तय कर लिया है कि हम सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे तो उन्हें इसकी पूरी आजादी है । मैं बैठ जाता हूं । मेरी बात सुनने के बाद ही अगर कोई फैसला लिया जाय तो वही संसदीय परिपाटी के लिये अच्छा होगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्यमंत्री का यह कहना बिल्कुल सरासर सत्य से परे है कि मैंने व कांग्रेस दल ने कोई फैसला कर लिया है । मैंने तो आपसे आग्रह किया है । यदि हमें आपकी बात नहीं सुननी होती तो हम यहां पर क्यों बैठे होते । आपने मेरा नाम क्यों लिया । श्री गुप्ता जी आप रोष में मत आओ । [xxx] आप अपनी बात कहें तो अच्छा रहेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने तो माननीय नेता विरोधी दल का सम्मान ही बढ़ाया है । हम तो उन्हें पूरे प्रतिपक्ष का नेता समझ रहे हैं । अगर वह हमारी बात से सहमत न हों तो वह जो चाहें कर सकते हैं । हमने कोई भी कार्यवाही राजनैतिक विद्वेश से नहीं की है । यह कहना कि वह अल्पसंख्यक वर्ग के हैं, हमने कोई ऐसा मतभेद नहीं रखा है । श्री ऊदल जी ने व अन्य माननीय सदस्यों ने अपनी बात कही । माननीय विधायक जी के भाई के खिलाफ एक अपराधिक मुकदमा कायम हुआ । एक दीवान की हत्या हुई । अपराध संख्या 294/91 धारा 302/307 व 25 आर्म्स एक्ट कायम हुआ । वह 31-12-1991 से फरार थे। उनकी प्रतिष्ठा पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्या है इसे मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता हूं । पूर्वी उत्तर प्रदेश के विधायक इस बात को जानते ही हैं । उनकी तलाशी की जा रही थी । पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर कलकत्ता तक उनकी तलाश की गयी । जब वह नहीं मिले तो उनकी कुर्की के आदेश प्राप्त किये गये । विवाद इस बात का है कि कुर्की का आदेश प्राप्त कर जिस मकान में पहुंचे, वह विधायक जी का मकान था । अब मान्यवर, माननीय विधायक जी के भाई ने जो पता लिखाया होगा, वहीं तो लोग जायेंगे । मैं फिर कह रहा हूं कि माननीय विधायक जी के खिलाफ हमारे पास कोई लिखित शिकायत भी नहीं है और न ही उनके अपराधिक इतिहास की जानकारी हमें है । कहने का मतलब यह है कि पुलिस वहां

नोटः–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

पहुंची । पुलिस की जानकारी में यह है कि वे दोनों भाई हैं । दोनों की सामूहिक सम्पत्ति है । दोनों ही एक ही सम्पत्ति के सामूहिक हकदार हैं । मान्यवर, मामला विवादास्पद हो सकता है, भाई-भाई में सम्पत्ति का बंटवारा हो चुका है, भाई-भाई के मकान का बंटवारा हो चुका होगा ऐसी स्थिति में पुलिस वहां पहुंच गयी होगी । हो सकता है जहां पुलिस को नहीं पहुंचना चाहिये वहां पुलिस पहुंच गयी ऐसा आरोप है यह भी आरोप है कि पुलिस ने कुर्की करने में बल प्रयोग किया या अभद्र व्यवहार किया, आपके अनुसार नंगा नाच किया । तो क्या पुलिस उस जगह पर पहुंच गयी जो माननीय विधायक की संपत्ति थी तो अगर एड्रैस में दिया हो जो मकान दिया हो उसमें किसी की संपत्ति अगर है तो पुलिस की मजबूरी होगी उस जगह पर वह जायेगी । मैं माननीय विधायक का सम्मान करता हूं उसमें किसी तरह का बट्टा नहीं लगाना चाहता हूं और मैं उनके सम्मान के खिलाफ कोई बात नहीं कहना चाहता हूं और न माननीय कल्याण सिंह जी ने और न शाही जी ने कोई ऐसी बात कही है । यह एक परिपाटी बन गयी है अगर माफिया सरंगना के खिलाफ कोई कार्यवाही की जाती है तो उसमें भी कहा जाता है कि राजनीतिक रंजिश के लिये किया जा रहा है ? सरकार कोई कार्यवाही इस तरह से नहीं करती है अगर करती है या अधिक बल प्रयोग करती है तो सरकार की बदनामी उसमें होगी । आपने कहा कि धार्मिक पुस्तकों का अपमान किया, कहा गया कि पुलिस गलत जगह पर पहुंच गयी, मैं आश्वासन देता हूं जिन बिन्दुओं पर माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने इशारा किया उसकी जांच कराई जायेगी । धार्मिक पुस्तकों की अवहेलना की गयी या जहां पुलिस को नहीं जाना चाहिये था वहां गयी है उसकी जानकारी मैं करा लूंगा भाई-भाई का बंटवारा हुआ है और कानूनन उसकी जानकारी है तो भी पुलिस वहां गयी है तो मैं विश्वास दिलाता हूं दो तीन दिन में पूरी जानकारी करके मैं संज्ञान में लाऊंगा । इस बात का मैं आश्वासन देता हूं ।

श्री अफजाल अंसारी–

माननीय अध्यक्ष जी, 6 तारीख को जो घटना हमारे साथ घटित हुई उसके संबंध में माननीय नेता विरोधी दल, माननीय नेता कांग्रेस दल, माननीय नेता ऊदल जी एवं अन्य दल के नेताओं ने जो बातें कहीं उनके उत्तर में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपना पक्ष भी प्रस्तुत किया । चूंकि मामला मेरे साथ घटित हुआ है मैं स्वयं इसको अपने मुंह से नहीं बताना चाहता था लेकिन चूंकि संसदीय कार्य मंत्री जी के संज्ञान में भ्रामक सूचना भेज दी गयी है, मैं व्यक्तिगत रूप से संसदीय कार्यमंत्री जी का आदर करता हूं 85 से तीन बार लगातार विधायक चुनकर इस सदन में आ रहा हूं मैं उनसे थोड़ी दूर उनके साथ बैठता रहा हूं मैं सही सूचना उनके संज्ञान में लाना चाहता हूं । मान्यवर, मुझे संविधान में विश्वास है, मुझे आप पर पूरा विश्वास है इसी उद्देश्य से सारी पत्रावली मैंने आपको दी है । उसी की रोशनी में मैं दो तीन बातें सिर्फ तर्क के रूप में रखने जा रहा हूं जिससे वास्तविकता का पता चल जायेगा । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने सबसे पहले बोलते हुए कहा कि दिसम्बर से मुख्तार अंसारी फरार हैं और पुलिस उसको खोजते-खोजते हार चुकी है तब जाकर उनके विरुद्ध कुर्की के आदेश न्यायालय से दिये गये । तो यह अपने आप में भ्रामक है 3 दिसम्बर को एक सिपाही की मुगलसराय में हत्या हुई उस हत्या की एफ० आई० आर० की कापी आपके पास है उसमें मुख्तार अंसारी नामजद नहीं था लेकिन दो दिन बाद मुख्तार अंसारी को मुल्जिम बताया जाता है । उसके बाद 2 जनवरी को सी० जे० एम० बनारस की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया जाता है कि मुख्तार की चल सम्पत्ति कुर्क करने हेतु धारा 82, 83 की कार्यवाही कर आदेश प्रदान किये जायं । 3 जनवरी को ही सी० जे० एम० बनारस ने आदेश कर दिये कुर्की के संबंध में उस आदेश को 4 महीने 3 दिन तक पुलिस वाले अपनी जेब में बन्द रखे रहे । माननीय सदन के सम्मानित सदस्य इस बात से अवगत होंगे कि 302 के मामले में कुर्की के आदेश प्राप्त

हो जाने के बाद जितनी जल्दी हो सके एक दिन के अन्दर कुर्की तामिल करा दिया जाता है। तो 4 महीने 3 दिन तक उसका इन्तजार क्यों किया गया ?

मैं एक और तथ्य आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं 3 अगस्त, 91 को बनारस में एक हत्या के अभियोग में मुख्तार अंसारी को अभियुक्त बनाया गया 7 अगस्त को माननीय सी० जे० एम० ने आदेश उनकी चल सम्पत्ति कुर्क करने के जारी किये। मेरे संबंध में जैसा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताया कि मेरे विरुद्ध कोई एफ० आई० आर० दर्ज नहीं है। मैं और मेरे परिवार में 7 पुस्त तक आप देख लें कोई आपराधिक होने का मामला दर्ज नहीं है सिर्फ एक मुख्तार अंसारी के अलावा। माननीय अध्यक्ष जी आप देख लें 3 अगस्त की एफ० आई० आर० में साफ लिखा हुआ है जिसकी कापी आपके पास है 8 अगस्त को कुर्की के आदेश हुए पुलिस की तलाश में उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई और 8 अगस्त को उनकी कुर्की कर दी गयी। यह कुर्की की कार्यवाही उनके भवन संख्या 295 दर्जी टोला, वार्ड नम्बर 4 में की गयी थी जिसकी फर्द कापी संलग्न है। मैं मकान नं० 213-ए नये खसरे से मकान नं० 229 वार्ड नम्बर 5 में रहता हूं हम दोनों के मकान में काफी दूरी का फासला है करीब 5, 6 सौ गज की दूरी में उसका मकान है और बीच में करीब सौ मकान हैं। 7 अगस्त को जो कुर्की के आदेश हैं अवधेश राय के हत्याकाण्ड के संबंध में उसमें कुर्की करने के बाद बताना चाहता हूं कि एक बार मेरे घर पर भी दबिश दी गयी उस समय मेरे बड़े भाई, मेरे पिता और मेरे घर पर तलाशी ली गयी मुख्तार अंसारी के घर पर भी दबिस दी गयी यह जो फर्द है उसमें लिखा है जिसमें गवाहों के भी हस्ताक्षर हैं जिनके नाम फारुख अंसारी, अब्दुल मलिक अंसारी के समक्ष मकान सुभान उल्ला अंसारी, मकान श्री सिवगतुल्ला अंसारी व मकान अफजाल अंसारी, एम० एल० ए० के घरों की तलाशी के सिलसिले में दबिश की गयी मुख्तार अंसारी निवासी दर्जी टोला की वापसी दबिस हुई और कोई आपत्तिजनक वस्तुएं भी नहीं मिलीं, फर्द मौके पर लिखी गयी और पढ़ कर सुनाई गयी इसमें दस्तखत हैं इंस्पेक्टर मुहम्मदाबाद के। एक और तलाशी इसी तारीख में ली जिसमें मुख्तार अंसारी, दर्जी टोला, वार्ड नं० 4 के मकान पर उनकी गिरफ्तारी के संबंध में की गयी उसमें भी इंस्पेक्टर ने फर्द अलग से लिखी है कि यह अपने मकान पर उपस्थित नहीं हैं। तो इन दोनों से मालूम हो जाता है कि मुख्तार का मकान कहां है ? यह दबिश और तलाशी की कार्यवाही 21 सितम्बर, 1991 की है।

पुलिस अच्छी तरह से जानती है कि मुख्तार अंसारी का मकान कहां पर स्थित है और हमारा मकान कहां है। पुलिस ने जान बूझकर यह कार्यवाही कुर्की के आदेश प्राप्त होने के बाद, चार महीने हमको नुकसान पहुंचाने और हमारी सम्पत्ति को बरबाद करने, लूटने के उद्देश्य से की है। दोनों मकानों पर तलाशियों की कार्यवाही 21 दिसम्बर को की गई, जबकि मिस्टर अरुण कुमार, पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर ने 16 दिसम्बर को गाजीपुर में कार्यभार ग्रहण किया है। इस प्रकार उनके संज्ञान में यह बात है कि उनके अभियुक्त मुख्तार का मकान हमसे अलग है और वह अलग निवास करता है। इस घटना की जानकारी जब मुझे किसी सोर्स से हुई थी तो हमने पहले ही पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर से मिलकर 2 मई, 1992 को एक पत्र दिया था, जिसमें मैंने विस्तार से यह लिख दिया था कि कुछ लोग भ्रम फैलाकर और मेरे खिलाफ कांस्पेसी करके मुख्तार अंसारी के बदले हमारे मकान की कुर्की करने के नाम पर लूटना चाहते हैं। पुलिस अधीक्षक को जो मैंने प्रार्थना पत्र दिया है उसकी प्रति उनको रिसीव कराई है। मान्यवर, मैंने जो पूरी फाईल आपके पास भेजी है, उसमें यह पत्र भी संलग्न किया है। इसके बाद मैं नहीं समझता हूं कि कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सारे तथ्य समझने और जानने के बाद भी किस कारण और उद्देश्य से हमारे विरुद्ध ऐसी जघन्य कार्यवाही कराया है। अवधेश राय काण्ड में मुख्तार के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज होती है और 8 तारीख को उसकी कुर्की करने के पश्चात् वाराणसी की पुलिस

इस घटना की विवेचना करती है तथा कोर्ट में चार्ज शीट भी सब्मिट कर देती है । इस चार्जशीट को कोर्ट में सब्मिट करने से पूर्व उस पर बनारस के सी० ओ० और एस० पी० भी एप्रूव कर देते हैं । इस चार्ज शीट की प्रति भी मैने आपको अपनी फाईल में दी है । कृपया उसे देख लें । उसमें भी मुख्तार सन् आफ सुभानुल्ला अंसारी, निवासी दर्जी टोला, वार्ड नंबर 4, थाना मोहम्मदाबाद, जनपद गाजीपुर ही मुख्तार के पत्ते के रूप में लिखा है ।

ज़हां तक मेरे मकान के अलग होने का प्रश्न है, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधायकों को आवास बनाने हेतु ऋण सुविधा उपलब्ध कराने का जो प्राविधान है उसके अनुसार मैंने भी ऋण प्राप्त करने के लिये आवेदन किया था । मान्यवर, आप जानते है कि सरकार द्वारा जो ऋण दिये जा रहे हैं विधायकों को वह भूखण्ड अथवा मकान पर दिया जा सकता था, जो आवेदक की निजी संपत्ति हो और हर प्रकार के कर भार से मुक्त हो । इसके क्रम में मेरे प्रार्थना पत्र के आधार पर श्री एन० के० नारंग, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ने जिलाधिकारी, गाजीपुर को अपने पत्र दिनांक 21 दिसम्बर, 88 के द्वारा जिलाधिकारी, गाजीपुर से आवास हेतु ऋण उपलब्ध कराने की दशा में मेरे भवन संख्या 213-ए पर मेरे स्वामित्व के संबंध में आख्या शासन को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था, और उसमें यह भी पूछा गया था कि क्या उपरोक्त भवन समस्त भारों से मुक्त है और अग्रिम स्वीकार किये जाने की दशा में शासन के पक्ष में बन्धक रखे जाने की दशा में कोई विधिक कठिनाई तो नहीं होगी । इस पत्र के उत्तर में जिलाधिकारी ने अपने पत्र संख्या 636, दिनांक 29 दिसम्बर, 88 द्वारा श्री एन० के० नारंग, संयुक्त सचिव को सूचित किया कि भवन संख्या 213-ए के वार्ड 5 में स्थित है, जो मोहम्मदाबाद नगरपालिका की सीमा में है और इसके स्वामी अफजाल अंसारी हैं । उपरोक्त भवन समस्त भाग्रों से मुक्त है और इसे शासन के पक्ष में बन्धक रखे जाने में कोई वैधानिक कठिनाई नहीं होगी ।

इसके बाद ऋण स्वीकृत करने की सूचना प्राप्त हुई और उसमें कहा गया है कि जल्द से जल्द रजिस्ट्रार आफिस में जाकर अपने उस मकान को महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश के नाम बन्धक रख दें। 6 तारीख को ऋण स्वीकृत हुआ और 13 तारीख को रजिस्ट्रार आफिस में जाकर राज्यपाल महोदय के नाम से हमने उस मकान की रजिस्ट्री कर बन्धक रख दिया । इसके बाद 2 किस्तों में 66 हजार व 33 हजार रुपये मुझे प्राप्त हुआ और उस प्राप्त धन से स्वीकृत नक्शे के मुताबिक भवन बनवाया इस मकान का तनहा मैं स्वामी हूं जिसकी खसरा नकल प्राप्त है और जिसमें किसी सगे संबंधी का कोई अधिकार नहीं है । यह सारे कागजात दिखाने के बावजूद वह पुलिस अधिकारी जो कुर्की कर रहा था ने मेरी पत्नी को 6 घण्टे धूप में खड़ा रखा, उनके शरीर से सारे जेवर उतरवा लिया, पत्नी के हाथ में एक अंगूठी फंस गयी थी जिसे साबुन लगाकर निकलवाया गया । मेरे पिता को मारा पीटा गया सामानों को जान बूझकर लूटा तथा नष्ट किया गया । मेरी बुलेट प्रूफ जैकेट सी० ओ०, चन्दौसी उठा ले गये और उसके बाद में मैं समझता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री जिनका मैं बड़ा आदर और सम्मान करता हूं इसके पहले जब इधर बैठते थे तो मैं उनके पीछे बैठता था । मेरे आचरण और करेक्टर के बारे में आप जांच करा लें क्योंकि पुलिस की भ्रामक सूचना के आधार पर आप न्याय नहीं दे पायेंगे । मान्यवर, आपके सामने न्याय नहीं मिलेगा तो संसदीय परम्पराओं का गला घोंट दिया जायेगा और लोकतंत्र की हत्या हो जायेगी । मान्यवर, मेरा परिवार राष्ट्रीय धाराओं से जुड़ा रहा है इसलिये स्वतंत्रता संग्राम में डा० अंसारी ने काम किया और देश की आजादी व सीमाओं की रक्षा में बिग्रेडियर उस्मान काश्मीर में शहीद हुए । आसीफ अंसारी हाई कोर्ट में जज थे और न्यायिक सेवा की तथा डा० शौकतुल्ला अंसारी उड़ीसा प्रदेश के राज्यपाल की हैसियत से प्रशानिक सेवा किये इस समय में मेरे चचा फिज अंसारी इरान में भारत के राजदूत हैं । इन व्यक्तियों की और शहीदों की तस्वीरें मेरे घर में लगी हुई थीं जिन्हें पुलिस वालों ने तोड़ करके जूतों से रौंदा है और धार्मिक पुस्तकों को फाड़ दिया । पुलिस वालों ने मुझे मां-बहन की गालियां दीं मेरी सारी संपत्ति लूट लिए और अपमानित किया आप इसकी जांच करावें, यदि मैं दोषी हूं तो यह सदन जो सजा समझे वह मुझे दे और मैं उसे भोगने के लिये तैयार हूं । मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वह सिद्ध हो जाय तो दोषी पुलिस जनों को कठोर सजा दिलाई जाये तथा हमारे सामानों की क्षतिपूर्ति किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री अफजाल अंसारी जी ने शासन के ऊपर सांप्रदायिकता के आधार पर अल्प संख्यक होने के कारण ऐसा व्यवहार किया गया, ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया है । उन्होने विस्तार पूर्वक बिना व्यवधान के अपनी बात कही है और जो आरोप लगाए हैं वह एस० पी० और पुलिस के ऊपर लगाए हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए मंत्री जी अपनी बात कहें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य का बड़ा सम्मान करता हूं । मान्यवर, माननीय सदस्य श्री अफजाल अंसारी विधायक के खिलाफ मेरे कान में व्यवहार और आचरण के संबंध में कोई बात नहीं पड़ी है और न राष्ट्रीयता एवं धर्म के खिलाफ उनके प्रति मुझे कोई शंका है । मान्यवर, मैंने कहा था कि स्थान का चयन गलत हुआ । मान्यवर, गलत ढंग से कुर्की की बात जो हुई है उसके संबंध में आयुक्त वाराणसी मण्डल से जांच करवा देंगे ।

(नेता विरोधी दल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

काफी विस्तार से मैंने उनकी बात सुन लिया है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मेरा आग्रह आप सुन लें । मान्यवर, मैं विवाद के संबंध में नहीं कहना चाहता हूं । मैं केवल यह आग्रह करना चाहता हूं कि माननीय गुप्ता जी ने जो आयुक्त से जांच करवा लेने की बात कही है वह हम लोगों को ग्राह्य नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इस संबंध में नाम का सुझाव आ जाने पर आप को आपत्ति नहीं होगी । आप लोग उनसे परिचित हैं ।

मैं सोचता हूं कि जो न्यायिक सेवा में और आपके विधान सभा के सचिव भी रह चुके हैं । श्री भाल चन्द्र शुक्ल जी से जांच करवा लें ।

(विपक्ष की तरफ से मेजें थपथपाई गयीं)

मैं यह एक सुझाव दे रहा हूं चूंकि किसी न्यायिक सेवा के कार्यरत अधिकारी के लिये कहेंगे तो विलम्ब होगा पहले उच्च न्यायालय को लिखना होगा फिर वह किस को खाली करें, रिलीज करें न करें । इसलिये मेरा विचार है कि यह मूल पत्र जो अफजाल अंसारी जी ने दिये हैं, इनको संसदीय कार्य मंत्री जी को प्रेषित कर देंगे और कार्यवाही शुरू करने के लिये कह देंगे ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मैं आपको इस साहसिक निर्णय के लिये अपने दल की ओर से बधाई देता हूं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

आपके इस ऐतिहासिक निर्णय के लिये मैं कांग्रेस विधान मण्डल दल की ओर से बधाई देता हूं। जिस तरह से यहां पर तर्क रखे गये हैं उनसे सरकार की नीति और बदनीयती का पता चल गया है।

श्री विजय सिंह राणा–

जिस तरह से साहसी निर्णय देकर आपने इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है, उसके लिये मैं आपको अपने दल की तरफ से बधाई देता हूं।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, आपके इस साहसिक निर्णय के लिये मैं आपको बधाई देता हूं।

श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

आपके इस साहसिक निर्णय के लियें मैं आपको बधाई देता हूं।

श्री अफजाल अन्सारी–

मान्यवर, आपने हमारे साथ जो घटना घटित हुई थी उसे सदन में सुनने के बाद जो निर्णय दिया है, उससे मैं पूरी तरह संतुष्ट हूं। आपका कैसे धन्यवाद प्रकट करूं। एक छोटा सा निवेदन करके अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। मुझे सूची नहीं दी गई है और सारा सामान यों जाया हो रहा है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी किसी को भेजकर सामान की सूची बनवा दें और सामानों का निरीक्षण करवा कर सुरक्षित रखवा दें। क्योंकि सामानों की लूट को लेकर पुलिस वाले आपस में मारपीट कर रहे हैं और चंदौसी के सी० ओ० तथा इन्सपेक्टर में 8 मई को मारपीट हुई है।

[समय 2 बजकर 30 मिनट]

श्री ऊदल–

आपके इस साहसिक निर्णय के लिये मान्यवर, मैं आपको अपने दल की तरफ से बधाई देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

तीसरी सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री फतेह बहादुर सिंह, श्री भोला शंकर मौर्य, श्री श्याम सुन्दर शर्मा, श्री सुरेन्द्र सिंह, श्री बंशीधर राज, व श्री राम कृष्ण की जनपद गोरखपुर के जिला परिषद् अध्यक्ष, श्री गुलाब सिंह के ऊपर प्राणघातक हमला किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। कोई दो माननीय सदस्य अपनी बात कहें।

* श्री फतेह बहादुर सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि मेरे पिता स्वर्गीय श्री वीर बहादुर सिंह जी के छोटे भाई मेरे चाचा गुलाब सिंह जिला परिषद् के अध्यक्ष भी हैं वह उत्तर प्रदेश पी० सी० एफ० के अध्यक्ष भी हैं। 24 तारीख की रात को 2 बजे उनके ऊपर कातिलाना हमला हुआ। मान्यवर, जब से यह सरकार आई है। उससे पूर्व जो तत्कालीन मुख्य मंत्री थे उन्होंने यह स्पष्ट आदेश किया था। मेरे पिता जी अपने मुख्य मंत्रित्व काल में, हमारे यहां जो असामाजिक तत्व थे, उनके खिलाफ आदेश दिये थे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और सख्त कदम उठाये थे । इसकी वजह से जब उनकी मृत्यु हुई थी तो तत्कालीन मुख्य मंत्री ने यह आदेश दिया कि उनके परिवार को व श्री गुलाब सिंह की सुरक्षा शासन द्वारा प्रदान की जायेगी । मान्यवर, मैं आपकें मांध्यम से बताना चाहता हूं कि जब से यह सरकार आई है उसी दिन से उनका शैडो व मेरे यहां जो सुरक्षा गार्ड थे हटा लिये गये हैं । 24 तारीख की रात की यह घटना है । उनके ऊपर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया और फरार हो गये । उनका पता आज तक नहीं चला है । आज भी वहां खतरा बना हुआ है । मान्यवर, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि इस तरह का सौतेला व्यवहार हमारे परिवार के साथ क्यों निभाया जा रहा है ? मेरे चाचा श्री गुलाब सिंह जी की सुरक्षा व्यवस्था की जाय ताकि हम सुरक्षित रह सके और यह भी आग्रह करूंगा कि उनको ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा दी जाये ।

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य कांग्रेस विधान मंडल दल के फतेहबहादुर सिंह ने सब बातें विस्तार से बताई हैं मैं उसक्रो दोहराना नहीं चाहता हूं । मान्यवर, कातिलाना हमला हुआ गोली चलाई गई । वह भूतपूर्व मुख्य मंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी का आवास है वहां पी० ए० सी० लगे और सुरक्षा के लिये तैनात सुरक्षा गार्ड उन्हें मिले । वीर बहादुर सिंह जी के भाई गुलाब सिंह जी भी पी० सी० एफ० के चेयरमैंन और जिला परिषद् के अध्यक्ष हैं । उनकी सामाजिक और राजनैतिक हस्ती है । जो राजनीतिक पदों पर रहते हैं उनकी कड़ी सुरक्षा करनी होती है । गुप्ता जी ने भी कठोर कार्यवाही आपराधिक तत्वों के खिलाफ कार्यवाही की होगी । पद सदैव नहीं रहते है लेकिन उस पद से जो गरिमा के अनुरूप कार्य किए जाते हैं वह रह जाते हैं । स्व० वीर बहादुर सिंह जी के पैतृक आवास पर गोली चली, इसमें प्रयास हुआ लेकिन अपराधी नहीं पकड़ा गया, तो इस घटना की पुनरावृत्ति न हो इसकी व्यवस्था होनी चाहिये थी । जो नहीं हुई है । इसमें मैं दो बातें कहना चाहूंगा । पहली बात तो यह है इस अपराधी को पकड़ने की कार्यवाही त्वरित रूप से की जाय । दूसरी बात गुलाब सिंह जी, जो जिला परिषद् के अध्यक्ष हैं और फतेह बहादुर सिंह जी जो इस सदन के सम्मानित सदस्य है के पैतृक आवास पर सम्पूर्ण सुरक्षा की न्यवस्था की जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मुझे इस बात का तो प्रतिवाद करना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी का इसमें हाथ है । गुलाब सिंह जी के भाई ने अपने मुख्य मंत्रित्व काल में कड़े कदम उठाए होंगे, लेकिन जो कदम उठाये होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया गया था, तो बदले की भावना का कोई सवाल नहीं उठता है इसलिये जो बात इस मानीय सदन में सूचना के माध्यम से मौखिक रूप से कहीं गई है उसी दृष्टि से हम पूरा प्रयास कर रहे हैं मुल्जिमों को पकड़ने में पुलिस लगी हुई है । गुलाब सिंह जी के पास 312 बोर की राइफल और एक डी० पी० जी० है । सरकार की ओर से उनके लिये एक गनर की व्यवस्था कर दी गई है तथा वहां विशेष सुरक्षा की व्यवस्था कर दी गई है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

शासन की तरफ से क्या हुआ है यह व्यवस्था तो एस० पी० और एस० एस० पी० ने मात्र 14 दिन के लिये की है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जो भी वह करेंगे लखनऊ से आदेश दिए जायेंगे उसके क्रियान्वयन की व्यवस्था है । एक गनर की व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

उस आवास पर भूतपूर्व मुख्य मंत्री का परिवार रह रहा है उसकी सुरक्षा के लिये उनके आवास पर पुलिस की व्यवस्था कर दें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आप अगर मेरी बात ध्यान से सुनते तो संभवतः यह बात मैंने अपने आश्वासन में कह दी है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय फतेहबहादुर जी की सूचना पर फतेहबहादुर जी, प्रमोद तिवारी तथा संसदीय कार्य मंत्री को सुना इस सूचना को स्वीकार करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। मैं इसे अस्वीकार करता हूं।

श्री हरिवंश सहाय–

मान्यवर, देवरिया जिले के अन्तर्गत सल्हपुर थाना भटनी (व्यवधान) में बिहार की पुलिस अवांछनीय तत्वों से मिली हुई है और यहां पर लूटपाट और दंगा कराती है। सात मई को बिहार की पुलिस देवरिया जिले के अन्तर्गत सल्हपुर थाना भटनी में पहुंची।

(इस समय 2 बजकर 35 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।)

गांव वालों ने उसका विरोध किया, दोनों तरफ से काफी संघर्ष हुआ। गांव वालों ने बिहार के दरोगा का रिवाल्वर छीन लिया। 7-8 प्रधानों ने तय किया कि जो सामान वह लूट कर ले गये हैं वह वापस कर दिया जाय तो दरोगा का रिवाल्वर वापस कर दिया जायगा। दरोगां ने लिखित आश्वासन दिया कि अगर रिवाल्वर वापस कर दिया जायगा तो सामान वापस करवा दिया जायगा और गांव वालों ने रिवाल्वर वापस कर दिया। दूसरे दिन 8 मई को बिहार का दरोगा 100 पुलिस वालों के साथ आया और सल्हपुर गांव को लूटा। एक व्यक्ति श्री यादव, एक महिला श्रीमती किशोरी देवी और एक साधू को वह लोग उठा ले गये। 9 तारीख को पुनः उन लोगों ने धावा बोला और एक व्यक्ति राजेन्द्र यादव को उठा ले गये। इस तरह से गांव में काफी दहशत है। मुझे जब सूचना मिली तो मैं गांव में गया और भटनी थाने जाकर कहा लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुयी। तब पुलिस अधीक्षक देवरिया से मैंने कहा कि कोई कार्यवाही नहीं हुयी। कल जब मैं आ रहा था तो मुझे बताया गया कि बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों तरफ के लोगों में एक युद्ध सी स्थिति बन गयी है। लाखों रुपयों का सामान वहां पर लूटा गया है। वहां पर स्थिति विस्फोटक है। गांव के निर्दोष लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि वहां पर पुलिस की गश्त कराइये वरना ऐसा होगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार का झगड़ा बन जायेगा और बहुत व्यापक हो जायेगा। दोनों तरफ के बदमाशों का जमावड़ा हो रहा है और वहां के लोग संघर्ष पर उतारू हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मेरी बात शत-प्रतिशत सही है, इसकी रोकथाम की व्यवस्था करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इस घटना की पूरी जानकारी मेरे पास तक नहीं पहुंच पायी है। मैं इसको दिखवा लूंगा।

श्री हरिवंश सहाय–

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा है कि उनको जानकारी नहीं है इस पर कल वक्तव्य दिलवायें ।

श्री उपाध्यक्ष–

उन्होंने कहा है कि मैं इसको दिखवा रहा हूं ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मैंने जो सूचना नियम 311 में दी थी और जिसको नियम 56 में परिवर्तित कर दिया गया है वह बहुत महत्वपूर्ण है । आज इटावा जनपद में जन समस्याओं, बेरोजगारी, नागरिकों पर पुलिस अत्याचार तथा सजपा के कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न के संबंध में रैली निकलने वाली है । इसको फेल करने के लिये प्रशासनिक अधिकारियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है । कई दिनों पहले से ही गांव-गांव घूम कर थानेदारों ने लोगों को मारा है और धमकाया है कि अगर रैली में गये तो अच्छा नहीं होगा । इतना ही नहीं दो दिन पहले किसानों के ट्रैक्टर बंद कर दिये गये हैं आज जब गांवों के लोग रैली के लिये निकल रहे थे पुलिस ने लोगों को मारा-पीटा और हजारों लोगों को थाने में बंद कर दिया । यह सरकार प्रशासनिक अधिकारियों की मदद से लोकतंत्र पर हमला कर रही है ताकि जनतंत्र की नींव हिल सके । इससे महत्वपूर्ण प्रश्न आज कोई विधान सभा के सामने नहीं है । लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करने का अधिकार हमको संविधान द्वारा मिला हुआ है और जबसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी है, खास कर समाजवादी जनता पार्टी के लोगों की रैली को विफल करने, उसके कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करके रैली को विफल करने का दुष्चक्र चलाया जा रहा है, जिससे कि जनता में भ्रम फैल सके कि सजपा के लोगों ने रैली में शिरकत नहीं की । इससे बड़ा मुद्दा और कोई नहीं हो सकता कि इटावा की जनता के साथ पुलिस का उत्पीड़न कितने दिनो से हो रहा है । सबसे बड़ी बात यह है कि जिलाधिकारी पर दबाव डाला गया कि रैली को विफल कराने के लिये 144 लागू करो और हिदायत दी कि 11 तारीख को एक भी व्यक्ति वहां पहुंच न सके । जिलाधिकारी ने कहा कि चुनाव के समय कहा कि सजपा को हराना है, उसमें मदद की, लेकिन अब अपने जनतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिये वे लोग रैली करना चाहते हैं तो उसको कैसे विफल कर दें, तो उस जिलाधिकारी को वहां से हटा दिया । पुलिस अधीक्षक एस० एन० सिंह आये दिन पुलिस अत्याचार, मार-पीट, उत्पीड़न सजपा के लोगों के उत्पीड़न और उनको बन्द करने का काम करते हैं । उनको इस रैली को विफल करने की जिम्मेदारी दी गयी है । मैं कहना चाहता हूं कि यह लोकतंत्र पर कुठाराघात है, हमारे जनतांत्रिक अधिकारों पर कुठाराघात है, हमारे संविधान द्वारा दिये गये मूलभूत अधिकारों पर कुठाराघात है । इसलिये मैं आग्रह करूंगा कि इससे बड़ा कोई मामला सदन में नहीं है कि जनतांत्रिक तरीके से कोई प्रदर्शन करे , धरना दे तो उसको विफल करने के लिये सरकार पुलिस निरीक्षक का इस्तेमाल करे इससे बड़ी दूसरी घटना हो ही नहीं सकती । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस सदन की शेष कार्यवाही रोक कर इस महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा करावें ।

श्री अखिलेश–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इटावा जनपद में सजपा के द्वारा मंहगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पुलिस उत्पीड़न के विरुद्ध एक विशाल रैली का आयोजन किया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष–

बहुत संक्षेप में कहें । तथ्य तो राम गोविन्द चौधरी जी ने रख दिये ।

श्री अखिलेश–

मान्यवर, संक्षेप में ही कह रहा हूं और आप पहले ही रोक लगा रहे हैं । मान्यवर, आज जो रैली का आयोजन किया गया, इसको विफल करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने इटावा प्रशासन के ऊपर घृणित रूप से दबाव डाला है, कि रैली को किसी प्रकार विफल किया जाय उसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था में दूसरी मिसाल नहीं मिलती । इसके पूर्व फरवरी में माननीय मुलायम सिंह जी ने लखनऊ में एक विशाल रैली का आयोजन किया था । सरकार ने उसको भी विफल करने के लिये अपने तमाम हथ-कण्डों का प्रयोग किया था लेकिन इनके हथकंडे फेल हो गये और लखनऊ में उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐतिहासिक रैली का आयोजन किया गया । उत्तर प्रदेश सरकार ने सारे नियम कानून ताक पर रख कर इटावा में जंगल राज कायम किया है । हजारों कार्यकर्ताओं को दो दिनों से बन्दकर रखा है । ट्रैक्टर ट्राली थानों में बन्द कर दिये गये हैं । उनको डीजल नहीं दिया गया है ताकि लोग दूर देंहात से आकर रैली में शिरकत न कर सकें । इस पर भी जब सरकार को दिखाई पड़ा कि रैली विफल नही कर सकते तो इन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमें चलाकर उनको बन्द करने का काम किया है । मैं चाहूंगा कि इस समस्या पर अगर सरकार को निर्देश नहीं दिया गया कि इस तरह से हथकंडों से बाज आये और चर्चा स्वीकार नहीं की गयी तो सरकार निरंकुश हो जायेगी और आने वाले दिनों में परिणाम यह होगा कि पूरा उत्तर प्रदेश जनाक्रोश की चपेट में आ जायगा । इसलिये निवेदन है कि सारी कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करावें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय चौधरी जी और सिंह साहब को बहुत्त बहुत धन्यवाद कि उनका प्रस्तुतीकरण बहुत अच्छा रहा । लेकिन मैं एक जानकारी देना चाहूंगा कि इस समय इटावा में तिलहर में प्रदर्शन हो रहा है । संख्या कम है । लोग नहीं आये तो हमारा क्या दोष है ? यह निराधार है जो कहा गया कि डीजल बन्द कर दिया या और कोई कार्यवाही इस तरह की गयी । आपने बहुत प्रचार किया और गांव-गांव कार्यकर्ता गये, धन्यवाद, बधाई । जनता कम आये तो क्या करें । मान्यवर, वहां के जिलाधिकारी का ट्रांन्सफर हो गया । यह सरकार है । ट्रांसफर पोस्टिंग रोज होती है । ये कल तक शिकायत करते थे, अब ट्रांसफर हो गया तो हमने बदले की भावना से कर दिया । बड़ी मुश्किल है, अच्छा काम करो तो दोष है और बुरा करो तो भी । मैंने इसकी ग्राह्यता पर शासन की ओर से उत्तर देने का प्रयास किया । यह विषय ऐसा नहीं है कि सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

इससे पूर्व माननीय हरिबंश सहाय की सूचना थी, उसे नियम 56 के अन्तर्गत अग्राह्य करता हूं और माननीय राम गोविन्द चौधरी और माननीय अखिलेश सिंह की सूचना को अग्राह्य करता हूं।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी सदन को गलत तथ्य दे रहे हैं और तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिये मैं इसके विरोध में अपने दल के साथ सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री राम गोविन्द चौधरी अपने दल के साथ सदन त्यागकर चले गये)

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, मैं दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। मान्यवर, यह तो बहुत स्पष्ट है, मैं नहीं कहूंगा कि सरकार ऐसा कर रही है। इस सरकार में थानाध्यक्षों का दिमाग तो खराब हो ही गया है, उनके हौसले बुलन्द अफजाई हो गये हैं। मान्यवर, अगर कोई यह कहता है कि मैं मुसलमानों को ठीक कर दूंगा, तो यह देश की अखंडता और एकता के लिये खतरा है। मान्यवर, मैं तीन बातों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। (1) 9-11-91 को अब्दुल मनीद पुत्र अब्दुल जमील पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा प्राण घातक हमला किया गया, जब अब्दुल मजीद थाना मौदहा, हमीरपुर में रिपोर्ट लिखाने गये, तो इन्हें गालियां दी गयीं तथा इनके विरुद्ध कुछ लोगों को बुलवा कर रिपोर्ट लिखवा ली गयी। तथा थानाध्यक्ष नन्द लाल दीक्षित द्वारा अब्दुल मजीद के विरुद्ध अपशब्दों का प्रयोग किया गया तथा यह कहा कि मैं मुसलमानों को ठीक करने के लिये आया हूं। मान्यवर, दूसरी घटना यह है कि 29-3-92 को अब्दुल मजीद को रमजान के महीने के दौरान क्षेत्राधिकारी श्यामपाल सिंह और इंस्पेक्टर नन्दलाल दीक्षित ने घर से बुलवा कर उसका रोजा तोड़वा दिया तथा उसे बुरी तरह से मारपीट कर जेल में भेज दिया। मान्यवर, तीसरी बात यह है कि अगर कोई हिन्दू जन्माष्टमी का व्रत रहता है और उसका ब्रत तोड़वा दिया जाता है, तो उसको केस लगेगा, उसी प्रकार से किसी मुसलमान का रोजा तोड़वा दिया जाता है, तो उसको कैसा लगेगा, इसका आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। मान्यवर, किसी जाति विशेष के नाम पर किसी व्यक्ति को गाली देना उचित नहीं है। मान्यवर, पुलिस की साजिश से उसकी ऐम्बेस्डर कार नं० यू० एच० ए० 6182 एक राजीव नामक व्यक्ति को झांसी ले जाने के बहाने पुलिस मंगवाती है और अब्दुल मजीद का अंग्रेजी में फर्जी हस्ताक्षर बना कर आर० टी० ओ० द्वारा उस कार को दूसरे के नाम ट्रांसफर करा दी थी। इस पूरे तथ्यों की जांच की गयी और पाया गया कि यह कार जो है, अब्दुल मजीद की है, परन्तु फर्जी हस्ताक्षर करके हस्तांतरण कराने वाले को कोई दंड नहीं दिया गया।

उन लोगों ने अपनी कार दे दी और आर० टी० ओ० से कागजात ट्रांसफर कराने के लिये हस्ताक्षर करवा लिये। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इसकी जांच सी० आई० डी० से करवा लें।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, स्वामी नाथ यादव जी ने विस्तार से घटना के बारे में कहा। गुप्ता जी, इसमें 2-3 बिन्दु हैं। एक तो अब्दुल और उनके भाई पर प्राण घातक हमले किये गये और जब वह रिपोर्ट लिखाने गये तो मारा पीटा गया और इन्होंने जब अपर पुलिस अधीक्षक से संबंध स्थापित किया और उन्होने जब आदेश दिया कि रिपोर्ट लिखी जाये, तो मान्यवर, रिपोर्ट न लिखकर बेचारों को घर से बुलाया और मारा। अपर पुलिस अधीक्षक ने एस० आई० एस० से जांच करने के लिये कहा और उसकी जांच हो गयी,

रिपोर्ट आ गयी है, लेकिन जांच रिपोर्ट अभी तक लम्बित है और उस पर कार्यवाही नहीं हो रही है, तो मैं चाहूंगा कि मौदहा थाने की स्थिति को देखते हुये आप सी० आई० डी० से जांच करा दें और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, तो डी० आई० जी० को आदेशित कर दें और जांच करा लें और वह रिपोर्ट शासन को आ जाये और हम लोगों को कृत कार्यवाही से अवगत करा दें और किसी प्रकार के वर्ग या धार्मिक भावना से काम न किया जाये । वह आदमी 7 दिन से दौड़ रहा है । पुलिस रिपोर्ट दे दे और आप अपनी इसमें मानसिकता न बनायें । 7 दिन से वह आदमी दौड़ रहा है, ऐंसा नहीं है कि उसके खिलाफ रिपोर्ट आयी है, ऐसा नहीं हैं कि उसका आपराधिक चरित्र रहा है । अगर सामान्य नागरिकों के साथ इस प्रकार का व्यवहार होगा तो आपकी अच्छी छबि नही बनेगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मुख्य मंत्री, नेता सदन के बाद माननीय नेता विरोधी दल का स्थान है और मुझे भी उप नेता होने के कारण वहां पर बैठने का सौभाग्य मिला है । हर मामले में नेता विरोधी दल का मत आये, यह आवश्यक नहीं है । हम उनकी बात को बड़े सम्मान से लेते हैं । जब यादव जी बोल रहे थे, तो इनके मुंह से कुछ निकल रहा था और मेरी ओर नजर डाली तो मुंह मोड़ लिया, तो मैंने कहा कि वाक्य को पूरा कर दें । मान्यवर, विधायकों की बात का पूरा-पूरा सम्मान करना चाहिये, लेकिन अविश्वास कर रहे हैं । आप शिव चरन प्रजापति और मिहीलाल जी से पूंछ लें, इनके फर्जी दस्तखत करके क्या-क्या किया है । आप सभी लोगों को पैड मिलते हैं । पहले क्या होता था, हम लोग पैड खरीद लेते थे और उस समय नंबरिंग नहीं होती थी और जब पैड पर जाली हस्ताक्षरों का सिलसिला चला तो यह मीटिंग में तय हुआ , मैं भी उस मीटिंग में था, कि नम्बरिंग कर दी जाये । असामाजिक तत्वों के पास, डकैतों के पास हमारे पैड प्राप्त हुए हैं और अब जब नम्बरिंग है तो पता चल जाता है कि पैड किसका है और किसके नाम जारी किया गया है । अगर कोई उठा ले जाये और दस्तखत करके पेश कर दे और विधायक के फर्जी दस्तखत बना दे तो माननीय सदस्यों ने इसकी रिपोर्ट की है । इसका आपराधिक इतिहास रहा है, आप इसको देख लें ।

मान्यवर, गंभीर से गंभीर 18 मुकदमें दर्ज हैं मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता क्योंकि हम सब विधायक हैं हमको कोई सूचना मिलती है तो हम उठाते हैं अच्छा होता कि जैसे हमीरपुर का मामला है और उठाने वाले माननीय सदस्य देवरिया के हैं तो यह हमीरपुर के किसी विधायक से चर्चा कर लेते, इसमें सी० आई० डी० से जांच कराई जाय या किसी से जांच कराई जाय मैं तो समझता हूं कि जांच कराने का आदेश करना प्रशासन को चौपट करना और अधिकारियों के मनोबल को गिराना है । अब श्री कल्याण सिंह जी ने भयमुक्त समाज की घोषणा की है उसमे सहयोग प्रदान करें । जैसे कोई बात संज्ञान में आई तो मैंने आयुक्त से जांच कराने की घोषणा की उसके बाद माननीय अध्यक्ष ने कहा । तो मैं बताना चाहता हूं कि जिसने गलत पैड का इस्तेमाल किया है उसके खिलाफ कार्यवाही होगी । हमीरपुर के मामले मे नरेश सैनी काछी गिरोह का है एक बार नरेश सैनी का मामला उठा था और आपने भी समर्थन किया था तो यह लंबे चौड़े गिरोह का मामला है इसलिये मेरा अनुरोध है कि इस पर जांच के लिये दबाव न डालें ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

यदि निश्चित रूप से वह अपराधी है तो आप जांच कराकर दंड दीजिए मेरा इसमें कुछ कहना नहीं है लेकिन मैंने 2-3 तारीख को कहा था ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय नेता विरोधी दल स्वतः इन्क्वायरी कराकर बता दे, मैं मान लूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

कार्यस्थगन की सूचना के रूप में इसे अस्वीकार करता हूं ।

श्री सोमांश प्रकाश–

मान्यवर, जनपद मुजफ्फरनगर के बारे में बताना चाहता हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आज दो-दो मदें हैं, विनियोग विधेयक भी पेश होना है ।

* श्री सोमांश प्रकाश–

मान्यवर, जनपद मुजफ्फरनगर में विशेष तौर से शहर के अन्दर इस वक्त परिस्थिति बड़ी भयावह हो गयी है । माननीय गुप्ता जी का विशेष तौर से ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 5 मर्डर सिक्वेंस में एक दो, तीन, चार, पांच में हमारे मुजफ्फर नगर शहर में हो गये और एक परिस्थिति आप यह देखिये भयावह परिस्थिति कि जो मरने वाला आदमी था 7 तारीख को उसके पास एक चिट्ठी पहुंची कि 20 हजार रुपये मुझे दो वरना जान से मार दिया जायेगा और वह आदमी चिट्ठी को लेकर पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, सी० ओ० सिटी सब के पास गया, रसीद उसका नाम था और वह होटल का मालिक था उसने उस स्थिति के बारे में जानकारी दी कि उसके दो दिन पहले एक आदमी को रुपया वसूली के मामले में मार दिया गया है और मेरी भी जान को खतरा है, मेरी जान की रक्षा कीजिये, पुलिस ने ध्यान नहीं दिया और कल शाम को गोली से मार दिया गया जब वह होटल बन्द करने जा रहा था । गुंडा लोगों ने कहा कि तुमने अखबार में भी सूचना दी और पुलिस को भी सूचना दी और सरेआम बाजार के बीच में उसको गोली मार दिया और वह वहीं मर गया उसके बाद बाजार बन्द हो गया और सी० ओ० सिटी को लोगों ने घेर लिया । सी० ओ० सिटी जो मुजफ्फर नगर में हैं उसके बारे में विशेष तौर से यह कहना है कि वह आपराधिक तत्वों से मिला हुआ है । जब लोगों ने उसकी गाड़ी को घेर लिया उसने वायदा किया कि दो दिन के अन्दर निश्चित रूप से पता बता देगें लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई फिर अगले दिन लोग उसकी डेड बाडी को लेकर जा रहे थे पर रास्ता घेर लिया गया तो पुलिस ने लोगों को मारा जो लोग डेड बाडी को लेकर गये थे और उसकी लाश को पुलिस ने अपने संरक्षण में लेकर दफनवा दिया । मान्यवर, यह कोई राजनीतिक मसला नहीं है । मैं यहां पर कोई जाति या धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल इन्सान की बात कर रहा हूं, आप अपने विधायकों से भी मालूम कर सकते हैं कि वहां क्या परिस्थिति है । यही स्थिति मेरठ और मुजफ्फर नगर की है । आपका भयमुक्त समाज का नारा थोथा होता चला जा रहा है । इस पर चाहूंगा कि पूरी तरह से ध्यान दिया जाय और सख्त कार्यवाही करे ताकि जहां से असामाजिक तत्वों को दूर किया जा सके ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, यह बहुत गंभीर मामला है । यह तात्कालिक भी है और लोकमहत्व का भी है । तात्कालिक इसलिये है कि 9 तारीख की घटना है और 11 तारीख है । श्री सोमांश प्रकाश जी ने घटना

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पर प्रकाश डाला है । पूर्व में मेरे द्वारा भिन्न-भिन्न नियमों के अन्तर्गत इसको उठाया गया है और वैसे भी आपसे अनुरोध किया गया, मुजफ्फर नगर में आदमी का रहना दूभर हो रहा है, वहां पर जंगल का राज्य कायम है । एक आदमी को 28 तारीख को चिट्ठी मिलती है कि 40 हजार रु० दो । वह एस० पी० से मिला, एस० पी० ने सी० ओ० (सिटी) से कहा । उसकी नफीस नाम के बदमाश को पकड़ने की जिम्मेदारी लगा रखी थी । 8 तारीख को एडीशनल एस० पी० ने लिखा, सी० ओ० (सिटी) से कहा । इसी दौरान सी० ओ० (सिटी) ने अखबार में खबर छपवा दी । इससे बदमाश नाराज हो गये । छः गोली मारकर उस आदमी की हत्या कर दी गयी । वह आदमी रशीद मर गया । उसका रात के दो बजे पोस्टमार्टम हुआ । सुबह जब जनाजा ले जाया जा रहा था, जो जनाजे पर लाठियां बरसाई गयीं सी० ओ० (सिटी) का कहना है कि एक बुरकेवाली औरत उससे फाइल छीन रही थी । आज की हालत यह है कि तीन दिन बाजार बन्द रहे । कोई व्यक्ति वहां पर अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है । शामली अड्डे पर भी कत्ल हुआ । बार-बार इस सम्मानित सदन में आपके माध्यम से इस प्रश्न को उठाया है और माननीय संसदीय कार्य मंत्री से, जो वहां के प्रभारी मंत्री भी हैं, उनसे अनुरोध कर चुका हूं । सारे बदमाशों ने मुजफ्फर नगर, मेरठ से लेकर दिल्ली तक ऐसी चेंन बना ली है । अभी सोमांश प्रकाश जी और हम बैठकर बात कर रहे थे । आज हम इस मामले को सदन में उठा रहे हैं, पहले भी उठा चुके हैं । हम लोगों को शंका है कि हम लोग शहर में जाकर कैसे जिन्दा रह पायेंगे । कोई राजनीतिक या सामाजिक आदमी आज वहां इज्जत के साथ जिन्दा नहीं रह सकता है । एक भी दुकानदार ऐसा नहीं है जो महीना न दे रहा हो, चौथ देने का काम शहर का हर व्यापारी कर रहा है । एक लाख पच्चीस हजार रु० महीना कमाया जाता है ।

वह बर्फ बनाकर 20 रुपये सिल्ली बेचेंगे और वह माफिया सरगना 80 रुपये सिल्ली बेचेंगे । मान्यवर, सुरेश खन्ना जो ट्रक यूनियन के लीडर हैं उन्होंने बयान दिये, ट्राली यूनियन के लोगों ने बयान दिये । उसे राजनीतिक लोग संरक्षण देने का प्रयास कर रहे हैं, आपके दल का कोई संरक्षण नहीं कर रहा है, आपके नगर के विधायक ने कंडम किया है । मान्यवर, 2-2 विधायक इस बारे में कह रहे हैं, मुजफ्फर नगर के शहर के लोगों की तकलीफों के बारे में, यह गंभीर विषय है, मान्यवर, ऐसे मामले पर चर्चा करायी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, जो मुजफ्फरनगर के राजनीतिक और सामाजिक प्रतिष्ठित लोग हैं उनकी सुरक्षा की सम्पूर्ण व्यवस्था की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इस सूचना की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

(श्री विजय सिंह राणा के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

आपकी दूसरी सूचना पर भी हस्ताक्षर है, किस-किस पर बोलेंगे ?

श्री विजय सिंह राणा

मान्यवर, 311 और 56 में सूचना दी थी, अब 311 को इसमें कन्वर्ट कर दिया गया है तो मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता ।

मान्यवर, मुजफ्फरनगर की घटना के संबंध मे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से 2 बातें कहना चाहता हूं एक तो यह कि वहां के माफिया सरगना एक होटल मालिक से कहे कि 40 हजार रुपया दो, वह उसने नहीं दिया और उसकी सूचना पुलिस को कर दी । पुलिस वालों ने ही माफिया सरगनाओं को इसकी इत्तला दे दी कि सूचना आयी है । पुलिस के सी० ओ० उस होटल मालिक से जाकर यह कहते हैं कि क्या तुम करोड़पति हो, कहां से 40 हजार दे दोगे, यह सब झूठी बाते हैं । फिर 3-4 दिन बाद उससे पैसा मांगा जाता है और कहा जाता है कि तुमने शिकायत कर ली कुछ नहीं हुआ अगर इस बार शिकायत की तो गोली से मार दिया जायेगा । वह सूचना भी उसके द्वारा पुलिस को दे दी गयी, पुलिस ने उसकी शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया, उसको गोलियों से भून दिया गया । क्या इस तरह से माफिया सरगनाओं को सामान्य जनजीवन के साथ खिलवाड़ करने की छूट दे दी जायेगी । वह 2-2 बार शिकायत करता है फिर भी कुछ नहीं होता है उसको गोलियों से उड़ा दिया जाता है । उसके बाद शर्मनाक स्थिति यह आयी कि 2 बजे पोस्टमार्टम करके उसकी लाश सौंप दी गयी, उसकी अन्तेष्टि जब सुबह निकलती है, जो उसका जुलूस निकलता है, एक आदमी को खुलेआम गोलियों से मार दिया गया, तो जनता में उत्तेजना आना स्वाभाविक है, वे लोग नारेबाजी करने लगे, उस अन्त्येष्टि के जुलूस पर, आपको दुनियां में ऐसी कहीं मिसाल नहीं मिलेगी, निमर्मतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया । क्या इस तरह से खुलेआम माफिया सरगनाओं को लोगों को मारने का अधिकार दे दिया जायेगा । क्या माफिया सरगनाओं के कर्तव्यों का विरोध करने वाली जनता पर पुलिस को लाठी चार्ज करने का अधिकार दे दिया जायेगा क्या माफिया सरगनाओं के कर्तव्यों का विरोध करने वाली जनता पर पुलिस को लाठी चार्ज करने का अधिकार दे दिया जायेगा । अगर इन दोनों बातों की प्रवृत्ति इस प्रदेश में बनी रही तो यह साफ है कि प्रदेश की जनता बहुत जल्दी बागी हो जायेगी । यह बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण प्रश्न है । आपने बड़ी आसानी से कह दिया कि शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । मान्यवर, इस तरह से माफिया सरगनाओं को दिन दहाड़े गोलियों से लोगों को भून देने का अधिकार नहीं हो सकता है, मात्र शासन का ध्यान आकृष्ट हो जाने से क्या होगा । मेरा आपसे भी अनुरोध है कि इस पर जरूर चर्चा करायी जाय । मान्यवर, यह भी अगर चर्चा का विषय नहीं हो सकता है तो इससे ज्यादा ग्राह्यता का विषय और क्या हो सकता है ।

*श्री विजय पाल सिंह तोमर–

मान्यवर, जब से वर्तमान सरकार आयी है खासतौर से मेरठ मुजफ्फरनगर जिलों में हत्यायें हो रही हैं डकैतियों का तांता लगा हुआ है इनकी पूरी श्रृंखलाओं को नेता विरोधी दल जी ने गृह विभाग पर बजट चर्चा के समय गिनवाया था । इन घटनाओं की बाबत माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से एक मेरठ का प्रतिनिधि मण्डल वैश्य समाज का मिला था ।

एक महीने के अन्दर 19 लोगों के अपहरण किये गये और हत्याएं की गयीं । अपहरण फिरौती के लिये किये जाते हैं मान्यवर, उसी क्रम में 8 तारीख को जो घटना हुई, मुजफ्फर नगर में रशीद नामक एक व्यक्ति जो दिलशाद होटल चलाता था, ने दो दिन पहले एस० पी०, एडीशनल एस० पी०,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सी० ओ० (सिटी) तथा कोतवाली इंस्पेक्टर से यह कहा कि मेरे पास चिट्ठी आयी है और रुपया मांगा जा रहा है और वहां के पूरे व्यापारियों को ऐसी चिट्ठी मिली हुई है, चौथ वसूली जा रही है, पुलिस मौन साधे रही और यह हरकते करके कि तू कौन सा करोड़पति है जो तुझसे चौथ वसूली जायेगी और अगले दिन सारे आम 6.00 बजे उसकी हत्या कर दी गयी और यह कहकर हत्या की गयी कि हमने तुझे चिट्ठी दी और तूने उसको पुलिस को दे दी तो उसका नतीजा भुगत । मान्यवर, इससे वहां पर पूरे बाजार में असंतोष व्याप्त है । उसके बाद रात के दो बजे उसका पोस्ट मार्टम हुआ, अगले दिन उसका जनाजा निकला और लोगों में आक्रोश था, यह तो स्वाभविक ही है, और वह यह कह रहे थे कि तीन दिन पहले से इसकी सूचना दे रहे हैं और भी व्यापारियों के पास इस तरह की चिट्ठियां आयी हैं, महीना पैसा वसूली की जा रही है । इसके बाद भी पुलिस कुछ नही कर रही है और उसके ऊपर निर्दोष लोगों पर लाठी चार्ज किया जिससे दर्जनों लोग घायल हो गये । मान्यवर, इससे दो दिन पहले वहां पर हमीद नामक एक व्यक्ति की फिरौती के लिये हत्या कर दी गयी थी और मेरठ जिले में मेरे क्षेत्र में 5 लोगों के अपहरण किये गये जिनमें से चार लोग तो पैसा देकर छुड़ाकर आ गये हैं । तो मान्यवर, ऐसे समुदाय के लोग जो बी० जे० पी० के सपोटर्स हैं जो हत्याएं और डकैतियां वहां करवा रहे हैं और जो साधारण लोग हैं, जो खाता पीता आदमी है, उससे चौथ वसूली की जा रही है तो इस तरह से यह अविलम्बिनीय लोक महत्व का प्रश्न है अतः इस पर अविलम्ब चर्चा करायी जाये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह आपका अधिकार है कि आप चर्चा करायें या न करायें लेकिन आवश्यकता इसलिये नहीं समझता हूं कि जिस बात की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया है इसमें माननीय विधायकों ने और प्रतिष्ठित नागरिकों ने भेटकर मुझसे कह दिया है । अभी वैश्य समुदाय का नाम लिया गया, मैं भी वैश्य हूं । वैश्य समुदाय के नाते नहीं एक सरकार के मंत्री के नाते वह मुझसे मिले और मैंने उनकी बात सुनी । मैं आपके माध्यम से इस आदरणीय सदन को और उन सभी सदस्यों को जिन्होंने मुझे जानकारी दी बता देना चाहता हूं कि इस संबंध मे कड़ी कार्यवाही की जा रही है । लेकिन यह जो कहा गया कि लाठी चार्ज किया गया तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि वहां के लोग जब जनाजा लेकर जा रहे थे तो उन्होंने सड़क जाम करने के लिये उस शव को बीच सड़क में रख दिया जिस कारण हमारे पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा लेकिन जो इन्होने बताया कि दर्जनों लोग घायल हैं तो यह गलत है । वहां पर सी० ओ० (सिटी) के खिलाफ बड़ा असंतोष है । वहां की जो स्थिति है, उस पर कार्यवाही कर रहे हैं ।

* श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय गुप्ता जी से यह जानना चाहूंगा कि जो सूचना दी गयी है उस पर पुलिस अधीक्षक ने यह स्वीकार किया है कि सी० ओ (सिटी) ने लापरवाही की है और यह सारे समाचार पत्रों में भी छपा है और आपके डी० एम० और ए० डी० एम० ने भी इसको स्वीकार किया है कि लाठी चार्ज गलत किया है..

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने कहा है कि इस संबंध में उचित कार्यवाही की जा रही है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब मैं अगली सूचना जो कि श्री फरीद महफूज किदवई की प्रदेश सी० आई० ए० की बढ़ती गतिविधियों के संबंध में है, को ले रहा हूं। इसके संबंध में माननीय सदस्य ने यह आग्रह किया है कि इसे न लिया जाये। अंगली सूचना श्री निर्वेन्द्र कुमार की जनपद खीरी के थाना पलिया के अंतर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की प्राथमिकी एवं डाक्टरी रिपोर्ट के अनुसार आरोप-पत्र प्रेषित न किये जाने के संबंध मे है, को ले रहा हूं। मैं इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

अगली सूचना श्री सुरेश प्रताप गांधी, श्रीमती ज्ञानवती सिंह, श्री नवाब सिंह, श्री विजय सिंह राणा, श्री बलबीर सिंह, श्री राम शरण सिंह की प्रदेश में गंभीर पेयजल संकट के संबंध में है। इस ओर भी शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। अगली सूचना श्री अमरेश चन्द्र पांडेय की हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा अर्धकुंभ मेले के अवसर पर " हरिद्वार दर्शन" नाम से छपवाई जाने वाली पुस्तक की मूल्य वृद्धि तथा आपत्तिजनक फोटो इत्यादि के संबंध में है, इस पर भी शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। अन्य जो सूचनाएं हैं, उन्हे अग्राह्य किया गया।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, प्रदेश में विद्युत और पानी की इस समय भयंकर कमी..

श्री उपाध्यक्ष–

मैं बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(श्री विजय सिंह राणा के पुनः सुन लेने का अनुरोध करने पर)

राणा जी, मुझे क्षमा करें, मैं अब अगली मद ले रहा हूं।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, यह प्रदेश का महत्वपूर्ण मसला है, मैं केवल यह अनुरोध कर रहा हूं कि आप इसे कल ले लीजिये, इसमें क्या दिक्कत है।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय राणा जी, आपने सूचना दी और उस सूचना पर मेरी व्यवस्था हो गयी, अब कल ले लेने का क्या मतलब है ?

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, आपने तो बिना मेरी बात सुने ही व्यवस्था दे दी।

श्री उपाध्यक्ष–

आप कल लिखकर दे दीजियेगा। विचार कर लेंगे।

वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या-1 आबकारी विभाग, अनुदान संख्या--43 परिवहन विभाग, अनुदान संख्या--53 राष्ट्रीय एकीकरण विभाग

आबकारी, परिवहन एवं पूर्त धर्मस्व मंत्री (श्री सत्य प्रकाश विकल)–

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से और आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-1 आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों

को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृति धनराशि के अतिरिक्त 7,28,94,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, आप तीनों मदें एक साथ प्रस्तुत कर दें ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, अगली परिवहन की मद है । दोनों साथ-साथ कैसे होगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप तीनों एक साथ प्रस्तुत कर दें ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से और आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 43–परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुंकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,56,71,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से और आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 53–राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 71,76,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी जो यह तीसरा अनुदान है, इस पर विवाद नहीं है । शेष दोनों अनुदानों पर आप संक्षेप में अपनी बात कहें । क्योंकि 4 बजे विनियोग विधेयक पेश होना है । इसलिये इसे 4 बजे से पहले समाप्त होना है ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण विभाग हैं । फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि संक्षेप में अपनी बात कहूं । श्रीमन्, यह मेरा सौभाग्य है कि इस सत्र की बजट अनुदान मांगों के अन्तिम दिन इस सम्मानित सदन में मुझे प्रथम बार अपने विभाग का आय-व्ययक प्रस्तुत करने का गौरव प्राप्त हो रहा है । मान्यवर, इसे भी मैं सौभाग्य कहूं या संयोग कि आज मैं आबकारी विभाग का बजट यहां प्रस्तुत कर रहा हूं । मान्यवर, इस विभाग के बारे में लोगों के मन में बड़ी भ्रान्तियां हैं खासतौर पर लोग यही समझते हैं कि यह विभाग केवल शराब/मदिरा पिलाने का काम करता है । जितना भी यह विभाग राजस्व वसूल करता है उसकी पूरी कोशिश यह रहती है कि मदिरा का अधिक से अधिक उत्पादन कर प्रदेश के लोगों को शराब पिलायी जाय । परन्तु अगर इसकी वास्तविकता को गहराई से देखें तो पता लगेगा कि वास्तविकता इससे बिल्कुल उल्टी है । ऐसा नहीं है कि यह विभाग केवल इस प्रदेश की जनता को शराब पिलाने का काम करता हो । यह एक ऐसा विभाग है जो इस प्रदेश में दूसरे नम्बर पर आता है, जिसके द्वारा इतना राजस्व प्राप्त किया जाता है । पहले नम्बर पर बिक्रीकर व दूसरे नम्बर पर आबकारी विभाग आता है । इस विभाग की आमदनी का केवल एक प्रतिशत इस पर खर्च होता है और शेष 99 प्रतिशत आमदनी राजस्व

प्रदेश की जनता के कल्याण व प्रदेश के विकास हेतु खर्च होता है। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि एल्कोहल का जो उत्पादन किया जाता है, उसका बहुत कम भाग पेय मदिरा में किया जाता है, शेष अधिकांश भाग को औद्योगिक क्षेत्रों के उपयोग हेतु दिया जाता है। इस प्रकार उद्योगों को बढ़ावा मिलने से नवयुवकों को गरीबों और बेरोजगारों को रोजगार मिलता है। इस विभाग का यह काम है कि शराब/मदिरा जो प्रदेश में बने वह कानून सम्मत बने और राज्य के एकाधिकार से बने और जो गलत तरीके से शराब बनाते हैं, उन पर नियंत्रण रखें। इस प्रकार मान्यवर, शीरे व एल्कोहल पर आधारित हमारे जो उद्योग हैं, उनसे अनेक प्रकार की चीजें बनती हैं। शीरे से पशुओं के लिये आहार कोयला टिकली कुक्कुट आहार, खमीर व महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ बनते हैं। जो एल्कोहल हमारे उद्योगों में काम आता है, उससे कृत्रिम रबर बनता है, जिससे टायर व ट्यूब बनता है, रासायनिक पदार्थ बनते हैं, पोलिएस्टर यार्न बनता है, जिससे कपड़ा बनता है, पेंट्स थिकर एथाइल एसिटेड बनता है तथा फेबिकोल बनता है। इस प्रकार अनेक चीजें बनती हैं, और अनेक लोग इस काम में लगे हुए हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि इस विभाग के प्रति लोगों को कई भ्रान्तियां हैं कि इस विभाग के द्वारा मात्र मदिरा का उत्पादन होता है। ऐसा नहीं है। कुल उत्पादित एल्कोहल से मात्र 20 प्रतिशत इस विभाग द्वारा पेय मदिरा दी जाती है, 40 प्रतिशत एल्कोहल, उद्योगों में चला जाता है और शेष 40 प्रतिशत इस प्रदेश के बाहर या फिर इस देश के बाहर विदेशों में निर्यात किया जाता है। जिससे हमको राजस्व मिलता है। विदेशों को भेजने से हमें तो कुछ नहीं मिलता है किन्तु भारत सरकार के बहुमूल्य विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। पेय मदिरा से ही हमें आय प्राप्त होती है और 40 प्रतिशत हम देते हैं उद्योगों के लिये जिससे बहुत कम आय होती है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां पेय मदिरा पर हमें 30 रुपया बोतल राजस्व मिलता है, वहीं औद्योगिक इस्तेमाल में के लिये देने पर हमें मात्र 30 पैसा प्रति लीटर ही मिलता है। अर्थात् करीब-करीब 100 गुना अन्तर है। लेकिन हम इस कीमत पर भी उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं और इसको पेय मदिरा के रूप में बहुत कम दे रहे हैं। मान्यवर, यह राज्य सरकार का एकाधिकार है कि वह शराब के उत्पादन पर नियंत्रण रखे और वह इसे प्रतिफल लेकर किसी को भी दे। हमारे संविधान के अनुच्छेद के 47 के अनुसार भी राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन-स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और राज्य, विशिष्टतया, मादक सुधार पेयों और स्वास्थ्य के लिये हानिकर औषधियों के, औषधीय प्रयोजनों से भिन्न, उपयोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा।

हमारे प्रदेश में शीरे और अल्कोहल के ऊपर सैकड़ों उद्योग कार्यरत हैं। जो प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं और इससे प्रदेश का आर्थिक विकास होता है। जैसा मैंने कहा इससे जो आय होती है उसका केवल एक प्रतिशत ही अपने यहां विभाग पर खर्च करते हैं। मान्यवर, सम्भवतः यही ऐसा विभाग है जो इतना बड़ा राजस्व अर्जित करता है और इसके अर्जन के बाद एक प्रतिशत अपने ऊपर खर्च करता है।

मान्यवर, हमारे प्रदेश में ताड़ी का भी उत्पादन और व्यापार होता है और आमतौर पर कमजोर वर्ग के लोग इस कार्य में लगे हुए हैं। पहले इसकी नीलामी होती थी किन्तु अब यह व्यवस्था की गयी है कि ताड़ी की नीलामी बन्द कर दी गयी है और अब इनके काम का अनुज्ञापन केवल कमजोर वर्ग के लोगों के लिये देते हैं, जिसमें पासी वेलदार भर और ताड़याली आदि जातियों के लोग आते हैं। इस ताड़ी की दुकानें अब हम केवल गरीब, कमजोर और अनुसूचित जाति के लोगों को ही देते हैं। बड़े लोगों से लेकर कमजोर और दुर्बल लोगों को ही इसके कार्य और व्यापार में लगाया गया है जो पेड़ों पर चढ़कर

ताड़ी उतारते हैं मैंने राजस्व की प्राप्तियों के बारे में जो कहा था, इसके बारे में बड़ा भ्रम रहा है स्थिति यह है कि पांच वर्षों में इस विभाग से राजस्व ढाई गुना से अधिक बढ़ा है । इसका कारण यह है कि इसका संचालन बड़ी दक्षता के साथ किया जा रहा है । दो वर्षों में इसमें गुणात्मक वृद्धि हुई है । वर्ष 91-92 में एक हजार करोड़ रुपये से भी ऊपर आय हो गयीं है । जबकि लक्ष्य 998 करोड़ था और आय 1015 करोड़ से भी ऊपर हुई है ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने पहले ही निवेदन कर रखा है कि चार बजे विनियोग विधेयक प्रस्तुत होना है । इसको आप ध्यान में रखते हुए अपनी बात प्रस्तुत करे ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, मुझे कुछ विभाग के बारे में वर्णन तो करना पड़ेगा । यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और जनता से जुड़ा हुआ है .(व्यवधान) मान्यवर, जैसा मैंने निवेदन किया हमने इस प्रदेश में 5 वर्षों की तुलना में ढाई गुना वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त किया है । अब 92-93 के लिये 13 सौ करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और मुझे यह बताने में खुशी का अनुभव हो रहा है कि अब तक इसमें जिस प्रकार के आंकड़े प्राप्त हुए हैं उससे विश्वास है कि हम इस लक्ष्य को भी प्राप्त करने जा रहे हैं । मान्यवर, आपने आदेश दिया तो अब मैं समयाभाव के कारण इसके विस्तार में न जाकर थोड़े में ही जिक्र करूंगा । [समय 3 बजकर 30 मिनट] मान्यवर, बकाया के बारे में बताना चाहता हूं कि जो वसूली पिछले सालों में बाकी रही थी उसमें से कई वसूली तो बट्टे खाते में गई लेकिन इस वर्ष शत प्रतिशत वसूली का प्रयास किया गया है । जो न्यूनतम रकम बाकी है उसमें उच्च न्यायालय से स्थगनादेश है । पुराने में से भी इस वर्ष 1 करोड़ से ज्यादा वसूल हुआ है ।

मान्यवर, विशेष बात यह है कि प्रदेशों में हमारे देश के अन्य प्रदेशों में हर एक के पास कुछ न कुछ सम्पदा है । उत्तर प्रदेश में सम्पदा है तो बड़ी मात्रा में गन्ना पैदा होता है जिसके द्वारा चीनी मिलों से हमें शीरा मिलता है । मान्यवर, जहां एक ओर शीरा शराब बनाने के काम आता है वहीं दूसरी ओर शीरे और अल्कोहल से हमारे औद्योगिक क्षेत्रों में कई चीजें बनाई जाती हैं । जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका है । हमारे प्रदेश में 34 आसवानियां कार्यरत हैं जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 5144 लाख लीटर प्रतिवर्ष है । इन आसवानियों में 6 आसवानियां ऐसी हैं जो पेय मदिरा बनाती हैं और 15 ऐसी हैं जिनमें 30 प्रतिशत पेय मदिरा और 70 प्रतिशत औद्योगिक अल्कोहल बनता है । उसके अलावा 13 आसवानियां ऐसी हैं जो केवल औद्योगिक अल्कोहल से संबंधित चीजें बनाती हैं । इससे पता चलता है कि हम किस तरह पेय मदिरा और औद्योगिक अल्कोहल के रूप में शीरे का उपयोग करते हैं । अल्कोहल वर्ष 1990-91 में 3431 लाख लीटर अल्कोहल का उत्पादन हुआ है जो कि अब तक का सर्वाधिक कीर्तिमान है । अल्कोहल के इस उत्पादन से आसवानियों का क्षमता उपभोग भी गत वर्ष के 64 प्रतिशत से बढ़कर अब 67 प्रतिशत हो गया है । अल्कोहल के उत्पादन में वृद्धि की दिशा में सराहनीय प्रयास किया गया है, जिसके फलस्वरूप अल्कोहल का उत्पादन जो वर्ष 1986-87 में 1742.0 लाख लीटर था वह 4 वर्ष में लगभग दुगुना होकर अल्कोहल वर्ष 1990-91 में 3431 लाख लीटर हो गया है । राज्य में अल्कोहल के औद्योगिक उपभोग को विशेष प्राथमिकता दी जाती है । उल्लेखनीय है कि अल्कोहल का औद्योगिक उपभोग जो वर्ष 1986-87 में 567 लाख लीटर था उसे लगभग ढाई गुना करके अल्कोहल वर्ष 1990-91 में 1320 लाख लीटर के स्तर पर लाया गया है । उल्लेखनीय है कि पेय मदिरा के रूप में अल्कोहल की खपत में बहुत कम वृद्धि हुई है । गत 4 वर्षों में अल्कोहल का पेय रूप में उपभोग जहां

86-87 में 726 लाख लीटर था वह बढ़ कर अब 765 लाख लीटर तक ही सीमित रखा गया है । केवल पेय मदिरा में 5 प्रतिशत बढ़ा और औद्योगिक अल्कोहल में 250 प्रतिशत ।

यह भी उल्लेखनीय है कि गत वर्ष 1991-92 में पेय मदिरा के रूप में 765 लाख बल्क लीटर तथा औद्योगिक इकाइयों द्वारा 1320 लाख बल्क लीटर अल्कोहल का उपभोग किया गया एवं 957 लाख बल्क लीटर अन्य प्रदेशों को तथा 289 लाख बल्क लीटर विदेशों का निर्यात किया गया है । इस प्रकार शीरे से अधिक से रिकवरी का हम प्रयास कर रहे हैं और अल्कोहल का बेहतर उपयोग कर रहे हैं ।

मान्यवर, शीरा हमारी सम्पदा है जो गन्ना प्रधान हमारे प्रदेश से पैदा होता है इस समय प्रदेश में 105 चीनी मिलें कार्यरत हैं जिनसे वर्ष 1990-91 में 165 लाख कुन्तल शीरे का उत्पादन हुआ । 4 वर्ष पहले जितना उत्पादन था उससे यह सवाया उत्पादन है यह अब तक का सर्वाधिक कीर्तिमान है । मान्यवर, इस वर्ष इस दौलत को, इस शीरे को हमने बहने नहीं दिया और जो चीनी मिलें पहले उच्च न्यायालय से स्टे ले आती थी और शीरे को खुले बाजार में बेच देती थी लेकिन इस वर्ष ऐसा नहीं होने दिया अतः अल्कोहल का अधिकतम उत्पादन सुनिश्चित करने के लिये गत वर्ष प्रदेश की आसवनियों को 155 लाख कुन्तल शीरा सम्भरित करवाया । मान्यवर, हमने शीरे की भंडारण क्षमता को भी बढ़ाया है इस वर्ष चीनी मिलों में 5.66 लाख कुन्तल क्षमता के स्टील टैंकों का निर्माण कराकर शीरे की भण्डारण क्षमता को 72.7.1 लाख कुन्तल ब बढ़वाकर 78.37 लाख कुन्तल करवा दिया गया है । इसी प्रकार से हमारी आसवनियां हैं जिनकी 43 लाख क्विंटल शीरे की भण्डारण क्षमता है । यह आसवनियां अल्कोहल बनाती हैं । इस प्रकार 150 क्विंटल शीरा चीनी मिलें और आसवनियों भण्डार कर सकते हैं । 165 लाख क्विंटल में से 150 कुन्तल का भण्डारण किया जाता है इसलिये इसके बाजार में बिकने या बहने का कोई प्रश्न नहीं उठता । जैसा कि मैंने आपसे उल्लेख किया था मान्यवर, आप देखें कि वर्ष 86-87 में आसवनियों ने 78 लाख क्विंटल शीरा उठाया था जो कि अब 90-91 में 155 लाख क्विंटल उठाया । इस प्रकार से दुगुना शीरा उठाकर प्रदेश के औद्योगिक विकास में एक क्रांति पैदा की है । इस तरह से आसवनियां अल्कोहल से उद्योग बढ़ाकर प्रदेश की सेवा कर रही हैं । मान्यवर, आसवनियों से प्रदूषण भी काफी फैलता है । आसवनियों से निकलने वाला निःस्राव पर्यावरण के लिये बहुत घातक होता है । अतः जहां पर भी आसवनियां हैं उनमें निःस्राव उपचार संयंत्र लगाने के लिये जोर देकर कहा जा रहा है । जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे प्रदेश में 34 आसवनियां हैं । 34 में से 20 ऐसी हैं जिनमें इफल्यूऐंट ट्रीटमेंट प्लान्ट लग चुके हैं और 9 ऐसी हैं जिनमें प्रथम चरण पूरा हो चुका है और तीन में दूसरा चरण निर्माणाधीन है । 3 आसवनियों में दूसरा चरण पूरा हो गया है और प्रथम निर्माणाधीन है । केवल दो ऐसी हैं, जिनमें नहीं लगाया गया है । हमारा दबाव है कि वह लगायें ताकि पर्यावरण स्वच्छ हो सके । मान्यवर, औद्योगिक दृष्टि से 85 बड़े उद्योग हैं और 42 फार्मेसी के हैं और इसके अतिरिक्त भी कुछ अन्य छोटे फार्मेसी के उद्योग हैं । इस तरह सैकड़ों उद्योग हैं जो अल्कोहल के आधार पर औद्योगिक क्षेत्र में क्रांति करने के लिये 2094 लाख लीटर अल्कोहल ले सकते हैं । जितना उनका लेने का वायदा था उतना वह ले नहीं पाते हैं । हमने 13 सौ लाख क्विंटल इस साल दिया है । हमारी कोशिश है कि वह और ज्यादा लें ।

श्री निर्वेन्द्र कुमार–

मानसिक शोषण करके आर्थिक विकास की बात हैं । मंत्री जी को बैठा कर हम लोगों को बोलने का मौका दें ।

श्री सुरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है, अभी 4.00 बजे विनियोग विधेयक रखा जाना है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

अभी माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं, 'आप बैठ जायं । विनियोग विधेयक के लिये अभी 4.00 बजे का समय निर्धारित है । मंत्री जी की बात समाप्त होने दें ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

इसी प्रकार से मैं कह रहा था कि वह ज्यादा से ज्यादा लेंगे तो प्रदेश में उद्योग बढ़ेंगे । प्रदेश का अर्थिक विकास होगा, उन्नति बढ़ेगी । इस समय सिनथेटिक रबर के 19 कारखाने हैं । 13 और प्रकार के हैं व 53 थिनर पेंट्स के हैं हमने औद्योगिक क्षेत्र के लिये आश्वासन दिया है पांच वर्षों के लिये छूट देने की बात कही है । ए० बी० सी० तीनों श्रेणियों में अलग-अलग छूट की व्यवस्था की है । ए० के लिये पांच वर्ष बी० के लिये चार वर्ष आर० सी० के लिये 3 वर्ष की छूट परचेज टैक्स में देंगे ताकि उत्पादन में वृद्धि हो और काम कर सकें । इसी प्रकार से मान्यवर, नारकोटिक्स और आबकारी के अपराधों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । गांजा, शराब, चरस, अफीम आदि ऐसी चीजें हैं जिनसे युवा पीढ़ी बरबाद होती है । इन नारकोट्रिक्स के संबंध में कार्यवाही भारत सरकार के द्वारा होती है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी होती है । हमारी सरकार ने इस विभाग में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किये हैं । मान्यवर, अवैध मद्य निष्कर्षण के केस 1990-91 में 9011 पकड़े गये । अन्य मामले 15,617 पकड़े गये । 1991-92 में अवैध मद्य निष्कर्षण के 11,417 मामले पकड़े गये जबकि मदिरा के अन्य प्रकार के मामले 16,570 पकड़े गये । 1990-91 में भांग के 3603 मामले पकड़े गये । 12851 कि० ग्रा० भांग पकड़ी गयी जबकि 1991-92 में 3267 भांग के मामले पकड़े गये और 22073 कि० ग्रा० भांग पकड़ी गई । 1990-91 में 1,86,908 लीटर अवैध शराब बरामद की गयी जबकि 1991-92 में 2,71,571 लीटर अवैध रूप से बनने वाली शराब पकड़ी गयी । इसी तरह से अफीम, भांग और गांजे के मामले हैं । इस प्रकार इन अपराधों की पकड़-धकड़ में भी उल्लेखनीय कार्य किया गया है ।

एक सदस्य–

मेरा एक स्पष्टीकरण है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

शराब, अफीम और भांग की चर्चा करा रहे हैं आप और नशा किसको होगा पता नहीं ।

(व्यवधान)

श्री किशन गोपाल–

यह लोग समय बरबाद कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

किशन गोपाल जी को लगता है असर हो गया ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, आबकारी बहुत मोहक और मधुर मादक विषय है सुना मैं रहा हूं और असर सामने बैठे सब में हो रहा है । मान्यवर, हमने अब व्यवस्था की है कि इसमें में जो शराब बिकती थी मिलावट होती

थी अब ड्रमों में कोई शराब नहीं बिकेगी । पाउच में शराब दी जायेगी । पाउच में जो 75 प्रतिशत शराब गत वर्ष सप्लाई होती थी उसको अब 90 प्रतिशत कर दिया जायगा । बोतलों में भी कम किया जायगा ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

अब समाप्त करें ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

समाप्त कर रहा हूं । मान्यवर, हम स्वच्छ प्रशासन देने की कोशिश कर रहे हैं । विभाग के लोग अगर दोषी पाये जायेंगे तों इसमें उन्हें दंडित करने के लिये एडवर्स एन्ट्री और निलम्बन के लिये कदम उठाये जायेंगे ।

(मेजें थपथपाई गई)

मान्यवर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश, वृन्दावन, अयोध्या, चित्रकूट धाम, मिश्रिख, नैमिषारण्य तथा देववन्द पीरान कलियर में पूर्ण मद्य निषेध लागू है । इसके अतिरिक्त पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा, चमोली एवं उत्तर काशी जिले में केवल परिमिटधारियों को विदेशी मदिरा की सुविधा सहित मद्यनिषेध लागू है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब समाप्त कर दें ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर साल में तीन दिन ऐसे हैं जब शराब की दुकानें बन्द रहती हैं हर महीने के पहली तारीख को भी दुकानें बन्द रखी जाती हैं । मान्यवर, 49 दवायें मदिरा घोषित की गयी हैं । उस पर प्रतिबन्ध लगा रहे हैं । इसके अतिरिक्त मैं बताना चाहूंगा कि हमने एक संस्था खोली है जायस (रायबरेली) प्रशिक्षण के लिये, जो विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देती है । इस वर्ष 694 लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है । दिनेश चन्द्र सोनकर जी हंस रहे हैं उन पर लगता है असर हो गया है तो वह कटौती का प्रस्ताव न रखें ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सोनकर जी आप अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत कर दें और उसके बाद माननीय स्वामी नाथ यादव अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर दें । फिर बाद में उस पर चर्चा प्रारम्भ करें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, नियम 185 देखने की कृपा करें । इसकी उपधारा (2) में कहा गया है । शासन के प्रत्येक विभाग के लिये प्रस्थापित अनुदान के संबंध में साधारणतया एक पृथक मांग रखी जायेगी । माननीय मंत्री जी ने दोनों मांगें एक साथ रखी हैं । इसमें आगे कहा गया है परन्तु वित्त मंत्री दो या अधिक विभागों के लिये प्रस्थापित अनुदानों को एक ही मांग में सम्मिलित कर सकेंगे । वित्त मंत्री जी तो ऐसा कर सकते हैं लेकिन परिवहन मंत्री जी को ऐसा करने का अधिकार नहीं है । इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी दोनों विभाग देख रहे हैं इसलिये एक-एक मंत्री द्वारा दोनों विभागों का एक साथ बजट रखना औचित्य पूर्ण है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है ।

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं अनुदान संख्या–1 आबकारी विभाग के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य, विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

श्री उपाध्यक्ष–

एक दो लाइन बोलना चाहें तो बोल लें ।

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

मान्यवर, यह राम राज्य की सरकार है, हमें आशा थी कि भगवान राम का नाम लेकर आने वाली यह सरकार जो राम के नाम की दुहाई दिया करती है वह राम के आदर्शों पर चलने का काम करेगी । आज जिस विभाग का बजट माननीय मंत्री जी ने पेश किया है, हम उम्मीद कर रहे थे कि माननीय मंत्री जी ने बजट में जो राम राज्य की मूल कल्पना थी उसके आधार पर कुछ घोषणायें करेंगे । लेकिन दुख की बात है कि राम राज्य की जगह पर शराब राज्य के विकास करने की बात माननीय मंत्री जी ने बजट रखी हैं ।

मान्यवर, मैं तो सोच रहा था कि आबकारी विभाग के अधिकारी ही नशे में रहा करते हैं लेकिन मुझे लग रहा है कि सरकार के मंत्री भी नशे में हैं । आबकारी विभाग के कार्यकलापों के संबंध में यह जो कार्य पूर्ति दिग्दर्शन 92-93 पुस्तिका माननीय सदन में मा० सदस्यों को दी गयी है इसकी जो प्रस्तावना है उसके पैराग्राफ–2 में कहा गया है कि विभाग ने वर्ष 1990-91 में कुल 825 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया था । वर्ष 1991-92 में लगभग 844 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित होने का अनुमान है । तो मान्यवर, 1991-92 वर्ष तो पूरा हो चुका है यह 1992-93 का बजट है, 92-93 का अनुमान पेश होना चाहिये था । ऐसा लगता है कि पूरी सरकार नशे में है और होश गंवा चुकी है । 92-93 के बजट में 91-92 के राजस्व अर्जन का अनुमान पेश कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

जब आप बाद में विस्तृत रूप से व्यक्त कर लीजियेगा । दूसरा कटौती का प्रस्ताव आ जाने दें ताकि सभी माननीय सदस्य अपने विचार एक साथ प्रकट कर सकें ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 43–परिवहन विभाग के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय स्वामी नाथ यादव जी अपने विचार व्यक्त कर लें उसके बाद रखें ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने दो चीजों को, जिनका कोई तालमेल नहीं है, एक तो शराब और दूसरा परिवहन, एक में मिला दिया है, इसलिये एक्सीडेंट होना निश्चित है । बस पर लिखा रहता है कि शराब पीकर बस चलाना मना है, लेकिन माननीय मंत्री जी ने तो शराब पीकर बस चला दी है यहां इस सदन में तो दुर्घटना होना तो निश्चित है । मान्यवर, बस पर साधारण आदमी चलता है । जहां तक बसों के चलने की बात है वर्ष 1991-92 में 8083 बसें थीं और यह कल्याणकारी सरकार वर्ष 1992-93 में 8100 बसें करने जा रही है, यानी मात्र 17 बसें खरीदने की हैसियत इनकी रह गयी है । अभी भाषण दे देंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा । आपके विभाग की इतनी दयनीय स्थिति कभी नहीं देखी गयी । वर्ष 1991-92 में जो संख्या 8083 थी, वर्ष 1992-93 में आप मात्र 17 बसें खरीदने जा रहे हैं । इससे आपकी स्थिति साफ हो गयी कि आम जनता के प्रति आपकी सरकार कितनी चिंतित है और जनता की कितनी सुख सुविधायें देने जा रही हैं । आप देखें कि जितनी सड़कें हैं प्रदेश में, सब पर बसें नहीं चलाई जा रही हैं । आप देखें कि गुजरात और महाराष्ट्र में शत प्रतिशत बसें चलाई जाती हैं, लेकिन हमारी हालत यह है कि सभी सड़कों पर बसें नहीं चल सकती हैं । मान्यवर, सारी की सारी बसें परिवहन निगम द्वारा चलाई जा रही हैं जो ओवर एज हो चुकी हैं ।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ रोड ट्रान्सपोर्ट, पूना की ओर ले जाना चाहता हूं । उस रिपोर्ट को पढ़ने से लगता है कि 2.40 लाख किलोमीटर चलने के बाद बस निष्प्रयोज्य हो जाती है, लेकिन आप जवाब देंगे कि ये सारी की सारी बसें आप चलायेंगे । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि आपने एक दिन विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के दूसरे सोमवार को जवाब दिया है कि देवरिया जनपद में कुल 189 में से 105 बसें काम लायक थीं जो अक्टूबर में 97 रह गयीं । इसमें से 22 बसें 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा चल चुकी हैं और 75 बसें एक लाख किलोमीटर से ऊपर चल चुकी हैं। इसको देखने से लगता है कि सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ रोड ट्रान्सपोर्ट की रिपोर्ट के अनुसार सारी की सारी बसें ओवर एज हो चुकी हैं । आंकड़े देखे जायें तो उत्तर प्रदेश में जो बसें चल रही हैं, सभी ओवर एज हैं । निगम के घाटे का भी यह एक मुख्य कारण है । घाटा इसलिये होता है कि पुरानी बसें चलाने पर डीजल ज्यादा खर्च होगा । मोबिल आयल भी खर्च होगा । डग्गामार बसें चलाने में कल पुर्जे भी अधिक खर्च होंगे । कराधान समिति ने यह बताया है कि उत्तर प्रदेश के बसों पर प्रति बस 12 हजार से 16 हजार रुपये के कल पुर्जे खरीदे जाते हैं जबकि आंध्र प्रदेश में 8 हजार का खर्च आता है । इसी के कारण भ्रष्टाचार बढ़ता है ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय स्वामी नाथ जी, बाद में जब अपने विचार व्यक्त करें तो अपने तथ्य रख दीजियेगा ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, 4-5 मिनट का समय है । बाद में फिर बोल लूंगा ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष–

स्वामी नाथ जी की बात होने के बाद सुन लूंगा ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, आप नियम 189 देख लें, जिसके तहत .....

श्री उपाध्यक्ष–

स्वामी नाथ जी की बात सुनने के बाद आपकी बात सुन लूंगा ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, ओवर एज बसों की संख्या मार्च, 1991 में 27.31 परसेंट थी, उ० प्र० परिवहन निगम की बसों की आयु अन्य प्रदेशों की बसों की आयु से बहुत कम है । केरल में 6.6 है, उ० प्र० में 3.9 है । इस प्रकार आपकी स्थिति बहुत दयनीय है । सभी बसें ओवर एज हो चुकी हैं और देवरिया डिपो खाली हो गया है । अब मान्यवर, ओवर एज बसों का प्रतिशत देखें । 1991-92 में 27.31 है । मान्यवर, बसों की आयु जो है इस प्रकार है– केरल में 6, 6, उत्तर प्रदेश में 3.9 है । 1989 में बसों की संख्या महाराष्ट्र में 12577, आंध्र प्रदेश में 10571, उत्तर प्रदेश में 6900 तथा 1991-92 में 8083 तथा 1992-93 में 8100 है । ओवर एज बसों के कारण प्रायः दुर्घटनायें होती रहती हैं । 1991-92 में दुर्घटना का प्रतिशत 0.23 है । इतनी दुर्घटनायें कभी नहीं हुई हैं । मान्यवर, आज तक बसों द्वारा मानक नहीं पूरा हुआ है । नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें अपने मानक को पूरा नहीं करती हैं । उनका 1991-92 का मानक 250 किलोमीटर प्रतिदिन चलने का है, परन्तु 213 किलोमीटर चलती हैं । आपने अपनी इस पुस्तिका में जो लिख दिया है, वह समझ में नहीं आया है । मार्च 1992 में 225 किलोमीटर उपयोगिता अर्जित कर ली गयी । मार्च मास के कुछ सप्ताहों में 230 से 232 किलोमीटर उपयोगिता अर्जित कर ली गयी । किन-किन जनपदों में यह उपयोगिता अर्जित कर ली गयी हैं, मान्यवर, गुजरात में 280, केरल में 282, आंध्र प्रदेश में 307 । यह प्रतिदिन जिलों में बसों के चलने का औसत हैं । उ० प्र० के मानक का प्रस्ताव बहुत कम है ।

विनियोग विधेयक सायं 5 बजे लिये जाने का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक 4 बजे विनियोग विधेयक प्रस्तुत होना है । चूंकि अभी कटौती का प्रस्ताव रखा गया है और उस पर कुछ माननीय सदस्य अपना विचार व्यक्त करना चाहेंगे, ऐसी स्थिति में यदि सदन सहमत हो तो विनियोग विधेयक प्रस्तुत करने का समय 5 बजे कर दिया जाय ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

ठीक है मान्यवर, 5 बजे कर दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

सर्वसम्मति से विनियोग विधेयक प्रस्तुत करने का समय 5 बजे कर दिया गया ।

वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या–1 आबकारी विभाग, अनुदान संख्या–43 परिवहन विभाग, अनुदान संख्या–53 राष्ट्रीय एकीकरण विभाग (क्रमागत)

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, बसें सड़कों पर शराब पीकर दौड़ाई गयी हैं । आपने यह धोखा दिया है फर्जी आंकड़े पेश करके परिवहन निगम को नुकसान पहुंचाया है । मान्यवर, एक कहावत है, "अंधा बांटे रेवड़ी, घर-घराना खाय ।" मान्यवर, मुख्य मंत्री जी द्वारा अतरौली जनपद अलीगढ़ में बस स्टेशन का शिलान्यास किया गया । माननीय परिवहन मंत्री जी द्वारा ट्रान्सपोर्ट नगर, आगरा में डिपो कार्यशाला, बस स्टेशन का शिलान्यास किया गया ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अब आप समाप्त करें । अगर कुछ आवश्यक बिन्दु रह गये हैं, तो उसे आप उत्तर भाषण में कह दीजियेगा ।

श्री स्वामी नथ यादव–

मान्यवर, पान्डे कमीशन की नियुक्ति की गयी, जिससे भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सके । पान्डे कमीशन की रिपोर्ट आ गयी है, हो सकता है माननीय मंत्री जी ने उसको पढ़ा होगा । कमीशन ने इस बात को स्वीकार किया है और बताया है कि भ्रष्टाचार के कारण क्या हैं और उनका निवारण कैसे हो सकता है, उसके निवारण के उपाय क्या हैं । मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी ने इस बजट को बहुत जल्दबाजी में पेश किया है और मुझे ऐसा लगता है कि मंत्री जी ने पान्डे कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ा नहीं होगा, अगर पढ़ा होता तो काफी सुझाव दिये होते । मान्यवर, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार कैसे रुके, उसका उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के चौथे सोमवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 150 का माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है । प्रश्न था कि क्या परिवहन मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में कार्यरत परिवहन निगम के कर्मचारियों को शीतकाल में ठंड से बचने हेतु लकड़ी का कोयला देने की व्यवस्था है, तो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि जी हां और फिर जब प्रश्न किया गया कि यदि हां तो टनकपुर क्षेत्र के पिथौरागढ़ जिले में गत वर्ष कितना कोयला खरीदा गया, तो उत्तर दिया गया कि 252 कुन्तल 35.700 किलोग्राम और आगे प्रश्न था कि यह कोयला किस फर्म से खरीदा गया, और तो क्या वह फर्म मौजूदा समय में भी है, तो उत्तर दिया गया कि मेसर्स दीवान ट्रेडर्स, लोहाघाट, ब्रांच पिथौरागढ़ से खरीदा गया । अब वह फर्म अस्तित्व में नहीं है । आगे प्रश्न किया गया कि क्या इस संबंध में भी रोडवेज मजदूर सभा द्वारा वर्ष 1991 में कोई परिवाद किया गया, तो उत्तर दिया गया, जी हां । क्या आपने कोई जांच की कि इसके कौन से अधिकारी हैं, जो दोषी हैं, क्या उनके विरुद्ध आपने कोई कार्यवाही की है ।

* श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान नियम 189 की ओर ले जाना चाहता हूं । इसको आप देखें । किसी मांग की राशि कम करने के लिये निम्नलिखित में से किसी ढंग से प्रस्ताव किया जा सकेगा । तीन तरीके दिये हुए हैं । इसमें "ग" है कि मांग की राशि में 100 रुपये की कमी की जाये, ऐसी विशिष्ट शिकायत को

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रकट करने के लिये जो शासन के उत्तरदायित्व के क्षेत्र में हो । ऐसा प्रस्ताव प्रतीक कटौती कहा जायेगा और उस पर चर्चा, प्रस्ताव में उल्लिखित विशिष्ट शिकायत तक ही सीमित होगी । एक कटौती का प्रस्ताव इस परिवहन विभाग को दिया था उसको प्रस्तुत करने का अवसर दे दें । समय हो तो मौका दे दें । यह नियमावली के तहत है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अध्यक्ष पद से जो निर्णय इस संबंध में दिये गये हैं, उसको मैं पढ़े दे रहा हूं, "किसी अनुदान पर एक कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत हो जाने के बाद उसी पर उपस्थित शेष सभी कटौती के प्रस्ताव जिनके प्रस्तावक सदन में उपस्थित होंगे, उपस्थित किया हुआ मान लिया जायेगा ।" तो जो प्रस्ताव आपने दिया है, वह उपस्थित किया हुआ मान लिया गया है ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

आप सुने तो । "क" में हैं कि मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये । अगर कोई "ग" में देना चाहता है तो क्या उसको अवसर नहीं दिया जायेगा ?

श्री उपाध्यक्ष–

जब आपने चर्चा में भाग लिया तो चाहे धनराशि को बढ़ाने की बात कह दें या घटाने की बात कह दें । यह आपका अपना दृष्टिकोण है ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मैं नियमावली के तहत अनुरोध कर रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

जो अध्यक्ष पीठ से निर्णय दिया गया है, उसको मैंने सुना दिया है, आपके समक्ष रख दिया है । जो निर्णय मैंने उद्धृत किया है, वह सभी पर लागू होता है ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैं नियमावली के तहत ही आपसे अनुरोध कर रहा हूं ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, यह दूसरी श्रेणी के अन्तर्गत आता है ।

दिनांक 11 मई, 1992 की कार्यसूची के मत्थी (क) के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 पर हुए वाद विवाद के संबंध में श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष–

मैं एक सूचना दे दूं ।

माननीय अध्यक्ष, विधान सभा ने आज दिनांक 11 मई, 1992 की कार्यसूची की नत्थी "क" के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1 के विषय में निर्देश दिये थे कि सदन में हुए वाद विवाद के परिपेक्ष्य में माननीय सदस्यों से अपने कक्ष में विचार-विमर्श कर अपनी व्यवस्था देंगे ।

माननीय अध्यक्ष ने माननीय सदस्यों से विचार-विमर्श कर यह निर्णय लिया है कि उक्त प्रश्न का सदन में दिया गया उत्तर एवं हुए अनुपूरक प्रश्नोत्तरों के परिप्रेक्ष्य में उक्त प्रश्न को सदन की प्रश्न एवं संदर्भ समिति को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, क्या व्यवस्था रही है ।

वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–1 आबकारी विभाग, अनुदान संख्या–43 परिवहन विभाग, अनुदान संख्या-53 राष्ट्रीय एकीकरण विभाग (क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष–

चर्चा शुरू हो गयी है, आप चर्चा में भाग लें और बोलें तो अपनी बात रख लें लेकिन जहां तक एक प्रतीक कटौती के प्रस्ताव के रूप में रखने की बात है उसके लिये अनुमति नहीं दे रहा हूं क्योंकि अध्यक्ष पीठ से किये गये निर्णय को मैंने आपके समक्ष रख दिया है उसमें साफ व्यवस्था दी गयी है कि कटौती के प्रस्ताव के बाद अन्य कटौती के प्रस्ताव उपस्थित किये हुए माने जायेंगे तो अगर आप चर्चा में भाग लेना चाहते हैं तो मैं आपको अनुमति दे रहा हूं, आप बोलें ।

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

मान्यवर, इस सदन में आज महात्मा गांधी की तस्वीर लगी हुई है और मैं चाहता हूं कि देश की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक नेता हैं और आज खुशी की बात यह है कि जो सत्तारूढ़ दल प्रदेश का है जिसने महात्मा गांधी को कभी भी मानने का काम कभी नहीं किया था लेकिन आज अपने अधिवेशनों में महात्मा गांधी के विचारों को अपनाने की बात मान ली है । मान्यवर, महात्मा गांधी को आदर्श मानने वाली यह सरकार, पंडित दीनं दयाल उपाध्याय के आदर्श को मानने वाली यह सरकार आज प्रदेश में शराब को बढ़ाने का काम कर रही है, मद्य निषेध उसके साथ जो लगा हुआ विभाग है, मैं समझता हूं जो एक कहावत सुनने को मिला करती है कि चोर से कहो चोरी करे और शाह से कहो जागते रहे तो ऐसे ही यह एक आबकारी विभाग है । एक तरफ तो आप मद्य निषेध की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप शराब को अधिक से अधिक बिकवाने और उसके माध्यम से अधिक से अधिक राजस्व प्राप्ति की बात किया करते हैं यह बड़ा ही विरोधाभास है इस विरोधाभास पर भी माननीय मंत्री जी को अपना विचार प्रकट करना होगा । मेरा सुझाव है कि मद्य निषेध विभाग को समाप्त कर दिया जाय या आबकारी विभाग से अलग कर दिया जाय । मैं विभाग के द्वारा जो सबसे खतरनाक चीज घटित होती है जहरीली शराब के पीने से लोग मरे जिसकी चर्चाएं नित्य मिला करती हैं समाचार पत्रों के माध्यम से, रेडियो, ट्रांजिस्टर, टी० वी० के माध्यम से । अभी कटक भुवनेश्वर की घटना आपके सामने होगी । मैं बताना चाहता हूं पिछले साल इस सरकार के कार्यकाल में एक बहुत बड़ी घटना दिल्ली में हुई थी नवम्बर 91 में जिसमें लगभग 500 लोग मरे थे उसमें जो सुरा आसव पीने का उल्लेख किया गया है उस घटना के संबंध में वह सुरा आसव गाजियाबाद की करनाल फार्मेसी द्वारा बनी थी और उस सुरा आसव की जांच हुई थी उसमें जो रिपोर्ट आयुर्वेदिक निदेशक को जुलाई 91 में मिली थी, परीक्षण के उपरान्त उस रिपोर्ट में यह था कि उस सुरा आसव में 50 प्रतिशत अल्कोहल था । उस रिपोर्ट के आधार पर यह सरकार जो शराब के माध्यम से गलत कार्य करा रही है, इस पर अंकुश नहीं लगाया भ्रष्टाचार पनप रहा है और उस पर रोक लगाने की बात कर रही है । लेकिन आज तक उस आयुर्वेदिक निदेशक

के खिलाफ उस रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्यवाही की नहीं गयी । मा० मंत्री जी को उड़ीसा की सरकार से सबक लेना चाहिये । कटक और भुवनेश्वर में 150 लोग से अधिक जहरीली शराब पीने से मारे गये । वहां के आबकारी मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है । इससे सबक लेकर मा० मंत्री जी को क्रांतिकारी कदम उठाना चाहिये । मंत्री जी ने संविधान के अनुच्छेद–47 की बात की है । मैं सदन के माध्यम से आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि आज इस सरकार के हमारे संसदीय कार्य मंत्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी भी जब विपक्ष में थे तो सन् 1980 में आबकारी विभाग पर कटौती का प्रस्ताव पेश किया था और उस समय उन्होंने कहा था कि मादक पदार्थों पर अंकुश लगाते हुए जब मद्य निषेध के लक्ष्य तक पहुंचने का काम करेंगे । वर्तमान समय में जब सरकार में हैं तो भूल गये कि जब विपक्ष की ओर बैठा करते थे और आबकारी पर कटौती का प्रस्ताव पेश किया था तो मद्य निषेध की बात कही थी । उन्होंने कहा था कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो उसका नेतृत्व करने वाले प्रधान मंत्री मोरार जी देसाई ने भी मद्य निषेध लागू किया था उसको हंसी में भी किया गया था । उत्तर प्रदेश में 41 जिलों में मद्य निषेध लागू कर दिया गया था । अगर आज इस मद्य निषेध की प्रक्रिया में मा० मंत्री जी ने कोई कदम बढ़ाया होता तो हमको संतोष होता उन्होंने मद्य निषेध हेतु उ० प्र० के तीर्थ स्थानों पर पहाड़ी क्षेत्रों का उल्लेख किया है मैं उनका ध्यान इलाहाबाद, और तीर्थराज प्रयाग की ओर दिलाना चाहूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

इसको संक्षिप्त कर दें । ठीक पांच बजे मतदान होकर विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा ।

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

मा० मंत्री जी को अपने विचार प्रकट करने चाहिये थे । आज हमारे बीच में जितनी भी शराब की दुकानें हैं खोली जाती हैं देखा जाता है कि वहां पर अनु० जाति और जनजाति के लोग अधिकतर रहा करते हैं । यह सरकार अनु० जाति और जनजाति के उत्थान की बात करती है । पूरे प्रदेश में जितनी दुकानें हैं उनकी स्थापना अनु० जाति और जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में हुयी हैं । अगर अनु० जाति और जन जाति के लोगों के प्रति उनकी हमदर्दी है तो यह घोषणा करें सदन में कि उत्तर प्रदेश में जहां-जहां पर अनु० जाति के 40 प्रतिशत से अधिक लोग होंगे वहां पर शराब की दुकानें नहीं खोली जायेंगी और अगर खोली गयी हैं तो समाप्त की जाती हैं । ठेका देते समय आबकारी विभाग की तरफ से नोटीफाइड दुकानें होती हैं और सरकार उनके विषय में घोषित करती है ।

(व्यवधान होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले मा० सदस्य का भाषण ध्यान से सुनें ।

(व्यवधान)

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्यप्रताप शाही)–

मान्यवर, यह बजट आबकारी का है ।

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

मान्यवर, मैंने यह कहा था कि जो नोटिफाइड दुकानें घोषित की जाती हैं यह देखने को मिलता है नोटीफाइड दुकानें घोषित होने के बाद भी नयी नयी दुकानें सृजित की जाती हैं । मान्यवर, 31 मार्च के

पहले एक अप्रैल से पहले से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के पहले, जब ठेका हो जाय, उसके पहले दुकानें नोटिफाइड कर दी जायं, उसके बाद नयी दुकानें कहीं न बढ़ायी जायं, यह आज आपको घोषणा करनी चाहिये । अभी ध्यान आकृष्ट किया गया क्योंकि सरकार शराब के ठेके पर कहती है कि राजस्व का लाभ होता है । मान्यवर, मैं समाप्त कर रहा हूं, कुछ जिले प्रदेश में ऐसे हैं जहां जो शराब की दुकानों पर एकाधिकार था, कुछ माफिया लोगों का, उसका तोड़ने का छोटा प्रयास इस सरकार ने किया है । इसके लिये यह धन्यवाद के पात्र हैं । लेकिन मुझे सुनने को मिला है कि राज्य कर्मचारी कल्याण निगम को नयी दुकानें दी गयी शराब की दुकानों को चलाने के लिये, उसी तरह से हमारे इलाहाबाद में शुगर फेडरेशन को दिया गया है, मैंने सुना और पता लगाया है कि शुगर फेडरेशन के जो अधिकारी हैं इलाहाबाद में जिनको सौंपी गयी है यात्री होटल में बैठकर सेल्समैनों को भर्ती करने का काम कर रहे हैं अभ्यर्थियों से 30-30, 40-40 हजार रु० मांगा जा रहा है, जिसकी जानकारी मुझे इलाहाबाद में मिली है। अभी माननीय मंत्री जी ने जो अपने भाषण में कहा कि इस प्रदेश में 105 चीनी मिलें हैं और 34 आसवानियां हैं ठीक है वह है वह उत्तर प्रदेश सरकार की हैं । उसके माध्यम से प्रदूषण भी बहुत फैल रहा है । जहां-जहां पर यह चीनी मिलें व आसवनियां हैं उसके द्वारा बहने वाले गन्दे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था की घोषणा आपको करनी चाहिये क्योंकि वहां पर आस पास की बस्तियों में इसका बुरा असर पड़ता है वहां के लोग बहुत परेशान हुआ करते हैं उनमें तमाम बीमारियां पैदा हुआ करती हैं प्रदूषण के रोकथाम पर जो कार्यवाही करनी होती है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है । मद्य निषेध महत्वपूर्ण विभाग है लेकिन या तो इसको ठोस रूप में परिणत कर दें या इसको समाप्त कर दें इसको मजाक न बनाया जाय । मान्यवर, आज यह जो सत्तारूढ़ दल है सरकार बनी है इसमें बहुत बड़ा योगदान साधु महात्माओं का भी है । साधु महात्मा लोग ज्यादा से ज्यादा गांजे और भांग का सेवन किया करते हैं । उन साधु महात्माओं के लिये उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिये गांजे और भांग की खुली छूट इस सरकार को दे देनी चाहिये थी ।

आबकारी, परिवहन एवं पूर्त धर्मस्व मंत्री (श्री सत्य प्रकाश विकल)–

मेरी मान्यवर एक प्रार्थना है, आपकी जो आज्ञा होगी वह शिरोधार्य होगी, 5 बजे विनियोग विधेयक प्रस्तुत होगा उसके पूर्व कम से कम आधा घंटा मुझे उत्तर भाषण के लिये चाहिये परिवहन और आबकारी दोनों के लिये 4.20 इस समय हो रहे हैं मान्यवर उसका भी ध्यान रख लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से परामर्श कर लें । जो समय विनियोग विधेयक बढ़ाने के लिये निर्धारित किया जायेगा मैं उससे बाध्य हूं ।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, ऐसा है कि मैं तो उस समय सदन में था नहीं मुझे जानकारी मिली है कि आपने व्यवस्था दे दी है । कुछ माननीय सदस्य इसमें बोलना चाहते हैं और माननीय परिवहन मंत्री जी भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं करना चाहते हैं अतः इसका समय थोड़ा और बढ़ा दिया जाये ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने सदन की सहमति से, सदन के समक्ष प्रस्ताव रखकर 5.00 बजे तक का समय निर्धारित किया था ।

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

माऩ्यवर, मैं अंतिम बात तो अपनी कह दूं। हमारे कटौती के प्रस्ताव पर हमारे पक्ष के सदस्य और सत्ता पक्ष के सदस्य सकारात्मक ढंग से अपने विचार रखें और आबकारी विभाग की काली करतूतों का परदाफाश करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, अगर माननीय सदस्यों की मन्शा है कि इस पर चर्चा हो जाये तो उन्हें बोलने दें और इसका समय बढ़ा दें।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है कि इसका समय बढ़ा दिया जाये तो मैं इसे 5.30 बजे तक के लिये कर देता हूं। इससे सदन सहमत है।

(सदन के सभी सदस्यों ने इस पर अपनी सहमति दे दी)

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के अन्तर्गत एक विशेष समस्या की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा क्योंकि समय का अभाव है इसलिये सभी बिन्दुओं पर चर्चा करना ठीक न होगा इसलिये मुख्य बातों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। मान्यवर, बस स्टेशन टर्मिनल प्राधिकरण/बस अड्डा प्राधिकरण की एक समस्या है, इसका गठन तो नहीं कहूंगा क्योंकि अभी खाली इसका प्रादुर्भाव मात्र हुआ है सन् 1989-90 में, और उस समय से अभी तक कोई रूप रेखा इसकी सामने नहीं आ सकी है और न ही अभी इसके गठन को अंतिम रूप दिया जा सका है। मान्यवर, इससे प्रदेश में परिवहन निगम के बस स्टेशन भवनों का निर्माण रुक गया है। अनेक स्थानों पर बस स्टेशन भवनों को निर्मित कराने की महती आवश्यकता है। वहां इस प्राधिकरण के हो जाने के कारण जो विभाग की भवन शाखा/निर्माण इकाई थी उससे कार्य को हटा लिया गया है और इस प्राधिकरण को भी अंतिम रूप नहीं दिया गया है क्योंकि अभी तक न तो कोई योजना भवन निर्माण की ली गयी है और न ही कोई धनराशि बस टर्मिनल प्राधिकरण के लिये स्वीकृत की गयी है। मान्यवर, देखें तो प्रदेश में 242 ऐसे बस स्टेशन हैं जहां पर भवन निर्मित हैं और 196 स्थान ऐसे हैं जहां पर बस स्टेशन के भवन नहीं है, वहां पर शौचालय की सुविधा नहीं है, विश्रामालय नहीं बना हुआ है, न ही बैठने के लिये कोई स्थान है, खुले में धूप में बरसात में यात्रियों को प्रतीक्षा करनी पड़ती है। मान्यवर, मंत्री जी का विभाग एक व्यवसायिक विभाग है और उसे वहीं सुविधायें देनी चाहिये जो कि एक व्यवसायिक विभाग के अन्तर्गत आती हैं परन्तु इस बस टर्मिनल प्राधिकरण के आने से ऐसी समस्या उत्पन्न कर दी है कि इससे जो पूर्ववत योजना थी उनको समाप्त कर दिया है जब तक टर्मिनल प्राधिकरण का गठन नहीं होता उस समय तक पूर्व की व्यवस्था रखनी चाहिये थी। इतना हुआ है कि अभी तक एक विभागीय अधिकारी ज्वाइंट एम० डी० को एडीशनल चार्ज देकर इसका चेयरमैन बना दिया गया है। 2-3 अधिकारी और नियुक्त करके बस इतिश्री मान ली गयी है। जैसा अब तक सुनने समझने में आया है, निगम की परिकल्पना है, जैसे दिल्ली में अर्न्तराज्यीय बस अड्डा है, उसके पैटर्न पर यह एक बस अड्डा बनाना चाहते हैं, जहां से नगर की सभी बस सेवाओं का संचालन एक ही स्थान से हो। मान्यवर, यह व्यवस्था महानगरों में तो लागू की जा सकती है, क्योंकि आप देखें कि दिल्ली में आई० एस० वी० टी० में टैक्सी स्टैन्ड भी है, स्कूटर स्टैन्ड भी है; एम्बुलेंस की व्यवस्था भी है, पुलिस चौकी की व्यवस्था है, विश्रामालय

भी है, परन्तु हर शहर में इस तरह व्यवस्था कर पाना संभव नहीं है, इसलिये यह निश्चित करना पड़ेगा कि अन्य स्थानों पर किस तरह से बस स्टेशन भवन बनाये जायें, क्या व्यवस्था लागू की जाय । मान्यवर, निगम की जो भवन निर्माण शाखा है, उसमें दो अधिशासी अभियन्ता, 9 सहायक अभियन्ता, 39 अवर अभियन्ता (सिविल) और 3 अवर अभियन्ता विद्युत हैं, इतना सब स्टाफ होने के बाद भी भवनों का निर्माण यह भवन निर्माण शाखा से नहीं करा रहे हैं, इससे एक अनिश्चय की स्थिति पैदा हो गयी है । न तो प्राधिकरण का गठन हो पा रहा है और न विभागीय इकाई से यह काम करा रहे हैं, इससे पूरे उत्तर प्रदेश में कठिनाई आ रही है । मैंने पहले भी बताया कि लगभग आधी संख्या के बस स्टेशन ऐसे हैं, जहां भवन नहीं है, इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष अनेक नये मार्गों का निर्माण हो रहा है, लोक निर्माण मंत्री जी बैठे हैं, इनकी कृपा से नये कार्य निर्मित हो रहे हैं । इन मार्गों में मोटर पुल मार्गों का राष्ट्रीयकरण कर निगम की बसें चलायी जाती हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, एक मिनट और लूंगा । इनमें से कुछ मार्ग ऐसे हैं, जिन्हें राष्ट्रीयकृत घोषित किया गया है, उन राष्ट्रीयकृत मार्गों पर बस स्टेशन भवन बनाने की आवश्यकता है । आप उन्हें राष्ट्रीयकृत घोषित तो कर देते हैं, निगम के अन्तर्गत ले लेते हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर कह दिया जाता है कि प्राधिकरण का गठन कर दिया गया है अंब भवन बनाया जायेगा । मान्यवर, आप देखें कि प्रदेश में दो जगह बस स्टेशन भवन निर्मित कराये जा रहे हैं । एक तो आगरा में, जहां से माननीय परिवहन मंत्री जी हैं और दूसरा अलीगढ़ में बनाया जा रहा है । जिस तरह से प्रदेश में दो स्थानों पर भवन बनाये जा रहे हैं, इधर के भी सदस्य बैठे हैं, उधर के भी बैठे हैं, 425 सदस्यों को इग्नोर करके मात्र दो स्थानों पर भवन निर्माण का काम कराया जा रहा है । जब दूसरे सदस्य भवन बनाने की बात उठाते हैं, तो कह दिया जाता है, प्राधिकरण बनायेगा । मैं कहना चाहता हूं कि आप इस दोहरे मापदण्ड को समाप्त करें । आप सिर्फ महानगरों तक बस टर्मिनल प्राधिकरण को सीमित रखें, शेष नगरों में वहीं व्यवस्था रखें, जो पहले थी, विभागीय अधिकारी भी इससे सहमत होंगे । जो व्यवस्था आप लागू करना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से न तो आपके पास संसाधन हैं, न जमीन मिल पायेगी, न वैसी परिस्थितियां हैं, इसलिये यह संभव नहीं है कि आप इस तरह की व्यवस्था कर सकें । मान्यवर, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, अलीगढ़ के सिकन्दराराऊ की ओर, जहां 4 राष्ट्रीय रूट मिलते हैं, जी० टी० रोड, पीलीभीत भरतपुर रोड का चौराहा है यह अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है, माननीय सहकारिता मंत्री जी बैठे हैं, वह भी उधर से आते जाते हैं, वहां सिकन्दराराऊ में बस स्टेशन भवन निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है । मैं आग्रह करूंगा कि जिस तरह से आपने दो स्थानों पर व्यवस्था की है, उसी तरह से अन्य स्थानों पर भी, जहां आवश्यक है, व्यवस्था की जाय ।

[समय 4 बजकर 30 मिनट]

श्री सुरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । श्री स्वामी नाथ यादव व श्री दिनेश सोनकर जी ने परिवहन एवं आबकारी पर जो कटौती के प्रस्ताव रखें हैं, उनके समर्थन में मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । आज यू० पी० एस० आर० टी० सी० बहुत

घाटे में है । मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं । इसलिये आप इसकी व्यवस्था करें । एक प्राइवेट बस मालिक होता है और एक रोडवेज की बस होती है । प्राइवेट बस मालिक तो दो साल में बस की आमदनी कहां से कहां बढ़ा लेता है और रोडवेज की क्या हालत हो जाती है, इसे सब लोग जानते हैं । इसलिये पहले आप किसी भी तरह इस संस्था को बचाइये । इसमें दिन-प्रतिदिन घाटा होता जा रहा है । 8वीं योजना में आप 320.25 करोड़ रुपये का परिव्यय करने जा रहे हैं । 7वीं योजना में आप इस पर 9.6 करोड़ का परिव्यय कर रहे थे और आठवीं योजना में आप इस हेतु 6.95 करोड़ का परिव्यय कर रहे हैं इस प्रकार देखा जाय तो इसमें भी घटोत्तरी हो रही है । अब आप कर्मचारियों को ही देखें । यह भी 8.05 से घटकर 7.55 हो गया है । इस प्रकार देखा जाय तो आप लोगों को रोजगार कैसे दे पायेंगे । इसमें भी घटोत्तरी हो रही है । आपने यह भी कहा कि 2001 तक 500 की आबादी वाले गांवों को हम बस से जोड़ देंगे । जब आपके पास पक्की सड़क नहीं होगी तो आप कैसे बसों से गांवों को जोड़ देंगे । इसलिये मेरा कहना है कि आप लोक निर्माण विभाग व परिवहन को समन्वित करके काम करें तो तभी यह कार्य हो पायेगा । श्रीमन्, आपका जो परमिट सिस्टम है । इनके चेकिंग का कार्य पुलिस डिपार्टमेंट करती है और इनका डिपार्टमेंट भी करता है परन्तु पुलिस वाले पैसा लेकर बसों को चलाना शुरू करवा देते हैं । जिससे जो चालान हुआ भी होता है, उस पर ऐक्शन नहीं हो पाता है । इसलिये मेरा सुझाव है कि आप विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को ही इस अधिकार को देने की कृपा करें या फिर दोनों विभाग में समन्वय रहे । श्रीमन्, अब मैं गाजीपुर की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं । गाजीपुर से बनारस के बीच बहुत प्राइवेट बसें चलती हैं । जिस प्रकार आपने रोडवेज की बसों में संसद सदस्यों/विधायकों/स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों हेतु सीट आरक्षित कर रखी है उसी प्रकार प्राइवेट को परमिट देते वक्त आप संसद सदस्यों/विधायकों व स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों हेतु सीटों को आरक्षित करने का प्राविधान करें । मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि आप एक ओर तो रोडवेज की बसों की संख्या को कम कर रहे हैं और दूसरी ओर बसों की संख्या कम होने के कारण घंटों तक हमें खड़ा रहना पड़ता है या फिर 3-3 व 4-4 घंटे तक खड़े-खड़े आना पड़ता है । गांजीपुर रोडवेज की हालत दयनीय है । कृपया कुछ नयी बसें दिये जाने की व्यवस्था करें ।

श्रीमन्, आबकारी की स्थिति यह है, भले ही आपने लाभ कमाया है, कि जो फर्जी चालान हो रहे हैं, उनको आप चैक करवायें । 100 ग्राम गांजा, अफीम के लिये तो आप चालान कर रहे हैं, कम से कम साधु समाज के लिये तो आप गांजा आदि को तो फ्री कर दीजिये । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री निर्वेन्द्र कुमार–

मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । आज जब बजट प्रस्तुत करते हुए माननीय मंत्री जी बोल रहे थे तो मैं सोच में डूबा था कि उत्तर प्रदेश के कर्णधार मुख्य मंत्री जी बजट प्रस्तुत कर रहे हैं । उनके दिमाग में एक ही चीज है कि केवल सड़कों का विकास, पुलियों का विकास व आर्थिक विकास को ही वह विकास मानते हैं ।

यह बौद्धिक विकास को अहमियत नहीं देते हैं, यह साहसिक विकास को अहमियत नहीं देते हैं, यह सामाजिक विकास को अहमियत नहीं देते हैं इसीलिये ज्यादा से ज्यादा शराब बिकवाकर सड़कों का विकास करना चाहते हैं । माननीय मंत्री जी खुद शराब ग्रहण नहीं करते हैं और अपने परिवार को भी शराब नहीं पिलाते हैं और अपने परिवार का बौद्धिक विकास करना चाहते हैं, अपने परिवार का साहसिक विकास करना चाहते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता का बौद्धिक और साहसिक तथा

सामाजिक विकास में ह्रास करना चाहते हैं, सड़कों का विकास पाऊच पिलाकर करना चाहते हैं । जहां तक आबकारी विभाग से आय का सवाल है उसमें भी पाऊच पिला कर उतनी आमदनी नहीं होती है उससे पुलिस का ही फायदा हो रहा है तमाम कच्ची शराब पुलिस गांवों में खुलेआम बनवाकर लूट रही है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री निर्वेन्द्र कुमार–

शराब की दुकानें आज मस्जिदों, मन्दिरों, गुरुद्वारों और स्कूलों के पास खुलवा रखी है जिससे सामाजिक मूल्यें का ह्रास हो रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री निर्वेन्द्र कुमार–

तो लोगों को शराब पिला कर यह आमदनी बढ़ाते हैं ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

श्रीमन् मुझे आपने कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूं मैं सिर्फ दो तीन बातें कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा । मैं माननीय परिवहन मंत्री जी से अनुरोध करूंगा हमारे यहां दोहरीघाट, मऊ में ड्राइवरों के अभाव में बसें नहीं चल रही हैं । अगर परिवहन विभाग के पास बसें न हों तो उस पर बहस की जा सकती है । लेकिन दोहरी घाट में 6 बसें ड्राइवरों के अभाव में खड़ी हैं । आपकी 50 प्रतिशत गाड़ियां यांत्रिक गड़बड़ी के कारण खड़ी रहती हैं और 36 बसें हमारे यहां ड्राइवरों के अभाव के कारण खड़ी हैं । मैंने इस संबंध में माननीय मंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से भी कहा और पत्र भी लिखा आप इसको दिखवा लें क्योकि ड्राइवरों के अभाव के कारण बसे खड़ी हैं ।

मऊ जनपद को बने हुये 4 साल हो गये लेकिन अभी तक वहां डिपो नहीं है । मैंने इस संबंध में माननीय मंत्री जी से कहा तो वह कहते हैं धन के अभाव के कारण यह नहीं हो रहा है । मान्यवर, आबकारी आपका सबसे बड़ा राजस्व का जरिया है तो उसकी आमदनी आपके पास है । मेरा अनुरोध है कि वहां डिपो खुलवाने की कृपा करें ।

श्रीमन्, आप जानते होंगे 6-7 जनपदों में आबकारी विभाग की नीलामी नहीं हुई । मऊ में भी आज वही स्थिति है कच्ची शराब गांव गांव में बनती हैं और बिकती है । आज विषाक्त वातावरण वहां पैदा हो गया है । छोटे-छोटे लड़के शराबी के नाम से गिने जाते हैं । दोहरीघाट, मऊ में पुलिस द्वारा कच्ची शराब बनाने की व्यवस्था चलती है । मैं अनुरोध करूंगा इस तरफ आप ध्यान दें ।

मैं आपसे कहना चाहता हूं ऐसी चीजों पर आप ध्यान दें । इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं । आपको धन्यवाद ।

श्री भागवत पाल–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने परिवहन और आबकारी विभाग के बजट पर प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का मौका दिया ।

मान्यवर, कितना संजोग है कि मंत्री जी परिवहन और शराब के सत्य के प्रकाश को ग्रहण करके विकल हो जायें और सड़कों पर दौड़ते रहें और जनता राम-राम करते हुए यात्रा करे । मान्यवर, यह समूचा उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के सड़कों पर परिवहन व्यवस्था के बारे में मंत्री जी ने बड़े भोलेपन से आश्वासन दिया है कि कुछ करने जा रहे हैं या कहेगे आप मेरे कक्ष में मिल ले या कहेंगे कि प्रार्थना पत्र दें दें । लगता ही नहीं है कि विधान सभा में बैठकर आप कुछ बोल रहे हैं अथवा या पार्टी कार्यालय में बैठकर आप कुछ बोल रहे हैं । जो प्रार्थना पत्र देते हैं लगता ही नहीं कि गवर्नमेन्ट से बात हो रही है। पाण्डेय जी अभी बता रहे थे कि बसें ड्राइवर के अभाव में बस बेकार पड़ी हैं तो वास्तविक स्थिति यही है । मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि मिर्जापुर और बनारस डिपों में 40 प्रतिशत बसें जो चलती थीं उसमें कटौती हो गई है । मान्यवर, कटौती का प्रस्ताव हम विपक्ष के लोग पेश कर रहे हो जब कि बसों की कटौती, धन की कटौती, सुविधाओं की कटौती और मान्यवर, यह सरकार तो हर क्षेत्र में कटौती करती जा रही है । परिवहन महत्वपूर्ण विभाग है इसलिये जो जिले सुविधाशून्य हैं उनको मेरा अनुरोध है चूंकि बड़े-बड़े शहरों में व्यक्गित, प्राइवेट और सरकारी साधनों का जाल बिछा हुआ है, इसलिये सुविधा शून्य जिलों की ओर विशेष ध्यान दें । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री मोहम्मद हसन–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझें कटौती प्रस्ताव के हक में बोलने का मौका दिया । मान्यवर, बोलने के लिये जो आप जितना समय देते हैं उसमें संभव नहीं है कि बजट के बारे में कुछ ज्यादा कहा जाय या सुझाव रखे जा सकें । मान्यवर, एक बात कहना चाहता हूं कि आजकल ट्रांसपोर्ट विभाग में जितना भ्रष्टाचार है उतना शायद और किसी विभाग में नहीं है इस संबंध में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । हमारे क्षेत्र में ए० आर० एम०, श्री राय हैं । मेरे जनपद सहारनपुर के सरसावां क्षेत्र में सहारनपुर शहर से बुद्ढा खेड़ा तक एक लोकल बस 1978 में चली थी और वह आज भी चल रही है । इस बस में श्री सब्बीर अहमद तब से बतौर परिचालक है और यह परिचालक इस गांव का होते हुए बस में अक्सर लोगों को बिना टिकट ले जाता है । गांव रहते हुए यह पार्टी बाजी करता है जिसके संबंध में शिकायतें की गयीं जिससे उसे सस्पेंड कर दिया गया था लेकिन बाद में उसे बहाल कर दिया गया और उसकी उसी रूट पर पुनः नियुक्ति कर दी गयी, जबकि नियम में है कि किसी रूट में यदि व्यक्ति को सस्पेंड किया जाता है तो दुबारा उसे उस रूट पर नियुक्ति नहीं किया जा सकता है । मान्यवर, 14-15 सालों से सस्पेंशन के बावजूद भी उसी रूट पर वह चल रहा है ।

बावजूद इसके कि उसको सस्पेंड किया जा चुका है । मैं श्री राय से मिला उन्होंने कहा कि मेरी कुछ मजबूरियां हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री मोहम्मद हसन–

मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा । दो सेकेण्ड में अपनी बात समाप्त करता हूं । मैंने राय साहब से बात की थी । मैंने मालुमात किया है कुछ ऐसी चीजें वह राय को पेश करते हैं जिसकी वजह से आज तक शब्बीर मोहम्मद को हटाया नहीं है । मेरा निवेदन है कि इस मामले को दिखवा लें और शब्बीर मोहम्मद को और राय साहब को वहां से हटा दें ।

ठाकुर वीरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपको आभारी हूं। मान्यवर, यह हमारा राज्य सड़क परिवहन निगम है, यह लगातार घाटे में चल रहा है। मान्यवर, बसें हमारे पास नहीं हैं, रख रखाव की सुविधाएं हमारे पास नहीं हैं, ड्राइवर हमारे पास हैं नहीं, भवन हमारे पास नहीं हैं। हमारे निगम के पास कोई संसाधन नहीं है। हमारे पश्चिम के जिले हैं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद। सहारनपुर और दिल्ली का एक अन्तर्राज्जीय मार्ग हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है और लगभग 6 वर्ष पहले एक योजना बनी थी इस मार्ग को राष्ट्रीयकृत करने की। आज 6 वर्ष बीत जाने के बाद यह काम शुरू किया गया हैं। इसके लिये तकरीबन 3 हजार बसों की आवश्यकता होगी। हमारी सरकार ने यह काम तो कर दिया कि वहां की प्राइवेट बसों को तो बन्द कर दिया परन्तु कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की। तीन हजार बसों की जरूरत है। यदि इन तीन हजार बसों की व्यवस्था हो जाये तो यातायात की अच्छी सुविधा हो सकती है। जो पुरानी और प्राइवेट बसें चल रही थीं उनको तो समाप्त कर दिया गया किन्तु उसके स्थान पर और बसें नहीं चलवाई गईं। मेरा मशविरा है कि वहां पर सरकारी बसें चलायें जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

(ठाकुर वीरेन्द्र सिंह व श्री रमेश पोखरियाल के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

* श्री रमेश पोखरियाल–

मान्यवर, आपने मुझे मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने के लिये अवसर दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुये उन्हें बधाई देता हूं और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पहाड़ में महिलाओं द्वारा शराब की बिक्री के लिये किये गये आन्दोलन को ध्यान में रखते हुये शराब की बिक्री का कार्य माफियाओं के हाथ में न देकर सरकारी निगम को दी है। इन्होंने पहाड़ की महिलाओं की भावनाओं का ख्याल रखा है। शराब की बिक्री को अपराधी हाथों से हटाकर सरकारी निगम को दी है। जहां तक पिछली सरकार की बात है। पिछली सरकार ने आन्दोलन करने वाली महिलाओं पर डंडे बरसाये थे, जिससे चीखते पहाड़ों ने भी आंसू बहाये थे। हमारी सरकार ने यह व्यवस्था बदली है। अवैध तरीके से होने वाली शराब की बिक्री और अवैध तरीके से बनाई जाने वाली शराब पर प्रतिबन्ध लगाया है। पहले लोग गांजे और अफीम का धन्धा करते थे और अपने घरों में पैसा भरते थे। अभी एक सदस्य ने श्री विकल जी के बारे में कहा था। मेरा तो कहना है कि यह विकल जी हमारे ऐसे मंत्री हैं जिन्होने इस क्षेत्र में नई व्यवस्था दी है।

श्री नवल किशोर–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा रखे बजट का समर्थन करता हूं।

माननीय मंत्री जी के आते ही गुणात्मक सुधार हुआ है। परिवहन को कुछ लोगों ने निजी संपत्ति बना लिया था जब कांग्रेस पार्टी थी तबका पौने तीन करोड़ रूपया परिवहन का शेष है। इसमें विश्लेषण करें तो 90-91 में आन रोड बस 89 थीं वह 91 हो गई बसें जो 294 किलोमीटर प्रति दिन के करीब चलती थीं वह अब 230 और 233 किलोमीटर प्रतिदिन चलती हैं इसमें लोड फैक्टर में काफी बढ़ोत्तरी हुई है 91-92 के प्रारम्भ में जब लोड फैक्टर 68 प्रतिशत इसमें कहीं-कहीं 62 परसेन्ट और इस प्रकार 14 परसेन्ट बढ़ोत्तरी हुई है। (व्यवधान) मान्यवर, ले जाने वालों यात्रियो की संख्या 90-91 में 44.69

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करोड़ थी जो वह बढ़कर 72% हो गया 91-92 में 45-56 करोड़ हो गयी इस प्रकार की संख्या में 77 लाख की वृद्धि हुई है–

श्री उपाध्यक्ष–

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

दो बार समय बढ़ाया जा चुका है अब मैं सबसे क्षमा चाहूंगा कृपया विनियोग विधेयक पेश कर लेने दें।

(व्यवधान)

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

मान्यवर, मैं समय के अभाव में अपने कटौती के प्रस्ताव पर बहुत विस्तार पूर्वक अपनी बात नहीं रख पाया। माननीय सदन में सबकी राय थी कि चर्चा हो, लेकिन समय नहीं मिल पाया मैं चन्द स्पष्टीकरण चाहूंगा। अपने भाषण में मैंने कहा था आपके शासन काल में नवम्बर 1991 में जो सुरा आसव कांड हुआ था कर्नाल फार्मेसी गाजियाबाद जिसके द्वारा सुरा आसव का निर्माण हुआ था उसकी जांच जुलाई, 91 में हुई। जांच रिपोर्ट में कहा गया था कि 50 प्रतिशत से अधिक अल्कोहल है। जुलाई, 1991 में कर्नाल फार्मेसी के विरुद्ध रिपोर्ट आई, तो उसमें कार्यवाही क्यों नहीं की गई अगर इनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई तो आयुर्वेदिक निदेशक के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई। अगर आप इसका लाइसेंस निरस्त कर देते तो गाजियाबाद और दिल्ली में जो कांड हुआ वह न हो पाता। दूसरी चीज मान्यवर, सबसे बड़ी समस्या कच्ची शराब के निर्माण की है। इसमें बहुत बड़ा योगदान इस विभाग के अधिकारियों और पुलिस का होता है क्योंकि उनको अवैध आर्थिक लाभ होता है इस पर मानीनय मंत्री जी ध्यान दें। जो लोग गांव के अन्दर शराब बनाना चाहते हैं उनको कानून के अधीन लाइसेंस देना चाहिये अगर चाहें तो नियंत्रण अपने हाथ में रखकर अच्छी शराब का निर्माण आप करायें ताकि जो भ्रष्टाचार है उस पर अंकुश लग सके। मान्यवर, राजस्व के बकाये की बात कही गई इनकी जो कार्यपूर्ति दिग्दर्शक पुस्तक है इसमे दिखाया गया है।

श्री उपाध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

31 मार्च, 1991 तक कुल बकाया 30,84,67,626 रुपये वर्तमान समय में बकाया का कुल वसूली किया, मात्र 8906130 रुपये और अब 13,19,79,495 रुपया उनसे बकाया है जो शराब का ठेका लेते हैं। शराब की ठेकेदारी फर्जी हैसियत का प्रमाण पत्र लेकर की गई है और की जा रही है और करोड़ों की धांधली हो रही है। अब तक जितने हैसियत प्रमाण पत्र जारी हुए हैं इसकी जांच करायी जाय। इलाहाबाद में कांड हुआ आबकारी राजस्व का रुपया ट्रेजरी में जमा नहीं हुआ लाखों रुपयों का गबन हुआ इसकी भी जांच कराई जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

मान्यवर, चूंकि आप आग्रह कर रहे हैं इसलिये मैं अपनी बात समाप्त करता हूं इस उम्मीद के साथ कि आने वाले साल में आबकारी विभाग के साथ आप मद्य निषेध पर भी विशेष जोर देंगे । जिन माननीय सदस्यों ने मेरे कटौती के प्रस्ताव पर अपने विचार रखें हैं और समर्थन किया है उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं और अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री स्वामीनाथ यादव–

मैं परिवहन विभाग के संबंध में अपने कटौती के प्रस्ताव पर आगे यह कहना चाहता हूं कि डग्गामार बसों के कारण ज्यादातर दुघर्टनायें होती हैं । 1991-92 में 0.23 प्रतिशत दुर्घटनायें हुयीं हैं । निगम को जो घाटा हो रहा है उस संबंध में मैं सुझाव देना चाहता हूं कि आपके जो भ्रमण करने वाले 180 अधिकारी है उन पर आप रोक लगायें । आपने कहा है कि निगम को घाटा होने का कारण वेतनवृद्धि है लेकिन ऐसी बात नहीं है । यह घाटा भ्रष्टाचार के कारण हो रहा है । आपने स्वीकार किया है कि बिना कंडक्टर के टनकपुर क्षेत्र में बसें चलीं हैं तो इससे बड़ा भष्टाचार और क्या होगा । मुझे जानकारी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, मुजफ्फर नगर, मेरठ, बुलंदशहर में मार्गों का राष्ट्रीयकरण करने जा रहे हैं । इससे वहां जो 3 हजार प्राइवेट बसें चलती हैं उन पर काम करने वाले लोगों के 18 हजार आश्रितों को परेशानी होगी । प्राइवेट बसें लाभ कमा रही हैं और आपकी बसें घाटे पर जा रही हैं तो आप क्यों नहीं इन तीन हजार बसों को अनुबंधित कर लें ताकि वह लोग बेरोजगार न हों । आपने कहा है कि निगम को फायदा हुआ है । मैं चाहता हूं कि 348.40 करोड़ रुपये 1991-92 में आय हुयी है । इस बार आपने 395.8 करोड़ आय की बात कही है । तो यह भूल जाते हैं कि 1990-91 में प्रति बस तथा कर्मचारियों का अनुपात 8.6 था । इस समय यह घटकर 8 हो गया है । कर्मचारियों के और प्रति बस के अनुपात के कम होने के कारण यह लाभ हुआ है आपके निगम के कर्मचारियों के अच्छा काम करने के कारण नहीं हुआ है । आपकी बसों को 54 पैसे प्रति किलोमीटर का घाटा होता है इस प्रकार से 91-92 में कुल घाटा 3371.15 लाख हुआ है ।

आपकी नीति अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों के कर्मचारियों के संबंध में दुराग्रहपूर्ण रही है । आप देखें कि समूह "क" में 118 कर्मचारी हैं जिनमें से अनुसूचित जाति के 5 कर्मचारी हैं और जनजाति का एक भी कर्मचारी नहीं है । पिछड़ी जाति के 4 आदमी हैं । आप अपने को दलितों और पिछड़ों का रहनुमा कहते हैं और आपकी यह हालत है । इसी तरह से समूह "ख" में 240 पद सृजित हैं । इनमें से अनुसूचित जाति के 19 तथा जनजाति का एक भी कर्मचारी नहीं है । पिछड़ी जाति के 21 व्यक्ति हैं । कौरव दल में आप होने के नाते कृपाचार्य, द्रोणाचार्य जैसे आप हो गये हैं, कौरव दल का अन्न खाकर वैसा ही आचरण कर रहे हैं इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इन वर्गों के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व सेवाओं में दें ।

श्री अध्यक्ष–

स्वामी नाथ जी अब आप समाप्त करें ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, अंतिम बात कहने जा रहे हैं । मंत्री जी, आपके आने के बाद 60 व्यक्तियों को दैनिक वेतन पर रखा गया । शासन की नीति थी कि कोई भी व्यक्ति दैनिक वेतन पर नहीं रखा जायेगा । लेकिन उसके बावजूद मेरी जानकारी के अनुसार आपने अपनी कलम से 60 अपने लोगों को रखा वह भी निगम के घाटे का एक कारण है । आप मात्र 17 बसें खरीद कर आम आदमी, गरीब आदमी को इन डग्गामार बसों पर बैठाकर इनकी जिन्दगी से खिलवाड़ कर रहे हैं । मैं चाहूंगा कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में कितनी बसें खरीदने जा रहे हैं ? वर्ष 1992-93 में तब स्पष्ट होगा कि आप कितनी प्रगति के रास्ते पर हैं । इसके साथ ही मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, मै बहुत-बहुत आभारी हूं सम्मानित सदस्यों का जिन्होने अपने बहुमूल्य विचारों से आबकारी और परिवहन विभागों के बारे में उपयोगी सुझाव दिये हैं । मान्यवर, समय की कमी है । अनेक बिन्दु उठाये गये हैं और मैं भी कुछ और महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता हूं । इसलिये मैं पहले कहना चाहता हूं कि हमारे सम्मानित सदस्यों ने और माननीय स्वामी नाथ यादव जी ने और दिनेश चन्द्र सोनकर जी ने कटौती के प्रस्ताव पर जो बातें कही हैं, मैंने सबको लिखा है और उन पर समयाभाव के कारण सबका उत्तर न देने पर भी विचार करूंगा । खास तौर से दिल्ली सुरा काण्ड का जिक्र किया, मुझे ताज्जुब हुआ कि सोनकर जी को याद नहीं है कि यह काण्ड किस महीने में हुआ । यह जुलाई में नहीं नवम्बर 91 में हुआ ।

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

जुलाई में जांच हुई थी । परीक्षण हुआ था ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

नवम्बर 1991 में यह काण्ड हुआ और कांड हुआ दिल्ली में । मरने वालों की संख्या 198 है । सदन में वो कहें जो वास्तव में हुआ हो । फिर भी इसकी जांच हो रही है । जांच प्रदेश सरकार की ओर से मजूमदार कमेटी ने की और दिल्ली में चन्द्रा कमेटी कर रही है । चन्द्रा आयोग की रिपोर्ट नहीं आयी है । परीक्षण हो रहा है मजूमदार कमेटी ने जो सिफारिशें और संस्तुति की है, उन सब के बारे में प्रदेश सरकार की ओर से कार्यवाही की जा रही है । मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस काण्ड में कोई भी दोषी बख्शा नहीं जायेगा । जहरीली शराब बना कर और बेच कर जो लोग समाज के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, वे समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं । उनके साथ किसी प्रकार की रियायत करने का सवाल ही नहीं पैदा होता । दूसरी बात यह कहूंगा कि वसूली के आंकड़े आपने ठीक से देखे होते तो 31-3-92 को जो बकाया था उसमें से 1.13 करोड़ की वसूली की । लेकिन मान्यवर, 1991-92 में जैसा कि अपने भाषण में कहा था उच्च न्यायालय के स्थगनादेश के कारण कुछ रुपया हमारा बाकी है ।

31-3-91 को 31 करोड़ 40 लाख बकाया था, 91-92 में 1 करोड़ 13 लाख वसूल हुआ, 1991-92 में 3 करोड़ 17 लाख रु० वसूल नहीं हो पाया कि न्यायालय से स्टे था । इस तरह 31-3-92 को पुराना

बकाया सब 32 करोड़ 89 लाख है । इसमें से 18 करोड़ 83 लाख पुराना जो बकाया है, उस पर उच्च न्यायालय का स्टे है । 36 लाख बट्टे खाते में डालने योग्य है और इसमें शुद्ध वसूली 13 करोड़ 70 लाख है जो पड़ा हुआ है, जिसको हम कोशिश करके वसूल करेंगे । माननीय दिवाकर विक्रम सिंह जी ने कहा कि अच्छा संयोग है आबकारी और परिवहन का, पिओ और बसों को चलाओ । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि संयोग यह नहीं है, यह संयोग तो पुराने जमाने में बाकी सरकारों में और इनकी में रहा होगा, अब तो संयोग यह है कि बिना पिये बस चलाओ, लेकिन चलाने के बाद घर आकर थक जाओ, तब मन न माने, तब पिओ । एक हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि मैं जानता हूं (मंत्री जी) नहीं पीते हैं । उनके परिवार में भी नहीं पीते हैं मैं कहना चाहता हूं कि मैं ही नहीं पीता, मैं तो चाहता हूं कि लोग भी न पियें, लेकिन समाज है, उसमें एक बुराई है, उसमें पीने वाले भी हैं, न पीने वाले भी हैं । हम लोग गांधी जी का नाम लेते हैं कि न पिओ और लोग उमर खैयाम का भी नाम लेते हैं, बच्चन की मधुशाला का नाम लेते हैं कि खूब पिओ इसलिये हमें तो ऐसे लोग जो पीना ही चाहते हैं नकली, जहरीली न पियें, शुद्ध पियें, उसकी व्यवस्था करनी होती है । अब मुझे एक दोस्तों की महफिल का किस्सा याद आ गया, न पीने वाले दोस्त, एक पीने वाले दोस्त की काफी आलोचना कर रहे थे, शराब की बुराई बतला रहे थे ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, कृपया माननीय सदस्य को बता दें कि उसका स्वाद कैसा होता है ।

बेसिक एवं प्रौढ़ शिक्षा राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

चख कर देखें, तो जान जायेंगे कि कैसा होता है ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

तो पीने वाले ने गुस्से में आकर खड़े होकर एक शेर कहा कि–

"हैरत है कि चिढ़ते हैं पंडित और मुल्ला शराब से,

अरे हमको देखिये, जो करते हैं कुल्ला शराब से ।"

तो मान्यवर, समाज में ऐसे भी लोग हैं जो कुल्ला भी शराब से करते हैं । लेकिन उनके जो न पीने वाले दोस्त बैठे थे, उनको भी गुस्सा आ गया, उनको पीने वाले के घर की हालत मालूम थी और उन्होंने उसको धिक्कारते हुए एक शेर कहा–

"क्या हाल घर का हो गया, पता है जनाब को,

बरबाद करके रख दिया, लानत शराब को ।"

तो जो बात आपने कही मद्य निषेध के बारे में हम भी चाहते हैं मद्य निषेध हो, लेकिन मैं बहुत दुःख के साथ सम्मानित सदन से आदर पूर्वक यह कहना चाहता हूं कि आज मद्य निषेध का लोगों पर इसलिये असर नहीं हो रहा है कि लोग समझते हैं जो मद्य निषेध की बात करते हैं, वह खुद शराब पीते हैं । मुझे पुराना पढ़ा हुआ इस समय एक लेख याद आ गया है । एक बहुत अच्छे लेखक ने शराब की

बुराइयों पर और उसकी बरबादियों पर एक बड़ा मार्मिक लेख लिखा, पढ़कर तहलका मच गया, अनेकों प्रशंसक मालाएं लेकर उन्हें बधाई देने पहुंचे, कहने लगे कि आपने हमारी आंखें खोल दी और उनकी बड़ी तारीफ की कि आपने बड़ा अच्छा लेख लिखा है, तो उन्होंने बताया कि यह धासू लेख मैंने तब लिखा है, जब कि मैं जितनी रोज पिया करता था, उससे दुगुनी पीकर लिखा है हमारी कोशिश है कि लोग न पियें । जो कुछ बातें कही गयी हैं और जो सुझाव दिये गये हैं, उन पर हम बराबर ध्यान देंगे और इस बात को देखेंगे कि शराब की बुराई से लोग बचें । कटक में घटना घटी है, बंबई में घटना घटी है और लोग मर जाते हैं । हम विभाग को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे । आबकारी विभाग में बड़ी कमियां हैं, उनको दूर करने के लिये शासन को प्रस्ताव भेजा गया है । मान्यवर, आबकारी विभाग में इन्सपेक्टर हैं उन पर जो बिल्ला लगता है, वह ब्रिटिश जमाने का है और यह हमारी गुलामी का प्रतीक है। हम आजाद हो गये हैं, लेकिन उनकी निशानी आज भी है । इसके बारे में लोगों ने मुझसे कहा, मैंने आश्वासन दिया है कि इसको समाप्त करके कोई नया चिह्न निर्धारित किया जायेगा । मान्यवर, मैं नीलामी के बारे में कहना चाहता हूं, मान्यवर, 63 में से 60 जिलों में नीलामी हो गयी है और जो शेष हैं, उनमें भी हम कर रहे हैं और हम यह भी कर रहे हैं कि जो लोग धन बल के आधार पर, मोनोपोलिस्ट बनकर ठेके लेना चाहते हैं, जो सरकार को झुकाना चाहते हैं, उनकी कोशिशें नाकाम कर दी गई हैं दब कर किसी को ठेके नहीं दिये गये हैं, सरकार उनके समाने झुकेगी नहीं । मान्यवर, परिवहन के बारे में कुछ बिन्दु उठाये गये हैं ।

श्री विजय पाल सिंह तोमर--

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि आबकारी की जो दुकानें धार्मिक स्थानों के आस-पास हैं, उनको दूसरी जगह पर शिफ्ट करने के लिये आपने कोई कार्यवाही की है ?

श्री सत्य प्रकाश विकल--

यह सवाल भी उठा है । पिछले अनेक वर्षों में मान्यवर इस नियम का पालन नहीं हुआ है लेकिन अब लड़कियों के स्कूल के पास, मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों के पास शराब की दुकानें नहीं खोली जायेंगी । अगर कहीं पर यह चीज माननीय विधायक देखते हैं तो हमें लिखें और मैं आश्वासन देता हूं कि उस पर कार्यवाही की जायेगी परिवहन विभाग के बारे में हमारे सम्मानित मित्रों ने कहा, स्वामी नाथ जी ने कहा कि पुस्तकें नहीं पढ़ी हैं, मैं कहना चाहता हूं कि अगर वह पुस्तक को पढ़े होते तो यह बातें न कहते । यह इतनी अच्छी पुस्तकें है कि इसमें हर एक चीज स्पष्ट है । मैं ज्यादा न कह कर कुछ बाते कहना चाहता हूं । परिवहन विभाग की हालत बहुत खराब थी दस माह पहले जब मैंने इसका कार्य संभाला । वर्ष 1990-91 में लगभग 2400 बसें जलाई गयीं, तोड़ी गयी और उसका असर निगम पर पड़ा और उसकी हालत खस्ता हो गयी उसकी कमर टूट गयी, हमने बसों का किराया भी अभी बढ़ाया नहीं, तो यह सारी चीजे हैं और घाटा हमारे सामने है । जब कोई बीमार होता है तो कहा जाता है कि रेस्ट करें, ठीक हों तब चलें, लेकिन रोडवेज में बसों को चलते ही रहना पड़ता है, रेस्ट उनको मिलता नहीं है, दिन प्रतिदिन उनकी हालत खराब होती गयी । पहले बस महंगी होती थी, रेल सस्ती, परन्तु अब बस सस्ती है और रेल महंगी । लेकिन घाटे में भी हमने परिणाम निकाले हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी आप 5 मिनट में इसको समाप्त करें । आबकारी का बजट है कहीं समय को न भूल जायें, लगता है सोनकर जी पर असर हो गया है ।

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमें पता नहीं है यह उसमें से हैं

"रात को मय पी, सुबह को तोबा कर ली"

(व्यवधान)

तो यह उसमें से हैं ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, मैं परिवहन के बारे में चन्द मिनट में ही कुछ बाते बताना चाहता हूं । मान्यवर, निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलजुलकर परिश्रम किया और उन्होंने नई सरकार की नई कार्य संस्कृति के नये संदेश को स्वीकार किया और मेरे इस आह्वान पर परिश्रम किया और पसीना बहाया जिससे इस बद्तर और बुरे हालात में कुछ परिणाम अच्छे निकले । निगम के पूरे इतिहास में यह पहला दर्दनाक मौका है जबकि इस वर्ष 2153 बसें ओवरएज हो गयी, ऐसा कभी नहीं हुआ फिर भी इतनी खराब बसों से काम लेकर जो परिणाम निकले हैं वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ।

वर्ष 90-91 में आय 308 करोड़ 82 लाख और इस साल 348 करोड़ 40 लाख हो गयी इस तरह से 39 करोड़ 58 लाख रुपये की आय बढ़ी लेकिन खर्च भी बढ़ा पिछले साल 349 करोड़ 24 लाख खर्चा था 90-91 में और इस साल 382 करोड़ 11 लाख रहा । जहां आमदनी 12.82 प्रतिशत बढ़ी वहीं खर्चा 9.41 प्रतिशत ही बढ़ा । मान्यवर, जहां पिछले वर्ष में नकद लाभ था एक करोड़ ?1 करोड़ लाख वहीं इस वर्ष नकद लाभ 4 करोड़ 57 लाख हुआ । हमने डीजल के बचाने में भी निगम के इतिहास में एक कीर्तिमान कायम किया है और उसका औसत 4.52 हो गया यह निगम के इतिहास में कभी नहीं था, 53 लाख रुपया हमारा बचा और 1.6 लाख लीटर डीजल की बचत हुई । ईंधन की बचत आज राष्ट्रीय आवश्यकता है । मान्यवर, लोड फैक्टर जो पिछले साल 68 प्रतिशत था वह इस साल बढ़कर 72 प्रतिशत हो गया । बस की उपयोगिता भी जो पिछले साल केवल 204 कि० मी० थी इस साल बढ़कर 213 हुई और मार्च 92 में तो वह बढ़कर 230 हो गयी । कुम्भ मेले में जितनी शानदार व्यवस्था परिवहन निगम ने की उसकी सराहना चारों ओर हुई है । माननीय सदस्यगण भी यह मानते हैं । यह सब हमने कठिन परिस्थितियों में किया है ।

यात्री पिछले साल 44 करोड़ 69 लाख चले जबकि इस साल 45 करोड़ 46 लाख चले । वर्ष 90-91 में आनरोड बसें केवल 89 प्रतिशत थीं जो बढ़कर इस वर्ष में 91 प्रतिशत हो गयीं यानि आफ रोड बसों की संख्या 11 प्रतिशत घटकर 9 प्रतिशत रह गयी है ।

मान्यवर, यह भी बता देना चाहता हूं कि इस वर्ष वेतन पर पिछले साल से 20 करोड़ रुपया ज्यादा खर्च हुआ इस पर भी निगम ने इतनी अच्छी सेवा दी और अपने को पिछले वर्ष से अधिक मुनाफे में लिया । मैं कटौती को रखने वाले स्वामीनाथ यादव जी से कहूंगा कि उन्हें तो इस बात पर बधाई देनी चाहिये थी बजाय कटौती रखने के । मान्यवर, मैं अन्त में कुछ घोषणाएं जरूर करना चाहता हूं ।

इस वर्ष 1075 नई बसें खरीदी जायेंगी और 684 पुरानी बसों का रिन्यूवेशन किया जायेगा जिस पर 66 करोड़ रुपया खर्च होगा । प्रदेश में नई एक्सप्रेस सेवाएं संचालित की जायेंगी जिनका कलर स्कीम अलग होगा जो अलग से पहचानी जा सकेंगी ।

ये एक्सप्रेस सेवायें जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय और कस्बों पर ही रुकेंगी । इनका पहुंचने का समय अन्य बसों की तुलना में कम होगा । जैसे मेल ट्रेन्स चला करती हैं वैसे ही ये भी मुख्य-मुख्य स्थानों पर ही रुकेंगी । डीलक्स और सेमी-डीलक्स बसों में भी वृद्धि की जायेगी । प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक स्थानों को जोड़ने के लिये कुछ नई बस सेवायें शुरू की जायेंगी जैसे गोला-नीमसार, प्रयाग-हरिद्वार-ऋषिकेश, मथुरा-अयोध्या, सारनाथ-चित्रकूट, देवाशरीफ-अलीगढ, देवाशरीफ-बरेली-मुरादाबाद, कुशी नगर-सारनाथ, देवबन्द-अलीगढ़ । इसके अलावा एक अन्तर्राष्ट्रीय बस सेवा के लिये बातचीत चल रही है । भारत और नैपाल के बीच वाराणसी से काठमांडू यह बस सेवा संचालित की जायेगी । इससे लोग पशुपतिनाथ के दर्शन कर सकेंगे । बस स्टेशनों के सुधार पर पिछले वर्षों में 25-30 लाख से ज्यादा रुपया खर्च नहीं किया गया है । हम 2 करोड़ रु० का प्रावेधान कर रहे हैं । जिन सुविधाओं का विकास निगम के द्वारा किया जायगा वे हैं–यात्रियों के विश्रामगृह, पुरुषों व महिलाओं हेतु पृथक-पृथक प्रसाधन की व्यवस्था, यात्री शेडों में पंखे व बेंचों की व्यवस्था, प्रत्येक बस स्टेशन पर सुमचित प्रकाश व पेयजल की व्यवस्था, प्रत्येक बस स्टेशन में पूछताछ कार्यालय तथा उद्घोषणा की व्यवस्था, पूछताछ कार्यालय में दूरभाष की व्यवस्था, प्रत्येक बस में साइड शीशा लगा रहेगा ।

कुछ बस स्टेशनों में बसों की प्रतीक्षा कर रहे यात्रियों के मनोरंजन हेतु टेलीविजन भी लगाये जायेंगे। अभी जिन 10 जगहों पर यह व्यवस्था शुरू की जायेगी उनके नाम हैं–चारबाग, लखनऊ, कैसरबाग, लखनऊ चुन्नीगंज, कानपुर, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, आगरा फोर्ट, आगरा, गोरखपुर, वाराणसी, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद । बस स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिये एस० टी० डी०/पी० सी० ओ० की व्यवस्था करने जा रहे हैं । मार्गों पर पैसेन्जर शेल्टर्स की व्यवस्था हम स्वयं भी करेंगे और समाज सेवी संस्थाओं से भी कहेंगे कि वे यह काम करें इस वर्ष हम कुछ बस स्टेशनों का निर्माण भी करने जा रहे हैं । चारबाग (लखनऊ) तथा चुन्नीगंज(कानपुर) में पुराने बस स्टेशन के स्थान पर नये बस स्टेशनों के भवनों का निर्माण कराया जायगा । ट्रांसपोर्ट नगर, आगरा तथा अतरौली में निर्माणाधीन बस स्टेशनों का निर्माण कराया जायेगा । अमरोहा (मुरादाबाद) व रामनगर (नैनीताल) में नये बस स्टेशनों के निर्माण का कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा । हम क्षेत्रीय कार्यशालाओं का भी निर्माण करने जा रहे हैं । अभी तक जो विकलांग हैं और नेत्रहीन हैं उनको बसों में आधी छूट मिला करती थी, अब उनको किराये में पूरी छूट दे रहे हैं । डिपो कार्यशालाओं के निर्माण के अन्तर्गत ट्रांसपोर्टनगर, आगरा, अलीगढ़ द्वितीय, अलीगढ़, बिजनौर, उरई, फतेहपुर, लालगंज तथा निचलौल में निर्माणाधीन डिपो कार्यशालाओं में निर्माण कार्य पूर्ण कराया जायेगा । चित्रकूट, बड़ौत, बाराबंकी, प्रतापगढ़ तथा नोएडा (गाजियाबाद) में नई डिपो कार्यशालाओं के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा । क्षेत्रीय कार्यशालाओं के निर्माण कार्य के अन्तर्गत इटावा में निर्माणाधीन क्षेत्रीय कार्यशालाओं का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जायेगा । अलीगढ़ में क्षेत्रीय कार्यशाला के निर्माण कार्य को प्रारम्भ किया जायेगा । झांसी में नई क्षेत्रीय कार्यशाला हेतु भूमि प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा । जो ड्राइवर हैं, परिचालक हैं, उनकी ट्रेनिंग नहीं होती थी या कम ट्रेनिंग होती थी, अब उनको दो माह का प्रशिक्षण दिलाया जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, अब आप समाप्त करें ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

समाप्त कर रहा हूं, मान्यवर, । अभी तक जो लोग नौकरी से निकले जाते थे, उनको केवल एक अपील का अधिकार था । अब उनके लिये दो अपील की व्यवस्था की जा रही है ताकि अन्याय की

गुंजाइश न रहे । इसके साथ ही मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं जो उन्होंने अपने बहुमूल्य सुझाव दिये हैं । मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सोनकर जी, क्या आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

माननीय स्वामी नाथ जी, क्या आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री स्वामी नाथ यादव–

यह किसी भी सुझाव को नहीं मान रहे हैं, इसलिये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

(व्यवधान)

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर नहीं दिया, मैंने घोषणा करने की मांग की थी कि जहां अनुसूचित जाति, जनजाति के 40 फीसदी लोग रहते हैं वहां पर शराब की दुकानें न खोली जायं जो खोल दी गयी हैं उनको हटाने की व्यवस्था कर दें । इस पर कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया मान्यवर, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आज के बजट का असर सब पर कुछ न कुछ हो गया है । (हंसी)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–1 आबकारी विभाग के अन्तर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 1- आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,28,94,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 43-परिवहन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 43–परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,56,71,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, इस पैसे से यह पाउच खरीदेंगे या क्या करेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, मैं आपकी सहमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 53–राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 71,76,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या- 53–राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 71.76.000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1992

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1992 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1992 के संबंध में अननुमोदन का प्रस्ताव रखे जाने की मांग

[समय 5 बजकर 30 मिनट]

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मेरा अननुमोदन का प्रस्ताव है इस पर ।

श्री उपाध्यक्ष–

आपने जो प्रस्ताव लिखकर दिया है उस पर व्यवस्था सुन लें । श्री विजय सिंह राणा, सदस्य, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1992 में संशोधन की सूचना दी है । प्रक्रिया नियमावली के नियम 139 में यह स्पष्ट प्राविधान है कि विधेयकों में संशोधन की सूचना उसे लिए जाने से 36 घंटे पूर्व प्राप्त होनी आवश्यक है ।

श्री विजय सिंह राणा ने उक्त संशोधन संविधान के अनुच्छेद 203 के साथ पठित प्रक्रिया नियमावली के नियम 197 के अंतर्गत विनियोग विधेयक का अननुमोदन करने के उद्देश्य से दी गयी है । माननीय श्री राणा के उक्त संशोधन का मन्तव्य स्पष्ट नहीं है और जब तक नियम 197 के परन्तुक के अंतर्गत उसे स्पष्ट न किया जाय तब तक संशोधन रखे जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है ।

(इस समय 5 बजकर 35 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, हमने भी एक सूचना दिया था ।

श्री अध्यक्ष–

पहले इसे पुरः स्थापित हो जाने दीजिये ।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1992

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1992 पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, विनियोग विधेयक की मदों पर मैं कोई बहस नहीं करना चाहता हूं । मैं खर्च करने के बारे में जो स्थिति है उसके संबंध में विचार रखना चाहता हूं । मान्यवर, पहले यह कहना है कि जो पूर्व बजटो में प्राविधान जिन मदों पर किया गया है वह यथावत खर्च नहीं किया जा सका है और मुझे स्वयं मालूम है कि हमारे जिले मे जो पुरानी विकेन्द्रीकरण के नाम पर जो व्यवस्था लागू की गयी है, जिले को जो प्रस्ताव आते थे उनके ऊपर अभी तक 1990-91 के कार्य बकाया पड़े है तथा जिन्हें पूरा हो जाना चाहिये था और तीन वर्ष हो गये हैं मगर वह अभी तक पूरे नहीं हो पाये है । जब उनसे पूछा जाता है तो मालूम पड़ता है उनके ऊपर कोई प्राविधान खर्च का नहीं किया गया है । इसका निराकरण होना चाहिये और सारे लम्बित कार्य पूरे होने चाहिये । दूसरी बात यह है कि आप देखें कि इस वर्ष बिक्री कर राहत के नाम पर इस प्रदेश के अन्दर 60 करोड़ रुपये की राजस्व की क्षति हुई और जो बजट का आंकड़ा है वह देखें तो उसमें भी कम कर दिया गया है उस काम को पूरा करने के लिये जो संसाधन बजट में रखे गये हैं, उसमें जो तर्क दिया गया है वह सब वहीं पुरानी घिसी पिटी बातें थीं, दो बातें कहीं एक तो यह कहा कि खर्च में कमी हो जायेगी और दूसरा जो राजस्व का बकाया है उसकी वसूली के ऊपर सरकार यथास्थिति पूरा प्रयास करेगी । मान्यवर, प्रदेश के पुराने बजट को देखें जो राजस्व की वसूली का 17 अरब रुपया बिक्री कर विभाग का है और 19 अरब राजस्व विभाग का है तो जो पुराना बकाया है उसकी वसूली नहीं कर सके तो नया बकाया होगा, उसको कैसे पूरा किया जायेगा ? मान्यवर, इससे पूरे प्रदेश में असंतुलन पैदा हो जायेगा और विकास के कार्य रुक जायेंगे और इस प्रदेश के सामने भयंकर स्थिति हो जायेगी इसलिये मैं अननुमोदन का प्रस्ताव ला रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय राणा जी आपकी सारी बातें आ गयी हैं अब आप कृपया समाप्त कर दें ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, विकास कार्यों के नाम पर जो अनुमानित व्यय है उसमें 13 अरब रुपये का घाटा है जब यह कमी हो जायेगी और बजट घाटे का रहेगा तो इससे प्रदेश का विकास रुक जायेगा और मान्यवर, जिन विकास के कार्यों की संभावना को लेकर हम चले थे तो यह आशंका बलवती होती जा रही है कि इससे प्रदेश का जो विकास कार्य है इस बजट के रहते हुए पूरा होता दिखायी नहीं पड़ता है । तो इस स्थिति में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर पा रही है जब विकास कार्य नहीं होगा और इस प्रदेश का बजट घाटे में जा रहा है तो जो परिकल्पना की गयी है वह कैसे पूरी हो पायेगी । इसलिये मैं अननुमोदन का प्रस्ताव लाया हूं और इस पर बल देता हूं ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से, माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इनका बजट तो पास हो गया लेकिन सवाल यह है कि इस बजट में धन का जो प्राविधान किया गया है, उसे खर्च करने के लिये किसके हाथ में दिया जाय । आपका जो शासन है वह अक्षम है । प्रशासन पर इनकी पकड़ नहीं है और प्रशासनिक अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं । विकास के नाम पर पैसे का जो प्राविधान होता है, उसके आधे हिस्से का भी सदुपयोग नहीं होता है । इसलिये ऐसी अक्षम सरकार, जिसकी प्रशासनिक अधिकारियों पर पकड़ न हो, उसके हाथ में खर्च देने का काम बन्दर के हाथ में मशाल देने जैसे काम है । मैं एक उदाहरण रखना चाहता हूं । विश्व-बैंक द्वारा 200 करोड़ रुपये सड़कों के निर्माण के मद में दिया था । सरकार ने उस पैसे से होने वाले कार्य को एक प्राइवेट कम्पनी को दे दिया । उस प्राइवेट कम्पनी ने उस पैसे को खर्च ही नहीं किया । कहा तो यहां तक जाता है कि उस पैसे का अधिकांश हिस्सा एकता यात्रा में खर्च हो गया है । जो पैसा हम यहां पास करते हैं, वह जनता की गाढ़ी कमाई का है । खर्च करने वाले प्रशासनिक अधिकारी उस पैसे को बांट लें यह कहां तक उचित है कि हम उसे यहां पास कर इनको दे दें । आपने कर-रहित बजट पास किया है, बहुत अच्छा किया है । यदि आप इसे साल भर तक बरकरार रखें, तभी यह ठीक है । आज माननीय वित्त मंत्री जी इस बात की भी घोषणा कर दें कि हम साल भर तक कर किसी भी चीजपर नहीं बढ़ायेंगे । होता यह है कि हर सरकार पहले कर रहित बजट पेश कर देती है, फिर बाद में हर चीज पर कर लगा देती है । बस के किरायों में वृद्धि कर देगी, बिजली की दरों में वृद्धि कर देगी, सिंचाई की दरों में वृद्धि कर देगी । जिससे जनता पर भार बढ़ जाता है । मेरा कहना यह है कि इस सरकार के खर्च करने के तौर-तरीके ठीक नहीं हैं । धन का सदुपयोग ठीक तरीके से नहीं हो पाता है । अगर 80 प्रतिशत भी जनता के हित में बजट का खर्च कर दिया जाय तो प्रदेश के विकास के संबंध में फिर आगे कोई बात नहीं रह जायेगी । सब विकास हो जायेगा, लेकिन खर्च तो होता नहीं । आप एक-एक इंजीनियर, ओवरसियर को देखिये, क्या उनकी बिल्डिंग, क्या रहन-सहन, क्या तौर-तरीका है । सारे भ्रष्ट अधिकारी राजनीतिज्ञों को भ्रष्टाचार में फंसाकर मजा लूटते हैं और लोग बेमतलब कहते हैं फलांना राजनीतिज्ञ भ्रष्ट है, इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार की प्रशासनिक अधिकारियों पर पकड़ नहीं है और इसलिये एक भी पैसा देने लायक यह नहीं है, इसलिये मैं विनियोग विधेयक का अननुमोदन करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

सभी विभागों की अनुदान मांगें स्वीकार हो चुकी हैं और मैंने सभी संशोधन अस्वीकार कर दिये हैं । अब संसदीय कार्य मंत्री मद संख्या–16 रखें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, बड़े ही सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में इस बार इधर-उधर दोनों तरफ के माननीय सदस्यों ने अपने अमूल्य विचार प्रकट किये और हम सभी अनुदानों पर बजट स्वीकृत करा चुके हैं । शायद यह इतिहास बना है, जब कई वर्षों बाद इतने लम्बे-लम्बे समय तक बैठकर हमने मूल्यवान चर्चा की, इससे माननीय सदस्य परिचित हैं । प्रतिपक्ष के भी हमें अच्छे सुझाव मिले । आखिरी मौके पर 3-4 बिन्दु उठाये गये हैं ...

श्री अध्यक्ष–

पहले आप मद संख्या–16 प्रस्तुत तो कर दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, पहले जवाब तो दे दूं । उसके बाद प्रस्तुत कर दूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने सभी संशोधनों को अस्वीकार कर दिया है, आप मद संख्या-16 रखें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

ठीक है ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1992 पर विचार किया जाय ?

मान्यवर, 2-3 बिन्दुओं पर अभी ध्यान आकर्षित कराया गया । माननीय राणा जी ने यह चिन्ता प्रकट की, जो बजट यहां पर पास किया गया है, उसका पैसा समय पर खर्च नहीं हो पायेगा । मैं याद दिलाना चाहता हूं कि अब तक परिपाटी थी कि बजट की वित्तीय स्वीकृतियां वर्ष के अंतिम 3 महीने में, आखिरी तारीख के 12 बजे तक हुआ करती थीं । लेकिन माननीय मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह के नेतृत्व में ऐसा पहली बार हो रहा है, जब 30 जून तक यथासंभव सभी मदों की वित्तीय स्वीकृतियां जारी कर दी जायेंगी । मान्यवर, यह बात हमारे संज्ञान में है । मान्यवर, दो तरह की मदें होती हैं, कुछ मदें वह हैं, जिन्हें कम्युटेड एक्सपेन्डीचर कहते हैं । जिसे अपने विभाग से वित्तीय स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता नहीं होती और विभाग से स्वीकृति जारी करने के बारे में मैंने शासन की नीति स्पष्ट की है यह हम काम कर रहे हैं, वित्तीय अनुशासन कायम रखने के लिये और सही सदुपयोग धन का होता रहे, इसलिये । राणा जी ने बकाया वसूली के बारे में भी चिन्ता प्रकट की । मान्यवर, हम चाहेंगे कि प्रतिपक्ष से भी हमें इस बारे में सहयोग मिले क्योंकि जब हम बकाया वसूली करने के लिये कार्यशीलता करते हैं तो ऐसे मामलों पर हाथ डालने की चेष्टा करते हैं, जिनके संबंध में न तो कोर्ट का कोई आदेश है, न कोई विवाद है, तो उसमें भी लोग हल्ला मचाते हैं, ऐसे मौकों पर विधिक कार्यवाही हम करते हैं, इस काम को हम जरूर करेंगे । हमारा बहुत सा बकाया है, उसे हम जरूर वसूल करेंगे, इस मामले में मैं प्रतिपक्ष के सहयोग की मांग करता हूं और हमें आशा है कि हमें सहयोग मिलेगा । क्योंकि मान्यवर, हमारा राजनीतिक विभेद हो सकता है लेकिन बजट पास करने में आपका जो सहयोग रहा और जो पैसा खर्च करना है, बकाया वसूल करना है उसमें भी आप सबका सहयोग मिलेगा । माननीय चौधरी साहब की एक शंका है उसका जबाब मैं एक पंक्ति में दूंगा हमने सरकार में आने के बाद अपने विकास की गति में तेजी की है, मंथर की है, धीमी की है उसका उदाहरण मैं देना चाहता हूं हमें 20 सूत्री कार्यक्रम में कार्यान्वयन में जिसका केन्द्र सरकार से सर्टिफिकेट आवश्यक है उस 20 सूत्री कार्यक्रम में जहां हमारे प्रदेश का पहले 13वां नम्बर था आज आप लोगों के सहयोग से हम तीसरे नम्बर पर पहुंच गये हैं । तो इससे सिद्ध होता है कि हमने विकास की गति में तेजी लाने की कोशिश की है । हम प्रार्थना करते हैं जो पैसा बजट में पास किया गया है उसमें अब विनियोग विधेयक में सहयोग करें और उसे पास करें और विकास की गति में सहयोग देने की कृपा करें । हम आप सबके बहुत आभारी हैं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक 1992 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1992

31 मार्च, 1993 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तैंतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1992 कहलायेगा ।

उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 1992-93 के लिये 1,67,89,18,99,000 रुपये का निकाला जाना

2–ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो 31 मार्च, 1993 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ–२ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के संबंध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग [उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1992 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 1992) की अनुसूची के स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट धनराशियों को सम्मिलित करके] 1,67,89,18,99,000 रुपये (केवल एक सौ सड़सठ अरब, नवासी करोड़, अठ्ठारह लाख और निन्यानवे हजार रुपये) होता है, अधिक न हो ।

विनियोग

3–इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये गये हैं ।

अनुसूची

(धारायें 2 व 3 देखें)

अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2			3	
1	आबकारी विभाग ..	राजस्व	8,74,73	*10*	8,74,73
		पूंजी	..	..	..
2	आवास विभाग ..	राजस्व	27,00,93	*12,77,00*	39,77,93
		पूंजी	69,20,00	*7,15,00*	76,35,00
3	उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व	86,68	..	86,68
		पूंजी	55,88	..	55,88
4	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्व	3,66,97	*10*	3,67,07
		पूंजी			

उत्तर प्रदेश विधान सभा

5	उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)	राजस्व	28,14,46	*25*	28,14,71
		पूंजी	10,16,31	..	10,16,31
6	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व	35,14,48	*9,50*	35,23,98
		पूंजी	66,81	*7,90*	74,71
7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व	5,32,85	*78,53*	6,11,38
		पूंजी	51,30.00	*4,32,43*	55,62,43
8	उद्योग विभाग (लेंखन-सामग्री और मुद्रण)	राजस्व	28,33.49	..	28,33,49
		पूंजी	4,78.00	..	4,78,00
9	ऊर्जा विभाग ..	राजस्व	2,03.35	..	2,03.35
		पूंजी	7,65,82.00	..	7,65,82.00
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	27,57.10	*12,45*	27,69,55
	(औद्यानिक विकास)	पूंजी	6,08,79	..	6,08,79
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व	2,25,04.97	*3,12*	2,25,08,09
		पूंजी	73,56,25	*50*	73,56,75
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	39,17,47	..	39,17,47
	(क्षेत्रीय विकास)	पूंजी	..	..	..

अविभाजित सभा

1	2			3	
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	9,50,99,56	*50*	9,51,00,06
	(ग्राम्य विकास)	पूंजी	15,81,50	..	15,81,50
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	81,66,88	*21*	81,67,09
	(पंचायत राज)	पूंजी	75,84	..	75,84
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व	68,11,22	*10*	68,11,32
		पूंजी	1,91,21	..	1,91,21
16	कृषि तथा अन्य संबंद्ध विभाग (दुग्धशाला	राजस्व	8,54,94	*61*	8,55,55
	विकास)	पूंजी	8,73,00	*6,00*	8,79,00
17	कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्व	10,44,68	*2*	10,44,70
		पूंजी	3,70	..	3,70
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्व	15,66,07	*19,71,57*	35,37,64
		पूंजी	1,21,99,06	*60,63,97*	1,82,63,03
19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	राजस्व	1,62,35	..	1,62,35
		पूंजी	..	..	..
20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्व	75,85	*2,81,20*	3,57,05
		पूंजी			

उत्तर प्रदेश विधान सभा

21	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व	30,79,08	*5,67,61*	36,46,69
		पूंजी	10,91,80,76	*65,00,50*	11,56,81,26
22	खेल विभाग	राजस्व	5,86,57	..	5,86,57
		पूंजी	3	..	3
23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व	20,17,54	*10*	20,17,64
		पूंजी	..	..	..
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व	34,43,06	*14,56,01*	48,99,07
		पूंजी	1,31,00,00	*1,83,16*	1,32,83,16
25	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व	33,29,18	*2*	33,29,20
		पूंजी	8,00,00	..	8,00,00
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व	7,48,52,15	*64,55*	7,49,16,70
		पूंजी	8,64,14	*70,20*	9,34,34
27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व	38,11,34	..	38,11,34
		पूंजी	..	..	..
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व	20,33,58	..	20,33,58
		पूंजी	..	..	..

1	2			3	
*29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	राजस्व	..	*91,75*	.91,75
		पूंजी	..	..	..
30	गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	राजस्व	5961	..	5961
		पूंजी	..	..	..
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व	77,51,18	*,25*	77,51,43
		पूंजी	1,28,93	..	1,28,93
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व	2,32,28,01	*1,00*	2,32,29,01
		पूंजी	32,56,41	..	32,56,41
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	राजस्व	40,41,75	*2*	40,41;77
		पूंजी	1,96,93	..	1,96,93
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	राजस्व	11,92,78	..	11,92,78
		पूंजी	7,42	..	7,42
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व	75,06,05	*39*	75,06,44
		पूंजी	4,00,00	..	4,00,00
36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व	1,06,05,10	*50*	1,06,05,60
		पूंजी	4,04,57		4,04,57

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2		3		
37	नगर विकास विभाग	राजस्व	4,00,28,49	..	4,00,28,49
		पूंजी	1,25,00	..	1,25,00
38	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व	3,56,69	..	3,56,69
		पूंजी	..	..	..
39	नियुक्ति विभाग	राजस्व	65,44	..	65,44
		पूंजी	..	..	..
40	नियोजन विभाग	राजस्व	62,77,07	..	62,77,07
		पूंजी	50,00,00	..	50,00,00
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व	2,80,00	..	2,80,00
		पूंजी	..	..	..
42	न्याय विभाग	राजस्व	70,13,59	*11,47,35*	81,60,94
		पूंजी	3,10,00	..	3,10,00
43	परिवहन विभाग	राजस्व	10,18,05	*12*	10,18,17
		पूंजी	10,01	..	10,01
44	पर्यटन विभाग	राजस्व	2,77,16	..	2,77,16
		पूंजी	12,39	..	12,39
45	पर्यावरण विभाग	राजस्व	98,10	..	98,10
		पूंजी	..	..	..

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम संख्या ।

1	2			3	
46	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व	49,10	..	49,10
		पूंजी	..	..	..
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व	60,01,33	*1,25,02*	61,26,35
		पूंजी	21,72,01	..	21,72,01
48	मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व	67,11	*2,73*	69,84
		पूंजी	..	..	..
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व	45,86,68	..	45,86,68
		पूंजी	20,00	..	20,00
50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व	57,21,92	*35*	57,22,27
		पूंजीं	9,70,00	..	9,70,00
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत)	राजस्व	45,10,77	*90,07,06*	1,35,17,83
		पूंजी	1,42,23	*23,94*	1,66,17
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व	1,95,27,01	*1,57,25*	1,96,84,26
		पूंजी	47,73	*2,01,52*	2,49,25
53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व	85,12	..	85,12
		पूंजी	1,00	..	1,00
54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	1,34,50,33	*4,15*	1,34,54,48
		पूंजी	..	..	..
55	लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	राजस्व	11,40,11	*9,02*	11,49,13
		पूंजी	16,40,70	*1,00*	16,41,70

56	लोक निर्माण विभाग (आवास भवन)	राजस्व	8,07,81	*25,68*	8,33,49
		पूंजी	6,98,17	*50*	6,98,67
57	लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)	राजस्व	..	*20*	20
		पूंजी	6,37,85	*3,25*	6,41,10
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन)	राजस्व	1,55,23,15	*10*	1,55,23,25
		पूंजी	2,56,67,72	*50*	2,56,68,22
59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्व	12,42	..	12,42
		पूंजी	..	..	..
60	वन विभाग	राजस्व	96,85,54	*20*	96,85,74
		पूंजी	2,00,36	..	2,00,36
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व	5,00,25,65	*20,53,33,45*	25,53,59,10
		पूंजी	32,05,00	*15,56,41,23*	15,88,46,23
62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेन्शनें)	राजस्व	2,33,75,15	*15,37*	2,33,90,52
		पूंजी	..	..	..

1	2				3
63	वित्त विभाग (कोषगाार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व	19,97,43	..	19,97,43
		पूंजी	..	..	..
64	वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	राजस्व	5,00,00,00	..	5,00,00,00
		पूंजी	..	..	..
65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)	राजस्व	23,23,62	*3*	23,23,65
		पूंजी	..	..	..
66	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व	23,67	*38,41,40*	38,65,07
		पूंजी	..	..	..
67	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व	2,83,22	*8,71*	2,91,93
		पूंजी	..	..	..
68	विधान सभा सचिवालय	राजस्व	8,21,02	*11,53*	8,32,55
		पूंजी	..	..	..
69	विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल)	राजस्व	..	..	..
		पूंजी	1,45,00	..	1,45,00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व	9,42,84	..	9,42,84
		पूंजी	..	..	..
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व	10,84,04,30	*90,00,01*	11,74,04,31
		पूंजी	..	..	..
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व	7,24,03,59	*70,00,55*	7,94,04,14
		पूंजी	84,18	..	84,18
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व	1,84,39,27	*85,01*	1,85,24,28
		पूंजी	6,26,94	..	6,26,94
74	शिक्षा विभाग (प्रौढ शिक्षा)	राजस्व	18,77,40	..	18,77,40
		पूंजी	..	..	..
75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	राजस्व	7,73,91	..	7,73,91
		पूंजी	..	..	..
76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व	82,70,85	2	82,70,87
		पूंजी	..	..	..

1	2			3	
77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व	36,58,91	20	36,59,11
		पूंजी	56,66	..	56,66
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व	40,87,87	4	40,87,91
		पूंजी	..	..	..
79	समाज कल्याण विभाग	राजस्व	48,80,84	2	48,80,86
	(समाज कल्याण)	पूंजी	..	..	..
80	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों	राजस्व	1,52,64,99	2	1,52,65,01
	एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण)	पूंजी	2	..	2
81	समाज कल्याण विभाग	राजस्व	3,91,09	2	3,91,11
	(जनजाति कल्याण)	पूंजी	..	..	..
82	सतर्कता विभाग	राजस्व	4,29,97	22,92	4,52,89
		पूंजी	..	..	..
83	सहायता एवं पुनर्वासन विभाग	राजस्व	16,05	5	16,10
		पूंजी	21	2	23

उत्तर प्रदेश विधान सभा

84	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	31,31	2	31,33
		पूंजी	..	..	..
85	सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व	35,96	..	35,96
		पूंजी	..	..	..
86	सूचना विभाग	राजस्व	11,51,70	..	11,51,70
		पूंजी	..	..	..
87	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व	3,77,59	2	3,77,61
		पूंजी	..	..	..
88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	राजस्व	44,11	2	44,13
		पूंजी	30,00	..	30,00
89	संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर)	राजस्व	52,22,07	1,15	52,23,22
		पूंजी	1,70,09	..	1,70,09
90	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	राजस्व	1,82,17	..	1,82,17
		पूंजी	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2			3	
91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्व	9,43,63	*4*	9,43,67
		पूंजी	..	..	..
92	सांस्कृतिक कार्य विभाग	राजस्व	5,45,94	*2*	5,45,96
		पूंजी	30,00	..	30,00
93	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	1,55,97,37	*1,00*	1,55,98,37
		पूंजी	1,33,42,68	..	1,33,42,68
94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व	6,75,92,57	*3*	6,75,92,60
		पूंजी	4,11,89,52	*1,00*	4,11,90,52
95	उत्तरांचल विकास विभाग	राजस्व	1,86,80,62	*19,62*	1,87,00,24
		पूंजी	1,01,90,92	*18,80*	1,02,09,72
	योग	राजस्व	92,01,05,68	*24,16,37,96*	1,16,17,43,64
		पूंजी	34,73,03,93	*16,98,71,42*	51,71,75,35
	कुल योग		1,26,74,09,61	*41,15,09,38*	1,67,89,18,99

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व खण्ड 3, अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1992 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1992 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

बजट साहित्य समय से उपलब्ध कराये जाने हेतु श्री अध्यक्ष के निर्देश तथा सम्पूर्ण बजट पारित होने पर नेता सदन द्वारा धन्यवाद

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आपका विनियोग विधेयक पारित हो गया । अनेकों विभागों की अनुदान मांगें स्वीकार हो गयीं लेकिन एक चीज जो मुझे दिखाई पड़ी है उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । अनेकों विभागों की अनुदानों की मांगों के संबंध में जो साहित्य माननीय सदस्यों को उपलब्ध होना चाहिये था समय से वह उपलब्ध नहीं हुआ । मेरी इच्छा थी विधान सभा अध्यक्ष के नाते एक अच्छे स्तर की डिवेट यहां पर हो, और हुई भी । इस बजट सत्र में अनेकों माननीय सदस्यों और नेताओं ने अच्छे-अच्छे तर्क और सुझाव दिये । मैं इस बात की अपेक्षा करता हूं और विश्वास करता हूं कि जो भी संबंधित अधिकारीगण हैं उनको निर्देश दें कि भविष्य में बजट साहित्य समय से उपलब्ध हो जाय ।

* मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

श्रीमन्, आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर संकेत किया है । मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि साहित्य प्रकाशन अथवा वितरण में, यदि कुछ अनुदानों पर विलम्ब हुआ है उस प्रक्रिया को सुधारेंगे ताकि समय से सब को साहित्य मिल जाय ।

एक बात और मैं आपकी अनुमति सें सम्पूर्ण विपक्ष के माननीय सदस्यों को, सभी विपक्ष के माननीय नेताओं को तथा सत्ता पक्ष के सभी माननीय सदस्यों को बहुत-बहुत हार्दिक बधाई देना चाहता हूं, 12 फरवरी, 1992 से यह सत्र चल रहा है आज लगभग 3 महीने से ऊपर हो रहे हैं । मैं समझता हूं कि कदाचित पिछले 10. 12 वर्षों में बजट में इस प्रकार प्रत्येक अनुदान पर चर्चा हुई हो और अनुदान की धनराशि स्वीकृत हुई हों । यह हमारी स्वस्थ्य लोकतांत्रिक परम्परा है इसमें जो विपक्ष के माननीय नेताओं और सदस्यों ने सहयोग प्रदान किया, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास करता हूं कि भविष्य में भी इसी प्रकार से उच्च लोकतांत्रिक मर्यादा को अक्षुण्ण बनाये रखने में सहयोग मिलत रहेगा और बहुमूल्य सुझाव जो हमें मिले हैं इस नीति में, सभी को एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 11 मई, 1992 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 12 सूचनायें प्राप्त हुईं । पहली सूचना श्री लाखी राम जोंशी जी की, वक्तव्य के लिये स्वीकार की है । दूसरी सूचना श्री हृदय नारायण जी की है, इसे भी वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है । तीसरी सूचना विजय सिंह राणा जी की है, इसे केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है । चौथी सूचना श्री सुरेन्द्र सिंह की है, इसे भी केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है । भारत सिंह रावत की सूचना, श्री मातवर कन्डारी और श्री स्वामी नाथ यादव की सूचना पर ध्यान आकर्षण हेतु सरकार को कहा है । उनकी सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है । शेष सूचनाएं अस्वीकृत हुईं ।

जनपद फैजाबाद में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत धनराशि में कटौती किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत ग्राम्य विकास राज्य मंत्री का वक्तव्य

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (श्री हरवंश कपूर)–

जवाहर रोजगार योजना भारत सरकार की योजना है ...

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया गया ।)

श्री हरवंश कपूर–

[जो 80 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 20 प्रतिशत राज्यांश पर आधारित है तथा भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के आधार पर ही राज्यांश की धनराशि सम्मिलित करते हुए राज्य सरकार द्वारा धनराशि अवमुक्त की जाती है । वित्तीय वर्ष 1991-92 में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत जनपद फैजाबाद हेतु केन्द्रांश के रूप में भारत सरकार ने कुल रु० 837.20 लाख का संशोधित केन्द्रांश मात्राकृत किया था जिसके समक्ष प्रथम किश्त के रूप में भारत सरकार ने रुपये 326.03 लाख की धनराशि वर्ष 1991-92 में अवमुक्त की तथा द्वितीय एवं अंतिम किश्त के रूप में अवशेष देय धनराशि रु० 511.17 लाख की धनराशि भारत सरकार ने प्रथमतः रु० 544.84 लाख की कटौती दर्शाते हुए अवमुक्त नहीं की । कटौती का मुख्य कारण भारत सरकार ने मात्राकृत क्षेत्रों में धनराशियों का कम व्यय एवं बचा हुआ अधिक अवशेष बताया । मामले में भारत सरकार से पत्राचार करने पर बाद में उक्त कटौती के समक्ष भारत सरकार ने माह जनवरी, 92 में रु० 164.06 लाख की धनराशि अवमुक्त कर दिया, इस प्रकार देय धनराशि के समक्ष केवल रु० 347.11 लाख की ही कटौती रह गयी । राज्य सरकार के स्तर से इस संबंध में कोई कटौती नहीं की गयी ।]

जनपद देवरिया की सलेमपुर तहसील में प्रस्तावित मुन्सफी न्यायालय की स्थापना के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत न्याय मंत्री का केवल वक्तव्य

सिंचाई, न्याय तथा विधायी मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

देवरिया जनपद के सलेमपुर तहसील मे ..

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

इसे भी पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया गया ।)

श्री ओम प्रकाश सिंह–

देवरिया जनपद के सलेमपुर तहसील में [प्रस्तावित मुंसिफ न्यायालय की स्थापना के संबंध में जनपद न्यायाधीश ने यह सूचित किया है कि दिनांक 16-3-91 को वे स्वयं सलेमपुर स्थल निरीक्षण हेतु गये थे । उनके साथ अधिवक्ता संघ एवं कस्बे के गणमान्य व्यक्ति भी थे । स्थल निरीक्षण के समय सलेमपुर में कोई ऐसा उपयुक्त स्थान नहीं पाया गया जहां मुंसिफ न्यायालय की स्थापना की जा सके क्योंकि इस हेतु आवासीय भवन, अनावासीय भवन, हवालात, सब-जेल, मालखाना एवं कर्मचारियों हेतु आवास की तात्कालिक आवश्यकता होती है । सलेमपुर कस्बे से 3,4 कि० मी० की दूरी का आवास अनुपयुक्त पाया गया जहां वादकारी जनता को आने जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा तथा न्यायालय स्थापित करने योग्य भी नहीं है । दूसरा भवन श्री आबिद अली का है जो मुख्य बाजार एवं सड़क से सटा है लेकिन मुंसिफ न्यायालय की स्थापना के योग्य नहीं है । पूरे कस्बे के आसपास कोई ऐसा उपयुक्त भवन नहीं है जहां मुंसिफ न्यायालय की स्थापना की जा सके । मुंसिफ न्यायालय स्थापित करने हेतु भूमि अधिग्रहण आवश्यक है । यह भी स्पष्ट किया गया है कि पीठासीन अधिकारी एवं स्टाफ के लिये जब तक आवासीय सुविधा सुलभ नहीं हो जाती तब तक मुंसिफ न्यायालय स्थापित किया जाना सम्भव नहीं है । इसके अतिरिक्त कार्यालय भवन/आवासीय भवन, मालखाना, लाइब्रेरी, सबजेल, अधिवक्तागण के बैठने हेतु उपयुक्त स्थान भूमि अधिग्रहण किये बिना सम्भव नहीं है ।

उपयुक्त स्थिति को देखते हुए मा० उच्च न्यायालय ने सलेमपुर में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना किये जाने के प्रस्ताव पर अपनी असहमति व्यक्त की है ।]

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, यह भवन जहां प्रस्तावित है, वहां पर सूचना में भवन नहीं बताया, बनाया गया है, वह बन जाय तो बहुत अच्छा होगा । (व्यवधान)

जनपद इलाहाबाद के कतिपय मोहल्लों एवं ग्रामों की कृषि योग्य एवं आवासीय भूमि इलाहाबाद के विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित किये जाने के उपरान्त वाजिब मुआवजा न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना के निर्माण हेतु .....

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लें ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया गया ।)

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना के निर्माण हेतु [परगना व तहसील-चायल, जनपद इलाहाबाद के अधोलिखित ग्रामों की कुल 523 बीघा 09 बिस्वा 4 -3/20 बिस्वांसी भूमि अर्जन की कार्यवाही भूमि अध्याप्ति अधिनियम के अन्तर्गत की जा रही है :–

	क्षेत्रफल		
ग्राम का नाम	बीघा	बिस्वा	बिस्वांसी
1- शाहा उर्फ पीपलगांव	241	15	02
2- झलवा	169	9	13
3- हरवारा	15	11	0
4- देवघाट	96	13	9-3/20
महायोग ..	523	09	04-3/20

इस प्रकरण में भू-उपयोग परिषद् की अनुमति सितम्बर, 90 में प्रदान की गयी । भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4(1) सपठित धारा 17 की विज्ञाप्ति संख्या : 114/11-5-91-12एल० ए०/90, दिनांक 21-1-90 उत्तर प्रदेश के सरकारी गजट में दिनांक 23-2-91 में प्रकाशित की गयी । धारा 6 सपठित धारा 17 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या : 8548/9-आ-5-91-12एल० ए०/90, दिनांक 30-12-91 को प्रकाशित हुई । इस भूमि का इलाहाबाद विकास प्राधिकरण की महायोजना में भू-उपयोग आवासीय दर्शित है और चूंकि यह भूमि कृषि योग्य है, अतः भूमि उपयोग परिषद् की सहमति प्राप्त की गयी है । मा० विधायक द्वारा मुख्य रूप से यह मांग की गयी है कि कृषकों को मुआवजा बाजार दर पर दिया जाय । यह उल्लेखनीय है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1984 के अन्तर्गत बाजार भाव से ही मुआवजा निर्धारित करने की व्यवस्था है । उक्त अधिनियम के अन्तर्गत मुआवजा निर्धारण का कार्य प्रगति पर है, अतः यह आशंका सही प्रतीत नहीं होती कि मुआवजा बाजार दर से नहीं निर्धारित होगा । प्रश्नगत भूमि का भू-उपयोग महायोजना में आवासीय रखा गया है और इस भूमि पर आवासीय निर्माण अनुमन्य है । अतः इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा इसका अधिग्रहण करने का औचित्य बनता है ।]

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतीय सम्वर्ग की वर्तमान व्यवस्था निष्प्रभावी हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत पर्वतीय विकास राज्य मंत्री का वक्तव्य

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री पूरन चन्द्र शर्मा)–

उत्तरांचल की विषम भौगोलिक परिस्थितियों ....

श्री बची सिंह रावत–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया गया ।)

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री पूरन चन्द्र शर्मा–

उत्तरांचल की विषम भौगोलिक परिस्थितियों [तथा वहां रिक्त पदों से विकास कार्यों में उत्पन्न गतिरोध को दूर करने के हेतु, उत्तरांचल के लिये सेवाओं का उप संवर्ग गठित किया जाना सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है । अब तक यद्यपि कई विभागों द्वारा उप संवर्ग गठित किये जाने की सहमति दी गयी है, परन्तु उप संवर्ग के गठन में कई व्यावहारिक, प्रशासनिक तथा सेवा नियमावली संबंधी कठिनाइयां सामने आयीं, जिनका सम्यक निराकरण करने तथा पृथक उप संवर्ग सेवा नियमावली तैयार करने पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जा रहा है ।

जहां तक राजकीय सेवाओं में उत्तरांचल में नियुक्त अधिकारियों द्वारा अपना स्थानान्तरण मैदानी क्षेत्र में करा लेने व उसके परिणामस्वरूप उत्तरांचल में राजकीय सेवाओं के अधिकांश पद रिक्त रहने का प्रश्न है, इस संबंध में मूल शासनादेश दिनांक 3 अप्रैल, 1981 द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि प्रत्येक विभाग उत्तरांचल से मैदानी क्षेत्र अथवा मैदानी क्षेत्र से उत्तरांचल में कर्मचारी/अधिकारी का स्थानान्तरण/तैनाती करने से पूर्व उत्तरांचल विकास विभाग की सहमति प्राप्त करेगा तथा बिना प्रतिस्थानी के किसी भी राजकीय कर्मचारी को उत्तरांचल क्षेत्र से अवमुक्त नहीं किया जायेगा ।]

जनपद उन्नाव में पुरवा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत अवर अभियन्ता (अनुरक्षण) द्वारा बिना स्वीकृत विद्युत कनेक्शन दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में निर्धारित नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

इस पर अब तक वक्तव्य नहीं आया है, इसलिये मैं इसको कल तक के लिये स्थगित कर रहा हूं ।

जनपद मऊ के नत्थूपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों में हुए अग्निकाण्ड से पीड़ित व्यक्तियों को राहत न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य

राजस्व मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी)–

जनपद मऊ से प्राप्त सूचनानुसार ...

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, इसे भी पढ़ा हुआ मान लें ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया गया ।)

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जिलाधिकारी मऊ से प्राप्त सूचनानुसार [जनपद मऊ के नत्थूपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत तहसील, घोसी के ग्राम दुबारी मजरा सुधवापुरवा में दिनांक 22-2-92 को दिन में 1 बजे आकस्मिक रूप से घटित अग्निकाण्ड से कुल 20 परिवार प्रभावित हुए थे । 20 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए । कोई जीवन-हानि नहीं हुई । अग्निकाण्ड से प्रभावित परिवार के व्यक्तियों को नियमानुसार अनुमन्य अहेतुक सहायता रु० 10,000 तथा गृह अनुदान रु० 5000 का वितरण दिनांक 26-2-92 को कर दिया गया ।[9]

इसके अतिरिक्त उपरोक्त क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम धरमपुर विशुनपुर मजरा लाला का पुरवा में दिनांक 4-3-92 को दिन में 2 बजे अचानक घटित अग्निकाण्ड से 33 परिवार प्रभावित हुए, 26 मकान आंशिक

---

[9] नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

रूप से क्षतिग्रस्त हुए । मानव जीवन-हानि नहीं हुई । केवल 2 बकरियों की जलकर मृत्यु हुई । जांचोपरान्त प्रभावित परिवार के 26 व्यक्ति गृह अनुदान के लिये पात्र पाये गये और इन्हीं 26 गृह अनुदान के पात्र लोगों में से 19 व्यक्तियों को गृह अनुदान के साथ-साथ अहेतुक सहायता के लिये भी पात्र पाया गया । इस प्रकार प्रभावित परिवारों में 9.500 रु० अहेतुक सहायता, 6500 रु० गृह अनुदान तथा 600 रु० अनुग्रह अनुदान की धनराशि विभिन्न दिनांक में वितरित की गयी ।

उपरोक्त दोनों ग्रामों में अग्निकाण्ड से प्रभावित कोई भी पात्र व्यक्ति नियमानुसार देय सहायता से वंचित नहीं रह गया है । दोनों ग्रामों के पात्र प्रभावितों के नाम तथा वितरित सहायता का विवरण संलग्न† तालिका में अवलोकनीय है ।]

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 11 मई, 1992 की बैठक में सदन के दिनांक 12 व 13 मई, 1992 के उपवेशनों के अनुमोदित कार्यक्रमों को निम्नलिखित संशोधित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :–

<u>मई, 1992</u>

12 मंगलवार	..	1-- असरकारी दिवस (असरकारी विधेयक) ।
		2- अवशिष्ट प्रस्ताव, वक्तव्य तथा चर्चाएं ।
13 बुधवार	..	1-- निधन के निदेश ।
		2- उत्तर प्रदेश उच्चत्तर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण-आधा घंटा ।
		3-- असरकारी दिवस (असरकारी संकल्प),
		4- अवशिष्ट प्रस्ताव, वक्तव्य तथा चर्चाएं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय अध्यक्ष जी, यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज सदन में दी गयी है, सहमत है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश के संबंध में, जो सूचना संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदन में दी है, उससे यह सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 55 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
11 मई, 1992

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

---

† छापी नहीं गयी ।

नत्थी 'क'

(देखिये अता० प्र० सं० 36 का उत्तर पीछे पृष्ठ 44 पर)

ए० राय,
बी० एस-सी०, एल-एल० बी०,
एडवोकेट, हाईकोर्ट,
109, महात्मा गांधी मार्ग,
इलाहाबाद ।

दिनांक 25-4-88

सेवा में,

माननीय संस्थागत वित्त सचिव,
उ० प्र० शासन,
लखनऊ ।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि उप निबंधक, चायल, इलाहाबाद निबन्धन नियमावली में निर्दिष्ट प्राविधानों का उल्लंघन करके शहर के मकानों का निबन्धन कर रहे हैं । जिसके कारण बहुत से लोगों को विवश होकर दीवानीवाद दायर करने के लिये माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है । उक्त विषय के संबंध में प्रार्थी उदाहरण के लिये अपने मकान से संबंधित कुछ बातों से आपको अवगत कराना चाहता है, जो कि निम्नांकित हैं :–

(अ) दि० 12 मार्च 1987 को मकान नं० 109, महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद के एक गृह स्वामी (श्री शक्ति कुमार राय पुत्र स्वर्गीय माधो प्रसाद राय) ने (उक्त मकान में प्रार्थी एवं उसका पिता भी सह गृह स्वामी है) एक बैनामा का निष्पादन उप निबंधक (निबंधन) चायल, इलाहाबाद आपके कार्यालय में किया, जिसमें निम्न त्रुटियां हैं :–

1–सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण इलाहाबाद ने विक्रेता को केवल 350 वर्ग गज का ही अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जबकि बैनामा 377-13 वर्ग मीटर अर्थात् लगभग 450 वर्ग गज का निष्पादित किया गया ।

2–विक्रेता ने आय कर विभाग से आय कर मुक्ति प्रमाण-पत्र लेते समय आय कर विभाग को यह सूचित किया कि वह 350 वर्ग गज रकबा मुबलिग 90,000 नब्बे हजार रुपया में बेचेगा जबकि उतने ही रकम में 377-13 वर्ग मीटर अर्थात् लगभग 450 वर्ग गज रकवा बेचा गया ।

3–विक्रेता व क्रेता ने उपरोक्त बैनामे के निष्पादन के समय पर्याप्त स्टैम्प ड्यूटी भी नहीं दी क्योंकि सम्पत्ति निर्धारित बाजारू कीमत से कम में बेचा गया उक्त अनियमितता के कारण सरकार के राजस्व में भी घाटा पहुंचता है ।

(ब) दिनांक 5 अगस्त, 1987 को श्री मनीन्द्र नाथ राय ने मकान नं० 109, महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद का 255 वर्ग मीटर रकबे का बैनामा मुबलिग 10000 रुपये में उप निबंधक (निबंधन) चायल,

इलाहाबाद के कार्यालय में निष्पादित किया, जिसमें निम्न त्रुटियां हैं :–

1–उपरोक्त विक्रेता ने उक्त बैनामे के पूर्व उसी जमीन को पंजीकृत बैनामे के जरिये जिसका हवाला वहीं नं० 1 जिल्द नं० 2064 के पन्ने 180 से 186 सिलगिला नं० 196 मुकदमा रजिस्टरी 16-4-81 (श्री डी० एन० बनर्जी) को बेच चुके थे जिन्होंने उक्त सम्पत्ति को दिनांक 6-3-84 को पंजीकृत बैनामा के जरिये प्रार्थी के पिता को बेच दिया था ।

नोटः–जब उपरोक्त विक्रेता के द्वारा एक ही सम्पत्ति के दोबारा हस्तान्तरण की बात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद के ज्ञान में लाया गया तब उन्होंने इसे धोखा धड़ी की घटना बताते हुए संबंधित थानाध्यक्ष को जांच के लिए निर्देश दिया उक्त थानाध्यक्ष, जार्ज टाऊन, इलाहाबाद ने विक्रेता के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के बजाय दीवानी मामला बताते हुए टाल दिया एवं क्रेताओं के विरुद्ध धारा 107/116 द० प्र० सं० का मुकदमा कायम कर दिया, अर्थात् प्रार्थी की परेशानी को अपनी ओर से थोड़ा और बढ़ा दिया ।

2–विक्रेता को सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमारोपण, इलाहाबाद ने उक्त विक्रय के संबंध में अपना अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान नहीं किया है ।

3–255 वर्ग मीटर रकबे का निर्धारित न्यूनतम मूल्य लगभग 63000 रुपये (तिरसठ हजार रुपये होना चाहिये जबकि विक्रेता ने उक्त रकबा केवल 10000 रुपये (दस हजार रुपये) में बेच दिया जिससे दो बातें स्पष्ट होता हैं कि विक्रेता ने धोखा धड़ी की है एवं पर्याप्त स्टैम्प ड्यूटी भी अदा नहीं की है, जिससे सरकार के राजस्व में नुकसान पहुंचा है ।

उपरोक्त खण्ड अ ब में बताये गये बैनामों में निहीत त्रुटियों का ज्ञान उप निबंधक (निबंधन) चायल, इलाहाबाद को होते हुए भी निबंधन नियमावली भाग (2) में दिये गये प्राविधानों जैसे इम्पाउन्डिंग आफ डाकूमेन्ट आदि का उल्लंघन करते हुए बैनामों को पंजीकरण हेतु स्वीकार कर लिया । कथित बैनामों के कारण प्रार्थी एवं उसके पिता पर आर्थिक एवं अन्य प्रकार के कई प्रतिकूल प्रभाव पड़े हैं ।

अतः प्रार्थी की श्रीमान जी से विनम्र प्रार्थना है कि आप अपने स्तर से संबंधित मंत्रालय अथवा विभाग (वित्त एवं गृह) को उक्त विषय पर उचित कार्यवाही करने के लिये निर्देश दें जिससे प्रार्थी एवं उसके पिता की जान व माल की रक्षा हो सके साथ ही साथ उप निबंधक, (निबंधन) चायल, इलाहाबाद के कार्यालय के कार्य प्रणाली में भी सुधार आवे, जिससे अन्य बहुत से लोगों को भी अवश्य लाभ पहुंचेगा ।

सधन्यवाद ।

प्रार्थी,

ह०/-(ए० राय)

एडवोकेट

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ।

परिशिष्ट 'अ'

(देखिये अता० प्र० सं० 121 का उत्तर पीछे पृष्ठ 174 पर)

(1) महाविभागाध्यक्ष (ग्रुप-1) के समस्त कार्यालयों में कार्यरत मिनिस्टीरियल कर्मचारियों को लोक सेवा आयोग, लोकायुक्त, राजस्व परिषद, हाई कोर्ट आदि की भांति सचिवालय के समान वेतनमान स्वीकृत किया जाये ।

(2) सचिवालय के वर्तमान अनुभागों के अनुरूप विभागाध्यक्ष कार्यालयों का पुनर्गठन किया जाय जिनमें से कुछ विभागों के प्रस्ताव शासन को भेजे जा चुके हैं तथा सचिवालय की भांति अनुसचिवीय पदों का सृजन किया जाये ।

(3) महाविभागाध्यक्ष कार्यालयों में वैयक्तिक सहायक (मिनिस्टीरियल) राजपत्रित पदों का सृजन एवं वृद्धि करते हुए समस्त तकनीकी वैयक्तिक सहायकों को (राजपत्रित) पदों के स्थान पर (मिनिस्टीरियल) पदों के सृजन की व्यवस्था की जाये और जिन विभागाध्यक्ष कार्यालयों में यह पद सृजित नहीं हुए हैं उनमें तत्काल सृजित किये जायें ।

(4) महाविभागाध्यक्ष कार्यालयों (ग्रुप-1) में आई० ए० एस० प्रशासक की नियुक्ति की जाये तथा समस्त कार्मिक एवं प्रशासनिक कार्यों का सम्पादन प्रशासक द्वारा ही कराया जाये ।

(5) महाविभागाध्यक्ष कार्यालय के कर्मचारियों को अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं एवं प्रादेशिक प्रशासनिक सेवाओं में सम्मिलित होने हेतु आयु सीमा के प्रतिबन्ध से मुक्त किया जाये'।

(6) सचिवालय के समान महाविभागाध्यक्ष कार्यालयों (ग्रुप-1) के कर्मचारियों को विभागाध्यक्ष कार्यालय भत्ता प्रदान किया जाये ।

(7) समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालयों (ग्रुप-1) में डिस्पेन्सरी की स्थापना सचिवालय की भांति की जाये तथा समस्त चिकित्सा सुविधायें प्रदान की जाये ।

(8) महाविभागाध्यक्ष कार्यालयों के कर्मचारियों को स्नातक/स्नातकोत्तर भत्ता दिया जाये ।

(9) महाविभागाध्यक्ष कार्यालयों के कर्मचारियों के एक आश्रित को सेवायोजित किया जाये ।

पी० एस० यू० पी०–एल० 227 विधान सभा (379)–1993–572 (डी० टी० पी०) ।